अष्टम माला, खंड 16, अंक 31

बुधवार 9 अप्रैल, 1986
19 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पाँचवाँ सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 31, बुधवार, 9 अप्रैल, 1986/19 चैत्र, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 618 और 621 से 624	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 619, 620, 625, 627 से 635, 637 और 638	21-30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5883 से 5977, 5979 से 6035 और 6037 से 6043	30-147
सभा पटल पर रखे गए पत्र	152-153
प्राक्कलन समिति	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—चिकित्सा राहत, शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान—के सम्बन्ध में 70वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	154
गैर—सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
17वां प्रतिवेदन	154
समिति के लिए निर्वाचन	
राजभाषा समिति	154-155
नियम 377 के अधीन मामले	155-158
(एक) विशाखापतनम और विजयवाड़ा में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति	155

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) उड़ीसा के पश्चिमी भाग और भुवनेश्वर के बीच सीधे रेल संपर्क की व्यवस्था करने के लिए महानदी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 155-156

(तीन) जम्मू और काश्मीर के जम्मू जिले में जिन भूमिहीन हरिजनों और शरणार्थियों की भूमि रक्षा चेनल के निर्माण के लिए अधिग्रहीत कर ली गई है, उन्हें किराये का नियमित भुगतान करने अथवा वैकल्पिक भूमि का आवंटन कराने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्त 156

(चार) दिल्ली के करौल बाग क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्याण योजनायें आरम्भ करने की आवश्यकता

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर 156

(पांच) लद्दाख में विभिन्न जाति समूहों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा देने के लिए भारत के महापंजीकार को वहां सर्वेक्षण करने के लिए निदेश देने की आवश्यकता

श्री पी. नामग्याल 157

(छः) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उप-डाकघरों को बंद करने सम्बन्धी निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी 157

(सात) उड़ीसा में क्रोमाइट खानों में ठेका प्रणाली समाप्त करने के लिए तत्काल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

श्री शरत देव 157-158

(आठ) बिहार में दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल्स को फिर से खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री गौरीशंकर राजहंस 158

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 158-231

(एक) जल संसाधन मन्त्रालय

श्री भीष्म देव दुबे 158-160

श्री बी. एन. रेड्डी 160-164

श्री अनादि चरण दास 164-166

श्री केयूर भूषण 166-167

श्री पी. कुलनदई वेलू 167-169

श्री बीरबल 169-171

डा. फूलरेणु गुहा 171-173

श्री आशुतोष लाहा 173-175

श्री रामाश्रयप्रसाद सिंह 175-177

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 178-179

श्री राजकुमार राय 179-182

श्री जुझार सिंह 182-184

श्री सुदर्शन दास 184.185

श्री बालासाहेब विखे पाटिल 185-189

प्रो. एन. जी. रंगा 189-222

श्री सी. जंगा रेड्डी 192-195

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 195-197

श्री अमर रायप्रधान 197-229

श्री भरत सिंह 200-201

श्री महाबीर प्रसाद यादव 201-202

श्री डी. बी. पाटिल 202-204

श्री के. एस. राव 204-207

श्री शरत देव 207-230

श्री आर. एस. माने 210-211

श्री राम सिंह यादव 211-212

श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव 213-214

श्री सुधीर राय 214-215

श्री मूल चन्द डागा 215-230

श्री पीयूष तिरकी 216-229

श्री एन. वी. एन. सोमू 217-226

श्री बी. शंकरानन्द 218-230

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(तीन) परमाणु ऊर्जा विभाग
(चार) इलैक्ट्रानिकी विभाग 231-246
(पांच) महासागर विकास विभाग
(छः) अन्तरिक्ष विभाग

श्री हन्नान मोल्लाह 235-239

श्री प्रताप भानु शर्मा 239-242

डा. एस. जगत रक्षकन 242-244

श्री राम सिंह यादव 246

लोक सभा

बुधवार 9 अप्रैल, 1986/19 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा पीटर मैरिट्स वर्ग में उस इमारत को गिराने का कथित प्रयास जहां महात्मा गांधी रहते थे

*618. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में नाताल प्रान्त में बसे भारतीय समुदाय के लोगों में पीटरमैरीट्स वर्ग स्थित उस इमारत के, जहां के बारे में यह माना जाता है कि महात्मा गांधी वहां रहते थे, गिराये जाने के कथित प्रयास से रोष व्याप्त है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पता लगाया गया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है और हमारे युग के महान नेता से सम्बद्ध इस इमारत के संरक्षण और रखरखाव के लिए उस देश के साथ यह मामला उठाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री बी. आर. भगत) : (क) सरकार ने 5 मार्च, 1986 को "हिंदुस्तान टाइम्स" में छपी इस आशय की खबर देखी है कि एक पुराना जीर्ण शीर्ण भवन पीटरमरित्जबर्ग दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के बीच विवाद का केन्द्र बन गया है। इस मकान के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी इसमें ठहरे थे और अब इसे गिराने की धमकी दी गई है।

(ख) और (ग) ऐसा लगता है कि यह खबर "प्रैस ट्रस्ट आफ साउथ अफ्रीका' की

दी हुई है लेकिन इसके बारे में अलग से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। यह सभी जानते हैं कि अपनी नीति के अनुसार जिस पर हम बराबर चल रहे हैं हम दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन के साथ कोई सम्पर्क नहीं रखते। फिर भी सरकार पड़ोसी अफ्रीकी राज्यों में अपने मिशनों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं और इस बात की कोशिश कर रही है कि दक्षिण अफ्रीका के हालात पर नजदीक से निगाह रखी जा सके। हम दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति आंदोलनों के साथ भी सम्पर्क बनाए हुए हैं।

प्रो. मधु दंडवते : आपकी सूचना क्या है? आप नहीं जानते कि गांधी जी कहां ठहरे थे?

[हिन्दी]

श्रीमती उषा चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की भूमिका यह रही है कि वह दुनिया में शांति और एकता का एक नया रास्ता कायम करना चाहती है, इसलिये हमारा फर्ज होता है कि एक नया रास्ता बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं हमारे पुराने कदमों के निशान न मिट जायें। दक्षिण अफ्रीका से हमारे राजनैतिक सम्बन्ध हों या न हों, लेकिन जहां आज भी वर्ग संघर्ष की अग्नि की ज्वाला भड़क रही हो, उसे हम रोकें। महात्मा गांधी जी की याद को कायम रखने के लिए और अपनी संस्कृति वहां बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी एजेंसियों के माध्यम से और अड़ोस-पड़ोस के देशों के माध्यम से वहां इन्क्वायरी हो जाये। क्या आप यू. एन. ओ. जैसी संस्था से वहां बस्ती कायम रखने के लिए और इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई विचार विमर्श करने जा रहे हैं?

श्री बी. आर. भगत : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्या की बात से सहमत हूं कि हमारे पुराने कदमों की याद हमेशा बनी रहे और इतिहास में महात्मा गांधी जी की यादगारी को अक्षुण्ण रखना हमारा परम कर्तव्य है। जहां तक साउथ अफ्रीका का सवाल है, उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। यूनाइटिड नेशन की बात माननीया सदस्या ने कही कि उसके द्वारा हम कुछ जानकारी प्राप्त करें, उस संबध में मैं कहना चाहूंगा कि यूनाइटिड नेशन का भी उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है : वहां से साउथ अफ्रीका निकाला जा चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि आस-पास के जो पड़ोसी फ्रन्टल स्टेट हैं, उनके मिशन से भी कहा है कि उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करें। साउथ-अफ्रीका की आजादी की जो संस्थायें हैं, उनसे भी हम बातचीत करने में लगे हैं ताकि वे भी इसकी तहकीकात कर सकें।

श्री बी. तुलसी राम : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण अफ्रीका में इसाईयों की सरकार है। हमारे हिन्दुस्तान में भी इसाईयों की कई चीजें हैं जिसको कि हमारी सरकार पूरी हिफाजत से देख रही है। हमारे पूज्य बापू जी जहां रहते थे, उस मकान को तोड़ना हमारे लिए उतनी ही महत्व की चीज है, जितना उन लोगों *··· और उन लोगों की जो चीजें हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर हैं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? उसकी चर्चा मत कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे पसन्द नहीं करता क्योंकि हमारे भारतीय हमारे ईसाई वहां है। आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं ? महात्मा गांधी के निवास के बारे में आप क्या चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसी राम : उनकी चीजों की हमारी सरकार यहां हिन्दुस्तान में हिफाजत कर रही है, लेकिन हमारे पूज्य बापू जी जिस घर में रहते थे उसको तोड़ना कितनी खराब बात है ? उसके लिए हमारी हिन्दुस्तान की सरकार का क्या करने का विचार है ? वह इस सम्बन्ध में क्या करने को सोच रही है

श्री पी. आर. भगत : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें धर्म का सवाल नहीं है। धर्म का भेद लाना तो उचित नहीं होगा। पूज्य बापू तो सभी धर्मों के समर्थक थे और सभी धर्मों का बराबर आदर करते थे। यहां रंगभेद का सवाल है, अपार्थाइड का सवाल है और इसको खत्म करने के लिये गांधी जी ने वहां इसके आंदोलन की शुरूआत की थी। जैसा मैंने बताया कि उनसे हमारा सीधा संबंध नहीं है। अगर वह उसको तोड़ना चाहते हैं या तोड़ रहे होंगे तो उसके लिए हम सीधे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी के जो ज्वलन्त उदाहरण हैं उनकी अक्षुण्ता रखने के लिए जो कुछ भी हम से हो सकेगा वह हम करेंगे। हम दूसरी एजेंसीज के द्वारा उसकी तहकीकात कर रहे हैं और जो कुछ हो सकता है वह कर रहे हैं।

श्री वी. तुलसी राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने धर्म की बात नहीं की। उनकी सम्पत्ति को वहां की सरकार हाथ नहीं लगाए इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सन् 1920 से पूर्व काम किया था। 60-65 साल बीत गए हैं। जहां वह रहते थे वहां भारत सरकार ने एक स्मारक बनाने पर विचार क्यों नहीं किया ? हमें अब खबर मिली है कि वे इस इमारत को गिराने जा रहे हैं : महोदय, जहां चाह है वहां राह है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में आप क्या कुछ नया कहना चाहते हैं ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जहां चाह है वहां राह है। ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से उनसे सम्पर्क किया जा सकता है इस स्मारक को बनाये रखना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यो आपका यह सुझाव है।

प्रो. मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस प्रश्न का जिस सरसरे तौर पर जवाब दिया है उससे मुझे वास्तव में हैरानी है। प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में उन्होंने कहा है कि अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों में यह विवाद है कि वह गांधी जी का निवास स्थान था या नहीं। महोदय, महज भारतीय समुदाय पर जिम्मेवारी थोप देना ठीक नहीं है। यह महात्मा गांधी का निवास स्थान था। जिन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का अपना अनुभव वहीं प्राप्त

किया था इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से यह पता लगाने के लिये क्या कोई स्वतन्त्र जांच की गई है कि वह गांधी जी का सरकारी निवास स्थान था या नहीं ? अगर है तो क्या उपाय किए गए हैं ? यहां मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक घटनाओं और इमारतों के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत चलताऊ है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यह है। इसी शहर दिल्ली में मिर्जा गालिब का जन्म स्थान महज एक कोयला गोदाम के अधिक कुछ नहीं है। इतिहास के प्रति उनका यह रवैया है। तो. क्या वे इस रवैये में परिवर्तन लाकर महात्मा गांधी के प्रति अधिक आदर का प्रदर्शन करेंगे और पता लगायेंगे कि वह कहां रहते थे और उस भवन की सुरक्षा की जाती है या नहीं।

श्री बी. आर. भगत : मैं माननीय मंत्री का ध्यान प्रश्न की ओर दिलाता हूं। प्रश्न में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को उद्धत करते हुये स्पष्ट कहा गया है "जहां के बारे में यह माना जाता है कि महात्मा गांधी वहां रहते थे।" प्रश्न यह है।

प्रो. मधु दंडवते : आप हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार क्यों चलते हैं ? आपकी सूचना क्या है ?

श्री बी. आर. भगत : उत्तर के ये मापदंड हैं। आप एक जाने माने सांसद हैं।

प्रो. मधु दंडवते : ये हिन्दुस्तान टाइम्स के मापदंड हैं। आपका मापदंड क्या है ?

श्री बी. आर. भगत : मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं उत्तर को स्पष्ट कर रहा हूं। अपने उत्तर के भाग (क) में मैंने जो कुछ कहा था वह हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि प्रश्न में प्रत्यक्ष तौर पर और बहुत स्पष्ट रूप से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी खबर का उल्लेख है जिसमें कहा गया था "यह माना जाता है।"

महोदय, हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि जहां तक इस रिपोर्ट विशेष का अर्थात् 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट का सम्बन्ध है हमें कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनसे यह पुष्टि हो कि गांधी जी कभी इस मकान में रहे थे और वास्तव में इसका कोई महत्व है। बहरहाल, सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई उत्सुकता को देखते हुए आगे और जांच की जायेगी और अगर इस बात की पुष्टि हो गई कि गांधी जी वहां रहे थे तो हम उसकी उस सीमा तक सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे जिस सीमा तक वहां की परिस्थितियों में हम कर सकते हैं।

प्रो. मधु दंडवते : दिल्ली मिर्जा गालिब का जन्म स्थान भी है। इसे दिल्ली शहर में कोयला गोदाम में मत बदलिये।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, अपने जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि अखबारों में ऐसा निकला है लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है ' मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं यदि अखबारों में यह समाचार निकला है कि महात्मा गांधी का जहां जन्म स्थान था उसको जला दिया गया, उसका फोटो भी निकला है, तो क्या वहां की सरकार को यहां से पत्र लिखा गया ? यदि हां, तो उस सन्दर्भ में उसका क्या उत्तर आया ?

श्री बी. आर. भगत : समाचार पत्र में जो निकला है वह मैंने बताया, लेकिन वहां की

सरकार से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमारे सारे सम्बन्ध टूटे हुए हैं। हम उनको सीधा पत्र नहीं लिखेंगे और न लिखना ही चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, समाचार पत्रों की खबर के अनुसार इस भवन को, जहां ऐसा विश्वास किया जाता है कि महात्मा गांधी जी ठहरे थे, भारतीय समुदाय के एक वर्ग द्वारा एक बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए गिरा देने का प्रस्ताव है। क्या यह सच है ? क्या ऐसे कोई उपाय नहीं हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में हमारे अपने समुदाय के लोगों से हम मिल सकें ? हाल ही में केवल एक आर्य समाज दल को वहां जाने की अनुमति दी गई थी। उस दल द्वारा दी गई सूचना क्या है ?

प्रो. मधु दंडवते : मन्त्री महोदय को गांधी जी के बारे में कोई चिन्ता नहीं है :

श्री बी. आर. भगत : हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि इस भवन का निर्माण एक बहुमंजिला इमारत के रूप में किया जाना है। इस बात की सत्यता के बारे में हमारे पास जो सूचना है वह यह है कि वही भवन जहां गांधी जी ठहरे थे जैसा कि हमने कहा है मेरा अभिप्राय है कि वर्तमान स्थिति यह है कि··· (**व्यवधान**)

श्री एस जयपाल रेड्डी : इस प्रस्ताव के पीछे कि वहां एक बहुमंजिला भवन का निर्माण करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 619—श्री राम प्यारे पनिका, अनुपस्थित। श्री उत्तम राठोड़ अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 620—श्री अजय मुशरान, अनुपस्थित।

श्री लंका में जातीय समस्या का हल ठुकराया जाना

*621. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा**† :

श्री पी. कुलन्दईवलू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका सरकार ने व मिलों की जातीय समस्या के लिये राजनीतिक हल निकालने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है;

(ख) क्या भारत में नियुक्त श्री लंका के उच्चायुक्त ने इस समस्या के कुछ मुद्दों पर हाल ही में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की थी;

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में और क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।

विदेश मंत्री (श्री बी. आर. भगत) : (क) जी, हां। श्री लंका सरकार ने "बुल्फ" द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले व मिल दलों ने श्री लंका सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था।

(ख) श्री लंका के हाई कमीश्नर 19 मार्च, 1986 को प्रधान मंत्री से मिले थे। उन्होंने भूतपूर्व विदेश सचिव से भी कुछ मसलों पर अलग से विचार-विमर्श किया था।

(ग) हाई कमीश्नर ने श्री लंका सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने श्रीलंका

सरकार की इस वचनबद्धता को दोहराया कि वह इस समस्या का राजनैतिक समाधान चाहती है और वह भी कहा कि वह यह भी चाहती है कि इस प्रकार के समाधान की दिशा में भारत की सहायता निरंतर मिलती रहे। प्रधानमंत्री ने हाई कमीशनर को यह बताया था कि श्रीलंका से मिलने वाली परस्पर विरोधी खबरों के कारण तथा व मिल जनता पर श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं की कार्यवाहियों के कारण भी उनकी सरकार चिन्तित है। श्री लंका के हाई कमीशनर को सरकार के इस विचार से एक बार फिर अवगत कराया गया कि इस जातीय समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता राजनैतिक समाधान के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी श्रीलंका सरकार की ही है।

(घ) आगे क्या कदम उठाये जाने हैं, इसका फैसला इस बात को देखकर ही किया जायेगा कि आगे क्या हालात बनते हैं।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका के उच्चायुक्त महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी श्रीलंका में जातीय समस्या के हल के लिए श्रीलंका सरकार राजनैतिक हल खोजने की अपेक्षा सैनिक हल के प्रति कटिबद्ध प्रतीत होती है। तमिल आन्दोलन को कुचलने के लिए इकट्ठे किये जा रहे विभिन्न किस्म के हथियारों और सभी आवश्यक वस्तुओं के बारे में हम खबरें सुनते आ रहे हैं। सम्भवत या श्रीलंका सरकार यह सोच रही है कि दमन इस हद तक हो सकता है कि सेना हावी हो जायेगी या तमिल आन्दोलन इतना कमजोर पड़ जायेगा कि अन्त में श्रीलंका सरकार राजनैतिक हल के लिए जो भी शर्तें रखेगी तमिल आन्दोलनकारियों के पास उन्हें स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होगा। इन हालात में, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार 'स्वापो' या फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की तरह ही तमिल मुक्ति आन्दोलन या संयुक्त तमिल मुक्ति मोर्चे (तुल्फ) को मान्यता देने पर विचार कर रही है ?

श्री बी. आर. भगत : महोदय ऐसा कोई विचार नहीं है। क्योंकि शुरू से ही हमारा यह रुख रहा है—भारत सरकार का यह रुख है कि यह श्रीलंका का आन्तरिक मामला है। और यद्यपि हमने इस बात को जोरदार शब्दों में कहा है, सभा को, वहां हो रहे नरसंहार या सैनिक हल थोपने के लिये किये जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी है। हमने श्रीलंका सरकार को चेतावनी दी है कि यह राजनैतिक मसला था जिसका उन्हें हल ढूंढ़ना है। हमने यह कहा था कि यह हमारा विश्वास और नीति है कि इस मसले का हल, राजनैतिक ढंग से विचार विमर्श द्वारा, सम्बन्धित पक्ष में आपस में शान्तिपूर्ण वार्ता करके किया जा सकता है जो श्रीलंका की एकता और अखण्डता को भी ध्यान में रखे। इसलिए हम शान्तिपूर्ण हल के पक्ष में तो आकांक्षाओं को पूरा किये जाने हैं साथ ही हम तमिल जातीय समुदायों की न्यायपूर्ण के पक्ष में हैं और हम बातचीत के जरिये सहायता कर रहे हैं और इस हालत में हम सैनिक हल के विरुद्ध हैं। वहां प्रतिदिन नरसंहार हो रहा है जो हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक नकारात्मक पहलू है। इस बात की जानकारी हम श्रीलंका सरकार को दे चुके हैं और इस विषय में यह कहना गलत होगा कि हम इस कतिपय मुक्ति संगठन को मान्यता दे रहे हैं। यह हमारी नीति के अनुरूप नहीं है।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : महोदय एक तरफ तो श्रीलंका सरकार पाकिस्तान, इजराईल,

चीन तथा अमरीका के बल पर सैनिक हल की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम इस जातीय समस्या के राजनैतिक हल के रूप में समय-समय पर स्वतन्त्रता योजना के बारे में, सुनते आ रहे हैं। यह जातीय समस्या पिछले एक वर्ष में कम से कम 1300 जानें ले चुकी हैं। क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि यह सब भारत सरकार को धोखे में रखने के लिए है ताकि श्रीलंका की सेना को संगठित करने और उसे हथियार उपलब्ध कराने के लिए समय मिल जाये ? यदि ऐसा है तो क्या भारत सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा रही है तथा क्या श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र संघ की शान्ति सेनायें तैनात करने की व्यवस्था का प्रयत्न कर रही है जैसा कि काश्मीर में है अथवा क्या वह जातीय समस्या की स्थिति का जायजा लेने एवं सम्भावित हल ढूंढ़ने के लिए भारत के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल श्रीलंका भेज रही है ?

श्री बी. आर. भगत : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हम भविष्य की गतिविधियों पर और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर गहरी नजर रखे हुये हैं और हम इनके अनुसार ही कार्यवाही करेंगे। मूल बात यह है कि यह मसला राजनैतिक स्तर पर वार्ताओं और शान्तिपूर्ण वार्ताओं द्वारा हल किया जाना है। यह राजनैतिक समस्या है। इसका राजनैतिक हल ढूंढा जाना चाहिए। हम किसी प्रकार के सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। हमें पूरी जानकारी है और हमने श्रीलंका सरकार को उसकी सैन्य शक्ति में वृद्धि तथा सुरक्षा सेनाओं द्वारा किये जा रहे नरसंहार से अवगत करा दिया है। हम इस बात के पक्ष में हैं कि वहां शान्ति कायम रखना श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं की बुनियादी जिम्मेदारी है। यह उनकी जिम्मेदारी है। इजारायली सैनिक सलाहकार, सैनिक कर्मचारियों सहित वहां मौजूद, बाहरी तत्वों की हमें जानकारी है और यहां तक कि पाकिस्तानी कर्मचारियों और उनकी सांठ-गांठ की भी हमें जानकारी है। इन सब बातों पर सभा में विचार विमर्श हो चुका है और इन सब बातों की हमें जानकारी है। ताजा स्थिति यह है कि हम श्री लंका सरकार से लिखित रुप में एक ठोस सुझाव का इन्तजाम कर रहे हैं और जब हमें यह प्राप्त हो जायेगा, हम इस पर तमिल संगठनों के साथ विचार विमर्श करेंगे और यदि हमारे विचार में समझौते का कोई आधार हुआ तो हम श्री लंका सरकार से सम्पर्क करने की कोशिश करेंगे। यह ताजा स्थिति है।

फिर भी जब तक शान्तिपूर्ण माहौल नहीं होगा और जब तक नरसंहार को रोककर शान्तिपूर्ण माहोल कायम नहीं किया जाता, राजनैतिक हल आगे नहीं बढ़ेगा। यह हमारा दृढ़ विश्वास है और हमने श्रीलंका सरकार को इस बात से अवगत करा दिया है।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। क्या सरकार इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ले जा रही है ? माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह एक ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें एक राजनैतिक हल खोजा जा सके। परन्तु हम खबरों में यह पा रहे हैं कि प्रतिदिन वहां कई लोगों को मौत का ग्रास बनाया जा रहा है।

इन हालात में मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले जाया जा रहा है ताकि वहां एक शान्ति सेना कायम की जा सके। मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि श्रीमन कुलन्दईवेलू (व्यवधान)

श्री पी. कुलन्दईवेलू : माननीय मन्त्री महोदय प्रश्न (क) के जवाब में कह चुके हैं कि श्रीलंका सरकार श्रीलंका समस्या का राजनैतिक हल ढूंढने के सुझाव को पहले ही ठुकरा चुकी है। यह सच है कि आपने ऐसा कहा है। पर वे सैनिक हल के पक्ष में हैं। यह कतई स्पष्ट है। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप इस सभा में पहले ही कह चुके हैं कि पहले उन्हें जाति संहार और नरसंहार बन्द करना होगा। यह उन्होंने अभी तक बन्द नहीं किया है।

यहां तक कि कल और परसों भी नरसंहार हो रहा था। जाति संहार हो रहा था। श्रीलंका के उच्चचायुक्त ने आपसे बातचीत की थी और उस बातचीत को ध्यान में रखते हुये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसने उत्तरी और पूर्वी राज्यों में राष्ट्रीय सरकार कायम करने का प्रस्ताव रखा है अथवा भारत सरकार ने यह सुझाव दिया है कि भारत की तरह जैसा कि श्रीलंका में उत्तरी तथा पूर्वी राज्यों में सीमित अधिकारों के साथ राज्यों की सरकार बना दी जाये।

आपने कहा है कि यह समस्या श्रीलंका की आन्तरिक समस्या है। मैं आपसे कहता हूं कि यह एक आन्तरिक समस्या नहीं है।हमारे प्रधान मन्त्री महोदय पहले ही यह कह चुके हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या भी है। यदि यह अण्तर्राष्ट्रीय समस्या है, और भारतीय तमील लोगों का जातिसंहार हो रहा है और श्रीलंका में उनका संहार और कत्ल हो रहा है तो क्या इस जातीय समस्या को समाप्त करने के लिए आप को ठोस कदम नहीं उठाने होंगे ?

श्री बी. आर. भगत : यह बहुत बड़ी मानवीय समस्या है और सच्चाई यह है कि 125000 से भी अधिक शरणार्थी हमारे देश में हैं तथा उन्हें वापस लौटना है। किसी भी समाधान के मूल तत्वों में से एक यह है कि शरणार्थी अपने देश में इज्जत व मान के साथ लौटें और तमिलों की उचित आशायें अवश्य पूरी की जानी चाहियें। इसके बिना कोई राजनैतिक हल नहीं हो सकता। अत: यह एक मानवीय समस्या है। फिर भी जब मैंने राजनैतिक समाधान कहा है, तो यह केवल श्रीलंका की एकता और अखण्डता की परिधि के अन्तर्गत ही हो सकता है। यह बात है जिसका मैंने उल्लेख किया है।

अब वर्तमान स्थिति यह है कि हमने श्रीलंका में हो रही हत्याओं और उस सम्बन्ध में विकल्पों के बारे में तथा श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं द्वारा की जा रही कार्यवाहियों और उनमें निर्दोष नागरिकों, औरतों और बच्चों की हत्याओं के बारे में बार-बार विचार किया है। इन सबके बारे में हमने चर्चा की है और सभा ने बहुत चिन्ता जाहिर की है तथा प्रधान मन्त्री ने कहा है कि जब तक हत्यायें नहीं रोकी जाती हैं तब तक कोई वातावरण नहीं बन सकता है और राजनैतिक हल के लिए कोई भी वार्ता नहीं की जा सकती।

हमें बताया गया है कि इस समय स्थिति यह है कि श्रीलंका के विदेश मन्त्री श्री हामीद गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के ब्यूरो की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। वह

लिखित प्रस्ताव, समस्या के राजनैतिक हल के लिए नये प्रस्ताव ला रहे हैं। जब वे आयेंगे, तब हम देखेंगे।

श्री पी. कुलन्दईवेलू : वह यहां कब आ रहे हैं ?

श्री बी. आर. भगत : मुझे बताया गया है कि वह कुछ दिनों में आ रहे हैं। वे गुट निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक में जो 16 ता. से. शुरू होने वाली है में भाग लेने के लिए आ रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री पी. कुलन्दईवेलू : तब तक उन्हें नर संहार बन्द करना चाहिए। यह प्रत्येक दिन हो रहा है·····(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : यदि आप कहते हैं कि तब तक तो क्या इसका यह अर्थ है कि वे इसके पश्चात फिर उसे शुरू कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री जी. जी. स्वैल : भ्रामक और परस्पर विरोधा संकेत श्रीलंका से मिल रहे हैं। राष्ट्रपति श्री जयवर्धने का वक्तव्य रिकार्ड हो चुका है कि वह सर्वप्रथम सैनिक हल के लिए सोचेंगे और तब राजनैतिक हल के बारे में बात करेंगे और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने तमिल क्षेत्रों पर सैनिक हमले बढ़ा दिये हैं। नागरिक क्षेत्रों पर बम फेंके गये, लड़ाकू हेलिकाप्टरों से लैस जहाज प्रयोग में लाये गये और आपने भी यह कहा है कि यह नर संहार की ही स्थिति है। आप कहते हैं कि विदेश मन्त्री यहां आ रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि श्रीलंका के विदेश मत्री क्या लायेंगे और क्या वे वह राजनैतिक समाधान चाहेंगे या वे भारत की सहायता चाहेंगे। साथ ही आपने स्वयं अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं, पाकिस्तानी सेनाओं तथा अन्य देशों के गुप्त संगठनों जैसे मोसाड़, बोस आदि के आपस में सम्बन्ध हैं। इन परिस्थितियों में मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो जायजा लिया है तथा जो फैसला किया है उसके अनुसार श्रीलंका के वास्तविक विचार क्या हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रीलंका आज वास्तव में इस स्थिति में है कि वह अपने बारे में निर्णय ले सकता है और क्या यह वस्तुतः श्रीलंका की समस्या है। जो हम कह रहे हैं क्या हमें उसकी जानकारी है···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न करें। आपने पहले ही स्पस्ट कर दिया है।

श्री जी. जी. स्वैल : बड़ी शक्तियों की सामरिक सहमति। मैं इस बारे में आश्वस्त होना चाहूंगा कि क्या यह बड़ी शक्तियों द्वारा इस क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा को भंग करने का प्रयत्न नहीं है।

श्री बी. आर. भगत : माननीय सदस्य की यह बात सही है कि श्रीलंका से विरोधात्मक संकेत मिले हैं क्योंकि आप एक ओर तो राजनैतिक समाधान की बात करते हैं और साथ ही आपको प्रत्येक-दिन हत्याओं की रिपोर्ट मिलती रहती हैं। पहले युद्ध विराम हुआ पड़ा था। फिर युद्ध विराम टूट गया क्योंकि युद्ध विराम संचालन समिति के तीन में से दो तमिल सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए दोनों ही बातें चल रही हैं, इसीलिए हमने सुस्पष्ट रूप से कहा है कि इस समस्या का केवल राजनैतिक समाधान ही हो सकता है और कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता है और यदि हत्यायें होती रही और न ही समस्या का कोई राजनैतिक समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हम दोबारा कोई प्रक्रिया शुरू करें उसके साथ ही यह ध्यान रखना होगा

कि हम कोई ऐसी लम्बी परियोजना को हाथ में न लें जो रुक-रुक कर चलती रहे। अतः हत्यायें रुकनी चाहियें और राजनैतिक समाधान के लिए उपयुक्त माहौल होना चाहिए केवल तभी सम्बन्धित प्राधिकारी इस समस्या पर चर्चा कर सकते हैं और एक राजनैतिक समाधान पर आ सकते हैं ताकि यह अधिक कठिन और विवादाग्रस्त समस्या सुलझ सके।

इससे बाहरी हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है। यह केवल इस क्षेत्र का ही अनुभव नहीं है परन्तु यह विकासशील देशों का हर जगह का अनुभव है या इस तरह के क्षेत्र में जहां कि ज्यादातर विकासशील देश हैं। वहां बड़ी शक्तियां हैं। जहां कहीं भी गड़बड़ है या आन्तरिक गड़बड़ है या कोई क्षेत्रीय गड़बड़ है वहां बड़ी शक्तियों के लिप्त हो जाने का खतरा है। यहां आप पहले ही सभी प्रकार का हस्तक्षेप देख रहे हैं और सांठ-गांठ की बात है जिसके बारे में पहले से ही हमने इस सभा में स्पष्ट रूप से कहा है। ये सब बातें हैं। यह बहुत जटिल स्थिति है और यह न केवल परस्पर विरोधी ही है अपितु इसमें विभिन्न तत्व और शक्तियां भी सक्रिय हैं। हमें देखना है कि जो हम चाहते हैं उसके बारे में हम अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखें और शुरू से हीं हम यही कहते आ रहे हैं कि यह मसला राजनैतिक रूप से शान्तिमय ढंग से विचार-विमर्श द्वारा सुलझाया जाना चाहिए और इसका ऐसा समाधान होना चाहिये जिसे जातिय तमिल अल्पसंख्यकों की वैध आकांक्षाएं पूरी हो सकें तथा उनके हितों की संतोषजनक ढंग से रक्षा हो सके···

प्रो. जी. जी. स्वैल : मेरा प्रश्न यह था कि इन सभी विरोधाभाष और विवादों में हमारे हिसाब से श्रीलंका वास्तव में क्या चाहता है ? क्या श्रीलंका इस स्थिति में है कि वह स्वयं अपने बारे में निर्णय ले सके ?

श्री बी. आर. भगत : इसीलिये हम चाहते हैं और हमने लिखित में एक प्रस्ताव भेजने के लिये कहा है और हम विश्वास करते हैं कि श्रीलंका के विदेशमंत्री लिखित प्रस्ताव जिन्हें आप जातिय प्रस्ताव भी कह सकते हैं ला रहे हैं···

प्रो. जी. जी. स्वैल : कल हो सकता है वे दूसरा प्रस्ताव ले आयें।

श्री थम्पन थामस : महोदय, श्रीलंका की समस्या एक नये आयाम में पहुँच रही है। यह भारतीय सुरक्षा के लिये खतरा बन गयी है विशेषतः सीमावर्ती केरल और तमिलनाडु राज्यों के लिए तो ऐसा हो गया है। पाकिस्तान का श्रीलंका के लोगों का साथ देना और घुसपैठियों का केरल और तमिलनाडु में आना जारी और बहुत से श्रीलंका वासियों, हजारों पाकिस्तानियों की इस क्षेत्र में उपस्थिति देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस समस्या की जानकारी है, यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री बी. आर. भगत : हम अपनी सुरक्षा के प्रति किसी खतरे के विरुद्ध सभी कार्यवाही करेंगे। हम यह करने के लिये तैयार हैं। प्रधानमन्त्री ने कल हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के वातावरण के बिगड़ने से सम्बन्धित प्रश्न को लिया था। हमें उसकी जानकारी है और हम अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिये सभी सावधानियां बर्तेंगे।

चीन द्वारा पंजाब में आतंकवादियों को कथित सहायता

*622. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

डा. बी. एल. शैलेश : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में आतंकवादियों को चीन द्वारा हथियारों तथा धन से सहायता किये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी मिली है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1986 के "स्टेट्समैन" में "टेरेरिज्म साइनो-पाक पाइपलाइन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री बी. आर. भगत) : (क) और (ख) सरकार ने 15 मार्च, 1986 के "द स्टेट्समैन" में टेरेरिज्मस सिनो-पाक पाइप लाइन" शीर्षक से छपी खबर देखी है। बताया जाता है कि चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने 19 मार्च, 1986 को यह कहा था कि "कुछ विदेशी अखबारों में छपी ये खबरें बेशक एक झूठी अफवाह हैं और इस खण्डन की कोई जरूरत नहीं है कि भारत के सिख आतंकवादियों को चीन से सहायता मिल रही है।"

(ग) सरकार ने, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा 19 मार्च को दिये गये इस वक्तव्य पर गौर किया है। सरकार हिंसा और आतंकवाद से उत्पन्न खतरे से देश की एकता और प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिये सदैव सतर्क है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आप जानते हैं कि यह प्रश्न इस रिपोर्ट से उठा है जिसमें यह कहा गया है कि कैम्पर जो आतंकवादियों का एक कुख्यात प्रशिक्षक है ने अपने लेख में गुरप्रताप सिंह बिर्क की बड़ाई की है और बताया है कि चीन आतंकवादियों को भारी हथियार देने के लिये तैयार है और चीन में उनका एक शिविर है। मन्त्री महोदय ने इसका यह उत्तर दिया है कि 'चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ विदेशी अखबारों द्वारा सिख आतंकवादियों को चीन द्वारा सहायता दिये जाने के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट निश्चित रूप से झूठी अफवाह है और इसमें कोई दम नहीं है।' मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि सरकार ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार किया है। क्या मैं पूछ सकती हूं कि गैर-राजनीतिक भाषा में क्या इसका यह तात्पर्य है कि भारत सरकार की अपनी सूचना के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिया गया वक्तव्य सही है ? क्या यह सरकारी सूचना से मेल खाता है ? क्या यह सच है कि चीन का ऐसा कोई इरादा नहीं है ?

श्री बी. आर. भगत : हमने 'स्टेट्समेन' की रिपोर्ट की बीजिंग स्थित अपने दूतावास से छान-बीन की है और हमारे दूतावास ने महसूस किया है कि रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं है। (व्यवधान) और चीनी शासकों के वर्तमान रवैये और विशेष रूप से उसने यह दिखाया है कि वह एक जिम्मेदार शक्ति है तथा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में शान्ति और स्थायित्व की समर्थक है, उससे हमारा यह अनुमान है और हम विश्वास करते हैं कि यह रिपोर्ट सही नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह सब हमारे देश तथा चीन के लिये अच्छा है। मैं इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक बात जानना चाहूंगी··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केवल भारत के विषय में बोलें।

प्रो. मधु दण्डवते : यह भारत चीन के लिये अच्छा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं समस्त विश्व के बारे में तथा सब देशों के साथ सैद्धान्तिक आधार पर शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये जाने के लिये बोल रही हूं।

एक बात मुझे थोड़ा चिन्तित कर रही है और मैं उसका स्पष्टीकरण चाहती हूं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वाशिंगटन में भारतीय अधिकारियों से जब इस समाचार के बारे में पूछा गया फिर यह प्रश्न न केवल चीन के विषय में था अपितु पाकिस्तान के बारे में भी था तो उन्होंने कहा कि चीन के बारे में उन्हें कभी भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। इतनी बात है। कुख्यात श्री कैम्पर ने कुछ कीमत लेकर महत्वपूर्ण सूचना देने का प्रस्ताव किया था किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। इतना तो अच्छा ही हुआ। किन्तु अगली बात इस बारे में है कि इससे इन्कार क्यों कर दिया गया था। यह ऐसे है : "क्योंकि एफ. बी. आई. ने जिस रहस्य का भी पता लगाया था उसे वह भारतीय अधिकारियों को बताने के लिये सहयोग कर रहा था।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न रखें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या भारत सरकार इसी जानकारी पर निर्भर करती है जो एफ. बी. आई. उन्हें बताता है ? स्वयं एफ. बी. आई. पाकिस्तान को अधिकतम मदद करने वाली एजेंसियों में से एक है। क्या भारतीय सरकार सभी सूचनाओं के लिये एफ. बी. आई. पर निर्भर है ? अगर ऐसा है तो, भगवान ही हमारी सहायता करे। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इसको स्पष्ट करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री बी. आर. भगत : जिस खबर से यह प्रश्न उठा है उसी के अनुसार कि श्री कैंफर ने न्यूयार्क में कान्सुलेन्ट जनरल के पास एक विचौलिये के माध्यम से संदेश भिजवाया कि चीन और पाकिस्तान की अन्तर्ग्रस्तता की सूचना एक कीमत पर दी जा सकती है। इससे आप कैंफर के चरित्र को जान सकते हैं। **(व्यवधान)**

किन्तु भारतीय अधिकारियों ने वाशिंगटन में—यह भी उस खबर के अनुसार ही है—कहा है कि चीन द्वारा उग्रवादियों को सहायता देने के बारे में उनके सामने कभी भी कोई सबूत नहीं आया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे सभी सूचनाओं के लिए एफ. बी. आई. पर निर्भर हैं ? जो उन्होंने कहा है, वह तो मैंने पहले ही पढ़ दिया है।

श्री बी. आर. भगत : इसका कोई सबूत नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप सूचना के लिए सिर्फ एफ. बी. आई. पर निर्भर हैं ?

श्री बी. आर. भगत : आपको स्रोत के बारे में नहीं पूछना चाहिये। आपको बतायी गयी सूचना से संतुष्टि होना चाहिए। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सूचना के लिये एफ. बी. आई. पर निर्भर नहीं हैं। इसके लिये हमारे पास अपने साधन हैं। किन्तु उनके साथ हमारे संबन्धों के अनुसार हम एफ. बी. आई. तथा दूसरी एजेंसियों से जो सूचना मिलती है वह भी प्राप्त करते हैं।

[हिन्दी]

डा. बी. एल. शैलेश : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ए. एन. 32 नामक जो मिटेक हवाई जहाज उसी एरिया में लापता हुए हैं, क्या सरकार ने पता लगाने की कोशिश की है कि उसमें पाकिस्तान और चीन का हाथ है। इसमें सच्चाई क्या है।

[अनुवाद]

श्री बी. आर. भगत : इस मन्त्रालय से इस प्रश्न का संबंध नहीं है।

डा. दत्ता सामंत : मैं यह कहता हूं कि चाहे यह एफ. बी. आई. हो, चीन या पाकिस्तान हो, हमें इन सबको गंभीरता से लेना चाहिये और तफसील में जाना चाहिये। श्री कैंपर ने उसके पैंटहाऊस लेख में विशेषतौर पर श्री गुरुबचन तथा तीन दूसरों के नाम दिये हैं—मैं इसे माननीय मंत्री के सामने रखूंगा। उसने विशेष रूप से कहा है कि वे पाकिस्तान या चीन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि, "हम भारत में तीन आणविक संयन्त्रों को उड़ाने के लिये और प्रशिक्षण चाहते हैं और यह जो भोपाल में घटित हुआ है उससे कुछ अधिक होगा,"

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

डा. दत्ता सामंत मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार विस्तार से सदन को रिपोर्ट देने जा रही है, क्योंकि चाहे यह एफ. बी. आई. हो, चीन या पाकिस्तान हो, वे सभी इस देश के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मैं इन सभी देश विरोधी हरकतों पर एक विस्तृत रिपोर्ट चाहता हूं, इस विषय में चाहे वे एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हों या दोष लगा रहे हों। ऐसे सभी प्रतिवेदनों के विरुद्ध इन तीन देशों की विस्तृत रिपोर्ट क्या है।

श्री बी. आर. भगत : इस मामले में, जैसा मैंने कहा है, हमने खुद वाशिंगटन तथा बीजिंग में जानकारी प्राप्त की है। हमें इस मामले में चीन की अन्तर्ग्रस्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। जहां तक चीन-पाकिस्तान गठ-जोड़ का सवाल है, उसका सभी को पता है। उनमें बहुत गहरा संबंध है—आर्थिक तथा सामरिक क्षेत्रों में। यह सब वहां है और यह एक अलग मामला है।

नेत्रहीनों के कल्याणार्थ कार्य करने वाली संस्थाएं

*623. **डा फूलरेणु गुहा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेत्रहीनों के कल्याण कार्य में लगी हुई कितनी संस्थाओं/संगठनों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है; और

(ख) ऐसे संस्थाओं/संगठनों के नाम क्या हैं, तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

संगठन	स्वीकृत किया गया अनुदान		
	1983-84	1984-84	1985-86
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश नेत्रहीन संघ, हैदराबाद	8,325/-	3,330/-	24,702/-

1	2	3	4	5
2.	अध्यक्ष श्रीमन्ता शंकर मिशन नावगांव (असम)	1,50,000	1,44,380	2,64,630
3.	सचिव गिरजा शंकर दृष्टि बहीन बालिका विद्यालय भागलपुर	58,230	60,570	73,440
4.	अन्ध कल्याण केन्द्र अहमदाबाद	—	—	38,700
5.	नेत्रहीनों के लिए वयस्क प्रशिक्षण केन्द्र	—	—	40,000
6.	अंधाजन विविधलक्षी तमिल केन्द्र, जामनगर	2,18,260	3,80,310	3,79,388
7.	ब्लाइंड मैनस संघ, अहमदाबाद	2,59,475	1,55,014	8,08,043
8.	अन्ध कल्याण प्रकाश गृह ट्रस्ट, अहमदाबाद	10,517	62,075	1,82,446
9.	नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय संघ की कर्नाटक शाखा बंगलौर	98,048	1,34,365	1,23,531
10.	दक्षिण भारतीय महिला संघम, बंगलौर	6,225	68,883	36,093
11.	नेत्रहीनों के लिए श्री रमणा महाऋषि अकादमी, कर्नाटक	2,65,592	5,26,300	6,77,852
12.	नेत्रहीनों के लिए कर्नाटक कल्याण संघ, कमला मिशन बंगलौर	—	21,400/-	1,50,000/-
13.	नेत्रहीनों के लिये बेगलगम जिला संघ, बेलगम	—	—	3,00,000
14.	केरल नेत्रहीन संघ,	5,01,665	4,42,703	6,85,177
15.	विमला समाज केन्द्र, कालीकट	1,00,000	30,000	—
16.	कालीकट इस्लामी कल्चरल सोसायटी, कालीकट	40,000	1,10,000	—
17.	केरल ब्लाइन्ड स्कूल सोसायटी अलवई	1,00,000	1,00,000	65,500
18.	महिला कल्याण-केन्द्र, वेल्लिला, केरल	—	1,00,000	1,00,000

1	2	3	4	5
19.	नेत्रहीनों के लिये एम. पी. कल्याण संघ, इन्दौर	3,05,403	2,00,970	2,73,103
20.	नेत्रहीनों के लिये राष्ट्रीय संघ, बम्बई	5,47,687	6,22,784	7,33,665
21.	पुण्रे स्कूल एण्ड होम फार दी ब्लाइन्ड ट्रस्ट, पुणे	70,000	13.480	49,201
22.	नेत्रहीनों के लिए एन. एस. डी. इण्डस्ट्रीयल होम, बम्बई	25,200	—	61,024
23.	नेत्रहीनों के लिये स्कूल धूले (महाराष्ट्र)	—	—	45,640
24.	श्री बसन्त नायक एजूकेशन सोसायटी, बसन्त नगर, जिला इयावतमल	—	—	1,50,000
25.	नेत्रहीनों के लिये दादर स्कूल बंबई	—	—	85,097
26.	पुना ब्लाइंड मैनस ऐसोशिएशन पुना	—	—	16,695
27.	नेत्रहीनों के लिये रेड क्रास स्कूल	1,00,000	2,00,000	2,78,322
28.	नेत्रहीनों के लिये उड़ीसा संघ, मेलेगो राउन रोड भुवनेश्वर	—	—	1,00,000
29.	लाउस ब्रेल वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर फार साइटलेस, बेरहमपुर	—	...	17,730
30.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र लुधियाना	—	5,000	—
31.	नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर	—	1,00,000	—
32.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर	—	50,000	—
33.	प्राज्ञचक्षकू शिक्षण संस्थान, उदयपुर	—	10,000	—
34.	एल. के. सी. श्री अन्ध विद्यालय श्रीगंगानगर	—	—	1,64,300
35.	नेत्रहीनों के लिए हेलन केलर एजूकेशनल सोसायटी, मदुराई	8,112	51,570	73,356
36.	नेत्रहीनों के लिए तमिलनाडू संघ, मद्रास	—	1,93,608	1,12,080
37.	नेत्रहीनों के राष्ट्रीय संघ, मद्रास	—	—	2,00,257
38.	सत्यज्योति, लिटिल फ्लावर विस्तार कार्य विभाग, नेत्रहीन स्कूल, मद्रास	....	...	33,480

1	2	3	4	5
39.	सुरस्मारक मंडल, आगरा	1,46,827	50,140	2,52,269
40.	हनुमान प्रसाद पोद्दार अन्ध विद्यालय, वाराणसी	1,75,580	80,000	3,53,562
41.	श्री वृन्दावन अन्ध महाविद्यालय वृन्दावन, जिला मथुरा	11,997	40,019	20,000
42.	नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय संघ, अलीगढ़	...	1,00,000	40,000
43.	रामाकृष्णन मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर	4,29,016	7,18,829	8,49,136
44.	आनन्द भवन, जिला हावड़ा (पश्चिम बंगाल)	...	...	1,20,510
45.	नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय संघ, दिल्ली	1,22,742	1,37,385	2,16,169
46.	नेत्रहीनों के लिए अखिल भारतीय संघ, नई दिल्ली	30,240	30,240	54,320
47.	ब्लाइण्ड रिलिफ एसोसिएशन, नई दिल्ली	1,40,874	2,04,300	1,22,306
48,	नेत्रहीनों के देखभाल के लिए सोसाइटी, चंडीगढ़	6,390	14,220	...
49.	जनता आदर्श अन्ध विद्यालय नई दिल्ली	...	...	42,710

डा. फूलरेणु गुहा : मैं यह जानना चाहती हूं कि कितने आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया गया और स्वीकार न करने के क्या कारण हैं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ आवेदन पत्र आगे भेजे जाते हैं। इस संबंध में क्या नियम है ?

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : नियम यह है कि सभी आवेदन पत्र राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाते हैं; किन्तु हाल ही में हमने इस मामले पर विचार किया है और यह पाया गया है कि राज्य सरकारें जानबूझकर आवेदन पत्र आगे भेजने में देर करती हैं। इस प्रकार हमने यह सुनिश्चित करने के लिए फैसला किया है कि राज्य सरकारों की देरी की वजह से चल रही परियोजनाओं को नुकसान न हो। उसके लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि अगर राज्य छः सप्ताह के दौरान आवेदन पत्रों को आगे नहीं भेजते हैं तो केन्द्रीय सरकार इस पर सीधे ही विचार करेगी।

अनुदान के लिए प्राप्त किये गये आवेदनपत्रों की कुल संख्या 294 थी और हमने 258 को स्वीकार किया है। केवल 14 आवेदन पत्रों को ही अस्वीकार किया गया था।

डा. फूलरेणु गुहा : मुझे इस सूची से पता चला है कि जिन कुछ संगठनों को पिछले दो वर्षों में अनुदान दिया गया था उनको गत वर्ष अनुदान नहीं दिया गया। क्या मैं इसका कारण

जान सकती हूं ? क्या यह घटिया कार्य के कारण है या फिर राज्य सरकार की सिफारिशों के प्राप्त न होने के कारण ?

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मेरे पास विवरण नहीं है; किन्तु अगर माननीय सदस्य रिपोर्ट या सूचना भेजते हैं तो मैं इस पर गौर करूंगी ।

श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर : श्रीमान, हमारे देश में कई स्वयंसेवी संगठन अन्धापन का उन्मूलन करने के काम में लगे हुए हैं। विशेषकर मेरे राज्य कर्नाटक में, कई क्लब जैसे रोटरी, लायन्स इत्यादि मुफ्त नेत्र कैम्पों का आयोजन करते हैं । क्या सरकार इसी तरह की सहायता अन्य संगठनों को भी देगी जो इस प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं ?

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अगर कोई संगठन इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो सरकार सहायता देती है ।

श्री सुनीलदत्त : श्रीमन्, रायल कामनवेल्थ सोसाइटी फार दि ब्लाइन्ड के अनुसार विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 40,000 बच्चों की आंखों की ज्योति समाप्त हो जाती है । सही चिकित्सा न मिलने की वजह से प्रत्येक एक हजार बच्चों में एक बच्चा मस्तिष्क स्तम्भ से आक्रान्त हो जाता है या मस्तिष्कीय पक्षाघात का शिकार हो जाता है । बचपन के आरम्भ के वर्षों में कुपोषण और उद्दीपन की कमी के कारण लाखों बच्चों की बुद्धि क्षीण हो जाती है । हाल ही के अध्यन से पता चला है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के दिमाग का तेजी से विकास होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के गरीब और कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किए गए हैं ?

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : दोपहर का भोजन, आदि जैसी कई परियोजनायें हैं । विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए जो कुपोषण के शिकार हैं, हमने फैसला किया है कि उन्हें सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराया जाए । आंगनवाड़ी में भी बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है ।

श्री ए. चार्ल्स : क्या यह सत्य है कि नेत्रहीन समेत अपंगों की बाद में देख-भाल करने, प्रशिक्षण देने और उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त संख्या में योजनायें नहीं हैं ? इसके अलावा 3 प्रतिशत रिक्त पद अपंगों के लिए आरक्षित हैं और इसके लिए न्यूनतम योग्यता एस.एस.एल.सी. 50% अंकों से पास होने की रखी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस 50% अंक की शर्त की वजह से काफी संख्या में ये आरक्षित स्थान खाली पड़े रह जाते हैं और अगर हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य विभागों के साथ सलाह करके विकलांगों के मामले में 50%अंक की शर्त में छूट देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि इस आरक्षित कोटे को भरा जा सके ?

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हमने 3% आरक्षण का फैसला किया है : सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम उन्हें रोजगार देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हमने 50% अंक की सीमा को कम करने के बारे में नहीं सोचा है ।

श्री ए. चार्ल्स : केवल आरक्षित कोटा भरने के लिए ।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं अभी आश्वासन नहीं दे सकती। मुझे सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

श्री ए. चार्ल्स : क्या इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा ?

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मैं अभी अंक कम करने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकती, क्योंकि उसका सम्बन्ध कार्यकुशलता से है।

लाइसेंस के बिना हथियार बनाने वाली फैक्टरियां

*624 श्री पी. एम. सईद†

डा. डी. एन. रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली तथा अन्य स्थानों में लाइसेंस के बिना हथियार बनाने वाली कितनी फैक्ट्रियों का पता लगाया गया;

(ख) क्या सरकार को इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का उग्रवादियों तथा भारत और विदेशों में कार्यरत असामाजिक तत्वों के साथ सम्पर्क होने का कोई साक्ष्य मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) पिछले दो सालों में दिल्ली में लाइसेंस के बिना हथियार बनाने वाली जिन फैक्ट्रियों का पता लगाया गया उनकी संख्या इस प्रकार है:—

1984	1
1985	2

अब तक की गई जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि उक्त मामलों में पकड़े गये व्यक्तियों के देश में समाज विरोधी तत्वों के साथ सम्बन्ध हैं जिनके माध्यम से वे अवैध हथियारों की बिक्री करते हैं।

जहां तक देश के अन्य भागों में लाइसेंस के बिना हथियार बनाने की फैक्ट्रियों का पता लगाने का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और समाप्तल पर रख दी जाएगी।

श्री पी. एम. सईद : श्रीमन्, मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। पिछली दफा इस माह की पहली तारीख को भी यही हुआ था। और मेरे तारांकित प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया था। प्रश्न के भाग (क) में मैंने सारे भारत के आंकड़े मांगे थे, जबकि माननीय मंत्री ने केवल दिल्ली के बारे में ही विवरण दिया है। शेष देश के बारे में उन्होंने कहा है कि आंकड़ों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है.....

श्री अरुण नेहरू : और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री पी. एम. सईद : श्रीमन्, मैंने लाइसेंस के बिना हथियार बनाने वाली फैक्टरियों के बारे में भी पूछा था। ये फैक्टरियां किस प्रकार के हथियार बना रही हैं ? मैं माननीय मंत्री से इन फैक्टरियों में बनाये जा रहे हथियारों के विवरण और इन मामलों के अधीन जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन पर मुकदमें चलाए गए और दोषसिद्ध हुए उन सबका विवरण

जानना चाहता हूं। (व्यवधान) ··श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में भी जानकारी दें। श्रीमन् इसे अनुपूरक प्रश्न नहीं माना जाय।

श्री अरुण नेहरू : जहां तक प्रश्न के (ग) भाग का संबंध है, मैं बताना चाहता हूं कि इन मामलों में किसी भी उग्रवादी का संबंध नहीं पाया गया है। जहां तक हथियार बनाने वाली फैक्टरियों का संबंध है, अधिकांश राज्यों में ये हथियार बनाने वाली फैक्टरियां नहीं हैं। वे घरों घरों में खुली हुई हैं और उन्होंने कुटीर उद्योग का रूप ले लिया है। केन्द्रीय सरकार ने 1983 और 1985 में दो बार हथियार अधिनियम में संशोधन किया है ? इसके अन्तर्गत हमने कड़ी सजा का प्रावधान किया है। हमने राज्यों से भी कहा है कि इस मामले पर आगे कार्यवाही की जाए। 1983 में ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो की यह रिपोर्ट विभिन्न हथियारों आदि की जांच से संबंधित है 8961 विभिन्न प्रकार के हथियार पकड़े गए। 1964 में हमने विभिन्न प्रकार के 13,667 हथियार पकड़े। 1985 में हमें सभी राज्यों से जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। वास्तव में, हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन हम ने इसकी जांच करने की कोशिश की है। जैसे कि कई दफा ऐसा कहा जाता है कि उसने समाचार पत्र में पढा है कि चीन में बनी मशीन गनें बरामद हुई, और जब हम जांच करते हैं तो पाते हैं कि वे पाइप गनें थी और किसी और जगह की बनी हुई थीं। श्रीमन्, अगर आप हथियारों की किस्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं पढ़कर बता देता हूं। इसमें करीब 10 मिनट लगेंगे। इसमें देशी बन्दूकें आदि शामिल हैं।

एक माननीय सदस्य : आप पढ़ दीजिये।

श्री अरुण नेहरू : मुझे पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें बन्दूक निर्माण में निपुणता हासिल है तो (व्यवधान) दिल्ली में 1981 के आंकड़े हैं। 1985 में दो फैक्टरियां पकड़ी गई हैं।

श्री पी. एम. सईद : मैं सभी राज्यों के बारे में आंकड़े जानना चाहता हूं······

श्री अरुण नेहरू : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि 1986 के प्रथम छह माह में दो और फैक्टरियां पकड़ी गई।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) । जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि समाचारपत्र में कही गई सारी बातें सत्य नहीं होती। चीन में निर्मित का अर्थ यह नहीं है कि ये चीन से ही आई हों।

श्री पी. एम. सईद : हम समाचार पत्रों में यह पढ़ते हैं कि सेवा निवृत्त सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियो अर्ध-सैनिक बलों और पुलिस बलों के कर्मचारियों की इन विध्वंसात्मक गतिविधियों में सांठगांठ है। हाल ही में ऐसी खबरें समाचार पत्रों में छपी हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों का अता-पता जानने, रोजगार, आदि और ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? इन समस्याओं से निपटने के लिए यह प्रबन्ध प्रभावी नहीं है। माननीय मंत्री ने पकड़े गये, मुकदमा चलाये गये और सजा दिये गये मामलों की जानकारी नहीं दी है। मैं जानता हूं कि देश में मुकदमा तो खटाई में पड़ने की बात है। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई उपर्युक्त संशोधन लाने पर विचार कर रही है, ताकि इन लोगों के साथ सख्त कार्यवाही की जा सके और इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

श्री अरुण नेहरू : जहां तक माननीय सदस्य की रक्षा या अर्ध-सैनिक बलों के बारे में टिप्पणियों की संबंध है, मैं नहीं जानता कि वे किस लेख का उल्लेख कर रहे हैं। हम इस लेख के लेखक नहीं हैं और हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होगा, तो हम निश्चय ही इसकी जांच करेंगे।

जहां तक मुकदमे चलाये जाने का संबंध है, जैसाकि मैंने माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया है कि हमने हथियार अधिनियम में संशोधन किये हैं और कानून को ज्यादा सख्त बनाया है। मैं नहीं जानता कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और वे इस संबंध में क्या सुझाव दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कितने दोषी पाये गये है ?

श्री अरुण नेहरू : दोष सिद्धि तो राज्य का विषय है, हमें उनसे ये सारी सूचना एकत्र करनी है, जहां तक गृह मंत्रालय का संबंध है, केवल आयुध अधिनियम ही नहीं, अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत भी दी जाती है।

हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं, कई राज्यों ने जानकारी नहीं दी है। हम उन्हें याद दिलाते रहेंगे, कानून और व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कह रहा था कि हमने आयुध अधिनियम में संशोधन किया है और कानून को और सख्त बनाया है। हमने हर प्रकार की सहायता दी है, लेकिन हम स्वयं जाकर स्थानीय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते। यह संबंधित राज्यो को ही करना है।

डा. डी. एन. रेड्डी : क्या माननीय मन्त्री सभा को सूचित करेंगे कि जम्मू एवं काश्मीर में अत्याधुनिक हथियार बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का पता चला है और क्या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम इससे जुड़ा हुआ है ? अगर हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

श्री अरुण नेहरू : जहां तक जम्मू और काश्मीर की फैक्ट्री का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार का विषय है। हम मानते हैं कि एक प्रकार की जांच की गई थी और मामला अब समाप्त हो गया है···(**व्यवधान**)···इस फैक्ट्री को लाइसैंस प्राप्त था। यह बिना लाइसेंस की फैक्ट्री नहीं थी।

श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि आयुध-अधिनियम में संशोधन करने से आतंकवादी गतिविधियों या आपराधिक गतिविधियों को दबाने और कम करने में सहायता मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन गतिविधियों में जो हथियार प्रयोग किये गये, वे लाइसेंसशुदा थे या गैर-लाइसेंस शुदा थे जोकि इन फैक्टरियों में निर्मित थे या विदेशों से तस्करी द्वारा लाये गये थे। क्या उन्हें इस बारे में जानकारी है ?

श्री अरुण नेहरू : मैं बहुत भ्रम में पड़ गया हूं। पहले तो मैंने यह नहीं कहा जो माननीय सदस्य ने अभी कहा है। वास्तव में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं वह समझ नहीं पाया हूं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं इसे दोहराता हूँ। माननीय मंत्री ने कहा है कि आयुध अधिनियम में संशोधन करने से आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों को दबाने और रोकने

में सहायता मिली है। दूसरा भाग यह था कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि देश में जो आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं उनमें लाइसेंसशुदा हथियारों या इन फैक्टरियों में निर्मित हथियारों का प्रयोग किया जाता है—या उनमें दूसरे देशों से तस्करी किये गये हथियारों का प्रयोग किया गया है ?

श्री अरूण नेहरू : आयुद्ध अधिनियम में संशोधन करने का आशय यह था कि विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कुटीर उद्योगों में निर्मित हथियारों के अवैध निर्माण को रोका जा सके।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : इसका अर्थ है हथियारों को सीमित करना; एक व्यक्ति को तीन हथियार।

श्री अरुण नेहरू : ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा संशोधन ही पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैंने इसे पढ़ा है।

श्री अरूण नेहरू : यह केवल आयुध अधिनियम का एक भाग है; अन्य भाग भी हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : 19 (च)

श्री अरूण नेहरू : माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग इन फैक्टरियों में निर्मित हथियारों का आतंकवादियों द्वारा प्रयोग करने के बारे में है। मैं नहीं समझता कि ज्यादातर स्थानों पर ऐसी स्थिति है। मैंने कहा है ··· **(व्यवधान)**

जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का संबंध है, जो हथियार हमें मिले हैं; वे देश में निर्मित नहीं हैं। इनमें से अधिकतर फैक्टरियां पाइप बन्दूकों और छोटे बमों का निर्माण करती हैं··· ···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।···मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। बैठ जाइए। हम पहले ही अगले प्रश्न के बारे में कह चुके हैं।—प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मणिपुर और त्रिपुरा में विद्रोहियों की गतिविधियों के समाचार

*619. **श्री राम प्यारे पनिका** :

श्री उत्तम राठौड : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में विद्रोहियों द्वारा उपद्रव और कुछ लोगों की हत्या किये जाने के बारे में हालके समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 18. 10 1985 की अधिसूचना के तहत गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 के अधीन मेतैई संगठनों अर्थात पीप्ल्स लिबरेशन आर्मी) पी. एल. ए.), पीप्ल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलेईपाक (प्रेपाक) कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के. सी. पी.) तथा उनके सम्बद्ध निकायों को "गैर कानूनी" घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकारों से उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1985 के उपबन्धों का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को अर्द्धसैनिक बल भी सौपे गए हैं।

विभिन्न छावनियों में परिवार आवास

*620 **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न छावनियों में अधिकारियों और जवानों के लिए "परिवार आवास" की कुल कितनी कमी है; और

(ख) क्या और अधिक "परिवार आवास" के निर्माण के लिये ओल्ड ग्रांट टर्म बंगलों की खाली भूमि का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सरकार द्वारा विभिन्न छावनियों/स्टेशनों में सशस्त्र सेना के अफसरों तथा जवानों के लिये बनाए गए परिवार आवास कुल मिलाकर उनकी जरूरतों से कम हैं। यह कमी इस प्रकार है :—

सेनाएं	कमी (प्रतिशत में)	
	अफसर	जे. सी. ओ./अन्य रैंक तथा उनके समकक्ष
थलसेना	47.6	47.6
नौसेना	12.21	17.17
वायुसेना	35.80	37.70

इस कमी को निजी आवास किराए पर लेकर पूरा किया जाता है।

(ख) नीति के अनुसार ओल्ड ग्रांट शर्तों के अन्तर्गत दी गई भूमि वापस ली जाती है और उसका उपयोग सशस्त्र सेना के कार्मिकों के लिए परिवार आवास के निर्माण सहित रक्षा कार्यों के लिये किया जाता है।

विमान वाहक की खरीद

*625. **श्री एस. जयपाल सिंह रेड्डी** :

श्री सी. माधव रेड्डी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन से "हर्मेज" नामक विमान वाहक खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सौदे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री करण सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार को "एच. एम. एस. हर्मूस" बेचने का प्रस्ताव किया है।

इस संबंध में अभी तक संविदा नहीं की गई है।

श्री लंका में तमिलों की हत्या किए जाने के समाचार

*627. डा. जी. विजय राघवन :

श्री एन डेनिस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की सेना द्वारा हाल ही में 29 तमिल उग्रवादियों की हत्या किये जाने का समाचार है;

(ख) क्या श्रीलंका नरसंहार की अपनी कार्यवाहियों पर पर्दा डालने के लिए "उग्रवादी" शब्द का प्रयोग कर रहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी. आर भगत) : (क) सरकार ने श्रीलंका में तमिल उग्रवादियों और असैनिकों के मारे जाने की विभिन्न खबरें देखी हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ने 2 फरवरी, 1986 को यह खबर दी थी कि श्रीलंका सुरक्षा सेनाओं द्वारा 29 उग्रवादी मारे गये।

(ख) सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि इस प्रकार के कई मामले हैं जिनमें श्रीलंका की सुरक्षा सेना की कार्रवाई की वजह से बहुत से निर्दोष तमिल नागरिक मारे गए जिनमें महिलायें और बच्चे भी शामिल हैं और जिन्हें उग्रवादी बताया गया है।

(ग) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा का मसला पहले ही उठाया है। मानवाधिकार आयोग की 42वीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने 7 मार्च, 1986 को एक वक्तव्य दिया था जिसमें श्रीलंका के तमिल नागरिकों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति भारत की अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की गई थी।

जम्मू और कश्मीर सीमा पर पाक सेना का जमाव

*628. श्री एन. टोम्बी सिंह :

श्री नरेन्द्र बुदानिया : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुंछ, राजौरी, हाजीपीर और जम्मू तथा कश्मीर की समस्त सीमा पर पाकिस्तानी सेना का भारी जमाव होने के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाजीपीर का सारा क्षेत्र सैनिक छावनी में बदल दिया गया है और पाकिस्तान द्वारा अनेक हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया है ;

(ग) क्या पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिलों में अनेक स्थानों पर रुक-रुक कर लगातार गोलाबारी किए जाने से उसक्षेत्र में भारी तनाव व्याप्त है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में इस संबंध में छपी रिपोर्टें देखी हैं लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी फौजों की कोई असामान्य गतिविधियां हैं या जमाव है।

(ग) पाकिस्तानी फौजों द्वारा पुंछ और राजौरी क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पास अकारण गोलाबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं। गोलाबारी की ऐसी घटनाएं सामान्यतः होती रहती है।

(घ) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ताकि पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जा सकें।

[हिन्दी]

"वृक्षारोपण"

*629. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश भर में कुल कितने वृक्ष लगाए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने वृक्ष लगाये गये; और

(ग) उनमें कितने वृक्ष अभी हरे-भरे हैं और कितने सूख गए हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में वृक्षारोपण के अन्तर्गत 264 करोड़ पौधे लगाए गए थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनरोपण के तहत लगाये गये पौधों की संख्या दी गयी है :—

वर्ष	1983-84	1984-85	1985-86 (31-12-85 तक)
लगाये गये पौधों की संख्या करोड़ में	242	264	270

(ग) उत्तरजीविता का मूल्यांकन यदा-कदा किया गया है और जो बहुत नियमित आधार पर नहीं है। यह महसूस किया गया है कि ये मूल्यांकन अपने क्षेत्र में सीमित हैं और इनसे कोई विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकलते हैं।

[अनुवाद]

चार्ल्स शोभराज का तिहाड़ जेल से भाग जाना

*630. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुख्यात अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी चार्ल्स शोभराज को, जिसकी

तलाश "इन्टरपोल" को भी है, तिहाड़ जेल के उसी वार्ड में रखा गया था, जिसमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री के हत्यारे तथा अन्य अपराधियों को रखा गया था;

(ख) क्या चार्ल्स शोभराज ने विगत में जेल अधिकारियों को यह धमकी दी थी कि या तो वे उसके द्वारा माँगी गई सभी सुविधाएं उसको प्रदान की जायें अन्यथा वह उनके भ्रष्ट कार्यों का भंडाफोड़ कर देगा; और

(ग) यदि हां, तो चार्ल्स शोभराज की इस खतरनाक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई, जिससे उसके जेल से भागने के प्रयास असफल होते ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) चार्ल्स शोभराज को शुरू में जेल संख्या 1 के वार्ड में एक अलग सैल में रखा गया था। उसे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के हत्यारों के साथ अथवा उक्त मामले के षडयंत्रकारियों के साथ नहीं रखा गया था। उसी वार्ड में अन्य अपराधी रखे गये थे लेकिन वे अलग-अलग सैलों में थे। इसके बाद चार्ल्स शोभराज को जेल संख्या 1 के वार्ड सं. 4 में रखा गया था और 18.1.1986 को जेल संख्या 3 के वार्ड संख्या 13 में भेज दिया गया।

ऐसी कोई सूचना नहीं है फिर भी, चार्ल्स शोभराज के फरार होने के बाद स्थापित किए गए जांच आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ उन घटनाओं और परिस्थितियों के क्रम का निर्धारण और जांच करना है जिनके कारण चार्लस शोभराज और छः अन्य कैदी 16 मार्च, 1986 को दोपहर बाद तिहाड़ की केन्द्रीय जेल सं. 3 से फरार हुए।

(ग) वार्ड संख्या 13 जिसमें चार्ल्स शोभराज को रखा गया था जेल के अन्दर की ओर है और जेल की बाहरी दीवारों से दूर है। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के कार्मिकों को विशेष सुरक्षा पूर्वोपाय के रूप में देओरी क्षेत्र में तैनात किया गया था। चार्ल्स शोभराज के फरार होने के सम्बन्ध में की जा रही जांच में जेल के अन्दर सुरक्षा से संबधित सभी मामलों की जांच की जाएगी और जेल प्रशासन में खामियों और कमजोरियों का पता लगाया जाएगा।

अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यों के रिक्त पद

*631. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री जी. एम. बनातवाला : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान को छोड़कर अल्पसंख्यक आयोग के लगभग सभी सदस्य सेवा-निवृत्त हो चुके हैं और रिक्त पदों को भरा नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक सदस्य किस-किस तारीख को सेवा-निवृत्त हुआ;

(घ) रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ङ) अल्पसंख्यक आयोग को कब तक पुर्नगठित करने का सरकार का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ङ) वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को अगले आदेशों तक बढ़ा दिया गया है। अन्य चार सदस्यों का कार्यकाल 1-8-85, 5-8-85, 6-8-85 तथा 16-9-85 को समाप्त हो जाने के कारण पद रिक्त पड़े हैं।

एक नये सदस्य श्री होमी जे.एच. तलियार खां ने 16 नवम्बर, 1985 को पहले ही कार्य भार सम्भाल लिया है। हालांकि रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है, फिर भी उनको भरने के लिए कोई निश्चित समय-अवधि नहीं बताई जा सकती।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए लाभ प्राप्ति हेतु आय सीमा

*632. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर :**

डा. पी. वल्लभ पेरुमान : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का विभिन्न लाभ-प्राप्ति के लिए उनके माता-पिता की वार्षिक आय की वर्तमान सीमा कितनी निर्धारित की गई है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ग) निम्नलिखित योजनाओं के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के अभिभावकों के लिए निश्चित वार्षिक आय की वर्तमान सीमा नीचे दी गयी है :—

(1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	12,000 रु. प्रतिवर्ष
(2) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	6,000 रु. प्रतिवर्ष
(3) अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध योजना	12,000 रु. प्रतिवर्ष
(4) कन्या छात्रावास (5) पुस्तक बैंक	कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।

केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजे गए परिपत्रों जिनमें उनके विचार भेजने के लिए कहा गया था, के उत्तर में केवल योजना संख्या (1) अर्थात् मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में आय सीमा को संशोधित करने के लिए कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर योजना आयोग से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

हेलो धूमकेतु का पृथ्वी पर प्रभाव

*633. **श्री प्रताप भानू शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के दौरान हेली धूमकेतु के दृष्टिगोचर होने से पृथ्वी पर खगोलीय और मौसम संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) धूमकेतु का भारतीय मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(घ) हेली धूमकेतु के पृथ्वी की कक्षा में कब तक रहने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) हेली पुच्छल तारे के दृष्टिगोचर होने की वजह से पृथ्वी के वातावरण पर कोई दृश्य प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं

है, अतः किसी तरह का मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन नहीं किया जा रहा है। पुच्छल तारे की प्रकृति को तथा अन्तरिक्ष में अन्य ग्रहों के साथ इसकी अन्योन्यक्रिया को समझने के लिए देश के कई संस्थानों द्वारा खगोलीय अध्ययन किये जा रहे हैं।

(ख) भारतीय हेली पर्यवेक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य ये हैं :

1. ऐसे खगोलमितीय आंकड़े एकत्रित करना जिनसे हेली पुच्छल तारे की सही कक्षा निर्धारण एवं ग्रहीय भ्रमण के तदनन्तर अभिकलन की सही जानकारी मिल सकेगी।
2. धूमकेतु की नाभिकी की संरचना, बुनियादी भौतिक प्रक्रियाएं एवं रासायनिक प्रकृति को समझना तथा समय और कक्षीय भ्रमण की गति से उत्पन्न परिवर्तनों का निर्धारण करना।
3. धूमकेतु के तटस्थ वायुमंडल और अयन मंडल और उनके परिवर्तनशील रासायनिक संघटन के संबंध में काल के साथ उनके विकास के गुण धर्मों का अध्ययन करना।
4. पुच्छल तारे की पूंछों की प्रकृति, उनकी बनावट तथा अयनीय पूंछों के साथ सौर वायु की अन्योन्यक्रिया निर्धारण करना।

(ग) भारतीय जलवायु के पुच्छलतारे द्वारा प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

(घ) हेली धूमकेतु की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से होकर नहीं आती है क्योंकि दोनों कक्षाओं के प्लेन एक दूसरे पर झुके रहते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच रेल मार्ग खोलना

*634. **श्री वी. तुलसी राम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत और पाकिस्तान के बीच रेल मार्ग खोलने का कोई प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के साथ सम्पर्क वाला कौन सा रेल मार्ग खोलने का विचार है;

(ग) दोनों देशों के बीच इसके सम्बन्ध में हुए करारों का ब्यौरा क्या है और उनकी शर्तें क्या है;

(घ) इस रेल मार्ग पर कितने यात्री आया जाया करेंगे और इस पर कितने माल का यातायात होगा;

(ङ) क्या राजस्थान और पंजाब में भी इसी तरह का कोई रेल मार्ग खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।'

विदेश मंत्री श्री बी. आर. भगत (क) से (च) : 1974 के भारत-पाकिस्तान वीसा करार में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन के रास्ते से आने जाने वाले पंजाब की सीमा पर वागा अटारी चैकपोस्ट से होकर आयें जायेंगे और सिंध-राजस्थान सीमा पर खोखरापार मोनावाओं चैकपोस्ट से होकर। वाजा-अटारी सीमा से होकर रेलों का आना-जाना चालू है। यात्रा पर्यटन और कौंसली मामलों से संबद्ध उपायोग की पिछली बैठक में,

जो इस्लामाबाद में 3 से 5 फरवरी 1986 तक हुई थी, पाकिस्तान ने हमारे बार-बार किए गये प्रस्तावों के जवाब में हमें यह बताया था कि खोखरा-मानावाओ चैकपोस्ट खोलने के सवाल पर वे सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

अभी इस बात का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भानावाओ सीमा से होकर कितने लोगों का आना-जाना होगा। जहां तक अटारी-वाघा सीमा का सवाल है, अमृतसर और लाहौर के बीच दोनों तरफ से एक-एक यात्री रेलगाड़ी रोज आती-जाती है। अप्रैल, 1984 से फरवरी 1986 के बीच भारत से पाकिस्तान को तथा पाकिस्तान से भारत को लाये ले जाए गये माल की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अप्रैल, 1984 से फरवरी, 1986 के बीच भारत से पाकिस्तान को तथा पाकिस्तान से भारत में लाये-ले-जाए गये माल की मात्रा।

(चौपहिए वैगनों के रूप में।)

	भारत से पाकिस्तान को भेजा गया माल	पाकिस्तान से भारत में लाया गया माल
अप्रैल 1984	203	203
मई 1984	30	30
जून 1984	—	—
जुलाई 1984	29	29
अगस्त 1984	62	62
सितम्बर 1984	36	36
अक्टूबर 1974	74	74
नवम्बर 1984	29	29
दिसम्बर 1984	32	32
जनवरी 1985	44	44
फरवरी 1985	365	365
मार्च 1985	1010	1010
अप्रैल 1985	105	105
मई 1985	—	—
जून 1985	32	32
जुलाई 1985	18	18
अगस्त 1985	11	11
सितम्बर 1985	4	4
अक्तूबर 1985	2	2
नवम्बर 1985	27	27
दिसम्बर 1985	100	100
जनवरी 1986	135	135
फरवरी 1986	87	87

ब्रिटेन के विदेश सचिव की यात्रा

*635. **श्री के. प्रधानी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के विदेश सचिव ने गत मास के अन्त में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो बिटेन में भारत विरोधी आतंकवादियों की गतिविधियों समेत आपसी हितों के मामलों पर भारतीय नेताओं के साथ हुई उनकी बात चीत का स्वरूप क्या था; और

(ग) उस पर ब्रिटेन के विदेश सचिव की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्री (श्री बी. आर. भगत) : (क) जी, हां।

(ख) इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर और द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम में भारत-विरोधी उग्रवादियों की गतिविधियां शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत विरोधी उग्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर भारत की गहरी चिन्ता से ब्रिटेन के विदेश मंत्री को अवगत कराया गया। भारत के इस विचार को ब्रिटेन के विदेश मत्री की जानकारी में लाया गया कि यूनाइटेड किंगडम को यूनाइटेड किंगडम के मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त कार्यकारी तथा राजनीतिक शक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए।

(ग) ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत की चिन्ताओं पर गौर करते हुए अपनी सरकार के इस दृढ़ निश्चय को दोहराया कि वह आतंकवाद को खत्म कर देगी और यूनाइटेड किंगडम के मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी।

कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिये किये गए उपाय

*637. **श्री टी. बास गौड** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1986 के तीसरे सप्ताह मे जम्मू और कश्मीर में अनेक हिंसात्मक घटनाएं हुयीं और संपति तथा पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया जिसके परिणामस्वरुप वहां राज्यपाल का शासन लागू करना पड़ा;

(ख) राज्य में राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय व्याप्त है जिसके कारण वे अन्य राज्यों में जा रहे हैं; और

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में विश्वास पैदा करने और कश्मीर घाटी के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जम्मू तथा कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने से पहले हिंसा की वारदातें हुई थीं, सम्पत्ति और पूजा के स्थलों को नुकसान पहुँचाया गया था जिससे कानून और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। जम्मू तथा कश्मीर के राज्यपाल से प्राप्त सूचना के अनुसार इसके साथ-साथ गंभीर

राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गयी। इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने जम्मू तथा कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल का शासन लागू करने की सिफारिश की।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिक सतर्कता बरतना, निवारक गिरफ्तारियां जैसे उपाय करना, ठोस अपराधों के लिए मामले शुरू करना, पुलिस बल को सहायता देने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करना, प्रभावित क्षेत्रों में राज्यपाल का दौरा ऐसे कदम हैं जो राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उठाये गये हैं।

(ग) अल्पसंख्यकों के भय के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अन्य राज्यों में जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) राज्य सरकार को सामुदायिक शान्ति और सौहार्द बनाये रखने के लिए उपाय करने हेतु सलाह दे दी गयी है। राज्य सरकार उक्त (ख) में बताये गये उपाय भी कर रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिये आवासीय विद्यालय

*638. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए कितने आवासीय विद्यालय खोले गए हैं और कहां-कहां,

(ख) आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों की कितना लड़कियां ने प्रवेश पाया है और उन पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया जा रहा है;

(ग) आवासीय विद्यालयों में किए गए प्रबन्ध का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उनमें की गई प्रबन्ध व्यवस्था पर्याप्त है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए ऐसे कोई स्कूल नहीं है।

(ख) से (घ)—प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सुन्दरवन का विकास

*5883. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र का विकास अब तक धीमा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में रहने वाले निर्धन लोगों की दशा में तेजी से सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सुन्दरवन क्षेत्र के व्यवस्थित तरीके से त्वरित विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 1973 में एक सुन्दरवन विकास बोर्ड गठित किया था। इस बोर्ड ने, इस क्षेत्र के विकास के लिए एक दस वर्षीय व्यापक योजना तैयार की, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं : बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और भूमि सुधार के उपयुक्त उपायों द्वारा बाढ़ संकट, सारे पानी के अनाधिकृत प्रवेश जैसी विकास में आने वाली मूल बाधाओं को दूर करना, कृषि विकास; मत्स्य-उद्योग; वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विकास; परिवहन तथा विद्युत जैसी संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना और मूल सामाजिक सेवाएं। सामान्य विकास कार्यक्रमों के अलावा, यह बोर्ड कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि से सहायता प्राप्त परियोजना का कार्यान्वयन भी करता है जो सिंचाई और परित्यक्त जलमार्गों के फिर से उत्पन्न ह्यूम पाईप नालियों, ईंट की सड़कों के निर्माण, पुलियों, कृषि विस्तार के लिए परिवहन सहायता, सामाजिक वन्य उद्योग आदि जैसी अन्य आधार-संरचना सृजित करके, कृषि के विकास से सम्बन्धित है। इस परियोजना के अन्तर्गत परिकल्पित कुल परिव्यय 318.5 मिलियन रु. है जिसमें से कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि का भाग 147.2 मिलियन रु. है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

5884 **श्री सैयद शहाबूद्दीन** :

श्री पी: एम. सईद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बर्मा सीमा पर अशांत क्षेत्र के 5 मिलोमीटर से बढ़कर 20 किलोमीटर तक होने के क्या कारण हैं;

(ख) अशांत क्षेत्र के इस विस्तार पर नागालैंड, मणिपुर की राज्य सरकारों तथा अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम प्रशासनों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर नागालैंड एवं मिजोरम में, विद्रोह पर नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरु) : (क) उग्रवादियों को रोकने और उनसे और उनकी गतिविधियों से अधिक प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए अक्तूबर, 1985 में भारत बर्मा सीमा पर अशांत क्षेत्र को 5 कि. मी. से बढ़ाकर 20 कि. मी. कर दिया गया है।

(ख) भारत बर्मा सीमा के साथ साथ अशांत क्षेत्र में हाल में किए गए विस्तार के मामले में मणिपुर और मिजोरम सरकार सीधे संबंधित नहीं है। पूरे मिजोरम और मणिपुर को पहले ही अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। जहां तक नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, उन्होंने पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करने की नीति के एक भाग के रूप में, सम्पूर्ण मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश के भागों को सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अन्तर्गत

"अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया है। मिजो नेशनल फ्रंट और मणिपुर के मैत्रयी संगठनों को, गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 के उपबन्धों के अनुसार "गैर कानूनी" घोषित किया गया है। सीमा पार से उग्रवादियों की घुसपैठ/बाहर जाने को रोकने के लिए सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। उग्रवादियों की गतिविधियां को रोकने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1985 के उपबन्धों का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। उग्रवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए क्षेत्र में आसूचना तंत्र को मजबूत किया गया है। मिजो समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान ढूढ़ने के लिए मिजो नेता लालडेंगा के साथ बातचीत की जा रही है।

रक्षा लेखा नियंत्रक (पश्चिमी कमान) मेरठ स्थित कार्यालय के कर्मचारियों की चण्डीगढ़ स्थित कार्यालय में वापस भेजना

5885. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान के मेरठ स्थित कार्यालय के कर्मचारियों को वापस चंडीगढ़ भेजने के बारे में सरकार द्वारा स्वीकृत नीति को तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को दिल्ली/मेरठ अथवा उनकी पसन्द के स्टेशन पर वापस भेजने के बारे में दिए गए आश्वासन को सही अर्थों में क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ख) क्या इन कर्मचारियों को चंडीगढ़ में तैनात करने के लिए इन कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न कारणों से काफी तंग किया गया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिम कमान चण्डीगढ़ के कर्मचारियों की मेरठ में वापसी से है। चरण-1 के अन्तर्गत स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को उनकी इच्छा के तीन स्थानों में से एक में वापस भेजने के लिए 1982 के दौरान दिए गए आश्वासन को आंशिक रूप से कार्यन्वित किया जा चुका है। बाकी मामलों पर भी, उनकी प्रशासनिक व्यवहार्यता को देखते हुए अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

"राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की योजनायें

5886. **श्री अनिल बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने वर्ष 1985-86 में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न योजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना के लिए आवंटित धनराशि सहित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां कौनसी हैं और सरकार द्वारा उनकी प्रगति और उपयोग की निगरानी किस प्रकार की जाती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

योजना का नाम	आबंटित राशि (करोड़ रुपयों में)
1. ग्रामीण जलाने की लकड़ी की पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी	12.00
2. हिमालय में मृदा जल और वृक्ष संरक्षण (आपरेशन सांयलवाच)	24.10
3. विकेन्द्रीकृत नर्सरियों को प्रोत्साहन	4.14
4. स्वैच्छिक अभिकरणों की वित्तीय सहायता	1.14

(ग) भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित योजना 1-3 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों के माध्यम से कार्यान्वियत तथा प्रबोधित किया गया था। इसकी प्रगति की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी जाती है। मूल्यांकन प्रयास यदा-कदा किए गए हैं और वे बहुत नियमित आधार पर नहीं हैं। यह महसूस किया गया है कि ये मूल्यांकन अपने क्षेत्र में सीमित हैं और इनसे कोई विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकलते हैं।

केरल सरकार को विभिन्न योजनागत परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई धनराशि का उपयोग

5887. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने छठी योजनावधि में विभिन्न योजनागत परियोजनाओं के लिए केरल सरकार को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने राज्यों में ऐसी परियोजनाओं पर पूरी धनराशि खर्च की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकारों ने धनराशि का उपयोग न किए जा पाने के क्या कारण बताये हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पंजा) : (क) और (ख) : केरल की छठी योजना 1980-85 की वार्षिक योजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय 1498 करोड़ रुपये था जिसके मुकाबले राज्य सरकार ने कुल 1645.89 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 147.39 करोड़ रुपये अधिक व्यय होने का पता चलता है। परिव्यय और व्यय के क्षेत्रकवार वितरण का विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना-परिव्यय/व्यय

केरल (करोड़ रु.

विकास के मुख्य शीर्ष	योजना परिव्यय	व्यय
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	175.92	179.14
2. ग्रामीण विकास	117.07	125.09
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	4.05
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	305.95	310.46
5. ऊर्जा	280.16	329.57
6. उद्योग और खनिज	167.03	162.39
7. परिवहन	102.67	112.22
8. विज्ञान, शिल्पविज्ञान और पर्यावरण	17.55	17.40
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.76	6.44
10. सामाजिक सेवाएं	304.98	374.38
11. सामान्य सेवाएं	19.91	24.25
जोड़	1498.00	1645.39

बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ विद्युत घरों से होने वाला प्रदूषण

5888. **श्री के. एस. राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न ताप विद्युत घरों में कोयले के जलने से आस पास की वायु दूषित हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने अथवा कम से कम करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ घरों से होने वाले प्रदूषण तथा उसके चारों ओर विभिन्न इलाकों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई विस्तृत अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) उठाये जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—वे इकाइयां जो संतोषप्रद ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं उनके स्थान पर उच्च क्षमता वाले स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्रों की स्थापना करना;

—राख संग्रहण प्रणाली में सुधार के लिए विद्यमान इकाइयों सहित स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्रों के अद्यपतन डिज़ाईन की श्रेणीबद्ध स्थापना; तथा

—कोयले के व्यवस्थापन एवं राख निपटान सुविधायों में सुधार।

(ग) तथा (घ) कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, प्रतिवेशी क्षेत्रों में चिमनी उत्सर्जन तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता के सम्बन्ध में अनुसंधान किये गये हैं।

पुन्नापरा-वायलार संघर्ष को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए शामिल करने के सम्बन्ध में ज्ञापन

5889. **श्री टी. वशीर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुन्नापरा, वायलार संघर्ष को स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में शामिल करने और जिन्होंने उक्त संघर्ष में भाग लिया था उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर करने के लिये कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने पुन्नापरा, वायलार संघर्ष को मान्यता प्रदान करने के मामले पर समय-समय पर विचार किया है किन्तु इसे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मान पेंशन के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक भाग मानना संभव नहीं हुआ है।

हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों का परिरक्षण

5890. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए, विशेषकर हिमालय को पर्यावरणीय खतरे से बचाने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक 13-सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो हिमालय और देश में अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के परिरक्षण के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय कार्यदल भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक सत्र में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है। "उच्च तुंगता अध्ययनों" (हाईएल्टीच्यूड स्टडीज) पर जनवरी, 1985 में आयोजित विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशों पर अंतः मंत्रालयी कार्यबल द्वारा विचार किया गया था और "उच्च तुंगता अनुसंधान और पर्वत विकास" (हाई एल्टीट्यूड रिसर्च एण्ड माउंटेन डिवलेपमेंट) पर एक विशद रिपोर्ट तैयार की गई।

(ग) रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों को अभिनिर्धारित किया गया है;

(1) हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के परिरक्षण की आवश्यकता;

(2) अनुसंधान के लिए हाथ में लिये जाने वाले ग्रस्ट क्षेत्र;

(3) उच्च तुंगता अनुसंधान के लिए वर्तमान सुविधाएं; तथा

(4) उपयुक्त सांस्थानिक रूपरेखा कार्य सहित प्रस्तावित भावी योजना कार्यवाही।

हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी विचाराधीन मामले

5891. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर करने के लिए विचाराधीन मामलों को निबटाने के कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो 15 मार्च, 1986 तक हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले के कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मजूर की गई है; और

(ग) सभी विचाराधीन मामलों को निबटाने की निश्चित तिथि क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री राम निवास मिर्धा**) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा लम्बित मामले जल्दी से जल्दी निपटाने की हर कोशिश की जा रही है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन 15 मार्च, 1986 तक हिमाचल प्रदेश के 434 स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवगंत स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार की सत्यापन रिपोर्टों के अभाव के कारण केवल 60 मामले लम्बित पड़े हैं। स्वीकृत मामलों के जिलेवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

बिलासपुर	89
ऊना	47
शिमला	54
कांगड़ा	51
महासू	11
मंडी	55
हमीरपुर	22
सोलन	29
सिरमोर	59
कुल्लु	13
चम्बा	4

(ग) हिमाचल प्रदेश के शेष मामलों को राज्य सरकार के सत्यापन रिपोर्ट भेजने पर निपटाया जायेगा।

परम्परागत रूप से वन उत्पादों पर आश्रित आदिवासियों का विकास

5892. **श्री मानिक रेड्डी** :

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परम्परागत रूप से वन उत्पादों पर आश्रित 50 प्रतिशत आदिवासियों को 1952 की वन नीति, जिसने उनके "अधिकारों" को "रियायतों" में बदल दिया, के कारण उन्हें उनके यथोचित भाग से वंचित कर दिया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार से भारतीय वन अधिनियम 1981 भी आदिवासियों के पक्ष में नहीं है और उनके न्यायोचित दावों को स्वीकार नहीं करता है; और

(ग) क्या सरकार अपने वन लगाने के कार्यक्रमों में आदिवासियों को पूरी तरह से शामिल करेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय वन नीति, 1952 ने आदिवासियों के अधिकारों को रियायतों में नहीं बदला है।

(ख) भारतीत वन अधिनियम, 1981 की तरह ऐसा कोई दूसरा विधान नहीं है : अतः इस अधिनियम का आदिवासियों के पक्ष में नहीं होने तथा उनके न्यायोचित दावों को स्वीकार न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बिहार से प्राप्त मामले

5893 **श्री साइमन तिग्गा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बिहार राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामलों में आपत्तियां लगाई गई हैं;

(ग) कितने मामले रद्द कर दिये गये हैं; और

(घ) कितने मामले अभी निपटाने के लिए विचाराधीन हैं; उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 1983 में तेरह, 1984 में तीन तथा 1985 में पन्द्रह।

(ख) किसी मामले में आपत्तियां नहीं लगाई गई हैं। 18 प्रस्तावों में पूर्ण सूचना नहीं दी गई थी। राज्य सरकार को पूर्ण सूचना देने के लिए कहा गया है।

(ग) 1983 में प्राप्त तीन मामलों को तथा 1985 में प्राप्त एक मामले को रद्द कर दिया गया था।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास कोई मामला लम्बित नहीं पड़ा है। जब केन्द्र सरकार द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचना राज्य सरकार उपलब्ध नही कराती है तो मामला बन्द समझा जाता है। तथापि, जैसे ही मांगी गई सूचना प्राप्त हो जाती है तो मामला फिर से खोल दिया जाता है। बिहार से 1983 में तीन, 1984 में तीन एवं 1985 में बारह मामले प्राप्त हुये जिन्हें उसी प्रकार बन्द कर दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में मछुआरों और गडरियों को भूमि का आबंटन

5894. **श्री सी. सम्बु** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे मछुआरों और गडरियों की रहन-सहन की स्थिति को देखते हुये सरकार का विचार तटवर्ती आन्ध्र प्रदेश में वनों को कटान करवा कर खेती योग्य भूमि को आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले इन मछुआरों और गडरियों को आबंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रिहा किए गए भारतीय/पाकिस्तानी बन्दी

5895. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) पाकिस्तान ने गत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीय बन्दियों को रिहा किया है; और

(ख) भारत सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कितने पाकिस्तानी बन्दियों को रिहा किया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में 214 भारतीय राष्ट्रिकों को पाकिस्तान से भारत प्रत्यावर्तित किया गया है जो तीन जत्थों में यहां आये जबकि भारत में मुजरिम पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को उनकी सजा की मियाद पूरी होते ही रिहा कर दिया जाता है। इसलिए रिहा किए गये ऐसे कैदियों की ठीक-ठीक संख्या तत्काल सुलभ नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व शिक्षण केन्द्र

5896. **श्री मौरिस कुजूर** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के परीक्षा पूर्व शिक्षण के लिए राज्यवार कितने परीक्षा-पूर्व शिक्षण केन्द्र हैं; और

(ख) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान उड़ीसा में ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ख) उड़ीसा में पहले ही 13 केन्द्र हैं (किसी भी राज्य में सर्वोच्च संख्या) वर्ष 1986-87 के दौरान उड़ीसा में और अधिक पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के किसी और प्रस्ताव पर उसके राज्य सरकार से प्राप्त होने पर गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	4
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	7
9.	केरल	3
10.	मध्य प्रदेश	4
11.	महाराष्ट्र	4
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	1
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	13
16.	पंजाब	4
17.	राजस्थान	4
18.	तमिलनाडु	3
19.	उत्तर प्रदेश	8
20.	पश्चिम बंगाल	4
21.	त्रिपुरा	1
22.	दिल्ली	5
23.	पाण्डिचेरी	1
	जोड़	80

इलेक्ट्रोनिक पुर्जों का प्रयोग करने वाले उद्योग

5897. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलेक्ट्रानिक पुर्जे बनाने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने उद्योग सरकारी क्षेत्र में और कितने गैर सरकारी क्षेत्र में स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा दी गई अनेक रियायतों के बावजूद स्वदेशी इलेक्ट्रानिक पुर्जा उद्योग प्रतियोगी मूल्य पर अच्छी किस्म का माल तैयार करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इन इलेक्ट्रानिक उद्योगों द्वारा अच्छी किस्म का माल तैयार नरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) देश में कुल मिलाकर इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों का विनिर्माण करने वाली 650 इकाइयां हैं जिनमें से 130 संगठित क्षेत्र में तथा 520 लघु क्षेत्र में हैं। संगठित क्षेत्रों की इकाइयों में से, केन्द्र तथा राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की 30 इकाइयां हैं, जबकि 100 इकाइयाँ संगठित निजी क्षेत्र में हैं।

(ख) स्वदेशी इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग चुनिन्दा क्षेत्रों में बढ़िया क्वालिटी (गुणवता) के सामान का उत्पादन करने में सक्षम है तथा सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई विभिन्न प्रकार की रियायतों के परिणामस्वरूप, स्थानीय कीमतों में क्रमिक रूप से गिरावट आ रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने भारतीय मानक संस्थान (आई. एस. आई.) अथवा राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित अन्य विशिष्टियों के आधार पर संघटक पुर्जों की गुणवत्ता (क्वालिटी) के प्रमाणीकरण के लिए, अनेकों क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय परीक्षण तथा विकास केन्द्रों की स्थापना की है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोनिक संघटक पुर्जों का व्यापक रूप से परीक्षण करने की दृष्टि से, इन सुविधाओं का सतत् रूप से उन्नयन किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र को सहायता

5898. **श्री आर. एम. भोये** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र को विशेष संघटक योजना और जनजाति उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार दी गई वित्तीय सहायता सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : सभा पटल पर एक **विवरण** रखा जाता है। **विवरण**

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा निर्धारित पिछले तीन वर्षों के लिए विशेष संघटक योजना का अनुमोदित परिव्यय और विशेष संघटक योजना के लिए अतिरिक्त धन के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता भी नीचे दी गई है—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	अनुमोदित विशेष संघटक योजना परिव्यय	दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता
1983-84	3081.10	922.24
1984-85	4391.18	742.71
1985-86	4287.13	862.21

इसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा निर्धारित पिछले तीन वर्षों के लिये जनजाति उप-योजना का अनुमोदित परिव्यय और जनजाति उप-योजना के लिए अतिरिक्त धन के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है:—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	अनुमोदित जनजाति उप-योजना परिव्यय	दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता
1983-84	7159.35	758.75
1984-85	7749.12	799.33
1985-86	8245-00	950.69

हैदराबाद में सुपर कम्प्यूटर

5899. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी आयोग का विचार देश में सूचना नेट वर्क को मजबूत बनाने के एक अंग के रूप में हैदराबाद में सुपर कम्प्यूटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) हैदराबाद में सुपर कम्प्यूटर किस तारीख तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां। देश में एक सुदृढ़ सूचना नेट-वर्क की स्थापना के एक भाग के रूप में इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र का हैदराबाद में एक सुपर कम्प्यूटर स्थापित करने का विचार है।

(ख) इस प्रस्ताव पर अनुमानित लागत लगभग 9.55 करोड़ रुपये आएगी जिसमें भवन निर्माण तथा अन्य आवश्यक मूलसंरचनात्मक सुविधायें शामिल हैं।

(ग) हैदराबाद में सुपर कम्प्यूटर का प्रतिष्ठापन और उसे चालू करने की अनुमानित तारीख अक्तूबर, 1986 है।

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रौद्योगिकी का आयात

5900. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी के आयात हेतु कोई योजना बनाई है/करार किया है;

(ख) क्या इस समय ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिये कोई अनुसंधान संस्थान कार्यरत है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) जी, हां। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं विश्वविद्यालयों जैसे विभिन्न संस्थानों की इस क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनायें चल रही हैं।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

5901. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या अधिक है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पंजा) : (क) और (ख) जी हां, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में आय-सृजन स्कीमों के लिए अलग-अलग लाभग्राही परिवारों को बहुत सी सेवाएं देने की व्यवस्था की गई है ताकि वे गरीबी की रेखा को पार कर सकें और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इन स्कीमों का उद्देश्य सिंचाई, संस्थागत ऋण, आधार संरचनात्मक सुविधाओं, विपणन, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति तथा प्रशिक्षण जैसे निवेशों की व्यवस्था करके उत्पादकता में वृद्धि करना है। दो विशेष योजनाओं के प्रचालन के संयोजन में ग्रामीण विकास के गरीबी दूर करने से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचालन से गरीबी दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन की आशा की जाती है।

[अनुवाद]

देश में यूरेनियम के भंडार

5902. **श्री एम. सुब्बा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यूरेनियम के ज्ञात स्रोत क्या है?

(ख) देश में यूरेनियम की कितनी अनुमानित मात्रा उपलब्ध है;

(ग) इस समय उससे प्रति वर्ष कितना यूरेनियम निकाला जाता है;

(घ) क्या यूरेनियम दोहन का विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) हमारे देश में यूरेनियम के निक्षेपों में से ज्यादा-तर बिहार के सिंहभूम जिले में और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा मेघालय के भागों में हैं।

(ख) हमारे देश के यूरेनियम के भंडारों के बारे में या तो ऐसे संकेत मिले हैं या यह

निष्कर्ष निकाला गया है कि उन भंडारों में कुल मिलाकर 73,900 मीट्रिक टन यूरेनियम आक्साइड (U_3O_8) मौजूद है।

(ग) से (ङ) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड जो इस विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, यूरेनियम सांद्रों के उत्पादन के लिए जादुगुडा में एक खान से अयस्क निकालता है और एक मिल चलाता है। कारपोरेशन ने हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड से प्राप्त तांबे की पछोड़नों को संसाधित करके यूरेनियम अलग करने के लिए सूरदा में और राखा के निकट यूरेनियम अलग करने वाला संयंत्र लगाया हुआ है। इसके अतिरिक्त, भाटिन में एक नई खान पर काम शुरू किया जा चुका है। कारपोरेशन का विचार चालू पंचवर्षीय योजना में नरवापहाड़ और तुरुमडीह में दो नई खानें हाथ में लेने का भी है। यूरेनियम निकालने का काम देश के परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप चल रहा है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के शिक्षण कर्मचारियों की छंटनी

5903. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितने शिक्षण कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) उनकी छंटनी के क्या कारण है;

(ग) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन रिक्त पदों पर छंटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः बहाल करने का है; और

(ङ) यदि नहीं; तो उन कर्मचारियों को अन्यत्र पुनः बहाल करने हेतु क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में नियमित आधार पर नियुक्त किसी भी अध्यापक की छंटनी नहीं की गई है। अन्तकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये छः महीने की अवधि के लिये सदर्थ आधार पर नियुक्त 41 लेक्चरारों की नौकरी समाप्त की गई थी।

(ग) सात प्रोफेसरों, आठ रीडरों एवं सैंतीस लेक्चरारों के नियमित पद खाली पड़े हैं।

(घ) और (ङ) जब कभी आवश्यकता होगी उन्हें अल्पकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उन्हें नियमित पदों पर समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाता है।

रक्षा बलों के लिए धनराशि का नियतन

5904. **श्री के. मोहनदास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के बजट प्राक्कलन में थल सेना, वायु सेना, तथा नौ सेना के लिये अलग-अलग कितने प्रतिशत धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि नौ सेना के लिये नियत की गई धनराशि बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे नौ सेना के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क)

थलसेना	47.3%
नौसेना	13.1%
वायुसेना	22.1%

(ख) और (घ) सेनाओं को धनराशि का आबंटन हमारे पड़ौस में खतरे के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारतीय नौसेना इसे सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने में पूर्णरूप से सक्षम है। नौसेना का आधुनीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, हमारे अन्यय व्यापार क्षेत्र की सुरक्षा के लिये सौंपे गए दायित्वों और अपतट क्षेत्रों में हमारे समुद्री हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। निधियों की स्थिति से किसी भी सक्रिय क्षेत्र में नौसेना के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के लम्बित मामले

5905. **श्री मुरलीधर माने** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक सरकार के पास महाराष्ट्र से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के कितने मामले लम्बित पड़े थे; और

(ख) इन लम्बित पड़े मामलों को तुरन्त निपटाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31.3.1986 को महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के 3340 मामले लम्बित पड़े थे।

(ख) महाराष्ट्र के जिलों, जो भूतपूर्व निजाम हैदराबाद के राज्य में थे, के स्वतंत्रता सैनानियों के मामलों के शीघ्र निपटान, और जिन्होंने हैदराबाद विलय आन्दोलन में भाग लिया था, के लिए एक विशेष जांच समिति गठित की गई है। ऐसे 3389 मामले समिति को सौंपे गए हैं। राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है, ताकि शेष मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

5906. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम की क्रियान्विति से अब तक वृक्षारोपण कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और संस्थापना पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) कार्यक्रम की वास्तविक क्रियान्विति की अपेक्षा संस्थापना पर अधिक धनराशि खर्च होने का कारण क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

विमान चालक रहित विमानों का निर्माण

5907. **डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान चालक रहित विमानों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान एवं इंजन के विकास की परियोजना पर काम चल रहा है । चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान के आदिरूपों का उड़ान परीक्षण किया जा रहा है । देश में विकसित इन्जन के आदिरूपों का परीक्षण किया जा रहा है । एक नामजद उत्पादन एजेन्सी भी इन परियोजनाओं में सहयोग कर रही है ।

महानगरों की वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के स्तरों को रोकने के उपाय

5908. **डा. ए. के. पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के स्तर क्या हैं;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय वैज्ञानिक इस स्तर को सुरक्षित मानते हैं; और

(ग) इन महानगरों के प्रदूषण को रोकने के संबन्ध में यदि कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वायु प्रदूषण :

— जहां सल्फर डाईआक्साइड तथा नाइट्रोजन के आक्साइड के परिवेशी स्तर सीमा के भीतर है, विविक्त पदार्थ के स्तर अधिक पाये गये हैं;

जल प्रदूषण :

— महानगरों में कुछ पाकेटों में निर्धारित सीमाओं की अपेक्षा जल प्रदूषण का स्तर अधिक ऊंचा है ।

शोर प्रदूषण :

— महानगरों के कुछ क्षेत्रों में जहां भारी यातायात होता है, शोर का स्तर निर्धारित सीमाओं से ऊपर है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किये गये हैं। तथापि इन महानगरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— प्रदूषण-रोधी कानूनों का कड़ाई से लागू करना;

— प्रदूषण नियंत्रण तथा प्रदूषक उद्योगों के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से स्थानांतरण पर कर प्रोत्साहन ।

— प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुसंधान तथा विकास; और

— जन जागरूकता पैदा करने के लिए आन्दोलन ।

आयुद्ध डिपुओं की सुरक्षा

5909. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध डिपुओं के आस-पास बड़ी संख्या में गंदी बस्तियां बस गई हैं और उनमें रहने वालों द्वारा जासूसी किए जाने की पूरी संभावना है;

(ख) क्या जासूसी की कुछ घटनाएं प्राधिकारियों के ध्यान में आई हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या स्थानीय म्युनिसिपल और राज्य प्राधिकारी कुछ कानूनी अड़चनों की दृष्टि से इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने में सेना प्राधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं करते हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने आयुध डिपुओं की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं ?

रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन कानपुर के केन्द्रीय आयुद्ध डिपो की परिधि के बाहर कुछ कच्चे मकान बने हैं। आयुध डिपुओं से जासूसी के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) ऐसी कोई समस्या नहीं है।

(घ) जी, हां।

पाकिस्तानी आसूचना अधिकारी का अमृतसर स्वर्ण मन्दिर में ठहरना

5910. **श्री एच. एम. पटेल** :

प्रो. मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1986 के "दैनिक हिन्दुस्तान" (हिन्दी में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि एक पाकिस्तानी आसूचना अधिकारी जो कि पाकिस्तानी दूतावास का भूतपूर्व कर्मचारी था, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में ठहरा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। जांच पड़ताल से ऐसी कोई खबर प्राप्त नहीं हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ प्रशासनिक न्यायाधिकरण के ढांचे में परिवर्तन

5911. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गोआ के वर्तमान प्रशासनिक न्यायाधिकरण को औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या गोआ के प्रशासनिक न्यायाधिकरण के ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्गठन स्कीम के अधीन गोवा, दमण और दीव सरकार के वर्तमान अंशकालिक न्यायाधिकरण के स्थान पर एक पूर्णकालिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किया है जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो अन्शकालिक सदस्य होंगे। दो अन्शकालिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नामत: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं मजदूर न्यायालय तथा सहकारी न्यायाधिकरण, जिनका पुनर्गठन योजना के तहत नये प्रशासनिक न्यायाधिकरण में विलय किया जाना था, को पृथक एककों के रूप में बनाए रखा गया क्योंकि ऐसे विलय में सांविधिक संशोधन निहित था। अपेक्षित अधिनियम लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय तापमान में कम्प्यूटर व्यवस्था लागू करना

5912. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय तोपखाने में कम्प्यूटर व्यवस्था लागू की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तोपखाना रेजीमेंट ने तोपखाने सबधी उपकरणों के स्वचालितीकरण का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो सेना में भारतीय तोपखाने के द्वारा कम्प्यूटरों के प्रयोग से तोपखाना रेजीमेंट की कार्यकुशलता में कितना सुधार होगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्बलों की खरीद

5913. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई फर्म है जिसके ऊनी कम्बल उच्च किस्म के थे तथा प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों में भी उचित साबित हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्बलों को न खरीदने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सेना के लिए कम्बलों की खरीद केई स्रोतों से की जाती है और प्रयोग के लिए उनको स्वीकार करने से पूर्व उन्हें कुछ मानदण्डों के अनुरूप होना जरूरी होता है और उनका निरीक्षण किया जाना होता है। ऐसी कोई भी फर्म जो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार और उचित कीमत पर कम्बल देती है उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने अच्छी किस्म के कम्बल सप्लाई किए हैं।

''वनों में रहने वाले आदिवासी''

5914. **डा. के. जी. आडियोडी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये बिजली की लाइनें लगाने और सड़कों के निर्माण के लिये पेड़ों के काटे जाने को वानिकी से भिन्न प्रयोजन माना जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों को पहले से आवंटित वनों में रहने वाले आदिवासियों के लिए पेयजल और विद्युत की सप्लाई की व्ययवस्था के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) पेयजल एव विद्युत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से वन भूमियों का दिक्परिवर्तन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गंगा नदी को साफ करने के लिए तकनीक के अन्तरण के लिए समझौता

5915 **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार का विचार इंगलैंड में एक सरकारी निकाय टेम्स वाटर अथारिटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा परियोजना निदेशालय को इंगलैंड के एक सरकारी निकाय, टेम्स वाटर अथारिटी को सलाहकार सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए, इंगलैंड सरकार की $2,00,000 की सहायता की पेशकश को स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) टेम्स वाटर अथारिटी के विशेषज्ञ 1986-87 के दौरान दौरा करेंगे तथा निम्न लिखित मदों के बारे में सलाहकार सेवायें प्रदान करेंगे :—

(i) जल गुणवत्ता माडलिंग

(ii) संसाधन प्राप्ति पर बल देते हुए उपचार प्रौद्योगिकी।

(iii) उपचार संयंत्रों का संचालन तथा रख-रखाव।

(iv) नदी की गुणवत्ता के प्रबध हेतु तकनीकी एवं संस्थानिक आवश्यकतायें।

[अनुवाद]

पिक्चर ट्यूबों का किसी एजेंसी के माध्यम से आयात करना

5916. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों का आयात इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से करने का है;

(ख) यदि हां, तो ओपन जनरल लाइसेंसों के आधार पर आयात करने की अनुमति देने के पूर्व निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रौद्योगिकी के शीघ्र अन्तरण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) इलेक्ट्रानिकी ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ई. टी. एण्ड टी.) के माध्यम से रंगीन पिक्चर ट्यूबों का दुबारा सरणीबद्ध रूप से आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस समय इनका आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए अब तक तीन आशय-पत्र और औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के अन्तर्गत 13 पंजीकरण दिए गये हैं। इस क्षेत्र में विदेशी सहयोग के दो मामलों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जबकि दो अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

वन्यजीव अभयारण्यों का विकास

5917. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शीघ्र ही देश में वन्य जीव अभयारण्यों के विकास के लिए बारह स्थानों का चयन करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) वर्तमान में, देश में 247 वन्यजीव अभयारण्य हैं। अतिरिक्त क्षेत्र जहां वन्यजीव अभयारण्य तथा पार्क स्थापित किए जाने हैं, के चयन के लिए एक परियोजना प्रगति पर है। इस प्रकार के चयन के पश्चात् सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन क्षेत्रों में अभयारण्य स्थापित किये जायेंगे।

पिछड़े राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को कम करना

5918. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय औसत आय से पीछे रहने वाले पिछड़े राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को कम करने के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) असमानताओं को दूर करने के लिए दिए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) पिछड़े राज्यों, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, के लिए फार्मूले के अनुसार, जो उनके पक्ष में हैं, राज्य सरकारों को अपना योजना व्यय पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से संसाधनों का अन्तरण ;

(2) आठवें वित्त आयोग के निर्णय, के अनुसार जो कि पिछड़े राज्यों के पक्ष में है और राजस्व अन्तर को पूरा करने के अलावा, राज्यों के बीच क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करता है, योजनेतर संसाधनों का अन्तरण;

(3) राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों रेगिस्तानी क्षेत्रों, सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों तथा जनजातीय जनसंख्या की बहुलता वाले जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराना; और

(4) राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए निवेश आर्थिक सहायता और रियायती वित्त के रूप में विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए परिवारों की संख्या

5919. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है;

(ख) क्या यह प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत के बराबर है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में क्या सलाह देने का विचार है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए.के. पंजा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के आधार और अन्तिम वर्षों के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या के राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। योजना आयोग में गरीबी के अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा पारिवारिक उपभोक्ता व्यय और राज्यवार जनसंख्या आंकड़ों पर किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के आधार पर, तैयार किये जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा जो नवीनतम दो सर्वेक्षण किए गए हैं वे 32वें दौर (1977-78) और 38वें दौर (1983) से संबंधित हैं जिनके आधार पर वर्ष 1977-78 और 1983-84 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनके प्रतिशत का राज्य-वार अनुमान लगाया गया है। ऐसा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह

रहे लोगों की संख्या 1977-78 में 506.0 लाख से बढ़कर वर्ष 1983-84 में 530.6 लाख हो गई, हालांकि जनसंख्या में इसका प्रतिशत वर्ष 1977-78 में 49.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1983-84 में 45.3 प्रतिशत रह गया।

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 1983-84 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 37.4 प्रतिशत था जबकि उत्तर प्रदेश के लिए इसी का प्रतिशत 45.3 प्रतिशत था।

(ग) हमारी योजना का मुख्य उद्देश्य, गरीबी और असमानता को उत्तरोत्तर कम करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये परिसम्पत्ति असमानता और गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करने वाले अनेक उपकरणों का उपयोग किया गया है जिनमें और अप्रत्यक्ष राजकोषीय उपाय भी शामिल हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन नीतियों और कार्यक्रमों को समन्वित करने का और इन्हें अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। योजना में मुख्य रूप से वर्ष के मन्दी के मौसम/महीनों में रोजगार की व्यवस्था और परिसम्पत्तियों तथा कुशलताओं के अन्तरण द्वारा गरीबी दूर करने से सम्बन्धित बहुत से कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुये, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम बनाए गए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत परिव्यय चयनात्मकता के सिद्धांत पर आधारित होगे, जो विभिन्न राज्यों में गरीबी के वास्तविक सूचकांक के अनुकूल हैं। इससे गरीबी दूर करने से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धनराशियों के अधिक आवंटन से गरीबी के ज्यादा अनुपात वाले राज्यों को सहायता मिलेगी ताकि वे तेजी से गरीबी को कम कर सकें।

मद्यनिषेध नीति का कार्यान्वन

5920. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार मद्य निषेध कार्यक्रम का कार्यान्यिवन करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का मद्यनिषेध नीति के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में होने वाली हानि को पूरा करने के लिए राज्यों को अनुदान देने का कोई विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री (गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) मद्यनिषेध के कार्यक्रम की सफलता या असफलता को निर्धारित करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। शराब पीने जैसी इस सामाजिक बुराई को समाप्त करना एक लम्बा और कठिन कार्य है। इसके लिए निरन्तर शिक्षा प्रचार और लोगों को इस बुराई से दूर रखने के लिये निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रयास जारी हैं।

(ग) 1978 में भारत सरकार ने 1977-78 को आधार वर्ष मानकर, 1983-84 तक, मद्य निषेध लागू करने पर आबकारी राजस्व में होने वाली वास्तविक हानि का 50% मुआवजा राज्य सरकारों को (तमिलनाडु और गुजरात को छोड़कर) देने की पेशकश की थी। इस निर्णय के अनुसरण में 1978-79 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान 55.05 करोड़ रुपए का "आन

एकाउन्ट" भुगतान किया गया था। यह आगे फैसला किया गया है कि 1983-84 के बाद 6 वर्ष अर्थात 1989-90 तक की अगली अवधि के लिये राज्य सरकारों (गुजरात को छोड़कर) को मुआवजा देने की पेशकश को जारी रखा जाए। 1982-83 के पश्चात किसी भी राज्य सरकार ने किसी मुआवजे के लिये दावा नहीं किया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजना के लिए वन क्षेत्र का साफ किया जाना

5921. **श्री ए. जे वी. बी. महेश्वर राव :**

श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सैरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भेजे गये उन 8 प्रस्तावों पर विचार किया है जिनमें कुछ वन क्षेत्रों की सफाई का अनुरोध किया गया है, जिसमें नागार्जुन सागर परियोजना "लेफ्ट कनाल" सिंचाई प्रणाली शामिल है; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ आवश्यक विवरण प्रस्तावों में नहीं दिये गये हैं और इसलिये इन्हें राज्य सरकार से मांगा गया है। राज्य सरकार से अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

[हिन्दी]

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें

5922. **श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हर्मा राडार का निर्माण भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद में किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये भी सच है कि इस उद्योग में लगे हुये कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में कमी हो रही है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) इर्मा (हर्मा नहीं) राडार का निर्माण भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की हत्या

5923. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान राज्य-वार, साम्प्रदायिक दंगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने लोग मारे गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है और

इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की हत्या अन्य लोगों की तुलना में अधिक हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार, इस प्रकार के जघन्य अपराधों को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिये कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार, साम्प्रदायिक दंगों में हुई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की हत्या से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखती है। तथापि यह गैर अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किये गये अपराधों पर राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से आंकड़े एकत्रित करती है। इन आंकड़ों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की हत्या के मामले भी सम्मिलित हैं। वर्ष 1985 के लिये हत्या के इस प्रकार के मामलों का राज्य-वार विवरण नीचे दी गई सारिणी में दिया गया है।

क्र. सं.	राज्य का नाम	1985 में हत्या के मामलों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	02
2.	बिहार	54	12
3.	गुजरात	22	10
4.	हरियाणा	11	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	01	शून्य
6.	कर्नाटक	20	शून्य
7.	केरल	06	02 (सितम्बर 85 तक)
8.	मध्य प्रदेश	75	95
9.	मणिपुर	शून्य	01
10.	महाराष्ट्र	13	09
11.	उड़ीसा	01	02
12.	पंजाब	08	शून्य
13.	राजस्थान	29	13
14.	तमिलनाडु	20 (अगस्त, 1985 को छोड़कर)	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश	223	शून्य
16.	पश्चिम बंगाल	03	02

टिप्पणी:— अन्य राज्यों के विषय में सूचना शून्य है।

वर्ष 1985 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की हत्या के मामलों में, इससे गत वर्ष की तुलना में कमी आई है।

ऐसे अपराधों से निपटने के लिये वर्तमान आपराधिक कानून पर्याप्त हैं। तथापि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति इस प्रकार के अपराधों के प्रति भारत सरकार की चिन्ता को ध्यान में रखते हुये, दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिये इन्हें राज्य सरकार को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों से इन दिशा निर्देशों को प्रभावकारी ढंग से और उद्देश्य पूर्ण भावना से कार्यान्वित करने के लिए आग्रह किया गया है।

[अनुवाद],

विशेष संघटक योजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत केरल को आवंटित राशि

5924. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को वर्ष 1984-85 के दौरान विशेष संघटक योजना और जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) क्या केरल सरकार ने समस्त धन राशि का उपयोग कर लिया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान विशेष संघटक योजना और जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत केरला को क्रमशः रु. 2874.05 लाख और रु. 553.95 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। विशेष संघटक योजना और जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय क्रमशः रु. 2677.06 लाख और रु. 553.073 लाख का था।

दिल्ली में हत्या लूट-पाट और डकैती के मामले

5925. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** :

श्री आर. एम. भोये : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में नई दिल्ली में हत्या, लूटपाट और डकैती के कितने मामले दर्ज किए गये ;

(ख) कितने अपराधी पकड़े गये; और

(ग) नई दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) वर्ष 1986 (जनवरी से मार्च, 1986 तक) के दौरान हत्या, लूट-पाट और डकैती के मामलों की संख्या तथा इन अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

अपराध	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
हत्या	55	67
लूट-पाट	55	62
डकैती	10	23

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान दिल्ली पुलिस को सभी स्तरों पर जनशक्ति तथा वाहनों को बढ़ाकर सशक्त किया गया। इससे गतिशीलता और दृष्टयता में अत्यधिक सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस को विशेषत: इसके संचार-तंत्र में, अत्याधुनिक उपकरण प्रदान किये गये। इन सभी उपायों से काफी हद तक अपराधों का शीघ्रता से पता लगता है और अपराधी को जल्दी पकड़ा जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए इन कदमों के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य नियमित हैं :

(i) पैदल तथा चलती फिरती कड़ी गश्त।

(ii) वाकी-टाकी सैटों तथा वायरलैस से सज्जित मोटर साइकिलों पर सशस्त्र गश्त।

(iii) होटलों, अतिथिगृहों, पिकेटों, सामरिक महत्व के स्थानों तथा अपराधियों के छिपने के स्थानों की कड़ी जांच।

(iv) सार्वजनिक सभाओं तथा सड़क पर वाहनों तथा सामान इत्यादि की जांच।

(v) जिला तथा अपराध शाखा द्वारा चलाए गए डकैती विरोधी अभियान।

(vi) पुलिस सतर्कता बढ़ाना तथा अपराधियों के विरुद्ध निवारात्मक कार्यवाही करना।

(vii) अपराध रोकने के लिए निष्कासन कार्यवाही को बढ़ाना और अन्तर्जिला तथा अन्तर्राज्यीय बैठकें करना।

(viii) अपराधियों का पता लगाने तथा पकड़ने में पुलिस को सहायता देने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।

(ix) दिल्ली में क्षेत्र सुरक्षा योजनाएं शुरू की गई हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में गश्त के लिए 165 वाहनों को जन-शक्ति तथा उपकरण सहित तैनात किया गया है।

अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु कदम

5926. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों और देश की आवश्यकताओं के बीच बहुत बड़ा अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार मुख्य कारण क्या है;

(ग) हमारे अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों के कार्य निष्पादन में भी सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम कुल मिलाकर देश की आवश्यकताओं के अनुरूप रहे हैं। परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष एवं इलैक्ट्रानिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से महत्वपूर्ण परिमाण की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। खाद्यान्नों के

उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने में सफलता भी कृषि में अनुसंधान और विकास से ही मिली है। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में तभी सफल रही हैं जब उनके लिए स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य परिभाषित किये गये जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। रोग प्रतिरक्षा विज्ञान, प्लाज्मा भौतिकी आधुनिक जीव विज्ञान, सालिडस्टेट और सर्फेस रसायन आदि जैसे विज्ञान के नवोदित सीमांत क्षेत्रों में विकसित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनुसंधान और विकास गतिविधियों को तेज किया गया है, जो विशाल महत्व की हैं तथा कृषि चिकित्सा और उद्योग के क्षेत्रों में देश की भविष्य की विकासोन्मुखी आवश्यकताओं के लिये सार्थक हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों में कुछ कमियां तथा असंतुलन भी हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान विकास कार्यक्रमों के निष्पादन को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है। इस दिशा में नया दृष्टिकोण इन क्षेत्रों में कार्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक क्षमताओं के विकास को सुनिश्चित करना तथा सुप्रसिद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुपरिभाषित मिशनों को शुरू करना है। प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के रूप में, विश्व के पर्दे पर उभरते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मुख्य नए प्रस्ट क्षेत्रों जैसे—माइक्रो इलैक्ट्रोनिक्स, इन्फर्मेटिक्स और टेलीमैटिक्स जैव प्रौद्योगिकियां रोबोटिक्स, सामग्री विज्ञान, महासागर विज्ञान, रसायन विज्ञान में कई नये क्षेत्रों तथा भूमि विज्ञानों आदि को महत्व-पूर्ण रूप से सहायता प्रदानकरने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 44

5927. **श्री सुदर्शन दास** : क्या रक्षा मंत्री राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 44 का बारहमासी सड़क के रूप में सुधार के बारे में 12 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2459 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान बदरपुर तथा चुरई बाड़ी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर सड़क पटरी तथा कमजोर पुलों को मजबूत करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कितना कार्य हुआ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वह सड़क यातायात के आवागमन हेतु असुरक्षित हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (जोबई से अगरतला तक) पर सड़क को चौड़ा करने, सड़क को मजबूत करने, छोटे पुलों का निर्माण करने एवं अन्य कार्यों के लिए 313.45 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी। इन कार्यों पर 379.04 लाख रुपए खर्च हुए। 1985-86 में इन कार्यों के लिए 489.38 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और अब तक (फरवरी 1986 तक) 268.73 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

वर्ष 1984-85 और 1986 के दौरान बदरपुर से चुरई बाड़ी के बीच के सड़क क्षेत्र पर कोई कार्य नहीं किया गया ।

(ग) और (घ) यह राजमार्ग सामान्य वाहन यातायात के योग्य है ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जोन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया गया सर्वेक्षण

5928. **श्री एम. एल. भिकराम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थान चयन समिति द्वारा केन्द्रीय जोन में परमाणु बिजली केन्द्र की स्थापना करने के लिए किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इस समिति ने परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के लिए किन किन स्थानों को उपयुक्त पाया और सिफारिश की; और

(ग) इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने चारों विद्युत क्षेत्रों, अर्थात् उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी विद्युत क्षेत्रों के उन सभी स्थलों के बारे में विचार किया है जिनके नाम राज्य सरकारों ने इस दृष्टि से सुझाए थे कि वहां परमाणु बिजलीघर लगाये जा सकते हैं ।

(ख) स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) स्थल चयन समिति में परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञ और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि हैं ।

सेना अकादमियों में दाखिल किए गए सैनिक स्कूलों के छात्र

5929. **पो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां सैनिक स्कूल हैं;

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सेना अकादमी में दाखिल किए गये स्कूल-वार छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या छात्रों पर सामान्यतः व्यय की गई धनराशि के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और क्या इन स्कूलों के स्तर में सुधार करने के लिये कोई प्रभावी योजना तैयार की जायेगी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने वाले कैडेटों में से औसतन लगभग 30 प्रतिशत सैनिक स्कूलों के लड़के होते हैं । यह देखते हुए कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए देश के सभी भागों से प्रतियोगिता हेतु उम्मीदवार आते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि सैनिक स्कूलों की कार्य क्षमता असंतोषजनक है ।

विवरण

क्र. सं.	सैनिक स्कूल का नाम	राज्य	जिला	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या 1984-85 के दौरान	1985-86 के दौरान
1.	सतारा	महाराष्ट्र	सतारा	11	2
2.	कुंजपुरा	हरियाणा	करनाल	7	6
3.	बामा चडी	गुजरात	जामनगर	2	4
4.	कपूरथला	पंजाब	कपूरथला	9	11
5.	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	3	10
6.	कोरूकोंडा	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	14	9
7.	कझाकूट्टम	केरल	त्रिवेन्द्रम	18	7
8.	पुरूलिया	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	17	4
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	पुरी	5	3
10.	अमरावती नगर	तमिलनाडु	कोइमबटूर	9	11
11.	रीवा	मध्य प्रदेश	रीवा	12	4
12.	तिलैयां	बिहार	हजारीबाग	25	16
13.	बीजापुर	कर्नाटक	बीजापुर	3	4
14.	ग्वालपाड़ा	असम	ग्वालपाड़ा	0	2
15.	घोड़ाखाल	उत्तर प्रदेश	नैनीताल	9	10
16.	नगरोटा	जम्मू और काश्मीर	जम्मू	9	3
17.	इम्फाल	मणिपुर	इम्फाल	3	0
18.	सुजानपुर	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	12	13

टिप्पणी : भारतीय सैन्य अकादमी किसी स्कूल से छात्रों को सीधे भर्ती नहीं करती ।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा फ्रांस की अत्याधुनिक रेडार प्रणाली अपनाना

5930. **श्री सुभाष यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1986 के "टेलीग्राफ" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान द्वारा फ्रांस की अत्याधुनिक रेडार प्रणाली अपनाई जा रही है जो पुरे देश के लिए पर्याप्त होगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा के लिए "न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट" और प्रौद्योगिकी भी प्राप्त की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां। इसके अलावा सरकार ने पाकिस्तानी समाचार पत्रों में भी इससे मिलती जुलती खबरें देखी हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी समाचार पत्रों में छपी खबरें देखी हैं। दूसरी ओर इस्लामाबाद स्थित फ्रांस के राजदूतावास के सूत्रों ने इस बात की पुनः पुष्टि की है कि इस विषय पर उनकी सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगरानी रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता हो :

राज्यों की वार्षिक योजनायें

5931. **श्री भट्टम राममूर्ति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए विभिन्न राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय क्या हैं;

(ख) उनके द्वारा आन्तरिक साधनों से कितनी राशि जुटाई गई है; और

(ग) विभिन्न राज्यों के उपरोक्त वार्षिक योजना परिव्यय में केन्द्रीय सहायता का अंश कितना है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पन्जा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना, 1986-87 (करोड़ रु.)

राज्य	अनुमादित योजना परिव्यय	जिसमें से	
		राज्यो के अपने संसाधन	केन्द्रीय सहायता
आन्ध्र प्रदेश	1000.00	701.99	298.01
असम	500.00	31.00	469.00
बिहार	1150.00	709,76	440.24

1	2	3	4
गुजरात	950.00	662.26	287.74
हरियाणा	225.00	444.72	80.28
हिमाचल प्रदेश	205.00	46.05	158.95
जम्मू और कश्मीर	315.00	(—) 33.36	348.36
कर्नाटक	765.00	571.88	193.12
केरल	390.00	109.92	280.08
मध्य प्रदेश	1381.00	989.77	391.23
महाराष्ट्र	2100.00	1758.04	341.96
मणिपुर	87.00	19.46	106.46
मेघालय	91.00	(—) 0.62	91.62
नागालैंड	78.00	(—) 57.57	135.57
उड़ीसा	600.00	360.36	239.64
पंजाब	575.00	249.74	325.26*
राजस्थान	525.00	298.92	226.08
सिक्किम	50.00	(—) 2.47	52.47
तमिलनाडु	1153.00	887.65	265.35
त्रिपुरा	105.00	(—) 3.44	108.44
उत्तर प्रदेश	2030.00	1335.24	694.76
पश्चिम बंगाल	776.00	547.99	228.01
जोड़ राज्य	15351.00	9588.37	5762.63

*273.67 करोड़ रु. का शर्त ऋण शामिल है ।

वैक्सीन उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी

5932. **श्री सी. पी. ठाकुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) एक नया जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बनाया गया है। जबकि यह विभाग सैल आधारित टीकों के निर्माण और अनुप्रयोग का कार्य देखेगा, इसने टीकों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के आयात को अनुमति नहीं दी गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मामलों के अनुरूप, वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टीकों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकता पर विभाग द्वारा विचार किया जावेगा।

आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी

5933. **श्री एम. रघुमा रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) वानिकी के अन्तर्गत कितना क्षेत्र लाया गया है और छठी योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कितना क्षेत्र सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 2.92 लाख हैक्टेयर भूमि क्षेत्र पर वनरोपण का कार्य किया गया। इसमे फार्म वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर 2000 पौधों की गणना पर आधारित वितरित किये गये पौधों की संख्या को ध्यान में रखकर प्रकल्पित हैक्टेयर भी शामिल है। इस प्रकार के वनरोपण पर प्रत्यक्ष रूप से 33.16 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

(ग) सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान वानिकी क्षेत्र परिव्यय से 65.7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सामाजिक वानिकी खण्ड रोपण को 80,000 हैक्टेयर से अधिक बढ़ाने और राज्यों में 50,000 हैक्टेयर फार्म वानिकी के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

बांकुरा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र को बन्द करना

5934. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में बांकुरा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र को बन्द करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के साथ प्रधान मंत्री की बैठक

5935. **श्री अमर रायप्रधान** :

डा. बी. एल. शैलेश : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री हाल ही में पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से मिले थे और उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री गुनेजो के बीच 15 मार्च, 1986 को स्टाकहोम में जो बैठक हुई थी, उसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई थी।

विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों को हैदराबाद हाउस में ठहराना

5936. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की यात्रा करने वाले विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों को भविष्य में हैदराबाद हाउस में ठहराया जाएगा, जिसे गैस्ट हाउस में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) क्या विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान में दी जाने वाली सभी सरकारी दावों पांच सितारा होटलों के स्थान पर केवल वहीं पर दी जाएंगी; और

(ग) इससे कितनी धनराशि की बचत होगी और ऐसा कब से किया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) हैदराबाद हाउस को उच्च स्तर के विदेशी अतिथियों के लिए एक राजकीय गैस्ट-हाउस में बदलने की संभावना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) राजकीय सत्कार का आयोजन न सिर्फ हैदराबाद हाउस में करना ही जारी रहेगा बल्कि नई दिल्ली के कुछ अन्य होटलों में भी ऐसा करना जरूरी बना रहेगा क्योंकि इस सत्कार का स्वरूप और इसका आकार इस प्रकार का होता है कि इसे एक ही जगह पर कर पाना मुमकिन नहीं होता।

(ग) अभी यह कहना मुश्किल है कि इस काम पर कितना खर्च होगा।

मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

593. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये हैं;

(ख) उन वर्षों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये मध्य प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) उन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किये गये सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गत तीन वर्षों (1982-83 से 1984-85) में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम साधारणतः पूरे राज्य में कार्यान्वित किया गया है।

बाहर से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना सिर्फ 21 जिलों में संचालित हो रही है, जिनके नाम हैं—इन्दौर, मंदसौर, रतलाम, देवास, उज्जैन, शाजापुर, धार, खारगोन,

भोपाल, सिहोर, राजगढ़, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, गुना, रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग।

(ख) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश को सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए सभी स्रोतों से केन्द्रीय सहायता की धनराशि 22.40 करोड़ रुपये थी इसके अलावा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जायेगी तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के प्रमुख तत्व, बाहर से सहायता प्राप्त परियोजना के एक भाग हैं तथा इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

क्रम सं.	कार्य की किस्म	इकाई	1982-83 से 1984-85 के दौरान प्राप्त लक्ष्य
1.	सामुदायिक पौधरोपण (ग्रामीण हरित क्षेत्र)	हैक्टेयर	24,440
2.	प्रायोगिक (परीक्षण के तौर पर) पौधरोपण	"	110
3.	सड़कों, नहरों के सहारे-सहारे पट्टी पौधरोपण	"	159
4.	बालपौधों का वितरण-फार्म वानिकी	संख्या लाखों में	93

[हिन्दी]

नकली व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने के बारे में शिकायतें

5938. **श्री कुंवर राम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी ऐसे मामलों की कुल संख्या क्या है जिनके बारे में राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त हो गई है लेकिन वे अभी तक विचाराधीन है;

(ख) ऐसे मामलों की राज्यवार-सख्या क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों से नकली व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उनमें से कितनी शिकायतें सही साबित हुई हैं और कितनी शिकायतों की जांच की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) लगभग 7000 मामले, जिनमें राज्य सरकारों को सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं, सरकार के विचाराधीन हैं। 28.2.1986 तक राज्यवार संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) और (घ) वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने की हर कोशिश की जाती है। प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/झेली गई यातनाओं के दावे सामान्यतः राज्य सरकारों

द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। फिर भी, समय-समय पर कुछ शिकायतें इस आरोप की प्राप्त हुई हैं कि अनुपयुक्त मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है। ऐसी शिकायतें सत्यापन के लिए तुरन्त राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। संदेहास्पद मामलों में, जहां शिकायत प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत होती हैं, स्वीकृत पेंशन निलंम्बित कर दी जाती है तथा पेंशन प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। ऐसे मामलों पर स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर अन्तिम रूप से पुनरीक्षा की जाती है। ऐसे मामलों की सही संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य सरकारों के नाम	28.2.1986 तक राज्य को लम्बित अन्तिम रिपोर्ट
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	580
2.	असम	—
3.	बिहार	3278
4.	गुजरात	43
5.	हरियाणा	68
6.	हिमाचल प्रदेश	16
7.	जम्मू और कश्मीर	7
8.	कर्नाटक	223
9.	केरल	629
10.	मध्य प्रदेश	13
11.	महाराष्ट्र	1043
12.	मणिपुर	3
13.	मेघालय	4
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	156
16.	पंजाब	165
17.	राजस्थान	19
18.	तमिलनाडु	75
19.	त्रिपुरा	25
20.	उत्तर प्रदेश	216
21.	पश्चिम बंगाल	210
	संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—

1	2	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	—
3.	चण्डीगढ़	—
4.	दिल्ली	36
5.	गोवा	166
6.	मिजोरम	—
7.	पांडिचेरी	19
		7003

[अनुवाद]

भारतीय राजनयिकों के कार्यों/गतिविधियों की पुनरीक्षा

5939. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय राजनयिकों के कार्यों तथा गतिविधियों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है :

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षा के परिणाम क्या हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां, भारतीय राजनयिकों के काम और उनकी गतिविधियों की समीक्षा निरंतर की जाती है।

(ख) इन समीक्षाओं के आधार पर ही आवश्यकतानुसार उचित प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं।

परमाणु शस्त्रों के परीक्षण के सम्बन्ध में छः राष्ट्रों की अपील पर अमरीका की प्रतिक्रिया

5940. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें परमाणु शस्त्रों के परीक्षण के संबंध में छः राष्ट्रों की अपील पर अमरीका के राष्ट्रपति से कोई उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने का समझौता करने के लिये कोई अग्रेतर कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कोटा भारी जल संयंत्र का कार्यकरण

5941. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा भारी जल संयंत्र अपने अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार भारी जल का उत्पादन करने लगा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संयंत्र में प्रयोग की जाने वाली हाईड्रोजन सल्फाइड गैस के रिसाव के कारण उसके पर्यावरण को खतरा होने के बारे में आशंका व्यक्त की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संयंत्र में गैस का रिसाव रोकने और इसका सुरक्षित कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या सुरक्षात्मक कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) यह संयंत्र भारी पानी का उत्पादन मिलने वाली भाप के दाब पर निर्धारित क्षमता से कर रहा है।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) संयंत्र चलाने वाले प्राधिकारी यह जानते हैं कि पर्यावरण पर हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संयंत्र के डिजायन, अभियात्रिकी और प्रचालन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि उनसे यह सुनिश्चित रहता है कि संयंत्र सुरक्षा पूर्वक काम करता रहे और पर्यावरण में हाइड्रोजन सल्फाइड अनियंत्रित रूप से रिस कर न जा पाए। संयंत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा पर लगातार निगरानी रखी जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड रिसने की स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा संबंधी उपाय निर्धारित किए जा चुके हैं।

बहरीन के साथ समझौता

5942. **श्री कमल नाथ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बहरीन के मध्य मार्च, 1986 में एक बहुपक्षीय समझौता किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं तथा किन बातों पर समझौता किया गया।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) नई दिल्ली में आयोजित 4 से 13 मार्च, 1986 तक आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-बहरीन संयुक्त समिति की पहली बैठक की समाप्ति पर सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त समिति की बैठक में यह कहा गया कि व्यापार, उद्योग, जल एवं विद्युत शक्ति, स्वास्थ्य, युवा एवं खेलकूद, श्रम, शिक्षा एवं संस्कृति आदि क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सहयोग की व्यापक संभावनायें हैं।

[हिन्दी]

पुलिस कर्मचारियों को राजसहायता

5943. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि ईमानदार तथा बहादुर पुलिस कर्मचारियों को दिल्ली में अपराधियों को पकड़ने के लिए किए गए बहादुरी के कार्यों के लिए शीघ्र पर्यान्नतियां अथवा कुछ अन्य राजसहायता दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। तथापि सितम्बर, 1985 में दिल्ली पुलिस में लागू की गयी योजना में, असाधारण/विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है। योजना के शुरू किये जाने के बाद दिए गए प्रोत्साहनों में क्रम से हटकर पदोन्नति, प्रशंसा पत्र और प्रमाण पत्र, महीने का बेहतर पुलिस कार्मिक की उपाधि देना इत्यादि सम्मिलित है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से सहायता

5944. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके कार्यान्वयन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण विभाग योजना के कुछ भाग के लिए सहायता देता है अथवा प्रर्यावरण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आधारभूत लागत के लिए धन देने के लिए पर्यावरण सम्बन्धी कोई आकांक्षी योजना है; और

(घ) इस बारे में उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का स्वरूप क्या है और इसके लिए अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) यू. एन. ई. पी. से प्राप्त सहायता मुख्यत: भारतीय विशेषज्ञों द्वारा विदेशों में होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने पर व्यय की जाती है तथा यह राज्यवार नहीं है।

(घ) I. उड़ीसा सरकार को इसके "एकमारा कानन" में "पादप संसाधन केन्द्र" की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में 13,99,400/- रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है; 9,58,500/- रुपये की धनराशि दे दी गई है।

(II) "उत्प्रेरक सहायता" स्कीम के अन्तर्गत तकनीकी कक्ष स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग के तकनीकी कक्ष को मजबूत बनाने के लिए 7.52 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, 1985-86 में 2,12,000/- रुपये की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।

कृत्रिम अंग केन्द्रों की स्थापना

5945. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी विकलांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग केन्द्र से सहायता लेने के लिए अधिक दूर तक चलने की आवश्यकता न हो, और अधिक कृत्रिम अंग केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय के पास और अधिक कृत्रिम अंग केन्द्रस्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा काफी संख्या में अंग फिटिंग केन्द्रों की

स्थापना की गई है जो देश भर में फैले हुए हैं ताकि विकलांग व्यक्ति अपने घरों के नजदीक ही सहायता प्राप्त कर सकें।

राजधानी में विकलांगों के कल्याण सम्बन्धी एजेन्सियां

5946. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में विकलांगों के कल्याण और पुनर्वास का कार्य कर रहे स्वयंसेवी और सरकारी एजेन्सियों के क्या नाम हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1985-86 के दौरान इन स्वयं-सेवी संस्थाओं/संगठनों को प्रत्येक को, कितना अनुदान या अन्य सहायता दी गई ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

1.भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं

विवरण

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान
2. मन्दबुद्धि बच्चों के लिए माडल स्कूल
3. विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक पुर्नवास केन्द्र

2. दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं

4. मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों (व्यस्क और बच्चे) के लिए गृह
5. मानसिक रूप से अविकसित लड़कियों के लिए गृह, पंजाबी बाग
6. मानसिक रूप से अविकसित लड़कियों के लिए गृह, माडल टाउन, दिल्ली
7. मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए स्कूल,
8. मूक और बधिरों के लिए गर्वनमेंट लेडी नायस स्कूल ।
9. मूक और बधिरों के लिए स्कूल
10. सरकारी अन्ध विद्यालय
11. विकलांगों के लिए शैल्टर्ड वर्कशाप
12. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (महिला)
13. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (पुरुष)
14. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (पुरुष)
15. कुष्ठ रोगियों के लिए पुर्नवास केन्द्र
16. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र तहीरपुर कम्पलैक्स
17. कुष्ठ रोगियों के लिए शैल्टर्ड वर्कशाप
18. कुष्ठ और टी.वी. रोगियों के लिए गृह

17. कुष्ठ रोगियों के लिए शैल्टर्ड वर्कशाप
18. कुष्ठ और टी.वी. रोगियों के लिए गृह

3. स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं

	1985-86 के दौरान स्वीकृत की गई अनुदान सहायता
	(रुपयों में)
19. मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए संघ	3,39,809/-
20. नेत्रहीन के लिए राष्ट्रीय संघ	1,71,676/-
21. बधिरों के लिए अखिल भारतीय संघ	5,92,185/-
22. नेत्रहीनों के लिए अखिल भारतीय संघ	54,320/-
23. बलवन्त राय मेहता विद्या भवन	3,54,171/-
24. नार्थ इंडियां स्पास्टिक सोसायटी	5,93,124/-
25. बलाइन्ड रिलीफ एसोसियेशन	1,62,306/-
26. संजीवनी सोसाइटी आफ मेंटल हेल्थ	64,500/-
27. मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के कल्याण के लिए दिल्ली सोसाइटी	16,686/-
28. दिल्ली चेशायर होम	25,000/-
29. जनता आदंश अन्ध विद्यायल	42,710/-
30. लरिंगकटोमी क्लब आफ इंडियां	39,000/-
31. अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट	1,15,000/-
32. दीपक गुप्ता मैमोरियल फाऊंडेशन	1,61,091/-
33. मगंलम	3,01,042/-
34। बिकश भारती	19,602/-
जोड़	3,0,52,222/-

चार्ल्स शोभराज के कहने पर तिहाड़ जेल के कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करना

5947. **प्रो. रामकृष्ण मोरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में जेल से भागे चार्ल्स शोभराज के बारे में तिहाड़ जेल के भूतपूर्व अधिकारियों ने जब उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी; तो उन्हें शोभराज के कहने पर दण्डित किया गया और उन्हें स्थानान्तरित किया गया था और कुछ मामलों में तो अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में तथा तिहाड़ जेल के ईमानदार अधिकारियों को पहुंचाए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। यह सच नहीं है कि विगत में चार्ल्स शोभराज जो हाल ही में जेल से फरार हुआ है, के कहने पर तिहाड़ जेल के किसी अधिकारी को दण्ड दिया गया था अथवा स्थानान्तरण किया गया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति

5948. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब वक्फ बोर्ड ने निष्क्रान्त सम्पति के समहार्ता द्वारा पट्टे पर दी गई वक्फ की सम्पति पर बोर्ड की अधिकारिता के बारे में पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 की कुछ धाराओं को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है और यदि हां, तो कब तक,

(ग) क्या बोर्ड ने वर्ष 1985 के दौरान मस्जिद और कब्रिस्तान जैसे वक्फ की सम्पति अवैध या अनअधिकृत कब्जे से छुड़ाने में कोई प्रगति की है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और

(ङ) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी मस्जिदें हैं और 31 दिसम्बर, 1985 को कब्रिस्तानों के कुल कितने क्षेत्र पर अवैध अथवा अनअधिकृत कब्जा था ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1985 के दौरान मस्जिदों और कब्रिस्तानों को अवैध कब्जों से मुक्त करा दिया गया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) मस्जिदें :—12 मस्जिदें जिन पर अब तक अवैध कब्जा हो रखा था मुक्त करा ली गई हैं और बोर्ड ने इन मस्जिदों में इमाम नियुक्त कर दिये हैं। इन मस्जिदों का जिले वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	जगह का नाम	1985 के दौरान अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई मस्जिदों की संख्या
	पंजाब	
1.	पटियाला	1
2.	नाभा	1
3.	राजपुरा	2

1	2	3
4.	फिरोजपुर	1
5.	लुधियाना	1
	हरियाणा	
1.	भिवानी	1
2.	पानीपत	1
3.	जगाधरी	1
4.	बी. नोहिनी (अम्बाला)	1
5.	चोली (अम्बाला)	1
6.	कलानौर (रोहतक)	1
	योग	12

2. **कब्रिस्तान** :—बोर्ड की सामान्य नीति के अनुरूप अवैध कब्जा करने वालों से इस बात के लिए निरन्तर बातचीत की जा रही है कि वे कब्रिस्तान की उस भूमि के लिए बोर्ड के पट्टेधारी बनने के लिए सहमत हो जायें जिसका खेतों बाड़ी के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के करारों से बोर्ड को भूमि का स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो जाता है। कब्जाधारियों को बोर्ड के टैनेंट स्वीकार करते समय कुछ भूमि कब्रों के लिए सुरक्षित रखने के लिए ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार 1985 के दौरान 1210 कब्रिस्तान-भूमियों में से बोर्ड ने 366 कब्रिस्तान भूमियों के संबंध में बोर्ड ने स्पष्ट अधिकार प्राप्त करके पट्टा विलेख जारी किए हैं जिले वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	जिले का नाम	संख्या
	पंजाब	
1.	अमृतसर	54
2.	गुरदासपुर	48
3.	जालन्धर	31
4.	कपूरथला	6
6.	होशियारपुर	26
6.	लुधियाना	15
7.	फरीदकोट	7
8.	संगरूर	6
9.	भटिंडा	4
10.	पटियाला	13
11.	फिरोजपुर	12
12.	रोपड़	4
	जोड़	226

क्रम सं.	जिले का नाम	संख्या
	हरियाणा	
1.	अम्बाला	16
2.	कुरुक्षेत्र	20
3.	करनाल	28
4.	सोनीपत	4
5.	रोहतक	4
6.	गुड़गांव	28
7.	फरीदाबाद	2
8.	सिरसा	8
9,	हिसार	7
10·	मोहिन्द्रगढ़	4
11.	भिवानी /	4
12.	जिन्द	15
	जोड़	140
	कुल जोड़	226†140=366

(ङ) अवैध कब्जों से मुक्त कराये गये कब्रिस्तानों और मस्जिदों को हिसाब में लेते हुए 31.12.85 के पश्चात पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई सूचना पर आधारित ऐसी मस्जिदों और कब्रिस्तानों की संख्या, जिन पर अभी भी अवैध कब्जा बरकरार है, नीचे दी गई है :—

मस्जिदें :—9516, कब्रिस्तान :— 844,

और 844 कब्रिस्तानों का लगभग क्षेत्र. जिन पर अभी भी अवैध कब्जा है, 1,311 एकड़ (लगभग 10,491 कनाल) हैं।

प्रयोग में लाए गये "सिंगल स्ट्राईक कार्बन टेप" के माध्यम से गुप्त सूचनाओं का प्रकटन

5949. **श्री के. प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 मार्च, 1986 के इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में "यूजड टेप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी स्तर पर प्रयोग में लाए गए "सिंगल स्ट्राइक" टेप के जरिए गुप्त सूचनाओं के प्रकटन से होने वाले खतरे को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य करने का है कि वे "सिंगल स्ट्राइक कार्बन फिल्म" के डिब्बे पर यह चेतावनी मुद्रित करें कि प्रयोग किए गए टेप को नष्ट कर दिया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अन्तरिक्ष सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इलैक्ट्रोनिक टाइप राइटरों के प्रयोग के बारे में निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये हैं, ताकि सूचना की चोरी/प्रकटन को समाप्त किया जा सके। इनमें उपयोग के दौरान समुचित परिरक्षा और उपयोग के बाद उनको अन्तिम रूप से नष्ट करना शामिल है।

बालिका उच्चतम विद्यालय के नवीकरण के लिए पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा मंजूर की गई राशि

5950. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब वक्फ बोर्ड ने मलेरकोटला में एक बालिका उच्च विद्यालय के नवीकरण के लिए लगभग 18 लाख रुपए की राशि मंजूरी की थी;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी राशि मंजूर की गई थी और विद्यालय के प्राधिकारियों को किस तारीख को भुगतान किया गया था तथा भुगतान की शर्तें क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि बोर्ड नवीकरण कार्य से संतुष्ट नहीं है; और

(घ) क्या बोर्ड ने प्रबन्ध मंडल से राशि वसूल करने के लिए कदम उठाये हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सही है कि वर्ष 1978 में गठित हुए पुराने पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद खान, और पुराने बोर्ड द्वारा गठित निर्माण समिति इस्लामिया स्कूल भवन, मलेरकोटला की भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती साजिस बेगम को 16.49 लाख रुपये की राशि दी गई थी। यह धनराशि मलेरकोटला में वक्फ भूमि पर नये इस्लामिया हाई स्कूल भवन निर्माण के लिए दी गई थी न कि बालिका उच्च विद्यालय के नवीकरण के लिए।

(ख) पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भुगतान की सही राशि तथा तारीख निम्न प्रकार है :—

(i) **हाजी अनवर अहमद खान, भूतपूर्व अध्यक्ष पंजाब वक्फ बोर्ड को दी गई राशि**

क्रम संख्या	धनराशि	भुगतान की तारीख (चैक द्वारा)
1.	1,41,680.00 रुपए	22.8.79
2.	7,03,219.05 रुपए	28.9.79
3.	1,38,920.28 रुपए	27.12.79
कुल	9,83,819.33 रुपए	

(ii) श्रीमती साजिदा बेगम को दी गई राशि

क्रम संख्या	धनराशि	भुगतान की तारीख (चैक द्वारा)	
1.	4,38,012.02 रुपए	16.12.80	सावधि जमा रसीदों को मियाद पूर्व भुनाकर इन राशियों का भुगतान किया गया।
2.	1,18,230.95 रुपए	16.12.80	
3.	1,09,296.00 रुपए	16.12.80	
	कुल 6,65,538.97 रुपए		

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

बिहार से समुद्र से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों से हज यात्रा के लिए प्राप्त आवेदन

5951. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को वर्ष 1984-85 और 1986 के दौरान समुद्र से हज की यात्रा करने के लिए कुल कितने स्थान आवंटित किये गये हैं;

(ख) क्या राज्य हज समिति ने समुद्र से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का चयन करने के लिए कोई नियम बनाये हैं;

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान समुद्र से तीर्थ यात्रा करने लिए राज्य हज समिति को कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं;

(घ) इन तीन वर्षों के दौरान समुद्र से यात्रा करने वाले कितने तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है;

(ङ) क्या विहार राज्य हज समिति ने प्रत्येक आवेदन पत्र पर कोई शुल्क लगाया है ; और

(च) क्या इस शुल्क का कोई सांविधिक आधार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) बिहार को 1984, 1985 तथा 1986 में समुद्र द्वारा हज की जो सीटें आवंटित की गई थी उनकी संख्या क्रमशः 555,553 तथा 546 थी।

(ख) हज समिति, बम्बई ने समुद्री मार्ग से जाने वाले तीर्थयात्रियों के चयन के मामले में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि 80% सीटें उन तीर्थयात्रियों को आवंटित की जाएंगी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तथा जिनका चयन पिछले वर्षों में नहीं हुआ है। इन आवेदकों से यह अपेक्षित होता है कि वे चालू वर्ष के हज

पत्र के अपने आवेदनपत्रों के साथ रद्द किया गया आवेदन पत्र फार्म संलग्न करें। समुद्री मार्ग से यात्राके लिए शेष 20% सीटें नये आवेदकों के लिए आवंटित की जाती हैं। यदि इन श्रेणियों में आवेदनपत्रों की संख्या उस श्रेणी के लिए आवंटित सीटों की संख्या अधिक होती है तो कुर्रा निकाला जाता है। जहां तक हमें मालूम है सभी राज्य हज समितियों से इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और इनका अनुपालन करती भी रही हैं।

(ग) हमारे पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, बिहार राज्य हज समिति को 1984,1985 तथा 1986 में समुद्र से तीर्थयात्रा करने के लिए क्रमशः 1482,23 7 तथा 1715 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) बिहार से 1984 तथा 1985 में क्रमश 564 तथा 550 समुद्र से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का चयन किया गया था। बताया जाता है कि 1986 में 546 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है।

(ङ) और (च) यह बताया गया है कि बिहार राज्य हज समिति ने प्रति आवेदनपत्र पर 50.00 रु. का सेवा प्रभार लगाया है। इस प्रकार के शुल्क का कोई सांविधिक आधार नहीं है। बिहार राज्य हज समिति को सलाह दी गई है कि वह इस प्रकार के प्रभारों को लगाना बन्द कर दें।

छः राष्ट्रीय शान्ति प्रवर्तक देशों की शिखर बैठक

5952. **श्री के. प्रधानी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः राष्ट्रीय शांति प्रवर्तक देशों का, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ से अपने संदेशों के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये एक और शिखर बैठक बुलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां पर; और

(ग) उसकी संभावित कार्य सूची क्या होगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन बातों पर विचार किया जा रहा है।

सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के आवश्यक और अभिन्न अंग के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

5953. **श्री के. प्रधानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सभी प्रमुख सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक और अभिन्न बनाने तथा इन क्षेत्रों को सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो भौतिक सुविधाओं और मानव संसाधन दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को समेकित और आधुनिकीकरण करने तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और कृषि तथा उद्योग मे उत्पादक गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पंजा) : (क) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह बताया गया है कि नीति में एक महत्वपूर्ण अवयव विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सभी प्रमुख सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रकों का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनाना, इन क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यों की पूर्ति करने के लिए अनिवार्य क्षमताओं का विकास करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट क्षेत्रों में अभियान शुरू करना होगा।

(ख) आधार संरचना को दृढ़ करने और आधुनिक बनाने और आवश्यक जनशक्ति और सुविधाओं का विकास करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं।

इनमें शामिल हैं :—

(1) संरचनात्मक परिवर्तन किये जा रहे हैं ताकि सभी मन्त्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की, योजना स्कीमों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संघटक, समुचित रूप से प्रतिविम्बित हो सके।

(2) उत्पादन में अनुसंधान और सेवा क्षेत्रकों, शैक्षिक संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, निर्णय करने के वाले निकायों और उपभोक्ताओं के बीच संयोजन स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन, वाणिज्य, इलेक्ट्रानिकी, आवास और शहरी विकास, ऊर्जा पेट्रोलियम और पैट्रो रसायन, संचार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन और वन्य जीवन, इस्पात इत्यादि के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संघटक पहले ही निर्धारित कर लिया गया है और कार्यान्वयन के लिए विशेष योजना स्कीमें तैयार की गई हैं।

(4) खान, कोयला, खाद्य, आवास आदि जैसे अनेक बड़े सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में मन्त्रालय को विशेष विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए अनुसंधान सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुविधाएं और वैज्ञानिक विभागों तथा अभिकरणों और समाजिक आर्थिक मन्त्रालयों के निकट सहयोग से प्रमुख समन्वित परियोजनाएं भी आरम्भ की गई हैं।

(6) प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान, प्रौद्योगिकी निर्धारण, आयात की गई प्रौद्योगिको का समावेशन और अनुकूलन, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का समर्थन और इसकी व्यवहार्यता प्रमाणित करने के लिए निरुपण, डिजाइन, इन्जीनियरिंग और परामर्शदात्री संगठनों का अधिक उपयोग और विकास में बहुत से तंत्र विकसित किए गए हैं।

(7) तिलहन, सभी गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराना, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, संचार सुविधाएं, निरक्षरता दूर करना इत्यादि के क्षेत्रों में सम्बन्धित मंत्रालयों

द्वारा समुचित वैज्ञानिक निवेशों के साथ प्रौद्योगिकी मिशन शुरु किए गए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी मिशन निर्धारित किए गए हैं।

(8) राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(9) कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीमें भी शुरु की गई हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

5954. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1986 को पुनर्वास निदेशालय और प्रत्येक राज्य सैनिक बोर्ड में रोजगार के लिए कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों ने अपना नाम पंजीकृत कराया हुआ था ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन इजेंसियों ने रोजगार के लिए कितने भूतपूर्व सैनिकों को प्रायोजित किया और उनमें से कितने भूतपूर्व सैनिकों को प्रति वर्ष रोजगार मिला है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को पर्याप्त रुप से पुन: रोजगार मिले और उनका पुनर्वास किया जाए और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभागों और सरकारी उपक्रमों द्वारा कार्यक्रम को पर्याप्त प्राथमिकता दी जा रही है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) राज्य/जिला सैनिक बोर्डों से भूतपूर्व सैनिकों के पंजीकरण नियोजन के आंकड़े हर छ: महीनों (जनवरी और जुलाई में) में पुनर्वास महानिदेशालय में संकलित किए जाते हैं। भूतपूर्व सैनिक को सामान्यत: एक से अधिक बार और तब तक प्रायोजित किया जाता रहता है जब तक कि वह नियुक्त नहीं हो जाता (या वह स्वयं इच्छुक नहीं है) इसलिए पुनर्वास महानिदेशालय इनके प्रायोजन के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखता है। फिर भी, 1983 से 1985 तक पुनर्वास महानिदेशालय और प्रत्येक राज्य/राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पंजीकरण/नियोजन के बारे में सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुन:रोजगार/पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने लिए भारत सरकार के विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निम्नलिखित उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है :—

(1) भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार के विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों को नियोजित करने के लिये आरक्षण व्यवस्था की नीति का पालन कर रही है और सभी राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की नीति को अपनाने का अनुरोध किया गया है।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सभी राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

(3) 1 अगस्त, 1985 से आरक्षित एवं अनारक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार केन्द्रों द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आरक्षित रिक्तियों के लिए यहीं कार्य राज्य/जिला सैनिक बोर्डों द्वारा भी किया जा रहा है।

(4) जहां तक संभव है, सेना के अनेक ट्रेडों को सिविल शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हताओं के समकक्ष मानने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। उन पदों का पता लगाने का काम भी प्रगति में है जिन पर भूतपूर्व सैनिकों को लगाया जा सकता है।

(5) परा-सैन्य संगठनों एवं रक्षा सुरक्षा कोरों में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति बढ़ाने की संभावनाओं की जांच की जा रही है।

(6) भूतपूर्व सैनिकों को सर्वेतनिक पदों पर प्रभावी रुप से प्रतियोगी उम्मीदवार बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उनके लिये सम्बन्धित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

(7) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जहां न्यायसंगत हो शांति कायम करने वाली विशेष सेनाओं का गठन करें और ऐसी सेनाओं में काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करें।

विवरण

1983 से 1985 तक प्रत्येक राज्य सैनिक बोर्ड एवं पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पंजीकरण और नियोजन के आंकड़े

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1983		1984		1985	
		पंजीकरण	नियोजन	पंजीकरण	नियोजन	पंजीकरण	नियोजन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1400	284	1500	507	2000	946
2.	असम	1070	47	632	72	946	95
3.	बिहार	6702	1582	2005	2649	1968	862
4.	गुजरात	704	168	667	205	771	219
5.	हरियाणा	11540	1588	6920	1344	6000	1151
6.	हिमाचल प्रदेश	12562	493	6000	269	2505	591
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3899	342	1745	591	1200	585
8.	कर्नाटक	2223	958	1653	1251	1810	1286
9.	केरल	20189	905	8333	555	4671	188
10.	मध्य प्रदेश	1970	343	2200	754	1800	836
11.	महाराष्ट्र	11122	3119	7584	4893	7500	3500*
12.	मणिपुर	—	89	—	2	—	9

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मेघालय	118	31	50	—	563	20
14.	नागालैंड	118	—	100	—	50	—
15.	उड़ीसा	702	164	668	148	639	304
16.	पंजाब	10040	675	7932	1108	9700	505
17.	राजस्थान	1939	244	5976	1818	5919	2007
18.	सिक्किम	90	17	40	290	45	13
19.	तमिलनाडु	11333	1314	5007	808	15729	790
20.	त्रिपुरा	8052	35	70	27	98	34
21.	उत्तर प्रदेश	19885	5984	10340	6675	13068	3949
22.	पश्चिम बंगाल	5149	272	4760	604	4325	555
23.	अरुणाचल प्रदेश	12	—	8	5	10	6*
24.	अण्डमान और निकोबार	—	—	18	12	24	1
25.	चण्डीगढ़	1148	372	727	822	500	200*
26.	दिल्ली	3006	285	2000	722	2500	294
27.	गोवा दमण एवं द्वीव	101	49	190	28	61	4
28.	पाण्डिचेरी	243	9	74	31	73	—
29.	मिजोरम	236	35	152	29	104	13
30.	पुनर्वास महानिदेशालय (अफसर)	545@	1092@@	419@	793@@	454@	107@@
31.	अन्य	—	9131@@	—	9220@@	—	5893@@

*अनन्तिम

@पुनर्वास महानिदेशालय स्वयं केवल सेना के भूतपूर्व असफरों को पंजीकृत करता है।

@@पुनर्वास महानिदेशालय अफसरों के अतिरिक्त जे. सी. ओ. और अन्य रैंकों का भी नियोजना करता है। पुनर्वास महानिदेशालय के अहातों में आयोजित पाक्षिक बैठकों के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा जे. सी. ओ. एवं अन्य रैंकों को पुन: रोजगार दिया जा रहा था और इन कार्मिकों को पुनर्वास महानिदेशालय में पंजीकृत नहीं किया गया था। अक्तूबर, 1985 से राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों के पुनर्गठन के पश्चात ये पाक्षिक बैठकें राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली के पास आयोजित की जाती हैं। इसलिए जे. सी. ओ. एवं अन्य रैंकों का ऊपर बताया गया नियोजन केवल सितम्बर 1985 तक का है लेकिन अफसरों का नियोजन केवल पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा ही किया जाता रहेगा।

@@@इसमें रोजगार केन्द्रों, रक्षा सुरक्षा कोरों एवं परा-सैन्य बलों आदि द्वारा किया गया नियोजन शामिल है।

पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक पर आधारित उद्योग

5955. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों, जिनका जलवायु धूल रहित है, में इलेक्ट्रानिक पर आधारित उद्योग स्वीकृत करने में कोई प्रगति हुई है और क्या शेष वर्षों के लिए इस संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पर्वतीय स्थानों/क्षेत्रों में विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रानिक उद्योगों/एककों की स्थापना करने के लिए अनेक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं। वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न राज्यों के पर्वतीय स्थानों/क्षेत्रों में जारी किए गए लाइसेंसों/आशय-पत्रों/पंजीकरण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

राज्य		औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	पंजीकरण
1.	हिमाचल प्रदेश	3	15	15
2.	जम्मू तथा कश्मीर	2	9	10
3.	उत्तर प्रदेश	6	10	8
4.	असम	—	2	—
5.	मेघालय	—	1	—
6.	पश्चिम बंगाल	—	1	—
	कुल	11	38	29

श्रेणी 'क' में शामिल किए गए पर्वतीय जिलों में और अधिक इलेक्ट्रानिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, केन्द्रीय पूंजी निवेश के रूप में आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। श्रेणी 'क' के अन्तर्गत आने वाले 'विशिष्ट क्षेत्रों के जिलों' में स्थापित इलेक्ट्रानिक उद्योगों के मामले में उक्त आर्थिक सहायता 25 प्रतिशत है।

आदिवासी विकास कार्य पर खर्च न की गई राशि

5956. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1982 से प्रतिवर्ष आदिवासी विकास के लिये आवंटित की गई धनराशि अन्य मदों पर खर्च की है अथवा उसे लौटा दिया है और इस धनराशि को किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है; और

(ख) आदिवासी विकास के लिए निर्धारित केन्द्रीय धनराशि को दूसरे मदों पर खर्च करने वाले राज्यों को क्या दण्ड दिया जायेगा ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जनजाति विकास के लिये धन राज्य योजनाओं से आवंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में धन दिया जाता है। राज्य को दी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता अपवर्तनीय नहीं है। जनजाति उप-योजना राशि के लिए राज्यों ने अलग बजट शीर्ष बनाए हैं ताकि उनका अपवर्तन रोका जा सके। विशेष केन्द्रीय सहायता की बची शेष राशि को योजना के अगले वर्ष में ले जाया जा सकता है लेकिन इसे योजना की अवधि के बाद ले जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी राज्य ने जाति विकास के लिए आवंटित धन का अपवर्तन सूचित नहीं किया है। आवंटित धन का प्रयोग विकास योजनाओं के लिए किया जाता है जिनमें कृषि, पशुपालन, बागवानी, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वन, मत्स्यपालन, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य पेय जल आपूर्ति इत्यादि सम्मिलित हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में वनों को काटकर नष्ट करना

5957. **पो. मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशक के दौरान महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नगिरि जिलों के वनों में ईंधन की लकड़ी और कोयला बनाने के लिये लकड़ी जलाने हेतु पेड़ों को अन्धाधुन्ध काटा गया है;

(ख) यदि हां, तो वृक्षविहीन पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर भू-कटाव होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे पहाड़ियां धसकने लगीं हैं और उस क्षेत्र के निवासियों को इससे नुकसान पहुंच रहा है; और

(घ) यदि हां, तो वनों के कटाव को रोकने और उसके प्रभावों से बचने के लिये केन्द्र द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं और क्या सहायता दी गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले दशक में सिन्धुदुर्ग और रत्नगिरि जिलों के सरकारी वनों में बड़े पैमाने पर वृक्ष नहीं काटे गये हैं। लेकिन निजी स्वामित्व वाली भूमियों में बड़े पैमाने पर वृक्ष काटे गये हैं।

(ख) जहां कहीं बड़े पैमाने पर वृक्ष काटे गये हैं, वहां भू-कटाव होता है।

(ग) 1983 के मानसून के दौरान भू-स्खलन घटित हुआ था।

(घ) राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों को उन पहाड़ियों एवं पर्वतों, नदी घाटियों के आवाह-क्षेत्रों, भू-सपर्ण, भू-कटाव, तथा भौगोलिक रूप से अस्थिर संरचनाओं के प्रथम क्षेत्रों में से नाजुक क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिए कहा गया है जिन्हें वनों की कटाई से सुरक्षा की आवश्यकता है तथा तेजी से वनरोहण की तत्काल आवश्यकता है, तथा ऐसे नाजुक क्षेत्रों की समग्र रूप से सुरक्षा के लिए कम से कम सम्भव में उन पर वृक्षरोपण करना होता है। योजना आयोग ने पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है जिसमें मृदा संरक्षण तथा वृक्षारोपण प्रमुख घटक है।

सी-डाट प्रौद्योगिकी

5958. **डा. बी. एल. शैलेश** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सी-डाट प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए आवेदन करने वाली कम्पनियों से प्रौद्योगिकी शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो भावी क्रेताओं ने "सी-डाट" के पास कितना प्रौद्योगिकी शुल्क जमा किया है अथवा जमा किया जायगा ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां । सी-डॉट प्रौद्योगिकी के आवेदनकर्ताओं को 7 लाख रुपये का प्रौद्योगिकी शुल्क का 20% भाग पहली किश्त के रूप में जमा कराने के लिए कहा गया है ।

(ख) 30 मार्च, 1986 तक 38 विनिर्माताओं ने पहली किश्त का भुगतान कर दिया है । 2 और विनिर्माता भी शीघ्र ही भुगतान करने वाले हैं । पहली किश्त के रूप में 40 विनिर्माता से कुल 56 लाख रुपये प्राप्त होने की संभावना है ।

समाज कल्याण योजनाओं के लिए महाराष्ट्र को आवंटित धनराशि

5959. **श्री आर. एम. भोये** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान समाज कल्याण कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दिये गये सहायता अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक **विवरण** संलग्न है ।

विवरण

"कल्याण मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यों-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण"

1. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति** : 1984-85 और 1985-86 के दौरान इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार को क्रमशः 457.17 लाख रुपए और 100 लाख रुपए दिए गए थे ।
2. **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियस, 1955 का कार्यान्वयन** : इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को 1984-85 और 1985-86 के दौरान क्रमशः 10.34 लाख रुपए और 41.70 लाख रुपए दिए गए थे ।
3. **जिला पुनर्वास योजना** : इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के थाने जिले में जिला पुनर्वास केन्द्र के कार्यकलापों को जारी रखने के लिए 1984-85 में 3.00 लाख रुपए और 1985-86 में 15.80 लाख रुपए दिए गए थे ।
4. **विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण देने की योजना** : महाराष्ट्र सरकार से 1984-85 में 6 प्रस्ताव और 1985-86 में 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । 1984-85

और 1985-86 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को क्रमश: 5.00 लाख रुपए और 7.00 लाख रुपए आबंटित किए गए थे।

5. **विकलांगों को छात्रवृत्तियां** : इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को 1984-85 के लिए 20.00 लाख रुपए और 1985-86 के लिए 27.00 लाख रुपए आबंटित किए गए थे।

उग्रवादियों की सहायता करने के लिए बम्बई से धनराशि एकत्र करना

5910. **श्री आर. एम. भोये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में की गई उच्चस्तरीय जांच से यह पता चला है कि बम्बई से एकत्र किये गये लाखों रुपए उग्रवादियों की सहायता करने के लिए पंजाब भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू): (क) तथा (ख) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। पंजाब में उग्रवादियों की सहायता करने के लिये बम्बई से धन एकत्र करने का मामला अभी तक ध्यान में नहीं आया है।

लड़कियों के अपहरण के मामले

5961. **श्री सी. माधव रेड्डी** :

डा. डी. एन. रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़कियों के अपहरण के मामलों में वृद्धि हो रही है और उसके गत तीन वर्षों के वर्ष-वार और राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) कितने चालान दर्ज किये गये हैं और उनके परिणामस्वरूप कितने लोगों को दोषी सिद्ध किया गया है; और

(ग) न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या कितनी है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) से (ग) प्रश्न की विषय वस्तु मुख्यत: राज्य सरकारों से संबंधित है।

अधिकारियों के घरों पर छापे

5962. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दृष्टि से गत दो महीनों के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों के घरों पर छापे मारे गये; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) : जनवरी, 1986 तथा फरवरी, 1986 के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां रखने, धोखाधड़ी, जालसाजी तथा आपराधिक

कदाचार आदि जैसे विभिन्न आरोपों के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए 32 मामलों की जांच के सिलसिले में ब्यूरो ने 42 सरकारी कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय परिसरों की 62 तलासियां ली थीं। इन 32 मामलों में से दो मामलों में जांच को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा आरोप पत्र न्यायालय में दायर कर दिए गए हैं। बाकी मामलों में जांच चल रही है।

तट रक्षकों द्वारा भारतीय मत्स्य नौकाओं पर गोलाबारी

5963. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरवरी, 1986 में पूर्वी तट पर भारतीय मत्स्य नौकाओं पर तट रक्षकों द्वारा गोलियां चलाए जाने के बारे में सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई है;

(ग) घटना का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि तट रक्षक हमारी मत्स्य नौकाओं को परेशान न करें ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां। 15.2.1986 को लगभग 2200 बजे पारादीप से दूर "यमुना सी. फूड (प्रा.) लिमिटेड" की एक भारतीय मत्स्य नौका (यू.एस.एफ.-101) पर तट रक्षक जहाज "रमादेवी" द्वारा गोलाबारी करने की एक घटना हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) तट रक्षक जहाज "रमादेवी" को इस बात के आदेश थे कि वह मछली पकड़ने के अवैध धंधे में लगी हुई थाई नौकाओं को पकड़े। 15.2.1986 को जब इसने भारतीय मत्स्य नौका (यू.एस.एफ-101) को देखा तो उसके निरीक्षण के लिए उसे रोकने की कोशिश की। बी.एच.एफ. (चेनल-16) हर संचार संबंध स्थापित न कर पाने पर रमादेवी ने मत्स्य नौका को रोकने के लिए सर्च लाइटों और लाउड हेलरों की मदद ली। लेकिन मत्स्य नौका ने जवाब में अपनी गति बढ़ा दी और इसलिए उसका पीछा किया गया। संदिग्ध हालत में इस प्रकार भागने के कारण तट रक्षक जहाज "रमादेवी" के कमांडिंग अफसर ने मत्स्य नौका की कुछ दूरी पर कुछ "चेतावनी गोली" के रूप में गोलीबारी करने के आदेश दिए। ऐसा लगता है कि "चेतावनी गोली" से मत्स्य नौका पर बारूद के कुछ छर्रे लगे।

(घ) जांच बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर यह प्रस्ताव है कि :

(I) तट रक्षक जहाजों द्वारा बल प्रयोग और गोलाबारी करने, विशेषकर भारतीय पंजीकरण वाली मत्स्य नौकाओं के विरुद्ध ऐसे बल प्रयोग के संबंध में विद्यमान अनुदेशों को और व्यापक कर दिया जाए।

(II) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए तटरक्षक प्राधिकारियों एवं इन्डियन फिशरमैन एशोसिएशन के बीच आपसी हितों के पहलुओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाएं। 20.3.1986 को विशखापत्तनम में इसी प्रकार की एक बैठक पहले ही हो चुकी है।

अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

5964. **श्री शांताराम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु, ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता :

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए योजना का पुनर्गठन और क्रियान्वयन ढांचा

5965. **श्री के. प्रधान** :
श्रीमती किशोरी सिंह :
डा. बी. एस. शैलेश :
श्री शरद दिघे :
श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :
श्री बृजमोहन महन्ती :
श्री के. वी. शकरगौडा :
श्री कमला प्रसाद सिंह :
श्री सुभाष यादव :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री प्रकाश वी. पाटिल :
श्री बाला साहेब विखे पाटिल :
श्री के. राम मूर्ति :
श्री दिलीपसिंह भूरिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो के लिए जी. वी. के. राव समिति ने जिला योजना ढांचे में दूरगामी परिवर्तनों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो ब्लाक और जिला स्तरों पर गरीबी कम करने के उद्देश्य से आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, योजना के विशिष्ट पुनर्गठन और क्रियान्वयन तंत्र के बारे में समिति द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव/सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. क. पंजा) : (क) जी, हां। जी. वी. के. राव समिति ने देश में गरीबी दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए स्थापित जिला योजना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया है।

(ख) समिति की सिफारिशों के सारांश का एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों की प्रतिक्रिया जानने के लिए रिपोर्ट परिचालित की गई है।

विवरण

सिफारिशों का सारांश

1. समिति यह महसूस करती है कि ग्रामीण विकास की पूर्ण समीक्षा करने का समय आ गया है। इसे, क्षेत्र स्तर पर विभिन्न अभिकरणों द्वारा हाथ में लिए गए सभी आर्थिक सामाजिक-विकास कार्यकलापों को सम्मिलित करना है। गरीबी दूर करने से संबंधित कार्यक्रम को कुछ विशिष्ट स्कीमों तक ही सीमित रखना अब उपयुक्त नहीं है।

2. पिछले अनुभव से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अकेले सरकारी तंत्र (अफसरशाही) को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है।

3. यद्यपि, सातवीं योजना में गरीबी दूर करने के सम्बन्ध में जो उद्देश्य दिए गए हैं, उनका पालन आवश्यक है। तथापि, स्थानीय पहल को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों के लिए विस्तृत कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए। इसलिए, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में जनता और उसके प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक होगा।

4. पंचायती राज संस्थाओं को क्रियाशील बनाना होगा और इन्हें सभी आवश्यक सहायता देनी होगी ताकि वे, लोगों की समस्यायें सुलझाने के लिए प्रभावी संगठन बना सकें। इन निकायों के लिए चुनाव नियमित रूप से किए जाने चाहिएं।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वैच्छिक अभिकरणों को हर संभव तरीके से आदर्शवाद सहित, प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है।

6. नीति योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला मूल इकाई होना चाहिए। इसलिये, जिला परिषद जिला स्तर पर किये जा सकने वाले सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंध के लिये मुख्य निकाय होना चाहिये।

7. जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला परिषद के रहने तक की अवधि तक के लिये या महापौर के लिए पैटर्न पर एक वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है; जिला परिषद का कार्य अनेक उप-समितियों द्वारा जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनी गई हों ताकि सहभागी प्रजातंत्र का विकास किया जा सके और इसे प्रोत्साहित किया जा सके।

8. जिला स्तर और नीचे के स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और प्रबोधन के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना चाहिये।

9. प्रभावी विकेन्द्रित जिला योजना के लिए राज्य स्तर पर योजना के कुछ कार्यों को जिला स्तर पर अन्तरित करना होगा।

10. इस सम्बन्ध में, समिति जिला बजट की संकल्पना की शुरूआत करने की सिफारिश करती है। यह वांछनीय है कि जितनी जल्दी संभव हो सके इसे शुरु कर दिया जाए।

11. उचित रूप से तैयार की गई जिला योजना की संकल्पना को दोहराया जाता हैं। विकास की प्रक्रिया के लिए उचित योजना तैयार करना एक पूर्वापेक्षा है जिससे यह बात सुनिश्चित होगी कि गरीबों का उचित रूप से ध्यान रखा जा रहा है। सभी विकास विभागों को उन कार्यकलापों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, जिन्हें वे गरीबों को सहायता देने के लिए शुरु करेंगे।

12. जिला योजना में योजना तथा योजनेतर दोनों ही के लिए उपलब्ध सभी संशाधनों तथा संस्थागत संसाधनों को शामिल किया जाना चाहिए।

13. सहकारी समितियों सहित, बैंकिंग सस्थाओं के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्रामीण गरीबों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए, इस प्रकार की सुविधाओं में गरीबों की न्यायसंगत उपभोग ऋण आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

14. आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्वत: इस प्रकार तैयार की जानी चाहिये ताकि गरीबी को कम किया जा सके। भूमि सुधारों का कार्यान्वियन पुरजोर तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि यह बात सुनिश्चित हो सके कि जोतने वाले को ही भूमि मिले।

15. चूंकि, राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास में अनेक विभागों के कार्यकलाप शामिल हैं। इसलिये इस स्तर पर प्रभावी समन्वय और उचित निर्देश की तात्कालिक आवश्यकता है।

16. समिति यह सिफारिश करती है कि मुख्य सचिव के रैंक का बहुत वरिष्ठ अधिकारी जिसे विकास आयुक्त के रूप में पदनामित किया जाए। राज्य स्तर पर विकास प्रशासन का प्रभारी होना चाहिए।

17. ग्रामीण विकास, कृषि, पशु पालन, सहकारिता, उद्योग आदि जैसे बड़े ग्रामीण विकास विभाग सीधे इसके सीमा क्षेत्र में होने चाहिये। इन विभागों के सचिव, उसके अधीन सीधे कार्य करेंगे।

18. समिति का विचार है कि जिला स्तर पर विकास प्रशासन को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व वाले मुख्य कार्यकलाप के रूप में समझा जाए।

19. इसलिये, समिति सिफारिश करती है कि जिले में सभी विकासात्मक कार्यकलापों को समन्वित करने और उनकी देखभाल करने के लिये जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाए।

20. जिला विकास आयुक्त को, उन राज्यों में जहां पंचायती राज संस्थाओं पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन और योजना की जिम्मेवारी है, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी बनाना चाहिए।

21. उन राज्यों में जहां जिला परिषदें नहीं हैं, जिला विकास आयुक्त, जिला विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है।

22. जिला विकास आयुक्त का कार्यालय जिला समाहर्त्ता के कार्यालय से उच्च स्तर का होना चाहिये ताकि अनुरक्षण प्रशासन पर विकास प्रशासन की श्रेष्ठता स्थापित हो सके।

23. कमजोर योजना तंत्र, अभिकरणों की गुणता और प्रभावी समन्वय की कमी से युक्त विद्यमान जिला व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

24. जिला विकास आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन तंत्र की भी महत्वपूर्ण पुनः संरचना भी की जानी चाहिए।

25. विकास अभिकरणों का प्रचुरोद्भवन और कार्यों का विभागीकरण और विखंडन समाप्त किया जाना चाहिये।

26. जिला योजना दल, जिला ग्रामीण विकास दल और जिला वित्त और लेखा अधिकारी जो जिला बजट का भी प्रमुख होगा, जिला विकास कार्यालय के महत्वपूर्ण संघटक होंगे।

27. विभिन्न कार्यात्मक/कार्य लाइन विभागों के जिला स्तर के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित कार्य का संचालन करते रहेंगे, तथापि, उनके द्वारा कार्यान्वित स्कीमें और कार्यक्रम जिला विकास योजना के अभिन्न अंग होने चाहिए।

28. जिला ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन के लिये खंड स्तरीय व्यवस्था, प्रमुख परिचालन तंत्र होगा। इस उद्देश्य के लिये खंड तंत्र का सुधार करना आवश्यक है।

29. समिति सिफारिश करती है कि खंड विकास कार्यालय, सम्पूर्ण ग्रामीण विकास प्रक्रिया का अवलम्ब होगा। इस उद्देश्य के लिये, इस कार्यालय के स्तर को उन्नयन करना होगा। खंड/तहसील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सहायक विकास आयुक्त के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए। सहायक विकास आयुक्त उपमंडल अधिकारी के स्तर का अधिकारी होना चाहिए।

30. सहायक विकास आयुक्त गतिशील युवक होना चाहिए। अधिक अच्छा होगा कि वह 35 वर्ष की आयु से कम हो और किसी भी हालत में 40 से ऊपर न हो। उसकी पृष्ठभूमि, प्रशिक्षण प्रबंधकीय योग्यता और अभिप्रेरणा दल के नेता के रुप में कार्य करने के लिए उपयुक्त होना चाहिये। यह दल खंड में, सभी विकास कार्यों का प्रभारी होगा।

31. यह सुनिश्चित करने के लिए कि खंड, उन्हें सौंपे गये कार्य के लिये सक्षम इकाइयां बनें, इसके लिये यौक्तिकीकरण/पुनर्गठन की तात्कालिक आवश्यकता है।

32. जनसंख्या, क्षेत्र और भू-भाग के कुछ मापदण्डों के आधार पर, मैदानी इलाकों में खंड का औसत आकार। लाख जनसंख्या और पहाड़ी तथा कठिन भू-भाग और जनजातीय क्षेत्रों में 50 हजार जनसंख्या हो सकता है।

33. उपर्युक्त आधार पर लगभग 6 हजार सामुदायिक विकास खंड हो सकते हैं।

34. जिला स्तर पर और उससे नीचे के स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में यौक्तिकीकरण की भी तत्काल आवश्यकता है।

35. जिला और नीचे के स्तर पर स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर सौंपे गये कार्य पर विचार करते हुये राज्य सरकार को स्टाफ की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना होगा।

36. कुछ मामलों में स्टाफ की संख्या में ऐसा हो सकता है कि महत्वपूर्ण वृद्धि न हो, आवश्यक परिवर्तन/प्रशिक्षण के बाद स्टाफ की पुनः तैनाती के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।

37. जहां अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है, राज्य सरकारें केन्द्र को प्रस्ताव भेज सकती है।

38. योजना, व्यय, कृषि और ग्रामीण विकास विभागों के सचिवों की समिति कुछ मानकों के आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताओं की जांच करेगी और उनका अनुमोदन करेगी।

39. सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अतिरिक्त स्टाफ की लागत का दो तिहाई भाग केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा।

40. ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लगे हुए विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये एक पुनश्चर्या/पूर्वाभिमुखीकरण प्रशिक्षण चलाया जाए। इस प्रयोजन के लिये जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इस पर होने वाला पूरा खर्च केन्द्र द्वारा वहन किया जाए।

परती भूमि का विकास

5966. **डा. ए. के. पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कहा है कि (स्टेट्समैन, दिनांक 7 फरवरी, 1986) परती भूमि के विकास के लिए समन्वित प्रयास से पर्याप्त भोजन प्राप्त करने, पोषण का स्तर बनाए रखने, ईंधन और चारे की आवश्यकता पूरी करने और उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकता पूरी करने और प्रकृति के अनुरक्षण में सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985 में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत क्या परिणाम निकले हैं और वर्ष 1986 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ;

(ग) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि परती भूमि का कुछ भाग उद्योगों को उनकी वनों पर आधारित कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिये दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम की रुपरेखा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां,।

(ख) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद की 6 फरवरी, 1986 को हुई पहली बैठक में प्रतिपादित की गई नीति के सहयोगी प्रभाव होंगे जिससे भूमि की उत्पादकता,

खाद्य के उत्पादन को शामिल करके ईंधन चारा और औद्योगिक कच्चे माल की उत्पादकता बढ़ेगी प्रकृति के अनुरक्षण में सहायता मिलेगी। परती भूमि के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णयों को निर्धारित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

परती भूमि विकास के संदर्भ में खाद्य उत्पादन, पोषक स्तर इत्यादि के बारे में आंकड़े न तो एकत्रित किये गये हैं और न ही वर्ष 1986 के लिये परती भूमि पर खाद्य उत्पादन के लिए कोई, लक्ष्य इत्यादि निर्धारित किये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि परती भूमि को पट्टे पर देना राज्य सूचि का विषय है, अतः इस बारे में परिषद के निर्णय को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

विवरण

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 1986 को हुई राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद् की पहली बैठक में लिए गए निर्णय

परती भूमि विकास

1. परती भूमि का अभिनिर्धारण

1.1 राज्य सरकारों को वन क्षेत्रों, राजस्व सामूहिक भूमि और निम्नीकृत कृषि क्षेत्र में परती भूमि का अभिनिर्धारण करना चाहिये।

1.2 वर्ष 1986-87 और सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः इन परती भूमियों का कम से कम 5% से 20% वनरोपण, चरागाहों के विकास और वनों पर आधारित उद्योगों के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिये।

2. नोडीय अभिकरण

राज्य में (क) वनरोपण और परती भूमि विकास की विभिन्न स्कीमों को समन्वित करने और वित्त पोषण करने से सम्बंधित कार्यकलापों और (ख) विभिन्न स्कीमों के प्रबोधन और मूल्यांकन हेतु एक नोडीय अभिकरण/विन्यास का सृजन किया जाना चाहिये;

3. राज्य बीज निगम

राज्य बीज निगम के कार्यों में किसानों को वाणिज्यिक आधार पर चारा, घास और फलियों के बीजों का उत्पादन और पूर्ति भी शामिल किया जाना चाहिये।

4. प्रत्यक्ष बीजारोपण

4.1 उपयुक्त रूप से गुटकायित बीजों को जो कि उर्वरकों और हाइड्रोजलस् को धारण-क्षम हो उन्हें बुवाई के उचित निर्देशों सहित, बोने वालों को वितरित करना चाहिये।

4.2 दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों, कठिन पनढालों और तंग घाटियों में हवाई बीजारोपण पर भी अवश्य विचार किया जाना चाहिये।

5. **भूमि की पट्टेदारी**

वन और गैर-वन परती भूमि को ग्रामीण निर्धनों को पट्टे पर देने के लिये राज्यों की सरकारें स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें।

6. **शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां**

राज्य सरकारों को शहरी और नगरों के इर्द-गिर्द ईधन की लकड़ियों की हरित पट्टी और चारे के बागान उपलब्ध कराने हेतु एक संगठन का गठन करना चाहिए।

7. **निम्नीकृत वन क्षेत्र**

7.1 राज्य वन विभागों को निम्नीकृत झाड़ीदार वन भूमि का अभिनिर्धारण करना चाहिए जो चारे और फलियों के बीजों से भरा-पूरा विस्तीर्ण हो; ताकि स्थानीय लोगों द्वारा परिणामी चारे को उपयोग में लाया जा सके, इस बात को मद्दे नजर रखते हुए देश में प्रतिवर्ष अनुमानित 10 लाख हेक्टेयर झाड़ीदार वन को हरित आच्छादन में लाने का लक्ष्य है।

7.2 निम्नीकृत वन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के सहयोग से ईंधन की लकड़ी का रोपण किया जाना चाहिये। ताकि उन्हें इस्तेमाल के लिये लकड़ी उपलब्ध कराई जा सके।

8. **वन विकास निगम :—**

राज्य बन विकास निगमों को बन उत्पादों के संदोहन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। निम्नीकृत वन क्षेत्र और बाहरी परती भूमि दोनों पर ईंधन की लकड़ी और धारा रोपण के कार्य को सांस्थानिक वित्त की सहायता से वन विकास निगमों के द्वारा सक्रिय रूप से प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

9. **वनों पर आधारित उद्योग**

9.1 वनों पर आधारित उद्योगों को परती भूमि पर वनरोपण के लिये केवल इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये कि उससे उन्हें कच्चा माल प्राप्त होगा, परन्तु उन्हें पट्टे पर दी गई भूमि के कुछ भाग में स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए ईंधन को लकड़ी और चारा रोपण के उत्तरदायित्व का वचन भी लेना चाहिये।

9.2 जीवनक्षम आधार पर कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उद्योगों को छोटे किसानों के साथ समझौता भी करना चाहिए।

9.3 इस प्रकार के बागानों को आबादी से दूर परती भूमि पर लगाना चाहिये ताकि विद्यमान समुदाय के लोगों के प्रयोग में बाधा न पड़े।

10. **राज्य केन्द्र सरकारों के सरकारी विभाग/सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम**

10.1 प्रचुर क्षेत्र जो अनप्रयुक्त भूमि सरकारी विभागों/उपक्रमों के नियंत्रण में हैं उन्हें इन क्षेत्रों में पेड़ और चारा रोपण करना चाहिए।

10.2 सम्बन्धित विभागों के खर्चे पर रेल, सड़क और नहरों के किनारों पर वन रोपण का कार्य किया जाये। इस कार्य हेतु बजट में पर्याप्त आबंटन करना चाहिए।

11. **जनता का सम्मिलित होना ।**

11.1 **नर्सरियां** सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में जनता के नर्सरी लगाने और फार्म वानिकी लगाने में भाग लेने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। 1987-88 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कुल पौधों का 50 प्रतिशत कम से कम जनता की नर्सरियों जैसे किसानों, स्कूलों, महिलाओं और युवा समूहों द्वारा लगाया जाना चाहिए। फिर ऐसी नर्सरियों का भौगोलिक विकेन्द्रीकरण किया जाय ताकि 10 किलोमीटर के दायरे में एक नर्सरी उपलब्ध हो।

11.2 **बालपौधों का वितरण** : 10 से 20 पैसे की कम से कम दर से बाल पौधों के वितरण की एक समान नीति पर विचार किया जाना चाहिये। इस प्रकार धीरे-धीरे इस दर की वृद्धि इसके वास्तविक मूल्य की ओर होगी। यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि निःशुल्क वितरण बाल पौधों की बिक्री के लिये निःशुल्क बाजार संचालन के आविर्भाव का प्रति-उत्पादक है।

11.3 **कृषि वानिकी** : किसानों को अपने खेतों के मेड़ों अथवा खेतों में बाल पौधों को रोकने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

11.4 **वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियां**

वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियां, जो निवेश एवं तकनीकी दिशानिर्देश देते हैं तथा फसल की कटाई और विपणन की भी व्यवस्था करते हैं, को प्रोत्साहन देना चाहिए।

11.5 **वृक्ष पट्टे पर देना** : राज्य को वृक्ष पट्टे पर देने की योजना उन स्थानों पर प्रतिपादित करना चाहिये जहां कहीं ऐसी योजना पहले से ही लागू नहीं हो। वर्ष के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिये तथा इसे प्राप्त किया जाना चाहिये।

11.6 **भूमि पट्टियों पर पौध रोपण** : राज्य सरकार को सड़कों के किनारे और नहर के किनारे पर पौधरोपण के लिये दिये गये भूमि की पट्टियों को पट्टे पर देने के लिए वृक्ष पट्टे पर देने की योजना लागू करने पर विचार करना चाहिए

11.7 राज्य सरकार को वृक्ष पट्टे पर देने की योजना की प्रक्रिया को सरलीकरण करना चाहिये।

12. **माध्यम एवं संचार** : वनरोपण एवं परती भूमि के विकास के लिये जनता को सम्मिलित करने के लिए एक व्यापक आन्दोलन आरम्भ करना चाहिये। किस प्रकार नर्सरियां बढ़ायी जायें, प्रजातियों का चयन, भूमि पट्टे पर प्राप्त की जायें, बैंक से धन प्राप्त किया जाये इत्यादि पर पम्फलेट एवं पोस्टर पंचायतों और क्षेत्र विकास अधिकारियों के माध्यम से जारी किया जाना चाहिये तथा वितरित किया जाना चाहिये। सभी उपलब्ध एवं संभव माध्यमों का प्रयोग इसे एक जन-आन्दोलन बनाने की आवश्यकता के लिए है।

13. **आकाशवाणी एवं दूरदर्शन** : नियमित तौर पर प्रसारण करने के लिये आकाशवाणी

एवं दूरदर्शन की उपयुक्त कार्यक्रमों का विकास करना चाहिये तथा संदेशों के प्रचार के लिये जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

14. **स्कूलों में पाठ्यक्रम** : विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भूमि संसाधनों, इसके निम्नीकरण के कारणों, परती भूमि विकास और वनरोपण के बेहतर ज्ञान को सम्मिलित करना चाहिये ।

15. **प्रबोधन एवं मूल्यांकन** : आंकड़ा-आधार जिस पर नीति निरुपण तथा प्रबोधन और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा सकता है, को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।

16. **दूरस्थ संवेदन प्रयोग केन्द्र** : संसाधनों जैसे भूमि, जल, खनिज, वृक्षों आदि पर आंकड़े प्रदान करने के लिये राज्यों में जहां पहले से ही विद्यमान नहीं है, दूरस्थ संवेदन प्रयोग केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये ।

17. **निधियां** : वानिकी कार्यक्रम के लिये संस्थागत वित्त के रास्तों सहित सभी संभव उपायों को लाभ उठाना चाहिये ।

18. **कानून** : वृक्षों को लगाने तथा काटने, भूमि पट्टे पर देने भोगाधिकार अधिकार आदि से संबंधित सभी अधिनियमों को संशोधन के संदर्भ में परीक्षण किया जाना चाहिये ताकि गरीब ग्रामीणों को वनरोपण के लिये प्रेरित कर सके ।

19. **सरकारी विभागों की भूमिका** :

19.1 नीतियों को सूत्रबद्ध तथा लागू किये जाने की आवश्यकता है ताकि जो निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी ठहराये जाते हैं और जो परती भूमियों को बढ़ाने में योगदान देते है, को निम्नीकृत भूमियों पर पुनः वनरोपण के लिये जिम्मेदार ठहराये गये हैं ।

19.2 सिंचाई परियोजनाओं, खनन, जल-विद्युत परियोजनाओं आदि पर तभी विचार किया जाना चाहिये यदि वे समुचित सुरक्षोपाय लगाते हैं ताकि नई परती भूमियों का सृजन न हो । जहां कहीं यह संभव नहीं हो, ऐसी परियोजनाओं द्वारा परती भूमियों पर प्रतिपूरक वनरोपण करना चाहिये ।

ईंधन की लकड़ी तथा चारे की कमी

5967. **श्री मोहन भाई पटेल :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईंधन की लकड़ी तथा चारे की कमी वर्षानुवर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सन् 2000 तक ईंधन की लकड़ी को कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या ईंधन की लकड़ी पर निर्भर है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ईंधन की लकड़ी तथा चारे के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सन् 2000 तक 190 मिलियन घनमीटर ईंधन की लकड़ी की कमी का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) ईंधन की लकड़ी की मांग की पूर्ति के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) सरकार ने प्रतिवर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ईंधन की लकड़ी एवं चारे के लिए पौधरोपण के अन्तर्गत लाने तथा इसलिए जन आंदोलन के विकास के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की है ।

(ii) बायोगैसे संयंत्रों तथा सोर कूकरों को ईंधन की लकड़ी पर आधारित चूल्हों के विकल्प के रूप में प्रोत्साहन देना ।

(iii) ईंधन सक्षम चूल्हों का प्रारम्भ करना ।

(iv) ईंधन सक्षम शवदाहगृहों का विकास एवं प्रोत्साहन देना ।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के लिए पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में 85 करोड़ रुपए का परिव्यय व्यवस्थित किया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्यतः ईंधन की लकड़ी तथा चारे के उत्पादन हेतु अभिप्रेत कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के पास 122 करोड़ रुपए का परिव्यय है । इसी प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 4231.25 करोड़ रुपए का परिव्यय दिया गया है जिसमें से सामाजिक वानिकी, ईंधन की लकड़ी चारा तथा छोटी इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए 25 प्रतिशत राशि अलग की गई है । सातवीं योजना में, वन-चरागाह फार्मों की स्थापना के लिए एक नई स्कीम के अधीन चारा उत्पादन के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 13 करोड़ रुपए का एक प्रावधान भी किया गया है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने भी सामाजिक वानिकी के लिए राज्य बजटों में प्रावधान किए हैं ।

मणिपुर में इलेक्ट्रानिक एकक

5968. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मणिपुर में इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित करने का है ;

(ख) क्या औद्योगिक लाइसेंसों के लिए मणिपुर से प्राप्त आवेदन पत्र इलेक्ट्रानिक विभाग में लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा तैयार की गई सातवीं पंचवर्षीय योजना में मणिपुर में इलेक्ट्रानिकी की इकाइयां स्थापित करने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है । किन्तु इलेक्ट्रानिकी के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, इलेक्ट्रानिकी विभाग मणिपुर में एक "इलेक्ट्रानिकी डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्र" स्थापित करने जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विस्तार और विकास के लिए विशेष योजना

5969. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ने देश के पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विस्तार और विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत देश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुल कितने इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित किए गए है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक तैयार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों की इलेक्ट्रानिक जोन घोषित करने का है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ङ) सरकार किसी भी अनुमति देने योग्य क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं। श्रेणी "क" में शामिल किए गए पर्वतीय जिलों में और अधिक इलेक्ट्रानिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय पूंजीनिवेश के रूप में आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को श्रेणी "क" के अन्तर्गत आने वाले विशिष्ट क्षेत्र के जिलों में स्थापित इलेक्ट्रानिक उद्योगों के मामले में 25 प्रतिशत की दर से 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. कर दिया जाएगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रानिक उद्योगों/एककों की स्थापना के लिए अनेक औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किए गए हैं। वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में जारी किए गए लाइसेंस/आशय पत्रों/ पंजीकरणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	पंजीकरण
1	2	3	4
1. हिमाचल प्रदेश	3	15	11
2. जम्मू तथा कश्मीर	2	9	10

1	2	3	4
3. उत्तर प्रदेश	6	10	8
4. असम	—	2	—
5. मेघालय	—	1	—
6. पश्चिम बंगाल	—	1	—
कुल	11	38	29

लखनऊ छावनी में "ओल्ड ग्रांट टर्म" बंगले

5970. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ छावनी क्षेत्र में "ओल्ड ग्रांट टर्म" के अन्तर्गत कितने बंगले हैं ;

(ख) ओल्ड ग्रांट टर्म के उक्त बगलों के अहातों में कुल कितनी भूमि खाली पड़ी है ; और

(ग) क्या सरकार का ओल्ड ग्रांट टर्म बंगलों की खाली भूमि में और निर्माण करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) लखनऊ छावनी में ओल्ड ग्रांट टर्म के अन्तर्गत 60 बंगले हैं।

(ख) इन बंगलों के अहातों में 146.69 एकड़ भूमि खाली पड़ी है।

(ग) जी, नहीं।

लखनऊ छावनी के बंगलों में नवैध निर्माण

5971. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लखनऊ छावनी "ओल्ड ग्रांट टर्म" के अन्तर्गत बंगलों के लिये खाली भूमि पर अनेक अवैध निर्माण हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विभिन्न छावनियों में ऐसे कितने मामले हुए हैं; और

(ग) सरकार ने "ओल्ड ग्रांट टर्म" बंगलों की खाली भूमि पर अवैध निर्माण के मामलों में क्या कार्यवाही की थी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जायेगी।

सामान्य प्रयोजन "कैथोड" किरणें विकसित करना

5972. **श्रीमती गीता मुकर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला गत 17 वर्षों से सामान्य प्रयोजन "कैथोड" किरणें विकसित करने की एक महत्वपूर्ण परियोजना रोके हुए हैं क्योंकि इस विकास करने वाले व्यक्ति के बारे में विवाद है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागालैंड में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध

5973. **श्री पी. एम. सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये नागालैंड सरकार अतिरिक्त अर्ध सैनिक बलों का अनुरोध करता रहा। तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी जब आवश्यक होता है सहायता प्रदान की गई है।

हरियाणा में परमाणु ऊर्जा केन्द्र

5974. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) उत्तरी विद्युत क्षेत्र जिसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है, के बारे में स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

राजधानी में बच्चों का अपहरण

5975. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बच्चों के अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले हुये हैं; और

(ग) अपहरण के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

1983	507
1984	729
1985	684

(ग) इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) इस संबंध में आसूचना एकत्र की जाती है।

(ii) इस प्रकार की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने वाले तत्वों पर निगरानी रखी जाती है।

(iii) बच्चों को अवैध प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने के उद्देश्य से उनका अपहरण या व्यपहरण करने के कार्य में अन्तर्ग्रस्त गिरोह/एजेंटों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किये गये हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के लिए शारीरिक मानदण्ड

5976. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश के लिए शारीरिक मानदण्ड और परीक्षण का स्तर सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल और सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के स्तर की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) स्तर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) और (ख) भारतीय पुलिस सेवा, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल, और सीमा सुरक्षा बल में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों की लम्बाई, छाती (फुलाकर और बगैर फुलाए) दृष्टि तथा रक्तचाप से संबंधित मानदण्ड लगभग समान हैं। ये सेना के मानदण्डों के सदृश ही हैं।

मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर और बोधघाट परियोजना

5977. **श्री कमल नाथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर और बोधघाट सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में कुछ अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) परियोजना प्राधिकारियों ने पर्यावरणीय के अतिरिक्त वानिकी पहलुओं से विचार के लिए नर्मदा सागर परियोजना के ब्यौरे आंशिक रूप से प्रस्तुत किए हैं। परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतिक्षा की जा रही है। तत्पश्चात् परियोजना का मूल्यांकन किया जायेगा। बोधघाट परियोजना के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के दिक्परिवर्तन के निवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

मंत्रियों द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग

5979. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के अतिरिक्त कितने केन्द्रीय मंत्रियों ने 1 जनवरी, 1986 से अब तक भारतीय वायु सेना के विशेष विमानों का प्रयोग किया;

(ख) इन विमानों को किराये पर लेने के लिए रक्षा मंत्री को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) केन्द्रीय मंत्रियों को सरकारी यात्रा के लिए भारतीय वायु सेना के विशेष विमानों के प्रयोग हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त ग्यारह केन्द्रीय मत्रियों ने अठारह अवसरों पर भारतीय वायु सेना के विमानों और हेलीकाप्टरों का प्रयोग किया। एक बिल की वसूली कर ली गई है। अन्य बिलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। रक्षा मन्त्रालय के राज्य मंत्रियों ने आठ अवसरों पर इन विमानों तथा हेलीकाप्टरों का उपयोग किया है और वे इन विमानों में मुफ्त यात्रा के हकदार हैं।

(ग) केन्द्रीय मंत्रियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना के विमान/हेलीकाप्टर प्रदान किए जाते हैं :—

(1) प्राकृतिक विपदाएं/कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं जहां मन्त्री को तुरन्त जाना होता है;

(2) उन दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा के लिए जहां अन्य कोई वाहन आसानी से उपलब्ध नहीं होता;

(3) चिकित्सा की आवश्यकताओं के लिए; और

(4) उन विशिष्ट गम्भीर स्थितियों में जहां भारतीय वायुसेना के विमान/हेलीकाप्टरों का प्रयोग आवश्यक हो।

श्रीलंका की जातीय समस्या का राजनैतिक हल

5980. **डा. गौरी शंकर :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार के अधिकारियों ने मार्च, 1986 के द्वितीय सप्ताह में भारतीय विदेश सचिव को जातीय समस्या के राजनैतिक हल के बारे में अपनी वचनवद्धता का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस जातीय समस्या के समाधान के लिए सरकार का विचार और क्या कदम उठाने का है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) श्रीलंका के हाई कमिश्नर ने 17.3.1986 को विदेश मन्त्री से मुलाकात की और उन्हें यह बताया कि श्रीलंका की सरकार राजनैतिक समाधान के प्रति अब भी बचनबद्ध है।

(ख) भारत सरकार श्रीलंका के प्राधिकारियों से प्राप्त आश्वासनों का स्वागत करती है। लेकिन सरकार को कुछ अन्य बयानों को देखकर कुछ अफसोस होता है जो उच्च स्तर से दिये गये हैं और जिन्हें श्रीलंका के अधिकारिक स्त्रोतों का बताया गया है तथा जिनसे ऐसा पता

चलता है कि वहां की सरकार इस जातीय समस्या का सैनिक समाधान निकालने के लिए दृढ़ संकल्प है।

(ग) सरकार ने यह कहा है कि राजनैतिक समाधान के लिए बातचीत तभी फिर शुरू हो सकती है जब वातावरण शांतिपूर्व हो और हिंसा को रोका जाए। जहां तक सरकार का सवाल है, वह श्रीलंका की सरकार के लिए अपने सद्भाव से काम लेने को हमेशा तैयार है।

[हिन्दी]

देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्रों का प्रचलन रोकने के लिए कदम

5981. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जा रहा है; जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश भर में सरकार की जानकारी में लाये गये ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे जाली प्रमाण-पत्रों का प्रचलन रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं। जब जाली प्रमाण पत्र जारी करने का विशिष्ट आरोप केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो इसे उचित कार्रवाई के लिए तत्काल संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन/केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को भेजा जाता है। चूंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने का मामला प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का विषय है अतः इस प्रकार के मामलों के बारे में भारत सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) : भारत सरकार ने जाली प्रमाण पत्रों को जारी किए जाने से रोकने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह निर्देश जारी करके पहले ही आवश्यक कदम उठा लिए हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएं और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनात्मक नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई के अतिरिक्त भा.दं.सं. के संबंधित उपबन्धों के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जाए।

बड़ी सजा देने से पहले कर्मचारियों की वैयक्तिक सुनवाई

5982. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** :
श्री पी. आर. कुमारमंगलम :
डा. डी. एन. रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को कोई बड़ा दण्ड देने से पूर्व उनकी वैयक्तिक सुनवाई की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह प्रक्रिया सभी मामलों में निरपवाद रूप से अपनाई जायेगी;

(ग) इस संबंध में पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी; और

(घ) संशोधित प्रक्रिया किस प्रकार कर्मचारियों के अधिक पक्ष में है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंसन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर भारी शास्ति लगाने की प्रक्रियाविधि अनुशासनिक नियमों के अधीन निर्धारित की गई है जो सांविधिक प्रकृति के हैं। इन नियमों में संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में निर्धारित यह सिद्धान्त शामिल है कि किसी भी सिविल सेवक को तब तक न पदच्युत किया जाएगा, न पद से हटाया जाएगा और न पंक्तिच्युत किया जाएगा जब तक जांच न कर ली गई हो ऐसे उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। ऐसे मामले जो अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के उपबन्धों के अधीन आते हैं इसके अपवाद हैं। ऐसी शास्ति आरोपित किए जाने से क्षुब्ध सरकारी कर्मचारी सक्षम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है जो उस पर विचार करेगा। नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि दी गई सजा के विरोध में सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर की गई अपील पर निर्णय लेने से पहले अपीलीय प्राधिकारी वैयक्तिक सुनवाई की अनुमति दे। तथापि, कर्मचारी पक्ष के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि जहां अपील भारी शास्ति दिए जाने से संबंधित आदेश के विरुद्ध है तथा अपीलकर्ता विशेष अनुरोध करे तो अपीलीय प्राधिकारी मामले के सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को स्वनिर्णय से वैयक्तिक सुनवाई की अनुमति दे सकता है अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी वैयक्तिक सुनवाई की अनुमति मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसके स्वनिर्णय से दी जाएगी।

प्रधान मंत्री की स्टाकहोम यात्रा

5983. श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री स्वीडन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री पाल्मे के अन्तिम संस्कार में भाग लेने के लिए गत माह स्टाकहोम गए थे;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने वहां स्वीडन के प्रधान मंत्री तथा अन्य देशों के नेताओं से भेंट की थी; और

(ग) यदि हां, तो उनके साथ किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) स्वीडन के स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री आलोक पाल्मे की अन्त्येष्टि में शामिल होने के लिए जब प्रधान मन्त्री स्टाक होम की यात्रा पर गए थे तब उन्होंने निकारागुआ के राष्ट्रपति तथा स्वीडन, सोवियत संघ, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और इटली के प्रधानमंत्रियों से तथा

तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति न्येरेरे तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की थी। उन्होंने विभिन्न समारोहों में विश्व के कई अन्य नेताओं से भी संक्षिप्त बातचीत की। इन मुलाकातों में सामान्य रूप से द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा अन्तराष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की गई थी।

विदेश मंत्री का इन्डोनेशिया दौरा

5984. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 15 मार्च, 1986 को जकार्ता का दौरा किया और इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां विदेश मंत्री ने 14 से 16 मार्च, 1986 तक इन्डोनेशिया की राजकीय यात्रा की थी। अपनी इस यात्रा के दौरान वे 15 मार्च, 1986 को इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति महामान्य सोहार्तो से मिले और उनसे आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, और अन्यराष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श सौहादपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुआ और इससे भारत और इन्डोनेशिया के बीच विद्यमान मैत्रीपूण संबंधों को और समेकित करने में सहायता मिली।

रिमोट सेंसिग एजेंसी" का दर्जा बढ़ाना

5985. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रिमोट सेंसिग एजेंसी" का दर्जा बढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके वित्तीय पहलू क्या हैं और परिणाम प्राप्त होने की आशा है ?

विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी अन्तरिक्ष और विभागों में राज्य मत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल):(क) और (ख) सुदूर संवेदन से संबंधित प्रमुख क्रियाकलाप राष्ट्रीय सुदूर संवेदेन एजेंसी, हैदराबाद और अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में किए जाते हैं। ये संस्थान अनुसंधान से लेकर प्रचालनात्मक स्तर तक अनेक परीक्षण करते रहते हैं, जिनके लिए उनको सुविधाओं एवं परियोजनाओं का लगातार विस्तार किया जाता है। इसके अलावा, देश में अनेक प्रयोक्ताओं की अन्योन्य क्रियाशील कम्प्यूटर प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) सुदूर संवेदन से संबंधित उपर्युक्त क्रियाकलापों के लिए अन्तरिक्ष विभाग के बजट अनुमान, 1986-87 में 15.89 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया गया है। सभी परियोजनाए/कार्यक्रम आवश्यक आंकड़ा संकलन, विश्लेषण, माडल विकास इत्यादि का कार्य करेगी। इन निवेशों से सुदूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग करना संभव होगा और सुदूर संवेदित आंकड़ों तथा सहवर्ती आंकड़ों का भी, जिन्हें कृषि, बाढ़ मानचित्रण, भूमि जल का पता लगाने, क्षेत्रीय भूविज्ञानीय मानचित्रण, मृदा मानचित्रण, सूखा मानीटरन, भूमि उपयोग/भू-आच्छादन मानचित्रण, मरुभूमि और हिम मानचित्रण सहित भूमि के निम्नीकरण संबंधी

अध्ययन के क्षेत्रों में संसाधनों के प्रबन्ध में उपयोग में लाया जायेगा, के कम्प्यूटर द्वारा संसाधित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार करना भी संभव होगा।

कम्प्यूटरों का आयात और निर्माण

5986. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्प्यूटरों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके आयात पर वार्षिक कितनी धनराशि खर्च होती है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इनका आयात किया जा रहा है;

(घ) उन इकाइयों के नाम क्या हैं जो देश में कम्प्यूटरों का निर्माण कर रही हैं;

(ङ) क्या किसी विदेशी फर्म ने भारत में अपनी इकाई स्थापित करने और कम्प्यूटर का निर्माण करने के लिए लाइसेंस देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) क्या देश में बड़े कम्प्यूटरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास (परमाणु ऊर्जा) इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में सरकार ने क्रमश: 18.27 करोड़ रुपये 80.31 करोड़ रुपये तथा 151 करोड़ रुपये मूल्य की कम्प्यूटर प्रणालियों के आयात की अनुमति दी है।

(ग) इन कम्प्यूटर प्रणालियों का आयात मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ तथा जर्मनी से किया जा रहा है।

(घ) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 1985 के दौरान, 72 इकाइयों ने सूचित किया है कि उन्होंने कम्प्यूटरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

(ङ) जी, नहीं। कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने के लिए किसीविदेशी पार्टी ने आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। 19 नवम्बर, 1984 को घोषित कम्प्यूटर नीति के अनुसार, कम्प्यूटरों के विनिर्माण की अनुमति केवल उन्हीं भारतीय कम्पनियों को दी जाएगी जिनके पास विदेशी साम्पा, पूंजी 40% से अधिक नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) जी हां। देश में बड़े मेनफ्रेम के कम्प्यूटरों के विनिर्माण का प्रस्ताव है।

विवरण

कम्प्यूटरों के क्षेत्र में उत्पादन कार्य कार्य कर रही इकाइयां

1	संगठित क्षेत्र
1.	मैसर्स अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइसिज लि., आ· आर. जी. डिवीजन डा. विक्रम साराभाई मार्ग, बड़ौदा-390007

2. मैसर्स ए. एस. ई. ए. लिमिटेड,
सुन्दरलाल बहल पथ, बल्लार्ड एस्टेट, बम्बई-38

3. मैसर्स बुश इण्डिया लि.
पो. बा. नं. 4127, सुख सागर, एन. एस. पटकर मार्ग, बम्बई-7

4. मैसर्स डी. सी. एम. डेटा प्रोडक्ट्स
चौथी मंजिल, विक्रांत टावर 4-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-8

5. मैसर्स इलेक्ट्रानिक रिसर्च प्रा. लि.
17 के. एम. ओल्ड मद्रास रोड, पो. बा. नं. 5, बंगलौर

6. मै. इलेक्ट्रानिक सिस्टम्स पंजाब लि.
बी-81, फेज-8, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबजादा अजीतसिंह नगर, चंडीगढ़ 55

7. मै. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.,
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, चेरलापल्ली, हैदराबाद

8. मै. हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि.,
सिद्धार्थ, 96 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19

9. मै. इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इण्डिया मैन्यू. लि.,
माइल पोस्ट नं. 4 अहमद नगर रोड, पुणे-14

10. मै. केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि.,
केल्ट्रान हाउस, वालायम्बलम, त्रिवेंद्रम

11. मै. मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स कारपोरेशन लि.,
गेस्ट बिल्डिंग अपोलो बंदर बम्बई-39

12. मैसर्स मिनीकाम्प प्राइवेट लि.
क्योना केस, चौथी मंजिल, होम जी स्ट्रीट, कार्यालय, सर पी. एम. रोड, बम्बई-1

13. मै. ओ. एम. सी. कम्प्यूटर लि.,
643-1136/6, बेगमपत रोड, हैदराबाद

14. मै. पी. एस. आई. कालिंगा लि.
भुवनेश्वर

15. मै. सेमीकन्डक्टर कम्पलैक्स लि.,
मोहाली

16. दि नेशनल रेडियो एण्ड इलैक्ट्रानिक्स कम्पनी लि.
महाकाली रोड, चकला अन्धेरी (पूर्वी) बम्बई-93

17. मै. यू. पी. इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि.,
4 पराग नारायण रोड, लखनऊ-1 (यू. पी.)

18. मै. यूनीट्रान लि.
1-2, इण्डस्ट्रियल एरिया, निट, फरीदाबाद ।

19. मै. अपट्रान डिजिटल सिस्टम
तलक तिकतराय, ऐश बाग, लखनऊ-1

20. मै. ऊषा माइक्रो प्रोसेस कंट्रोल्स (प्रा.) लि.
101, चिरंजीव टावर, 43. नेहरू प्लेस नई दिल्ली-19

21. मै. वैबल कम्प्यूटरस लि.
225-ई जे. सी. बोस रोड, कलकत्ता-20

22. मै. वाईपरो इनफोरमेशन टैक्नालाजी लि.
बख्तावर, 14वीं मंजिल, 229, बैकबे रिक्लेमेशन, बम्बई-21

II. लघु उद्योग क्षेत्र

1. मै. पी. एस. आई. डेटा सिस्टम्स प्रा. लि.
25, विक्टोरिया रोड. बंगलौर-25

2. मै. डिजीटल इनोवेशन्स प्रा. लि.,
इन्टरनेशनल व्हाइट हाउस, विश्वास कालोनी रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-5 (गुजरात)

3. मै. नेशनल डेटा सिस्टम्स,
8-बिल रांगा पालि मल्ला रोड, बान्द्रा, बम्बई

4. मै. बिजनेस मशीन्स (इण्डिया)
श्री बी. आर. पुरी, मार्फत कमल भाटिया, मं. नं. 2212, सेक्टर 21-सी चंडीगढ़

5. मै. जेनिथ इलेक्ट्रोसिस्टम्स प्रा. लि.,
220, वावेश्वर रोड, बम्बई

6. मै. अल्ट्रामैटिक्स सर्वे,
82/1, प्लाट नं. 20, गांधी प्रशिक्षण कालेज के सामने शकरनगर, प्रगति, पुणे ।

7. मै. सर्दन मैग्नेटिक्स प्रा. लि.
11/3, वी. एस. इन्सट्रानिक्स एस्टेट तिरुवनमियुन, मद्रास ।

8. मै. सिगमा इन्जीनियर्स,
प्लाट नं. डब्ल्यु-3, एस. ब्लाक, होसारी इण्डस्ट्रियल एरिया, पुना ।

9. मै. पाटनी कम्प्यूटर्स सिस्टम्स (प्रा.) लि.,
श्री एन. के. पाटनी, 393, 303/304, रेजीमेंट चेम्बर्स, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई ।

10. मै. नितुल डेटा सिस्टम्स,
ए-48, वसन्त विहार, नई दिल्ली ।

11. मै. लैक्सन्स इन्जी. एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.,
लैक्सन्स हाउस, पो. बो. नं. 9032 बालमट रोड, गोरेगांव (पू) बम्बई ।

12. म. सम इलेक्ट्रानिक्स,
45, अटलान्टा, 209, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई ।

13. मे. की फलापी
नचग्राम इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, एच-10, लकतियानगर, हैदराबाद ।

14. मै. माइक्रोप्रोसेसर मैन्यूफैक्चरिंग कं., 259/2, पूर्ण दास रोड, कलकत्ता 29

15. मै. इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स
8 पावेती इण्डस्ट्रियल एस्टेट, न्यू सन हिल कम्पाउण्ड, बावर पार्ल, बम्बई ।

16. मै. डेलीविस्टा इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.,
239, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली ।

17. मै. सिलेक्ट्रो
10-सुरेन्द्र गिरजानाथ विद्यापीठ के सामने आश्रम रोड, अहमदाबाद ।

18. मै. डेसीबेल्स इलेक्ट्रानिक्स
एफ-199, वी. आर. रोड, बान्द्रा, बम्बई ।

19. मै. आरोलेक प्रयोगशाला,
आरोविले, कोट्टकुप्पम ।

20. मै. एसेने इलेक्ट्रानिक्स,
52 मित्तल चेम्बर्स, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई ।

21. मै. पाइकाम इण्डस्ट्रीज,
(श्रीमती किशोर कपाड़िया) 15, नवी वाड़ी, चौथी मंजिल, बम्बई ।

22. मै. अल्ट्रा बिजनेस मशीन्स प्रा. लि.,
17/2, रेस्ट हाऊस रोड, बंगलौर ।

23. मै. आर्बिट इलेक्ट्रानिक्स
(श्री एम. एन. दावे) रामभाई मैसन सियाजी, गंज, बड़ौदा-5

24. मै. सी. एम. एस. कम्प्यूटर्स प्रा. लि.,
201, आडियो, नारमन प्वाइन्ट, बम्बई-21

25. मै. ऐलेन बूडाफ एण्ड कं. इण्डिया प्रा. लि.,
112-ए, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।

26. मै. प्रगति इलेक्ट्रानिक्स
प्रगति विलास, 26, विक्टोरिया नगर, पाण्डिचेरी-5

27. मै. सिस्टेक प्रा. लि.,
ऊषा श्री, पुणे-4

28. मै. हाइटेक एसोसिएट्स
12, गगन दीप, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली

29. मै. ईको कम्प्यूटर्स
777 ए, एम. ए. एल. 11 स्टेज,100 फीट रोड इन्द्रा नगर, बंगलौर।

30. मै. टेकनोलैब इनेवेक्स लि.,
सी-52, अन्नानगर, मद्रास

31. मै. इण्डकेम इलेक्ट्रानिक्स लि.
105, डा. राधाकृष्णन सलाय, मैलापुर, मद्रास

32. मै. मोनोटाइप इण्डिया
वोरा हाउस, 25, आसफ अली रोड, नई दिल्ली।

33. मै. एस. कैलाशनाथन
(मैसर्स माइक्रोसीन (प्रा) लि., प्लाट नं. 15, स्लाफ रोड कारखाना सिकन्द्राबाद।

34. मै. इन्टरनेशनल डेटा मेनेजमेंट (प्रा.) लि.,
नेहरू हाउस, 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2

35. मै. पासकल कम्प्यूटर् (प्रा.) लि.,
9 ए बेलाके, 68 बी, डैलीगंगा सरकुलर रोड, कलकत्ता-19

36. मै. माड्यूलर सिस्टम्स
3/12, टाटा मिल्स को आपरेटिव सोसाइटी, पार्ले बम्बई।

37. मै. स्टर्लिग इलेक्ट्रानिक्स (प्रा) लि.,
108, स्टर्लिग रोड, मद्रास-34

38. मै. देसीबेल इलेक्ट्रानिक्स (प्रा) लि.,
एफ चन्द्र निवास, 199, वी. पी. रोड, बान्द्रा, बम्बई।

39. मै. सीता इलेक्ट्रानिक्स,
श्रीनिकेत, तारानाका, हैदराबाद।

40. मै. यूनिट्रान,
2/44 बी, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।

41. मै. काडीट्रानिक्स (प्रा.) लि.,
244, घडासर, मणिनगर, अहमदाबाद-8

42. मै. पाइथागोरस काम्युनिकेशन सिस्टम्स,
4-12 ए, क्रोस रोड, मेलेश्वरम, बंगलौर-55

43. मै. शिवम कम्प्यूटर्स,
मुलार कोटेज, रचना सोसाइटी के सामने, अहमदाबाद,-15

44. मै. इन्नोवेटिव देस डिजाइन,
11, चित्तरन्जन रोड, मद्रास-19

45. मै. प्रोम्प्ट कम्प्यूटर सर्विस प्रा· लि.
बम्बई।

46. मै. एप्लाईड इलेक्टानिक्स,
ठाणे।

47. मै. पर्ल डिजिटल सिस्टम्स,
ए-25/1, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली।

48. मै. सनरे इलेक्ट्रानिक्स,
44, रेसकोर्स रोड, बंगलौर।

49. मै. सदर्न मेगनेटिक्स प्रा. लि.
11-3, डा. वी. एस· एस्टेट्स, तिरुवनमियन, मद्रास।

50. मै. तमिलनाडु इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेंट्स प्रा. लि.
5, मोहन कुमारमंगलम स्ट्रीट, मद्रास-34

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौते

5987. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिक के संवर्द्धन के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक करार किए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनेक विकसित और विकासशील देशों के साथ सहयोग के करार मौजूद हैं। ये देश हैं—अल्जीरिया, अर्जेनटीना, आस्ट्रेलिया, बंगला देश, ब्राजील, बल्गारिया, चीन, क्यूबा, चैकोस्लोवाकिया, मिस्त्र, फ्रांस, संघीय जर्मन गणराज्य, लोकतंत्रीय जर्मन गणराज्य, यूनान, हंगरी, इटली, इन्डोनेशिया, जापान, जोर्डन, मैक्सिको, नेपाल, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान, पेरु, फिलीपीन्ज, पोलैंड, रूमानिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, श्रीलंका, स्वीडन, सीरिया, त्रिनिडाड और टोबैगो, तुर्की, यू. के., संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, वियतनाम, यूगोस्लाविया, जाम्बिया। इनके अलावा. यूरोपीय आर्थिक समुदाय, तथा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के अन्तर्गत हमारे निकट के पड़ोसियों के साथ भी क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग की व्यवस्था मौजूद है।

अलग अलग समय पर विभिन्न सम्बन्धित मंत्रियों, अधिकारियों और राजदूतों ने करारों पर हस्ताक्षर किए हैं

(ख) सहयोग निम्नलिखित के जरिये हो सकता है ;

(1) वैज्ञानिकों, अनुसंधान कर्मियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का विनिमय करके,

(2) वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारी तथा प्रलेखीकरण का आदान प्रदान करके,

(3) संयुक्त संगोष्ठियां और कार्यशालायें आयोजित करके,

(4) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर, तथा

(5) अनुसंधान और विकास के संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करके।

अभिनिर्धारित क्षेत्रों में सहयोग की रीतियां और अन्य शर्तें संबंधित भागीदार संस्थाओं के परामर्श से तय की जाती हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर व्यय प्रेषक देश द्वारा वहन किया जाता है, जबकि उनके आवास, भोजन, चिकित्सा (यदि कोई हो, तो) तथा मेजबान देश में आंतरिक यात्रा का खर्च मेजबान देश द्वारा वहन किया जाता है।

तमिलनाडु में नौसैनिक अड्डा और नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

5988. श्री एन. डेनिस : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर एक नौसैनिक अड्डा और नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सैनिक स्कूलों में अध्यापकों के वेतन तथा भत्ते

5989. प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते अन्य स्कूलों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों की तुलना में काफी कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन स्कूलों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई पेंशन नहीं दी जाती; और

(ग) क्या अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उनमें असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए सरकार का कोई प्रभावकारी कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं। सैनिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमान, केन्द्रीय विद्यालयों में उनके समकक्ष अध्यापकों के समान हैं। अन्य कर्मचारियों को वही समुचित वेतन-मान मिलता है जो केन्द्रीय सरकार में कार्यरत उन्हीं के समकक्ष पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को मिलता है। ये कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की दरों पर अन्तरिम सहायता, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता और यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं। उनको मुफ्त आवास या उसके बदले अपने

मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक बिना किराए का फर्नीचर एवं स्कूल मैस में छात्रों के साथ मुफ्त भोजन के भी हकदार हैं।

(ख) सैनिक स्कूल के कर्मचारी, पेंशन और ग्रेच्युटी योजना के स्थान पर अन्शदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और सीमित वित्तीय स्रोतों के अन्तर्गत उन्हें लाभ दिए गए हैं।

कोयले के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग

5990. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में कोयले का निर्माण हरी लकड़ी से किया जाता है;

(ख) क्या राजस्थान वन बोर्ड (राज्य सरकार का विभाग) राजस्थान जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र में प्रतिदिन कोयले का निर्माण कर रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोई कठोर कानून बनाने का है ताकि कोयले के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग बन्द किया जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यह सच है कि चारकोल, जो कोयला नहीं है, देश के कुछ भागों में हरी लकड़ी से निर्मित होता है।

(ख) राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष लगभग 2400 टन चारकोल बनाया जाता है।

(ग) राज्य सरकार ने पहले ही चारकोल के उत्पादन को कम करने के लिए अनुदेश जारी किये हैं।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र

5991. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 में राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और गुरू जल संयंत्र के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) कोटा में राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए मंजूर किए गए दो नए यूनिटों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) वर्ष 1986-87 के लिए प्रचालन संबंधी व्यय और पूंजीगत व्यय के वास्ते निम्नलिखित राशि आवंटित की गई है :

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र	:	74.97 करोड़ रुपए
भारी पानी संयंत्र कोटा	:	23.08 करोड़ रुपए

(ख) राणा प्रताप सागर स्थित परमाणु विद्युत परियोजना के दो नए यूनिटों के लिए वित्तीय संस्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

(ग) ऐसी संभावना है कि नये यूनिटों का काम 1994-95 तक पूरा कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली स्थापित करना

5992. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम :**

श्रीमती डी. के. भंडारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों तथा अन्य आंकड़ों पर आधारित एक राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका कार्य-क्षेत्र क्या है तथा बाढ़-नियन्त्रण एवं वनों की कटाई पर निगरानी रखने में इसका क्या व्यावहारिक उपयोग है ; और

(ग) क्या ऐसी तकनीकों द्वारा प्राकृतिक संसाधन संबंधी मानचित्रों को पहले तैयार किया जा चुका है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। वायुयान और उपग्रह आधारित संवेदकों के माध्यम से सुदूर संवेदन में सर्वेक्षण के साथ-साथ मानीटरन भी शामिल है, जो कि राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनोंकी आयोजना और प्रबन्ध के लिये जरूरी हैं। सूदूर संवेदित आंकड़ों के कृषि, वानिकी, सिंचाई, मानव बस्तियाँ, भूविज्ञान, पारिस्थिति विज्ञान और महासागरों जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उपयोग हैं। भूमि उपयोग मानचित्रण और भूमि जल की संभाव्यता के मूल्यांकन, क्षेत्रीय भू-विज्ञानीय मानचित्रण जैसे क्षेत्रों में इस तकनीक के उपयोग में क्षमता प्राप्त कर ली गई है तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के मानचित्रण विस्तृत वन किस्म के मानचित्रण, हिमगलन वाह के आंकलन तथा अन्य विविध क्षेत्रों में इसके उपयोग की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। सुदूर संवेदन तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय वन मानचित्रण और परती भूमि का मानचित्रण किया गया है। ये तकनीकें मानचित्रों को तीव्रता से अद्यतन बनाने के लिये अवसर प्रदान करती हैं, इस प्रकार वन रोपण प्रयासों इत्यादि के मानीटरन में सहायता करती हैं।

देश में प्रचालन संबंधी उपयोगों में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा कई अन्य सभाव्य उपयोगों को नोट करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन. एन. आर. एम. एस.) की स्थापना का निर्णय किया है, जो कि सुदूर संवेदन के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को, उपयुक्त तकनीकी, प्रबन्धकीय और संगठनात्मक सम्पर्कों सहित विद्यमान प्रणालियों में समाकलित करेगी। एन. एन. आर. एम. एस. के कार्यक्षेत्र में कुशल, समाकलित, लागत-प्रभावी और सामयिक सूचना प्रणाली प्रदान करना शामिल है, जो कि पर्यावरण पर पर्याप्त ध्यान देते हुए देश के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित और नियोजित उपयोग संभव बनायेगी।

राष्ट्रीय विकास से संबंधित सभी एजेंसियों को, नये प्रमुख साधन के रूप में इसके विविध उपयोगों सहित सुदूर संवेदन के उपयोग के लिए क्रियाशील किया जा रहा है। क्षमता के संवर्धन

के लिये तथा उसके उपयोग का विस्तार करने के लिए जिला, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर सुदूर संवेदन उपयोग परीक्षणों की आयोजना की गई है। अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों के अलावा लगभग 100 केन्द्रीय और राज्य स्तर के संगठन इन परीक्षणों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह उपयोग कार्यक्रम (आई. आर. एस. उ. का.) इस प्रयास का एक भाग है।

चूंकि कम्प्यूटर आधारित अन्योन्यक्रिया प्रणाली सुदूर संवेदन आंकड़ों के बेहतर और तीव्र अर्थनिर्वचन को संभव बनाती है, अतः उपरोक्त कार्यों को करने के लिए अन्तरिक्ष विभाग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, खान विभाग, भारतीय भूविज्ञानीय सर्वेक्षण विभाग और कृषि मंत्रालय (आई.सी.ए.आर.) द्वारा संयुक्त रुप में प्रदत्त निधि की सहायता से अन्तरिक्ष विभाग की निगरानी में पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों (आर.आर.एस. एस. सी.) की स्थापना की जा रही है। कई राज्यों ने राज्य स्तर के सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्रों/यूनिटों/सेलों की स्थापना की है और अन्य राज्य भी इन्हें शीघ्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। वन मानचित्रण के अलावा वानिकी अध्ययनों के सम्बन्ध में कई उपयोग किए जा रहे हैं। बाढ़ मानचित्रण के क्षेत्र में कई अध्ययन किए गये हैं ; फिर भी, बाढ़ नियंत्रण एक जटिल विषय है, जिसमें वर्षण, भू भाग जल विभाजक लक्षण इत्यादि जैसे कई प्राचल शामिल किए जा रहे हैं, इन अनेक अवयवों पर प्रायोगिक अध्ययन चल रहे हैं तथा इससे बाढ़ के और अन्ततोगत्वा इसके नियंत्रण के बारे में बेहतर जानकारी मिलने की संभावना है।

(ग) जी, हां। घने और अवक्रमित वन दिखाते हुए। : 1, 00,000 के पैमाने पर भारत का राज्यवार वनस्पति आवरण मानचित्र (वन मानचित्र) को तैयार करना राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम प्रयास था। भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग और पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन के विभागों के बीच हुए विविध विचार-विमर्शों के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि उपग्रह सुदूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग करते हुए इस प्रकार के मानचित्र आवधिक रुप में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किये जायेंगे। राष्ट्र व्यापी परती भूमि का वितरण संबन्धी मानचित्र पहले ही तैयार किये जा चुका है। इन मानचित्रों में मानचित्रण की पद्धति और परिशुद्धता एवं मूल्यांकन में सुधारों को शामिल किया जा रहा है।

कुछ प्रमुख राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के लिए सतह जल निकायों का मानचित्रण प्रायोगिक आधार पर किया गया है। राष्ट्र व्यापी मानचित्रण के शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अलावा कई केन्द्रीय और राज्य स्तर के संगठनों द्वारा भूमि जल का पता लगाने, छोटे पैमाने पर मृदा मानचित्रण, हिम गलन वाह के आंकलन इत्यादि के क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर कई पाइलट अध्ययन किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रयोक्ताओं के साथ प्रचालन में हैं।

आगामी वर्षों में कई अन्य संसाधनों के मानचित्रण संबंधी उपयोगों के प्रचालन में होने की संभावना है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री निर्देश

5993. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने दिनांक 11 मई, 1983 को भूतपूर्व प्रधानमन्त्री द्वारा जारी तथा दिनांक 28 अगस्त, 1985 को प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी द्वारा पुनरावृत्त निदेशों के अनुसार राज्य पुलिस बलों में भर्ती करने के लिए चयन समितियों को प्रतिनिधि परक बनाने हेतु इस बीच अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक उपर्युक्त अनुदेश जारी नहीं किये हैं और केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये निदेश जारी किए गए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के अल्पसंख्यक सैल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई समीक्षा की है कि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित निदेशों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया गया है और चयन समितियों को प्रतिनिधिपरक बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उक्त निदेशों का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये समीक्षा आरम्भ की गई है अथवा आरम्भ की जायेगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) राज्य पुलिस बलों में सभी कुछ स्तरों पर भर्ती के लिये चयन समिति के प्रतिनिधि बनाने के लिए असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली सरकारों ने निर्देश जारी कर दिये हैं।

गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि उप-निरीक्षकों और उससे ऊपर के पद की भर्ती लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में है तथा आयोग के वर्तमान गठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य शामिल हैं। हैड कान्स्टेबलों और कान्स्टेबलों की भर्ती के लिये गठित समिति में जिला पुलिस तथा पुलिस कमिशनरेट के अधिकारी शामिल हैं। चयन समिति में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि शामिल करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचना दी है कि राज्य पुलिस बल सच्चे माइने में एक मिश्रित बल है जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। केरल सरकार ने बताया है कि पुलिस कार्मिकों सहित, राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में है जिसमें अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पुलिस उप-अधीक्षकों तथा उप-निरीक्षकों के पदों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है और केवल कान्स्टेबलों की भर्ती जिले-वार रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाती है। राज्य सरकार ने चयन समिति के प्रतिनिधि बनाए जाने की सूचना नहीं दी है।

सिक्किम सरकार ने सूचना दी है कि राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न भर्ती/चयन समितियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है।

दिल्ली प्रशासन और मणिपुर में चयन समिति के प्रतिनिधि बनाये जाने की सूचना नहीं दी है। त्रिपुरा तथा गोवा दमण और दीव सरकार ने सूचना दी है कि वहां कोई सामुदायिक भेद भाव का इतिहास नहीं है और कि वे प्रधान मंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को ध्यान में रखेंगे और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिये उचित कार्यवाई करेंगे, इन सरकारों ने पुलिस सेवा प्रतिनिधि के लिए चयन समितियां बनाने के बारे में विशिष्ट सूचना नहीं भेजी है।

मेघालय तथा नागालैंड और संघ शासित क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम में आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य है।

पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र ने सूचना दी है कि उनके क्षेत्र में कोई साम्प्रदायिक गड़बड़ी नहीं है और उन्होंने चयन समिति के प्रतिनिधि बनाने के बारे में सूचना नहीं दी है।

आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि पुलिस कार्मिकों की भर्ती के लिए गठित समितियों में अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं समझा गया है। केन्द्र सरकार में अल्पसंख्यक एकक, राज्य पुलिस बलों में भर्ती के लिये चयन समिति के प्रतिनिधि बनाने से सम्बन्धित मुद्दे सहित अल्प संख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को नियमित आधार पर मानीटर कर रहा है तथा सतत आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक उपायों का सुझाव दे रहा है। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ, की गई प्रगति की पुनरीक्षा करने तथा आगे की कार्यवाही को शीघ्र करने के लिए विचार विमर्श भी किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के बारे में आंकड़े एकत्र करने हेतु अनुसंधान एकक

5994. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न विकास कार्यक्रमों से अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले लाभों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने हेतु अनुसंधान एकक बनाने के लिये राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को आदेश दिया है;

(ख) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां अनुसंधान एकक स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या इन अनुसंधान एककों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े केन्द्रीय सरकार तथा जनता के समक्ष रखे जायेंगे;

(घ) इन आंकड़ों के अनुसरण में आवश्यक कार्यवाही के लिये योजना अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा भी अनुसंधान एकक गठित किये जायें जिन्होंने ऐसे एकक अभी तक गठित नहीं किए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमन्त्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में यह मुद्दा शामिल है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों में यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती जानी चाहिये कि अल्पसंख्यकों

को इनसे मिलने वाले लाभ उन्हें उचित और पर्याप्त ढंग से प्राप्त हों। उक्त संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे अनुसंधान एकक स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने की सलाह दी गई थी जो उचित और पर्याप्त तरीके से अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में मूल्यांकन करने के लिये यादृच्छिक नमूने के आधार पर अल्पसंख्यों के विकास कार्यक्रमों के लाभों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने का कार्य कर सकें।

असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सरकारों और दिल्ली प्रशासन ने अनुसंधान एकक स्थापित कर लिये हैं/कर रहे हैं। कर्नाटक तथा राजस्थान सरकारों ने प्रस्तावित अनुसंधान एकक के कार्य क्रमशः अपने योजना, प्रबोधन और सूचना निदेशालय तथा मूल्यांकन विभागों को सौंप दिया है।

(ग) तथा (घ) केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति के सम्बन्ध में तिमाही रिपोर्ट प्राप्त हो रही है और उन रिपोर्टों के एक भाग के रूप में केन्द्र सरकार निःसंदेह राज्य अनुसंधान एककों द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामों के बारे में सूचना प्राप्त करेगी और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये गये निवारक उपाय के तरीके, जहां आवश्यक होगा उचित निवारक उपायों के लिये केन्द्र सरकार राज्यों को अपना सुझाव भेजेगी। अल्पसंख्यकों को उचित और पर्याप्त तरीकों से प्राप्त होने वाले विकास कार्यक्रमों के लाभों को सुनिश्चित करने में अनुभव की गई एक महत्वपूर्ण कठिनाई शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में स्वयसेवी संगठनों का लगभग पूरी तरह न होना है जो शिक्षा, स्वास्थ्य महिला तथा बाल कल्याण और आवास आदि के क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से हिस्सा लेने वाली योजनाओं को शुरू कर सकें। जहां सरकारी विकास योजनाओं के बारे में कम जानकारी है और अल्पसंख्यकों के प्रत्युत्तर पर्याप्त पाये जाते हैं जो उनको उचित और पर्याप्त तरीके से प्राप्त होने वाले विकास कार्यक्रमों के लाभ के लिये प्रभावित करने वाले कदमों में महत्वपूर्ण तत्व हैं वहां राज्य सरकारें निःसन्देह अनुसंधान अध्ययन किये गये क्षेत्रों में लोगों के साथ सुधारात्मक कार्यवाही के लिये विशेषतः उनसे योजनाओं को शुरू करने के लिये जिनमें सामुदायिक हिस्सेदारी शामिल हो, के लिये स्वयंसेवी संगठनों को बनाने में स्थानीय जन-संख्या को प्रोत्साहित करने के विचार से महत्वपूर्ण निष्कर्ष/मद प्राप्त कर सकते हैं।

(ङ) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा मेघालय राज्यों और गोवा दमन तथा दीव और दादर तथा नगर हवेली संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे अनुसंधान एकक स्थापित करना आवश्यक नहीं समझते। कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि मामला विचाराधीन है और शेष के उत्तरों की प्रतीक्षा है। मामले पर सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

विदेशों में भारतीयों को मामूली अपराधों के लिए दोषी सिद्ध किया जाना

5995. **श्री मानिक रेड्डी :**

डा. डी. एन. रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर और अरब देशों तथा अन्य स्थानों पर निर्धारित समय से अधिक

समय तक ठहरने सहित मामूली अपराधों के लिए विदेशों में दोषी ठहराए जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है ;

(ख) क्या इन भारतीयों को स्थानीय भारतीय दूतावासों/प्रतिनिधियों अथवा वाणिज्य दूतावासों ने कोई सहायता, मार्गदर्शन, सहायता अथवा संरक्षण प्रदान किया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) से (ग) हम विदेश स्थित अपने मिशनों से सूचना एकत्र कर रहे हैं और यह यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सिंगापुर में होटल की इमारत गिर जाने से मारे गये भारतीय

5996. **श्री नरेन्द्र बुडानिया :**

श्री वेंकटम पुरुषोत्तम :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में 15 मार्च, 1986 को होटल की इमारत गिरने से अनेक भारतीय मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में हताहत भारतीयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को कोई सहायता की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सिंगापुर में 15 मार्च, 1986 को होटल की इमारत गिर जाने के कारण एक भारतीय राष्ट्रिक श्रीमती दुर्गा देवी की मृत्यु हो गई थी, उनकी आयु 51 वर्ष थी। वे भारतीय पासपोर्टधारी थीं और उनके पति का नाम श्री राम नारायण रति राम पाण्डेय था जो सिंगापुर के राष्ट्रिक हैं तथा उसी होडल में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं। एक अन्य भारतीय राष्ट्रिक श्री कृष्णन लापता बताये जाते हैं। 38 वर्षीय श्रीमती जया दुर्गा पी. कुमारन के इस हादसे में चोट आई थी और 19 मार्च, 1986 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक और 25 वर्षीय भारतीय राष्ट्रिक कुमारी जया वासुदेवन को मामूली चोट आई थी और उन्हें उसी दिन ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।

(ग) और (घ) भारतीय हाई कमीशन ने श्रीमती जया दुर्गा पी. कुमारम, कुमारी जया वासुदेवन, श्रीमती ए. अमुदा तथा श्रीमती मणिकम् जया मणि को तीन-तीन सौ सिंगापुरी डालर की आर्थिक सहायता दी है। श्रीमती जया दुर्गा, कुमारी जया, वासुदेवन और श्रीमती मणिकम् जयामणि को भारतीय हाई कमीशन द्वारा एक तरफ के लिए आवास प्रमाण पत्र भी दिए गए ताकि वे सिंगापुर से रवाना हो सकें।

कल्लारा पंगोडे संघर्ष को स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए शामिल करने हेतु ज्ञापन

5997. **श्री टी. बशीर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देसी रियासतों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन के भाग के रूप में शामिल करने और इस प्रकार के संघर्षों में भाग लेने वाले सभी लोगों को स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन देने के बारे में पहले कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र नीति संबंधी निर्णय लेगी; और

(ग) क्या ट्रावनकोर देशी रियासत के विरुद्ध कल्लारा पंगोडे संघर्ष को स्वतन्त्रता आंदोलन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मान पेंशन के आयोजन के लिए भूतपूर्व नरेशों के राज्यों को 15.8.1947 के पश्चात् भारतीय संघ में विलय के आन्दोलन को पहले ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन का हिस्सा मान लिया गया है।

(ग) जी, नहीं श्रीमान्।

राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण की योजनाएं

5998. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, निर्धनों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अशिक्षित निर्धन व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए इन व्यक्तियों को इन योजनाओं से पूरा पूरा लाभ मिले, सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : राजस्थान सरकार को वर्ष 1985-86 के लिए आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेरी विकास, ग्रामीण तथा लघु उद्योग तथा वानिकी इत्यादि परिवारोन्मुखी-एवं-आय-अर्जक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 910.28 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष योजनाओं जैसे गिनी कृमि उन्मूलन, दस्तकारी केन्द्र, संरक्षणात्मक उपायों को लागू करना तथा आदिवासी क्षेत्रों में लघु उठाऊ सिंचाई योजना के खर्च को पूरा करने के लिए 147.07 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं नामत: मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लड़के तथा लड़कियों दोनों के लिए) पुस्तक बैंक (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति लड़के तथा लड़कियों दोनों के लिए) कन्या छात्रावास (केवल अनुसूचित जनजाति के लिए) तथा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए) के

तहत वर्ष 1985-86 के दौरान इस मन्त्रालय द्वारा 42.42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) जी, नहीं श्रीमान् :

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासी व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो, आदिवासियों के लिए विभिन्न परिवार हितकारी कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आदिवासी क्षेत्र में प्रत्येक डी. आर. डी. ए. के पास एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना अधिकारी है। आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विभागों/एजेंसियों की गतिविधियों के मुख्य समन्वय प्राधिकारी उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र विकास आयुक्त हैं। राज्य स्तर पर, टी. ए. डी. मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति, योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की तिमाही पुनरीक्षा करती है।

[अनुवाद]

सेना को सूखे मेवों, सेब, सेब के रस की सप्लाई

5999. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और फर्मों के नाम क्या हैं, जो सेना को दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं के अलावा सूखे मेवों, सेब, सेब के रस आदि सप्लाई कर रही हैं और सरकार द्वारा इस पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है, और

(ख) पिछले दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) इस संबंध में एक विवरण संलग्न है :

विवरण

क्र. सं.	खाद्य वस्तु	राज्य का नाम	फर्म का नाम	वार्षिक व्यय	
				1984-85	1985-86
				रु.	रु.
1	2	3	4	5	6
1.	सूखे मेवे	दिल्ली	मैसर्स गोकुल चन्द जगदीश चन्द्र मैसर्स ए जैक्स फूड्स एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज	1,07,59,000	1,62,85,490/-
		दिल्ली	मैसर्स राधेश्याम सोहन लाल		
		जम्मू एवं कश्मीर	मैसर्स तवी ट्रेडर्स, जम्मू		
		दिल्ली	मैसर्स श्री कृष्ण दास प्रेम प्रकाश		
2.	गेहूं	यह मद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदी जाती है	—	21,10,00,000	27,00,00,000/-
3.	चावल	यह भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदी जाती है।	—	35,00,00,000/-	38,28,00,000/-
4.	चीनी	यह मद चीनी महानिदेशालय (खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्रालय) के माध्यम से खरीदी जाती है।	—	18,78,25,000/-	22,59,10,000/-

1	2	3	4	5	6
5.	दालें	यह मद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदी जाती हैं।	—	16.33,22,100/-	12,14,01,000/-
6.	फल, जैम, सब्जी एवं आलू जैसी टीन में बंद की जाने वाली मदें	उत्तर प्रदेश	मैसर्स इलाहाबाद केनिंग कम्पनी इलाहाबाद	5,53,58,590/-	5,75,73,200/-
		उत्तर प्रदेश	मैसर्स समर फूड प्राइवेट लिमिटेड, अलीगढ़।		
		जम्मू एवं कश्मीर	मैसर्स एच.ए. रहीम एंड कंपनी श्रीनगर		
		हिमाचल प्रदेश	मैसर्स एच.पी. हार्टीकल्चर प्रौड्यूस मारकीटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन, शिमला		
		दिल्ली	मैसर्स जम्बो इन्टरनेशनल, नई दिल्ली		
		दिल्ली	मैसर्स केटीस फूड प्रिजरवर, नई दिल्ली		
		दिल्ली	मैसर्स नैफेड प्रोसेस्ड फूड. नई दिल्ली		
		दिल्ली	मैसर्स उषा इण्टर नेशनल, नई दिल्ली		
		सिक्किम	मैसर्स गवर्नमेंट फूड प्रिजरवर. सिंगटम		
		पश्चिम बंगाल	मैसर्स दार्जिलिंग फूड प्रिजर्वर्स. सिलीगुड़ी		
		पश्चिम बंगाल	मैसर्स टिग्स प्रोडक्ट लिमिटेड, कलकत्ता		
		पश्चिम बंगाल	मैसर्स तुलीप प्रोडक्ट कम्पनी, कलकत्ता		
		पश्चिम बंगाल	मैसर्स हिन्दुस्तान फूड प्रोसेसिंग वर्क्स		
		पश्चिम बंगाल	मेसर्स मार्क्सम्स प्रोडक्ट, कलकत्ता		

		पश्चिम बंगाल	मैसर्स हिमालयन फूड, सिलीगुड़ी		
		पश्चिम बंगाल	मैसर्स फ्रूट्स एण्ड कम्पनी कलकत्ता		
		महाराष्ट्र	मैसर्स महाराष्ट्र एग्रो इन्डस्ट्रीज डिवलपमेंट कारपोरेशन, नागपुर।		
		महाराष्ट्र	मैसर्स स्नीहैंकी प्रोसेसर्स, नागपुर		
7.	संसोधित दूध की वस्तुयें, गोश्त एवं सूवर के गोश्त की वस्तुएं		इस मद को नेशनल कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन आफ इण्डिया एवं सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़, राजस्थान वूल एन्ड शीप मार्किटिंग फैडरेशन, जयपुर तथा पंजाब पौल्ट्री डिवलपमेंट कारपोरेशन चंडीगढ़ जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से खरीदा जाता है।	18.92,21,215/-	19,92,89 834/-
8.	सेब, सब्जी, गोश्त आदि सहित ताजी वस्तुओं की सप्लाई		इस मद को प्रत्येक स्टेशन में स्थानीय ठेके करके खरीदा जाता है।	1,35,40,23,690/-	1,25,00,02,000/-

1	2	3	4	5	6
9.	सेब का रस	महाराष्ट्र	मैसर्स विगेट एण्ड कम्पनी, पुणे		
		कर्नाटक	मैसर्स किसान्स प्रोडक्ट लि- बंगलौर		
		हिमाचल प्रदेश	मैसर्स एम.पी. हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्किटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन, शिमला ।		
		उत्तर प्रदेश	मसर्स मोहन मीकिंग ओवरीज गाजियाबाद	1,38,680/-	3,36,052/-
		जम्मू और कश्मीर	मैसर्स एच. ए. रहीम एण्ड कम्पनी, श्रीनगर		
			जोड़	2,52,16,47,555/-	2,52,35,97,576/-

परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन

6000. **श्री शांताराम नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बढ़ते हुए आयामों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु उर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) वर्तमान में सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 में कोई बड़ा परिवर्तन किया जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोवा में वन के अन्तर्गत क्षेत्र

6001. **श्री शांताराम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 में संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव के गोवा जिले में कितने क्षेत्र में वन था और अब कितने क्षेत्र में वन है; और

(ख) गोवा में लागू की गई वनरोपण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 1961 में संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण एवं दीव के गोवा जिले में वन के अन्तर्गत 1,053 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था तथा इस समय 902 वर्ग किलोमीटर तक कम हो गया है।

(ख) गोवा में कार्यान्वित की जा रही स्कीमें निम्न प्रकार हैं :—

(i) 1982-83 से पश्चिमी घाट विकासात्मक स्कीम के तहत पश्चिमी घाट का 796 हैक्टेयर बजर इलाका वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाया गया है।

(ii) मृदा संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत तटवर्ती क्षेत्रों, खनन से बने ढेर तथा अन्य बुरी तरह से क्षरित क्षेत्रों के 650 हैक्टेयर में पौधरोपण किया गया है।

(iii) 2, 738 हैक्टेयर परती भूमि को सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया है।

गोवा में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की यूनिट

6002. **श्री शांताराम नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोवा में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कोई यूनिट है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कार्य तथा इसकी उपलब्धियां क्या हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 3 मार्च, 1971 से मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट पर तैनात किया गया है। तैनात कार्मिकों की वर्तमान संख्या 265 है। बल, पोर्ट ट्रस्ट के लिए संरक्षण और सुरक्षा की व्यवस्था करता है।

दिल्ली में औषध तस्कर

6003. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए औषध की तस्करी करने वालों का मुख्य केन्द्र बन गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है कि अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों की सांठ-गांठ से औषध तस्कर फल-फूल रहे हैं; और यदि हां, तो यह सांठ-गांठ किस प्रकार की है और किस सीमा तक है ; और

(घ) औषध तस्करों की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार अपने तंत्र को किस प्रकार सुचारू बना रही है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अनधिकृत स्वापकों के दिल्ली से पारगमन के मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) औषध का व्यापार लाभदायक बन गया है। दिल्ली में बिक्री के लिए लाई गई औषध की कीमत, पाकिस्तान के मुकाबले में दुगुनी होती है और जब इस औषध को विदेश में निर्यात किया जाता है तो इसकी कीमत दस गुना से अधिक प्राप्त हो सकती है। औषध के फुटकर विक्रेता, आटो-रिक्शा चालक, रिक्शा खींचने वाले और पुरानी दिल्ली क्षेत्र में कार्य कर रहे बिदेशी हैं। जो व्यक्ति कुछ समय के लिए औषध के सेवन का आदि बन जाता है, वह बाद में अवैध विक्रेता बन जाता है ताकि इन औषधों की थोड़ी मात्रा बेचकर लाभ उठा सके।

(ग) इस संबंध में दर्ज मामलों की जांच पड़ताल के दौरान औषध तस्करों के साथ अधिकारियों की सांठ-गांठ सिद्ध नहीं हुई।

(घ) सरकार द्वारा निम्नलिखित निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) 14.11.1985 से "मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम" नामक एक नया अधिनियम अधिनियमित किया गया है, जिसमें औषधों के अवैध व्यापार का अपरोध करने वालों को सख्त सजा देने का प्रावधान है। न्यूनतम सजा को 3 वर्ष से बढ़ा कर 18 वर्ष (कठोर कारावास) कर दिया गया है। बार-बार अपराध करने पर 15 साल तक की सजा, जिसे 30 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और भारी जुर्माना किया जा सकता है।

(ii) सरकार ने अन्तर्राज्यीय औषध के अवैध व्यापारियों पर सतर्कता बढ़ा दी है।

(iii) अवैध स्वापकों और औषध की बिक्री के संदेहास्पद स्थानों का पता लगाने के लिए छापे मारे जाते हैं।

(iv) इस प्रकार के व्यापार में अन्तर्ग्रस्त वाहनों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से वाहनों की आकस्मिक जांच की जाती है।

(v) औषध के अवैध व्यापार का पता लगाने के लिए जिले के विशेष दस्तों और अपराध शाखा दोनों के द्वारा निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 14.11.85 से विशेष अभियान चलाया है और बड़ी मात्रा में औषध बरामद की है।

(vi) औषध व्यापार में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिये आसूचना प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है।

(vii) सभी थानेदारों/पुलिस सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में गेस्ट हाऊस/होटलों की जांच करें, जहां विदेशी ठहरते हैं और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखें।

मोनोक्रिस्टालीन सिलिकान का स्वदेशी उत्पादन

6004. **डा. ए. के. पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 6 जनवरी, 1986 से हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित के अनुसार मेट्टूर कैमिल्कस को स्वदेशी और फोटो बोल्टाइक गेज की पोली और मोनोक्रिस्टालीन सिलिकान का स्वदेश में उत्पादन करने में सफलता प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्र की सिलिकन सुविधा के लिए 25 मीटरी टन वार्षिक क्षमता के लिए स्वदेशी संयंत्र पर केवल 3.5 करोड़ रुपये की लागत आई है जबकि इसके लिए 92 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अच्छी किस्म की सिलकान बनाने के लिए अमरीका की हेमलाक कम्पनी प्रोद्योगिकी का आयात करने का विचार त्याग दिया है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) मेटकेम सिलिकन लि., जो मेत्तुर कैमिकल्स की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी है, ने अपने प्रायोगिक संयंत्र में प्रकाशवोल्टीय ग्रेड के पालि तथा मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकन का उत्पादन किया है। जहां तक उत्पादन संयंत्र की प्रगति का सम्बन्ध है, दिनांक 3 मार्च, 1986 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ था; "तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड ने 28 फरवरी से नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति शुरू कर दी है। आरम्भिक काम सुचारू रुप से चल रहा है"

(ख) मेटकेम सिलिकन लि. से अनुरोध किया गया है कि वे यह सूचित करें कि उनके स्वदेशी संयंत्र पर आने वाली लागत क्या है, उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही। राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के 200 मीटरी टन की क्षमता के पालिसिलिकन संयंत्र की लागत के संबंध में पहले 92 करोड़ रू. का अनुमान लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा का कार्यक्षेत्र मेटकेम सिलिकन के संयंत्र के कार्यक्षेत्र से बड़ा है।

(ग) इस विषय पर सरकार का निर्णय, जैसा कि राज्य सभा को दिनांक 14 मार्च, 1985 को सूचित किया गया है, नीचे दिए अनुसार है :—

"स्वदेश में विकसित प्रक्रियाओं की तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता तथा किफायती लागत विषयक वर्तमान मुद्दों की वर्तमान स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मेसर्स हेमलाक सेमीकण्डक्टर कारपोरेशन के साथ सौदा करने का निर्णय किया है। साथ ही साथ, स्वदेशी प्रक्रिया का व्यावसायिक स्तर पर विकास करने के प्रयासों के लिए भी सरकार पूरी सहायता देगी और राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा

के लिए पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में निर्णय मैत्तूर केमिकल्स द्वारा स्थापित किए जा रहे 25 टी. पी. ए- के उत्पादन एकक से प्राप्त होने वाले परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद ही लिया जाएगा।"

जब वे यह सूचित कर देंगे कि मेटकेम सिलिकन लि. के उत्पादन संयंत्र में उत्पादन स्थिर हो गया है, और संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है, तो इसके बाद स्वदेश में विकसित प्रक्रियाओं की इस दृष्टि से जांच की जाएगी कि वह प्रक्रिया तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है या नहीं और लागत की दृष्टि से सस्ती है या नहीं, उत्पादन संयंत्र में तैयार होने वाले उत्पादों का इस दृष्टि से भी मूल्यांकन किया जाएगा कि वे युक्तियों (डिवाइस) वे विनिर्माणकर्ताओं को स्वीकार्य है या नहीं। उत्पादन संयंत्र में तैयार होने वाले उत्पादों का युक्तियों के विनिर्माताओं द्वारा ग्राह्यता की दृष्टि से भी मूल्यांकन किया जाएगा।

किराये के भवनों में भारतीय दूतावास

6005· **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में हमारे अनेक दूतावास अभी तक किराये के भवनों में स्थित हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा इस कारण प्रतिवर्ष कितनी राशि विदेशों को दी जाती है ; और

(ग) इन भवनों को खरीदने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष में यदि कोई राशि निर्धारित की गई है, तो वह कितनी है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों के लिए जो सम्पत्ति किराए पर ली हुई है उसकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

बांसरी	74
मिशन/केन्द्र प्रमुख के लिये निवास स्थान	65
अन्य निवास स्थान	1322

किराए की इन इमारतों पर हर वर्ष लगभग 16 करोड़ रूपए किराए के रूप में देने होते हैं।

(ग) सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों के लिए उपयुक्त जगह खरीदने बनाने की नीति पर चल रही है। इस उद्देश्य के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली क्षेत्र के लिए पंजाब को धनराशि

6006. **श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के विभिन्न दलों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली क्षेत्र हेतु पंजाब के लिए 2800 करोड़ रु. की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने यह राशि कम कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्य और अन्तर-क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं के 3285 करोड़ रु. की समग्र योजना के आकार को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारी दल की 2416.88 करोड़ रु. की सिफारिशों के मुकाबले सातवीं योजना के लिए राज्य के विद्युत क्षेत्र के वास्ते 1638 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी समिति

6007. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पी. के. बसु की अध्यक्षता में हाल ही में परियोजना प्रबंध संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह समिति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारणों की भी जांच करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति ने अब तक किन-किन परियोजनाओं का निरीक्षण किया है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं। समिति प्रस्तावित कार्यशाला के सुचारु संचालन के लिए है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरसौन-काकड़ीघाट और चौबटिया बामस्यू मोटर सड़क का निर्माण

6008. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत हरसौन-काकड़ीघाट और चौबटियां बामस्यू मोटर-सड़क के निर्माण के संबंध में आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक स्वीकृति अब तक दे दी गयी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उपर्युक्त मोटर सड़कों का 50 प्रतिशत निर्माण कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियम से पूर्व पूरा हो गया था।

(घ) यदि हां, तो क्या वन अधिनियम के उपबन्ध भी ऐसी सड़कों के निर्माण पर लागू होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो यह कहां तक उचित तथा तर्क संगत है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन के साथ व्यापार

6009. श्री हरीश रावत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ अधिकारी स्तर पर हुई बातचीत में थल मार्ग से व्यापार प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाले मार्गों पर व्यापार मंडी स्थापित करने के प्रस्ताव पर चीन की प्रतिक्रिया का पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह मंडी कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) चीन सरकार के साथ 1982 में हुई अधिकारी स्तर की बातचीत के तीसरे तौर में चीन की सरकार ने भारत और चीन के स्वायत क्षेत्र तिब्बत के बीच सीमावर्ती व्यापार को पुन: शुरू करने की संभावना से संबद्ध मामला उठाया था।

(ख) से (घ) भारत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के बीच सीमावर्ती व्यापार को पुन: शुरू करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए समितियां

6010. श्री हरीश रावत : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जिला और प्रभाग स्तर पर लोगों के प्रतिनिधियों की बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियां गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में ऐसी समितियां गठित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन समितियों के कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में जिला और खंड/तालुका स्तर पर 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए कार्या-

न्वयन और प्रबोधन समितियों का गठन किया जा चुका है। गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रतिनिधि भी इन समितियों में भाग लेते हैं।

(ग) कोई नया कदम उठाये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

रिमोट सेंसिग'' उपग्रह का छोड़ा जाना

6011. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "रिमोट सेंसिग'' उपग्रह छोड़ने के प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भास्कर-1 और भास्कर-2 नामक प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रहों को सोवियत संघ के सहयोग से क्रमशः 1979 और 1981 में छोड़ा गया था। इन दोनों उपग्रहों का प्रयोग भारत पर प्रकाशिकी, निकट अवरक्त और माइक्रोवेव क्षेत्रों में प्रतिबिम्बकियां प्राप्त करने के लिए किया गया था। विभेदन के स्थूलतर रूप में 1 कि. मी. की कोटि के होने के कारण इन प्रतिबिम्बकियों का उपयोग हिम-गलन वाह, बृहत् जल और भू-क्षेत्रों, भूविज्ञानीय लक्षणों और समुद्री सतह के अध्ययनों के लिए व्यापक रूप में किया गया था। इसके अलावा, एस. एल. वी. 3 द्वारा छोड़ा गया रोहिणी उपग्रह प्रायोगिक सुदूर संवेदन नीतभार ले गया था। इन उपग्रहों से प्राप्त अनुभव के माध्यम से तथा अन्य उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग से लगभग 36 मीटर और 75 मीटर बेहतर विभेदन वाली प्रतिबिम्बकियां प्राप्त करने के लिए एक अर्ध-प्रचालनात्मक स्टेट-आफ-आर्ट भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई. आर. एस.) की परिकल्पना की गई है।

भारतीय सुदूरसंवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह प्रणाली भारतीय संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध की आवश्यकताओं पर तथा कृषि, जल प्रबन्ध, वानिकी, भूविज्ञान, भूमि उपयोग की आयोजना, इत्यादि पर बल प्रदान करने की ओर अभिमुख है। सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई. आर. एस.) के विकास का तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन. एन. आर. एम. एस.) की स्थापना का कार्य प्रगति में है। इस शृंखला के प्रथम अर्ध-प्रचालनात्मक अन्तरिक्षयान का प्रमोचन विदेश से 1987 में किया जायेगा। आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी. एस. एल. वी.) का विकास किया जा रहा है। पी. एस. एल. वी. की प्रथम विकासात्मक उड़ान के 1989-90 में किए जाने की संभावना है।

इलेक्ट्रांनिक्स के क्षेत्र में भारत तथा सोवियत संघ के बीच आपसी सहयोग

6012. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रांनिक्स तथा कम्प्यूटरों के क्षेत्र में सोवियत संघ के साथ आपसी सहयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सोवियत संघ के साथ कितने वर्षों के लिये करार किया गया है; और

(ग) इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्यूटर के क्षेत्र में विकास के लिए भारत-सोवियत संघ संबंधों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां। कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के एक निष्पादन कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) सहयोग का यह निष्पादन कार्यक्रम 1986-90 की पांच वर्ष की अवधि के लिए है।

(ग) आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर गठित भारत और सोवियत रूस के अन्तर सरकारी संयुक्त आयोग के दायरे में एक कार्यदल का गठन किया गया है जो कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और व्यापार में समन्वय स्थापित करेगा और उन्हें बढ़ावा देगा। इस क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा आपसी लाभकारी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कार्यदल की समय-समय पर बैठक होती है।

1986-90 की अवधि के लिए सहयोग के कार्य निष्पादन के कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग को कार्यरूप में परिणत करने के कार्यक्रम (1986-90) की मुख्य-मुख्य बातें

कम्प्यूटर के क्षेत्र में सहयोग

कम्प्यूटरों के क्षेत्रों में हुए द्विपक्षीय सहयोग के दायरे में दोनों पक्ष निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलापों के विकास को बढ़ावा देंगे।

— ई. सी. अनुक्रम (सिरीज) के कप्यूटरों के हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर पर आधारित कम्प्यूटरों तथा उनके अगले सोपान के कम्प्यूयरों का डिजाइन तथा भारत को उनकी आपूर्ति।

— विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपान्त उपस्कर (युक्तियां पेरीफरल डिवाइस) जिनमें वैयक्तिक कम्प्यूटर के उपान्त उपस्कर शामिल हैं, का विकास कार्य, विनिर्माण तथा उनकी सोवियत संघ को आपूर्ति।

— सोवियत रूस द्वारा उत्पादित कम्प्यूटरों पर आधारित विशिष्ट अनुप्रयोगों की कम्प्यूटर प्रणालियों का विकास, विनिर्माण तथा भारत को उनकी आपूर्ति जिसमें अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में ऐसे अनुप्रयोगों के लिए माडलों में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट साफ्टवेयर शामिल हैं।

— सोवियत रूस की प्रणालियों के लिए विशिष्ट अनुप्रयोग साफ्टवेयर पैकेज का विकास तथा भारत से सोवियत संघ को और सोवियत संघ से भारत को उनकी आपूर्ति।

— भारत में बनाई जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं में कम्प्यूटरों और अंकीय

यंत्रीकरण का आगे से एकीकरण प्रौद्योगिकी संबंधी वर्तमान नीतियों और अन्य प्रयोगकर्ताओं और इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा

— स्वचालित प्रणालियों के लिए प्रणालियों, डिजाइन, कम्प्यूटर पर आधारित डिजाइन, (सी.ए.डी), कम्प्यूटर पर आधारित प्रबंध (सी.ए.एम.) तथा साथ ही विशिष्ट कार्योन्मुख प्रणालियों की सोवियत संघ को और सोवियत संघ से भारत को उनकी आपूर्ति।

2. **दोनों पक्ष निम्नलिखित को बढ़ावा देंगे।**

भारत को जिन कम्प्यूटरों की आपूर्ति की जानी है उनके अनुरक्षण करने, उनके लिए अतिरिक्त कल पुर्जों की आपूर्ति करने एवं साफ्टवेयर विषयक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण और सोवियत संघ को जिन इलेक्ट्रानिकी उपस्करों की आपूर्ति की जानी है, उनके लिए इन्हीं मूल संरचानात्मक सुविधाओं का विनिर्माण। भारतीय पक्ष से इन मूल संरचनात्मक सुविधाओं में ऐसी वस्तु भी शामिल होंगी, जिन्हें इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा प्रमाणित इकाइयों/पार्टियों से खरीदा जाएगा।

3. **इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में सहयोग**

इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के दायरे में दोनों पक्ष निम्नलिखित प्रमुख दिशाओं में विकास कार्य को बढ़ावा देंगे।

— भारतीय पक्ष द्वारा विनिर्धारित की जाने वाली सूचियों के अनुसार भारत को संघटक-पुर्जों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्ति।

— सोवियत संघ द्वारा विनिर्धारित की जाने वाली इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की सोवियत संघ को आपूर्ति।

4. **वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग तथा औद्योगिक सहयोग**

कम्प्यूटरों तथा इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग तथा औद्योगिक सहयोग निम्नलिखित प्रमुख दिशाओं में विकसित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि घरेलू तथा व्यावसायिक दोनों प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक कम्प्यूटरों के डिजाइन एव उत्पादन की दिशा में प्रचार करना लाभदायक होगा, जिनमें इस रूप से शैक्षणिक अनुप्रयोगों के लिए (माध्यमिक विद्यालयों मध्य तथा उच्च स्तर शैक्षिणक संस्थानों में) के लिए प्रयुक्त होने वाले वैयक्तिक कम्प्यूटर शामिल हैं। इस सहयोग का लक्ष्य दोनों देशों की आन्तिरिक मांग के कुछ अंश को पूरा करने के अलावा तृतीय विश्व के देशों के बाजारों को उनकी अपूर्ति करना भी है।

5. **तृतीय विश्व के देशों में सहयोग**

— दोनों पक्ष तृतीय विश्व के देशों को उद्यम/आपूर्ति के लिए सहयोग को मजबूत करना उपयोगी मानते हैं।

— दोनों पक्ष तृतीय विश्व के देशों में संयुक्त परियोजनाओं में भाग लेने की संभावना की जांच करेंगे जिसमें सोवियत रूस के हार्डवेयर तथा भारतीय हार्डवेयर के आधार पर कम्प्यूटर प्रणालियों का अपने-अपने देशों के बाजारों में संयुक्त कार्य-कलाप आरम्भ करना शामिल है। साथ ही इन हार्डवेयर में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट प्रकार के सांफ्टवेयर के क्षेत्र में भी संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही ऊपर उल्लिखित हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के प्रतिष्ठापित करने, उनका अनुरक्षण करने एवं उनके प्रचालन में और हार्डवेयर साफ्टवेयर प्रणाली-इन्जीनियरी के क्षेत्र में भारतीय संगठनों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा।

— दोनों पक्षों के संगठनों के संयुक्त प्रयासों से तैयार किए गए डिजाइन और उनके द्वारा विनिर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पादों को तृतीय विश्व के देशों के बाजारों में प्रस्तुत करने की संभावना की जांच भी दोनों पक्ष मिलकर करेंगे।

घरेलू रसोई के उपकरणों से सुधार

6013. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं का घर में एड़ी मेहनत से मुक्ति दिलाने के लिए उपकरणों का आविष्कार करने का कोई कार्यक्रम है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार का विचार आटा गूंधने, लकड़ी जलाने की अंगीठी अथवा मिट्टी के तेल से जलने वाले अच्छे स्टोवों, इत्यादि बनाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग "महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" शीर्ष से एक सहायतानुदान को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत, अनुसंधान और विकास, प्रदर्शनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों सूचना का प्रचार आदि संबंधी परियोजनाओं को उन क्षेत्रों में प्रायोजित किया जा रहा है जो महिलाओं की कामकाजी नीरसता में कमी लाने, उन्हें आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार में सहायता प्रदान करे।

विभिन्न प्रकार के ईंधन और खाना पकाने की प्रणालियों के विकास और उन्हें शुरू करने, कुओं से पानी निकालने में महिलाओं की नीरसता में कमी लाने के लिए युक्तियों तथा शोक गंत आदि के माध्यम से जल निकासी में सुधार के कार्यों को शुरू किया गया है। साधारण तेल निकालने तथा भूसी से तेल निकालने वाली युक्तियों को भी विकसित किया गया है।

(ग) आटा गूंधने वाली मशीन आदि का निर्माण और विकास करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों अथवा स्वयंसेवी अभिकरणों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है। उपयुक्त वैज्ञानिक तत्वों के साथ इन परियोजना प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के

लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सामान्य प्रक्रिया के अधीन इनका मूल्यांकन किया जाता है।

विदेश मंत्री की थाईलैण्ड यात्रा

6014. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मार्च, 1986 के मध्य में थाईलैण्ड की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी द्विपक्षीय वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या वार्ता के दौरान थाईलैण्ड को भारत के निर्यात और उस देश को भारतीय पर्यटकों के बारे में भी बातचीत की गई थी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां। विदेश मंत्री 13 मार्च 1986 को थाईलैण्ड की राजकीय यात्रा पर गए थे। महामहिम नरेश से मुलाकात करने के अतिरिक्त वे थाईलैण्ड के प्रधान मंत्री से भी मिले और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। इन व्यापक विचार-विमर्शों से आपसी समझ-बूझ को संवर्धित करने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में सहायता मिली है।

(ग) जी हां। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार का समूचा स्तर बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। इस बातचीत के दौरान पर्यटन में सहयोग, विशेष रूप से तीसरे देशों से यातायात को संवर्धित करने का भी जिक्र किया गया।

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

6015. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों सेना और सीमा सुरक्षा बल का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में उक्त धनराशि को किन कार्यों पर व्यय किया जाएगा; और

(ग) इन सीमावर्ती राज्यों में प्रत्येक के लिए मद-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए एक नया कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव है। योजना में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के सन्तुलित विकास को शुरू करने के लिए कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है।

(ख) तथा (ग) प्रस्तावित कार्यक्रम का ढांचा तथा शुरू की जाने वाली योजनाओं के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान संबंधी रहस्यों की तस्करी

6016. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान रहस्यों को सरकार की अनुमति के बिना विदेश ले जाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों म राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) प्रमुख वैज्ञानिक एजेन्सियों यथा आई.सी.एम.आर., आई.सी.ए.आर., परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष विभाग आदि से उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार के ध्यान में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं लाया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रहस्यों को विदेश में ले जाया गया है।

(ख) जहां कहीं भी आवश्यक होता है, गुप्त प्रकृति के अनुसंधान परिणामों की सुरक्षा की सावधानी बरती जा रही है।

कालीकट और कोचीन पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा अर्जित राजस्व और खर्च की गई धनराशि

6017. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालीकट और कोचीन पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा वर्ष 1985 के दौरान अलग-अलग कितना राजस्व अर्जित किया गया और कितनी धनराशि खर्च की गई।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.आर. नारायणन) : 1985 के संगठन आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	अर्जित राजस्व (रुपए में)	खर्च रुपए में)
कालीकट	40,71,972.50	11,29,656.00
कोचीन	62,74,585.26	24.80,723.46

केरल और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद

6018. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और कर्नाटक के मंत्रियों द्वारा केरल और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के बारे में समय समय पर दिए गये वक्तव्यों को केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या रुख अपनाया है;

(ग) क्या इस मामले में केरल राज्य के पक्ष की सुनवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) (ग) (घ) भारत सरकार को इस सीमा विवाद से सम्बन्धित राज्य सरकारों के रुख की पहले ही जानकारी है।

(ख) यह विवाद दोनों संबंधित राज्य सरकारों के हार्दिक सहयोग द्वारा ही हल किया जा सकता है और इसके लिये केन्द्र सरकार को उन्हें पूर्ण सहायता देने में हर्ष होगा।

केरल में वृक्ष काटने के लिए छूट

6019. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से छूट दी है जिसके अन्तर्गत वे गैर वन प्रयोजनों हेतु वनों को काट सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी छूटें दी गई हैं और इस प्रकार कितने क्षेत्र से वन काटे गये हैं; और

(ग) क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी छूट देने से पूर्व सभी निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में रिमोट सेंविंग एप्लीकेशन सेंटर के लिए सहायता

6020. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिकी विभाग रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के लिए एक कम्प्यूटर के लिये धन दे रहा है;

(ख) क्या उड़ीसा से ऐसे केन्द्र के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रयोक्ता अभिकरणों के लिए यह और बेहतर होगा कि इलेक्ट्रानिकी विभाग की बजाए वे स्वयं ही सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्रों के लिये धनराशि उपलब्ध करायें, क्योंकि इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास इस क्षेत्र में कोई अनुमोदित योजनागत परियोजनायें नहीं हैं।

विदेशों में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

6021. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में जहां भी आवश्यक हो, सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के. आर. नारायणन : (क) जी, हां।

(ख) इस समय सूवा (फिजी), पारामारिनो (सूरीनाम) और जार्जटाउन (गुयाना) में हमारे सांस्कृतिक केन्द्र है। बौन्न (जर्मन संघीय गणराज्य) में एक कल्चरल विन्डो भी हाल ही में खोली गई है। कुछ अन्य देशों में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए योजनायें

6022. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए इस समय कौन-कौन सी योजनायें चलाई जा रही हैं;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कितने परिवार लाभान्वित हुये हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में सातवीं योजना अवधि में अनुसूचित जातियों को विभिन्न प्रकार के लाभ पहुँचाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) जो अनुसूचित जातियों के उत्थान की योजनायें हैं निम्नलिखित तीन व्यापक वर्गों में आती है—

(1) परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास की योजनायें।

(2) अनुसूचित जाति बस्तियों के सुधार जैसी क्षेत्र विकास योजनायें।

(3) मानव संसाधन विकास योजनायें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवारोन्मुख योजनाओं में 7,23,000 अनुसूचित जाति परिवार शामिल किए गए थे।

(ग) तथा (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10,27,000 अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक सहायता देने का अस्थाई लक्ष्य है। इस लक्ष्य में 7,23,000 पुराने परिवार शामिल हैं जिनको पूरक सहायता और प्रोत्साहन सम्बन्धी मदद की आवश्यकता है। सातवीं योजना अवधि के लिए राज्य की विशेष संघटक योजना के लिये अस्थाई आवंटन 414 करोड़ 96 लाख रुपये है। यह अनेक केन्द्रीय सहायताओं से प्राप्त धन राशि के अतिरिक्त है।

केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनायें

6023. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिये किये गये राशि आवंटन, उनकी उपलब्धियों और लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के बारे में रिपोर्ट मिली : और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी : (क) से (घ) केन्द्र सरकार

और केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के लिए आवंटन, उपलब्धि और लक्ष्यों संबंधी आंकड़ों का फैसला नहीं किया जाता और इनका ब्यौरा राज्यवार आधार पर नहीं रखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये, इस प्रश्न के सम्बन्ध में संक्षिप्त सूचना दे पाना संभव नहीं होगा।

एन्टारटिका संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सलाहकार पार्टियां

6024. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो एन्टारटिका संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सलाहकार पार्टियां हैं,

(ख) ऐसी सलाहकार पार्टियों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं,

(ग) क्या और अधिक देशों को एन्टारटिका संधि की पार्टी बनाने की दृष्टि से इस संधि में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है,

(घ) क्या किसी देश ने एन्टारटिका में किसी प्रकार का खनन कार्य आरम्भ किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे कार्य विचाराधीन है और यदि हां, तो क्या भारत को ऐसे कार्यों में भाग लेने का अधिकार होगा ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) अकार्टटिक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली सलाहकार पार्टियां हैं ; अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, चिली, जर्मनी संघीय गणराज्य, फ्रांस, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, नार्वे, चीन जन गणराज्य, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, उरुग्वे, अमेरिका।

(ख) सलाहकार पार्टियों के अधिकार और कर्तव्य हैं—सलाहकार पार्टियों की बैठकों में मतैक्य के आधार पर अन्टार्कटिका से सम्बन्धित सभी मामलों पर निर्णय लेना। गैर सलाहकार पार्टियों को प्रेक्षक के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

(ग) संधि के वर्तमान अनुच्छेदों के अन्तर्गत और देशों को अंटार्कटिक संधि में सम्मिलित करने के लिये संधि में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इस संधि में वे सभी देश सदस्य बन सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) इस समय अन्टार्कटिका के लिए खनिज संसाधन शासन प्रणाली की स्थापना के लिए संधि-वार्ता चल रही है। भारत इन संधि वार्ताओं में बहुत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से प्राप्त हुई धनराशि

6025. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत धन प्राप्त हुआ था;

(एक) रुरल डेवलपमेंट एडवायजरी सर्विसेज, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश;

(दो) यंग इन्डिया प्रोजेक्ट, धेनुमकोंडा, जिला कुडुप्पा;

(तीन) रुरल डेवलपमेंट एसोसियेशन, झारग्राम, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में प्रत्येक संगठन को कितनी राशि प्राप्त हुई ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कुछ स्वयं सेवी संगठनों द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान विदेशी धन राशि की प्राप्ति और नामों की सूची।

क्र.सं.	संगठन का नाम	धन प्राप्त (रुपयों में)			
		1980	1981	1982	1983
1.	रुरल डेवलपमेंट एडवायजरी सर्विसेज, खैना, तारनाका सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश	17,34,418.40	45,81,649.00	18,31,961.00	28,01,304.99
2.	यंग इन्डिया प्रोजक्ट, पेनुमकोंडा अनन्तापुर, आन्ध्र प्रदेश।	8,32,439.76	16,69,279.15	6,55,256.53	15.63,924.69
3.	रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, झाड़ग्राम, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	41,445,45	1,49,230.00	3,01,400.00	3,40,900.00

लिटिल अन्डमान के अधिकारियों की समस्यायें

6026. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिटिल अन्डमान के आदिवासियों को आवंटित की गई कृषि भूमि धान की खेती के योग्य नहीं है और वहां कोई सिंचाई सुविधायें और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार लिटिल अन्डमान में बसे व्यक्तियों की समस्याओं की जांच कर रहा है;

(ग) रामाकृष्णपुर में जल सप्लाई योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) लिटिल अन्डमान में बसे कार-निकोबार के आदिवासियों को 1000 एकड़ भूमि देने का आश्वासन दिया गया था और उन्हें केवल 500 एकड़ भूमि आवंटित की गई और ये परिवार बहुत कठिनाई में हैं;

(ङ) क्या सरकार उन्हें 500 एकड़ भूमि और आवंटित करने पर विचार करेंगी; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कानपुर में सफाई के लिए फलश (वाटर बोर्न) सिस्टम

6027 **डा. वी. वेंकटेश** : क्या रक्षा मंत्री कानपुर में सप्लाई के लिये फलश (वाटर बोर्न) सिस्टम के बारे में 18 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में सफाई के लिये फलश (वाटर बोर्न) सिस्टम के लिए निविदायें स्वीकार करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि बोर्ड ने वहां के निवासियों को इस प्रकार की न्यूनतम सुविधायें प्रदान करने के लिए इस लम्बे समय तक कोई कदम नहीं उठाया;

(ग) जलपूर्ति की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) नेपियर रोड/शान्ति नगर के निवासियों द्वारा पी. एंड. टी. की सीवर लाइन से लिये गये सेनीटरी कनैक्शनों को नियमित करने और उनका रख-रखाव करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) चूंकि जलपूर्ति बढ़ाने और फलश सीवर व्यवस्था का विस्तार करने के लिए 1.07 करोड़ रुपए की एक एकीकृत योजना विचाराधीन है अतः छावनी बोर्ड ने इस संबंध में कोई अन्तरिम उपाय नहीं किया है ।

(घ) इस क्षेत्र की सीवर लाइन बोर्ड के अन्तर्गत नहीं है इसलिए बोर्ड द्वारा इन कनैक्शनों को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू और काश्मीर में दंगों का जायजा लेने के लिए केन्द्र द्वारा भेजे गये दल के निष्कर्ष

6028 **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के दंगों के दौरान हुए जान माल की क्षति का जायजा लेने के लिए केन्द्र द्वारा जम्मू और कश्मीर में कोई दल भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उस दल के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है दावे प्रस्तुत करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा अब तक कितनी राशि के दावे प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ङ) उनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) यह राज्य सरकार का मामला है।

भूकम्पों से प्रभावित स्थान

6029. **श्री ओबल्लम पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-फरवरी, 1986 के दौरान देश के विभिन्न भागों में भूकम्प आये थे; और

(ख) यदि हां, तो भूकम्पों से कौन-कौन से स्थान प्रभावित हुये ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी और फरवरी 1986 में आये भूकम्प द्वारा प्रभावित स्थानों को नीचे दर्शाया गया है :—

क्रम सं.	स्थान	तिथि
1.	अण्डमान द्वीप क्षेत्र	3-1-86
2.	दार्जिलिंग के निकट (पश्चिमी बंगाल)	8-1-86
3.	अफगानिस्तान-यू. एस. एस. आर. (सोवियत संघ) सीमा (रिपोर्ट के अनुसार इसे श्रीनगर, कश्मीर में महसूस किया गया था।)	14-1-86
4.	जिला धनकेनाल, उड़ीसा (रिपोर्ट के अनुसार इसे तलचर तथा अन्य निकटवर्ती स्थानों में महसूस किया गया था)	19-1-86
5.	निकोबार द्वीप क्षेत्र	28-1-86
6.	मिजोरम (रिपोर्ट के अनुसार इसे शिलांग और अगरतल्ला में महसूस किया गया था)	8-2-86
7.	जिला बलसाढ़ गुजरात (रिपोर्ट के अनुसार इसे बलसाढ़ में महसूस किया गया था)	16-2-86 तथा 18-2-86
8.	भारत-बगला देश सीमा (रिपोर्ट के अनुसार इसे शिलांग में महसूस किया गया था)	19-2-86
9.	अन्डेमान द्वीप क्षेत्र	23-2-86

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आश्रम स्कूल

6030. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों में साक्षरता की प्रतिशतता राष्ट्रीय प्रतिशतता के बराबर लाने की दृष्टि से वहां लड़कों तथा लड़कियों के लिए और अधिक आश्रम स्कूल खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार वहां लड़कों और लड़कियों के लिए नये आश्रम खोलने के लिए अब भी राज्यों को पूरी सहायता नहीं दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए आश्रम खोलने के लिए राज्य सरकार को शतप्रतिशत राशि देने का बजट में प्रावधान करने का है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम स्कूलों को स्थापित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) आश्रम स्कूल योजना राज्य क्षेत्र में होने के कारण, इसके लिए बजट सबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य सरकारों के सनसाधनों से की जा[illegible]

[अनुवाद]

सेना के लिए फील्ड उपकरण

6031. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे पड़ोसी देश के अनिश्चित और विरोधी रवैये को ध्यान में रखते हुये भारतीय पैदल सेना को मशीनों से सज्जित करने का महत्व अत्याधिक बढ़ गया है;

(ख) मेडक में बी. एम. पी.-11 का निर्माण करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार सेना के आधुनिकतम फील्ड उपकरणों से सज्जित करने पर विचार करेगी क्योंकि इस क्षेत्र में अन्य देशों में काफी प्रगति हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण सिंह) : (क), (ग) और (घ) पैदल सेना की यूनिटों में मशीनीकरण लाने और उपकरणों का आधुनिकीकरण करने का काम अनेक बातों पर निर्भर करता है जिनमें इस क्षेत्र में संभावित खतरों एवं प्रौद्योगिकी में विकास शामिल है। इन पर बराबर नजर रखी जाती है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं।

(ख) मेडक में पैदल सेना के लिए योधी वाहनों के उत्पादन की परियोजना संतोषजनक रूप से चल रही है और यह सोवियत सहयोगकर्त्ताओं के परामर्श से तैयार की गई उत्पादन अनुसूची के अनुसार चल रही है।

सातवीं योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक परियोजनाएं

6032. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में कुछ नई इलेक्ट्रानिक परियोजनायें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजानाए स्थापित करने का विचार है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं ; जहां पर यह परियोजनायें स्थापित करने का विचार है;

(घ) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु उर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ङ) इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नई विनिर्माणकारी परियोजनाओं की स्थापना करने का कोई स्वीकृत प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू की जाने वाली निम्नलिखित योजनाएं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हैं :

1. इलेक्टानिकी संघटक-पुर्जा विकास कोष।
2. अनुसंधान तथा विकास केन्द्र और विद्युत(पावर)सेमीकण्डक्टर युक्तियों का उत्पादन।
3. टेलीमैटिक्स संवर्धन तथा विकास कार्यक्रम।
4. पांचवें सोपान के सुपर लघु कम्प्यूटर विषयक डिजाइन कार्यक्रम।
5. कम्प्यूटर नेटवर्किग में उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम।
6. यंत्रांश सामग्री (साफ्टवेयर) निर्यात संवर्धन कार्यक्रम।

इलेक्ट्रानिकी परियोजनाओं स्थापना करने के लिए अन्य विभागों की योजना से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित करके लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सामाजिक वानिकी सम्बन्धी वार्षिक योजना

6033. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान सामाजिक वानिकी संबंधी वार्षिक योजना पर राज्यों और केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में कुल 450 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) ऐसी आशा की जाती है कि वर्ष 1986-87 के दौरान सामाजिक वानिकी के लिए 450 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध होगी, इसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

निधि के स्रोत	करोड़ रुपयों में
वानिकी, केन्द्रीय क्षेत्र	40
वानिकी, राज्य क्षेत्र	190
ग्रामीण विकास योजनायें	220
योग	450

वर्ष 1980-85 के दौरान केरल को उद्योगों के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

6034. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1985 तक केरल को उद्योगों के विकास के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ; और

(ख) केरल ने उक्त प्रत्येक वर्ष में वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया ?

योजना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. के. पंजा) : (क) और (ख) सूचना से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल की राज्य योजना औद्योगिक क्षेत्र के लिए : 1980-81 से 1984-85 तक परिव्यय और व्यय

क्षेत्र	1980-81 अनुमोदित परिव्यय	1980-81 वास्तविक व्यय	1981-82 अनुमोदित परिव्यय	1981-82 वास्तविक व्यय	1982-83 अनुमोदित परिव्यय	1982-83 वास्तविक व्यय	1983-84 अनुमोदित परिव्यय	1983-84 वास्तविक व्यय	1984-85 अनुमोदित परिव्यय	1984-85 वास्तविक व्यय
1. बड़े और मझौले उद्योग	23.60	22.90	23.60	22.79	23.60	19.37	24.50	24.48	24.53	24.71
2. खनिज विकास	0.25	0.27	0.30	0.27	0.30	0·24	0.40	0·50	0.43	0.43
3. ग्राम और लघु उद्योग	8.50	8.26	8.50	10.28	8.50	7.89	9.00	9·02	11.02	10.98
जोड़ : औद्योगिक क्षेत्र	32.35	31.43	32.40	33.34	32.40	27.50	33.90	34·00	35.98	36.12

[हिन्दी]

अनुसुचित जातियों की बालिकाओं के लिए होस्टलों के निर्माण के लिए राज्यों को अनुदान

6035. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हरिजन बालिका आश्रम और हरिजन बालिका होस्टलों के भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत राशि देती है;

(ख) क्या सरकार लड़कों के लिए होस्टलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को कोई राशि नहीं देती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार लड़कों के होस्टलों के लिये भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को कम से कम 50 प्रतिशत का बराबर का अनुदान देने पर विचार करेगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बालिका छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति की बालिकाओं के छात्रावास के निर्माण के लिए 50:50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान में इस योजना को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का पर्यटकों के वेश में भारत आना

6037. **श्री कुंवर राम :**
श्री सुरेश कुरूप :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 55000 पाकिस्तानी राष्ट्रकों को पकड़ने के लिए, जो पर्यटकों के वेश में भारत आये थे और अब भूमिगत हो गये हैं, उनके संबंधियों, मित्रों और साथियों की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप पिछले छः महीनों के दौरान कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक पकड़े गये हैं; और

(ग) उनमें से कितनों को पाकिस्तान भेज दिया गया है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण नेहरु) : (क) से (ग) : भारत पाक वीसा समझौते में पर्यटन की व्यवस्था नहीं है । हाल ही में भारत और पाकिस्तान सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किये गए एक अलग समझौते के अन्तर्गत केवल सामूहिक पर्यटन की अनुमति है । इस योजना के अन्तर्गत पाकिस्तानियों के तीन ग्रुपों ने भारत का दौरा किया था लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनमें से कोई भूमिगत हो गया था । इसलिये उनको गिरफ्तार करने और वापस पाकिस्तान भेजने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पदोन्नति कोटा

6038. **प्रो.नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सेवाओं के अधिकारियों को भारतीय

प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति का फार्मूला पहले के 33.3 प्रतिशत के मुकाबले 40 प्रतिशत करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिश किस तारीख से स्वीकार की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त सिफारिश किस तारीख से स्वीकार किये जाने की संभावना है ?

(घ) इस समय प्रतिशता की गणना वरिष्ठ पदों की संख्या की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या के आधार पर किया जाता है जिसके परिणाम-स्वरूप वर्तमान संख्या के 44 प्रतिशत संख्या की अनदेखी कर दी जाती है ; और

(ङ) इस त्रुटि को कब तक दूर कर दिये जाने की संभावना है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए उस समय जो 25% का कोटा था, उसमें कोई वृद्धि किए जाने के लिए विशेष रूप से सिफारिश नहीं की थी। तथापि राज्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद पदोन्नति की सीमा को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक बढ़ा देने का निर्णय किया पदोन्नति कोटे में और अधिक वृद्धि करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) तथा (ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोटे की गणना कुल प्राधिकृत पद संख्या के संदर्भ में नहीं अपितु वरिष्ठ ड्यूटी पदों तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व की कुल पद संख्या के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के आधार पर की जाती है। सरकार गणना के इस तरीके में कोई ऐसी विसंगति अथवा त्रुटि महसूस नहीं करती जिसमें सुधार करने की आवश्यकता हो।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल

5039. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के लिए प्रत्येक राज्य में कितने होस्टलों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचितजातियों और अनुसूचित जनजातियों के बालकों और बालिकाओं के लिए होस्टलों के निर्माण का कार्य धन के अभाव के कारण रूका पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो धन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की जा रही है ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हो ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त होने के पश्चात सदन के पटल पर रखी जाएंगी।

आयुध कारखानों द्वारा इलैक्ट्रानिक रक्षा उपकरणों का निर्माण

6040. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2—8 फरवरी, 1986 के "सन्डे" के पृष्ठ संख्या 27—28 पर प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इलैक्ट्रानिक रक्षा उपकरण का उत्पादन करने के लिए आयुध कारखानों को सक्रिय बनाने हेतु पर्याप्त रूप से सुधारने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आयुध कारखानों को सुसज्जित करने के लिए कोई योजना तयार की है ताकि वे परम्परागत हथियारों का निर्माण करने की बजाए आसानी से आधुनिक इलैक्ट्रानिक युद्ध उपकरणों का उत्पादन कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) प्रश्न में जिस समाचार का उल्लेख किया गया है उसमें अग्नि नियंत्रण के लिये "आप्टो—इलैक्ट्रानिक" उपकरणों के बारे में कहा गया है।

(ख) आयुध निर्माणियों में उन परम्परागत हथियारों, जिनकी अभी भी आवश्यकता है, के अतिरिक्त अग्नि नियंत्रक आप्टो इलैक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन करने के लिए पहले से ही कार्यवाई चल रही है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शिक्षण कर्मचारी

6041. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शिक्षा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर छठे महीने कैडेटों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सेवा प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक पदों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हर छठे महीने कैडेटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है और सेवा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध के बावजूद कुवैती राष्ट्रिकों का प्रवेश

6042. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दो कुवैती राष्ट्रिकों, जिनके भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, भारत आये थे और केरल में त्रिवेन्द्रम में कुछ दिन रहे थे;

(ख) इन दो व्यक्तियों के नाम क्या हैं और प्रतिबन्ध के बावजूद वे भारत में कैसे आये; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दो कुवैती राष्ट्रिक, सर्व/श्री अल सैय्यद यूसुफ सैय्यद हासम अल रेफाई

और अनवर सैय्यद याकूब अल रेफाई थे। राज्य सरकार ने मामले की ब्यौरेवार जांच करने के आदेश दिए हैं और गलती करने वाले अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है।

मिलिटरी इन्जीनियर्स सर्विस के औद्योगिक कर्मचारी

6043. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम :**

डा. वी. वेंकटेश :

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मिलिटरी इन्जीनियर्स सर्विस के औद्योगिक कर्मचारियों को तीसरे वेतन आयोग तथा तीन ग्रेड वेतन ढांचे के कार्यान्वयन संबंधी विसंगती समिति द्वारा संस्तुत वेतनमानों के अन्तर्गत लाने का कार्य आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है;

(ग) इसके कार्यान्वयन के लिए कितना समय लगने की संभावना है; और

(घ) यदि चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पूर्व इसे कार्यान्वित नहीं किया गया तो इसके प्रतिकूल प्रभाव को किस प्रकार ठीक किया जाएगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) 15.10.1984 को रक्षा मंत्रालय ने विसंगति समिति (जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति की रिपोर्ट को अपनाएं जाने पर उत्पन्न विसंगतियों को देखने के लिए स्थापित किया गया) की सिफारिशों के आधार पर जो आदेश जारी किए, उनका संबंध—

(I) कुछ अर्धकुशल श्रेणियों का दर्जा बढ़ाने; और

(II) रक्षा स्थापनाओं में समान श्रेणी के कुछ पदों के लिये तीन ग्रेड बनाने से है, अर्थात् कुशल, उच्च कुशलता प्राप्त ग्रेड-II और उच्च कुशलता प्राप्त ग्रेड-1।

भर्ती नियमों के बनने तक के लिये यह भी निर्णय किया गया कि इस तीन श्रेणी ढांचे के अन्तर्गत उस कर्मचारी को पदोन्नति दी जाएगी जिसे निम्न पद में तीन वर्ष का अनुभव हो और जिसने अपेक्षित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

इन्जीनियर-इन-चीफ ब्रांच ने मिलिटरी इन्जीनियरी सेवा के औद्योगिक कर्मचारियों की जल्दी से ट्रेड परीक्षाएं लेने एव इसे पूरा करने के लिये, चीफ इन्जीनियरों के कमानों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। ट्रेड परीक्षायें चल रही हैं।

(घ) इस स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता।

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद] **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये। **(व्यवधान)**

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय अन्य सूचनाओं की अपेक्षा स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाती है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये। मैं बारी-बारी से बुलाऊंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर)। महोदय आप एक व्यक्ति को सत्ता पक्ष से तथा एक को विपक्ष में से बुला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ऐसे नहीं। मैं आप सभी को बुलाऊंगा। श्री पाटिल।

श्री विजय एन. पाटिल (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दमन डिपो में टाटा, लेलेंण्ड तथा हिन्दुस्तान मोटर्स के बड़ी संख्या में पंजीकृत किये जा रहे वाहनों एवं ट्रकों के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस की जांच करूंगा। कृपया बैठ जाईये।

श्री विजय एन. पाटिल : मैं आपसे आपके कक्ष में मिलूंगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि मैं आप सभी को बुलाऊंगा। मैं आपको भी बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाईये। जी हां, श्री जैना।

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : महोदय मैंने तीन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। पहला, श्रमिक समस्या की वजह से कलकत्ता में यूनाईटिड कमर्शियल बैंक आफ वेस्ट बंगाल का मुख्यालय तथा इसकी सभी शाखायें बन्द हो गयी हैं। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। दूसरे.....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। बस, यह काफी है। मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मैडम आप क्या चाहती हैं ?

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) मैं बैंकिंग मन्त्री जी की ओर से वक्तव्य चाहती हूं। वे यहां पर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था बिगड़ती जा रही है ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक प्रस्ताव दीजिये।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं सूचना पहले ही दे चुकी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने नहीं दी है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रस्ताव के रूप में लिख कर दीजिये। कृपया बैठ जाईये। जी हां, श्री तिवारी जी। (**व्यवधान**)

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से वक्तव्य दिए जाने की मांग करता हूं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। प्रत्येक दिन विदेशी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं। **इलेस्ट्रेटिड वीकली** में एक लेख छपा है जिसमें प्रधान मंत्री की हत्या के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। यद्यपि इसको कहानी के रूप में चित्रित किया गया है। प्रधान मन्त्री को 'ब्लैक वुल्फ' कहा गया है। तथा इसे 'आपरेशन ब्लैक वुल्फ' का नाम दिया गया है। यह गम्भीर बात

है··· (व्यवधान) । एक बहुत ही जिम्मेदार पत्रिका प्रधान मंत्री के जीवन के बारे में इस तरह के लेख छापती हैं । सरकार को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि प्रधान मंत्री की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं । तथा प्रधान मन्त्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता । यह बात किस तरह सामने आई इसकी जांच होनी चाहिए । यह बहुत ही अजीब बात है कि इसका लेखक चार्ल्स शोभराज है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. तिवारी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। (व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : यह झूठा नाम है । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस आशय का वक्तव्य दे कि प्रधान मंत्री के जीवन की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा इस मामले की जांच करने के बारे में क्या किया जा रहा है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये । यद्यपि यह कहानी है परन्तु सभी लोग इस बारे में चिन्तित हैं तथा मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं । मेरे विचार से मंत्रालय प्रधान मन्त्री की सुरक्षा तथा इस बात पर ध्यान देगे । वे इस ओर ध्यान देंगे । कृपया बैठ जाहिए । (व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : गृह मन्त्री को इसी समय वक्तव्य देना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस बात पर ध्यान देंगे । अपने स्थान पर बैठ जाइये । आपने इसे लिखित में दिया है । मैं इसे आगे भेज दूंगा । (व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री की सुरक्षा के बारे में वे बता रहे हैं । मैंने कहा है कि वे इस बात पर ध्यान देंगे तथा तथ्यों का पता लगायेंगे । (व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है तथा हम चाहते हैं वक्तव्य दिया जाए । (व्यवधान)

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उस पर जो कुछ आपने कहा मैं उसे सुन नहीं सका । उन्होंने जो कहा है वह इस प्रकार है कि आप आवश्यक जांच करवाने तथा सदन में जल्दी से जल्दी वक्तव्य देने के लिए गृह मंत्री जी से अनुरोध करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि चाहे यह कहानी ही क्यों न हो, सभी लोग इस बारे में तथा प्रधान मंत्री की सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री जी भी इस ओर ध्यान देंगे ।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (धोसी) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में असलहों के लाइसेंस पर रोक लगी हुई है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश हैं कि असलहों के लाइसेंस लगभग नहीं के बराबर दिए जायेंगे । नतीजा यह हो रहा है कि अन सोशल एलिमेंट्स किसी न किसी तरह हथियार रखकर शरीफ लोगो की जान के लिए खतरा बने हुए हैं । इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई तरीका अपनाया जाये जिससे कि शरीफ लोगों की जान व माल की रक्षा हो सके तथा अनसोशल एलिमेंट्स पर प्रतिबन्ध लग सके ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वक्तव्य दे चुके हैं। कृपया आप बैठ जाइये।

श्री नारायण चौबे : (मिदनापुर) महोदय, विश्व बैंक रुपए का अवमूल्यन करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाल रहा है। उसका प्रतिवेदन आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री नारायण चौबे : महोदय, विश्व बैंक रुपये का मूल्य घटाने के बारे में भारत सरकार पर दबाव डाल रहा है तथा इसके बारे में सरकार का दृष्टिकोण जानने के लिए मैं सरकार का उत्तर चाहता हूं। यह गम्भीर मामला है। विश्व बैंक भारत सरकार तथा हमारे आन्तरिक मामलों में दखल दे रहा है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : जाने दीजिए।

श्री नारायण चौबे : क्यों जाने देंगे ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री नारायण चौबे : महोदय, आपको मालूम है पहले क्या हुआ था··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये : आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ?

श्री नारायण चौबे : आप सरकार से पूछिए, जैसा कि आपने श्री तिवारी के मामले में किया था। महोदय, क्या यह कम महत्वपूर्ण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि अगर ऐसी कुछ बातें हैं तथा आप इस तरह का मामला उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखित में दीजिए।

श्री नारायण चौबे : मैं आपको लिखकर दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं पता करूंगा।

श्री नारायण चौबे : इस पर एक चर्चा होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। अब श्री दत्ता सामंत बोलेंगे।

डा. दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, श्रम मंत्री जी को सभा में वक्तव्य देना चाहिये। कोल इन्डिया लिमिटेड में सात लाख मजदूर इस समय हड़ताल पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल श्री कुरूप ने भी यही मामला उठाया था।

डा. दत्ता सामंत : उनका कहना है कि जल, विद्युत, चिकित्सा सुविधायें नहीं दी जा रही हैं तथा कोल इण्डिया लिमिटेड ने एक वक्तव्य जारी किया है कि मांगों पर विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी से पता करूंगा। आप बैठ जाइए।

डा. दत्ता सामंत : सात लाख मजदूर हड़ताल पर हैं। कम से कम सरकार को इस पर

ध्यान देना चाहिये तथा यूनियन के साथ चल रही बातचीत से सदन को अवगत कराना चाहिये। आप मंत्री जी को निदेश दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निदेश नहीं दे सकता। श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (बांकुरा) : मैं इस गम्भीर खबर की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यूनियन कार्बाइड अपने लाभदायी परिसम्पत्तियां विश्व भर में बेच रहा है। सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिये कुछ नहीं किया है। अगर ऐसा होने दिया गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। भारत सरकार को वक्तव्य देना चाहिये। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. जी, अब आप की बारी है। (**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरूप : आपको मुझे भी अनुमति देनी चाहिये।

प्रो. मधु दंडवते : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष के निदेशानुसार सदन के कार्यों में उन लोगों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। भविष्य में मार्गदर्शन के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं। मेरी कोई शिकायत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव को सहमति नहीं दी है।

प्रो. मधु दंडवते : आप इसे रद्द कर सकते हैं। आपको यह अधिकार है और आम तौर पर आप इसे रद्द ही करते हैं। मैं इसे मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई अधिकार वाली बात नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ इसीलिये इसे रद्द कर रहा हूं।

प्रो. मधु दंडवते : मैं जिस मसले को उठा रहा हूँ मुझे उसके बारे में बोलने दीजिये। रद्द करने से पहले आपको जानना चाहिये आप जिसे रद्द कर रहे हैं। महोदय, मेरे पास 6 जनवरी, 1986 का **हिमाचल टाइम्स** है। मैंने आपको एक प्रति दी है। यह रक्षा को गम्भीर खतरे का एव सुरक्षा सम्बन्धी गोपनीय बातों से सम्बन्धित मामला है। समाचार है कि 3,000 जिंक प्लेट नक्शे जो गुप्त एवं वर्गीकृत दस्तावेज हैं देहरादून के भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय से चुरा लिये गये हैं। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिये तथा रक्षा मंत्री जी को भी वक्तव्य देना चाहिये। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदयक्ष : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दे चुके हैं।

प्रो. मधु दंडवते : मैं पूरे सदन के विचारों को प्रकट कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस विषय को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये दिया है।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोनों ही दिये हैं। मैंने आपको विकल्प दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई है। केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में मुझे तथ्यों का पता लगाना है। हमने इसके तथ्यों का पता लगाने के लिए इसे भेज दिया है।

प्रो मधु दंडवते : इसे किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। अब श्री आचार्य।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने 7 लाख कोयला मजदूरों की हड़ताल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी अभी मैंने इस बारे में बताया है।

श्री वसुदेव आचार्य : उनके हड़ताल पर जाने का कारण है। एन. सी. डब्ल्यू. ए. के साथ हुये समझौते की क्रियान्वित न होना। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री आचार्य। आपने यही बात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी कही है। मैं इसे मंत्री के पास भेजूंगा। (**व्यवधान**) मैं इसे भेजूंगा। (**व्यवधान**) इसे पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। कल भी इस बात को उठाया गया था। मैं बता चूका हूँ कि मैं इसे मंत्री महोदय को भेज दूंगा। मुझे यही करना है।

अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। (**व्यवधान**)

12.12 म.प.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

वर्ष 1986-87 की खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरे वार मांगें

वाणिज्य और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : मैं वर्ष 1986-87 की खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिये संख्या एल.टी. 2484/86]

(व्यवधान)

नागरिकता (दूसरा संशोधन) नियम, 1986

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : मैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नागरिकता (दूसरा संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 567(अ), में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी. 2485/86]

(व्यवधान)

आयकर अधिनियम, 1961, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 31 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसुचना संख्या का.आ. 14 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 31 मार्च, 1986 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 148(अ), प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी.—2486/86]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 555 (अ), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 27 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 70/81-सी.शु. की वैधता 31 मार्च, 1987 तक बढ़ायी गई है।

(द) सा.का.नि. 556(अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 27 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 71/81- सी.शु. की वैधता 31 मार्च, 1987 तक बढ़ायी गयी है।

ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2487/86]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां.का.नि. 535(अ) से 547(अ) तक तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 25 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो लघु एककों पर लागू केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित कतिपय परिवर्तनों के सन्दर्भ में जारी की गई।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.—2488/86]

(व्यवधान)

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्त-र्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1986, जो 29 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 225 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1986, जो 29 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 226 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई · देखिए संख्या एल. टी. 2489/86] (व्यवधान)

12.13 म. प.

प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—चिकित्सा राहता, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के बारे में 70वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—चिकित्सा राहत, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के बारे में 70वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय 1 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उसके अध्याय 5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

(17वां प्रतिवेदन)

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.14 म. प.

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

[अनुवाद]

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा श्री एस. बी. चव्हाण, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर उक्त समिति के एक सदस्य के रूप में अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत

द्वारा श्री एस. बी. चव्हाण, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर उक्त समिति के एक सदस्य के रूप में अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.15. म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना

उपाध्य महोदय : श्री भट्टम।

श्री भट्टम् श्री राम मूर्ति (विशाखापट्टनम) : विजयवाड़ा में कोंडापल्ली में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन स्टेशन स्थापित करने के अलावा सरकार ने विशाखापट्टनम में 10 किलोवाट का दूरदर्शन ट्रांसमीटर तुरन्त स्थापित करने के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन परियोजनाओं को अब तक स्थापित नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश की कुल आबादी 6.9 करोड़ है जिसमें से केवल 204.55 लाख आबादी को दूर दर्शन की सुविधा प्राप्त हो पाती है। इस प्रकार केवल 35 प्रतिशत व्यक्ति ही इससे लाभांवित हो पाते हैं। जबकि 70 प्रतिशत जनसंख्या में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अतः लक्ष्य को पूरा करने के लिए और अधिक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता है। जिन जिलों में अभी तक ट्रांसमीटर नहीं स्थापित किये गये हैं, उन जिलों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिये सरकार तत्काल कदम उठाये। सरकार को विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में यथा शीघ्र उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने चाहियें।

हैदराबाद में तत्काल एक दूरदर्शन स्टूडियो कम्प्लैक्स स्थापित किया जाना चाहिये क्यों कि राज्य सरकार ने दूरदर्शन प्राधिकारियों को अपेक्षित भूमि पहले से ही प्रदान कर दी है। दिल्ली दूरदर्शन से प्रसारित किये गये कार्यक्रमों को जो अधिकांशतः हिन्दी में होते हैं पुनः प्रसारित करने की बजाये सरकार को एल. पी. टी. से सीधे मूल कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिएं। हैदराबाद से प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में तेलुगु संस्कृति का प्रदर्शन होना चाहिये। सरकार को हैदराबाद दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के लिए दूसरा चैनल भी स्थापित करना चाहिये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उपरोक्त के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करें।

(दो) उड़ीसा के पश्चिमी भाग और भुवनेश्वर के बीच सीधे रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए महानदी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा के पश्चिमी भाग और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के बीच कोई सीधा रेल मार्ग नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा के पश्चिमी भाग के लोगों को अपने राज्य की राजधानी भुवनेश्वर जाने के लिए या तो आन्ध्र प्रदेश या

बिहार और पश्चिमी बंगाल होकर रेल यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए सम्बलपुर से भुवनेश्वर तक महानदी एक्सप्रेस चलाने की मांग बहुत समय से की जा रही है। इससे सम्बलपुर, बोलंगीर कालाहांडी, कोरापुट गंजम, और पुरी के लोगों को तो लाभ होगा ही साथ ही आन्ध्र प्रदेश के विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों के लोगों को भी लाभ होगा।

जब नई रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि महानदी एक्सप्रेस तत्काल चलाई जाये जिससे उड़ीसा के पश्चिमी भाग के लोगों को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तक सीधा रेल सम्पर्क मिल सके।

(तीन) जम्मू और काश्मीर के जम्मू जिले के जिन भूमिहीन हरिजनों और शरणार्थियों की भूमि रक्षा चैनल के निर्माण के लिये अधिग्रहीत कर ली गयी है उन्हें किराये का नियमित भुगतान करने अथवा वैकल्पिक भूमि का आवंटन करने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जम्मू और काश्मीर राज्य में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से आये बहुत सारे भूमिहीन हरिजनों और शरणार्थियों को जम्मू और काश्मीर राज्य के जम्मू जिले की रनबीर सिंह पुरा, बिशनाथ, सोम्बा और अखनूर तहसीलों में निष्क्रान्त भूमि आवंटित की गई है। उनको आवंटित की गई भूमि का एक भाग किराये के आधार पर रक्षा चैनल निर्मित करने के लिए भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। किन्तु गत तीन चार वर्षों से भूमिहीन आवंटियों को कोई किराया नहीं दिया जा रहा है और केवल 80 प्रतिशत राशि शरणार्थी आवंटियों को अदा की जा रही है। इससे निर्धन आवंटियों में बहुत चिंता व्याप्त है। इसलिये यह अनुरोध हैं कि या तो उन्हें किराये का नियमित रूप से भुगतान किया जाये अथवा उन्हें वैकल्पिक भूमि आवंटित की जाये।

[हिन्दी]

(चार) दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्याण योजनाएं आरम्भ करने की आवश्यकता

श्रीमती सुन्दरवती नवत प्रभाकर (करोल बाग) उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषकर महिलाओं से सम्बन्धित मसले को सदन में रखना चाहती हूं। मेरा करोलबाग संसदीय क्षेत्र विशेषकर अनुसूचित जाति का इलाका है और मैं चाहती हूं कि महिलाओं के निम्न प्रोग्राम तुरन्त मेरे संसदीय क्षेत्र में शुरू हों :

1-लड़कियों एवं महिलाओं के लिए शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा का विकास।

2-लड़कियों के लिए खेल सम्बन्धी व अन्य व्यायाम शालाओं की स्थापना।

3-महिलाओं के लिए अर्द्ध समय के समय कुछ रोजगार शुरु करना। दक्ष महिलाओं के लिए सिलाई शालायें, अम्बर चर्खा का प्रयोग आदि शामिल हों।

4-महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का विकास एवं प्रसूति गृह की स्थापना।

मेरा महिलाओं की वेलफेयर संबंधी मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस ओर तुरन्त कुछ कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

(पांच) लद्दाख में विभिन्न जाति समूहों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा देने के लिए भारत के महापंजिकार को वहां सर्वेक्षण करने के लिए निदेश देने की आवश्यकता

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 342 को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू किया गया है। संविधान के इस अनुच्छेद के लागू किये जाने से लद्दाखी लोगों की अनुसूचित जनजाति का स्तर दिये जाने की मांग पूरी होती है। इस उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र के विभिन्न जातीय वर्गों का भारत के महा पंजीयक द्वारा सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है और यह कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए।

अत: मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि भारत के महापंजीयक अविलम्ब अपना दल लद्दाख भेजने का अनुदेश जारी किया जाये।

[हिन्दी]

(छः) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपडाकघरों को बन्द करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों मुख्यत: जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण अंचलों के कुछ छोटे-छोटे डाकघरों को बन्द किया जा रहा है जिससे कि डाक वितरण में अव्यवस्था पैदा होगी, डाकघरों में लगे पुराने कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे तथा उससे ग्रामीण जनता में असन्तोष फैलेगा।

अत: संचार मंत्री से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक पुन: विचार करके डाकघरों को बन्द न करके पूर्व की भांति यथावत रखें, जिससे ग्रामीण जनता को समय से डाक मिल सके।

[अनुवाद]

(सात) उड़ीसा में क्रोमाईट खानों में ठेका प्रणाली समाप्त करने के लिए तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता

श्री शरतदेव (केन्द्रपाड़ा) : उड़ीसा की क्रोमाइट खानों में हजारों आदिवासी श्रमिक कार्य करते हैं। वे सभी जन-जातीय लोग हैं। वे ठेके पर कार्य करते रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने 1954 में जारी की गई अधिसूना द्वारा क्रोमाइट खानों में ठेके की पद्धति को समाप्त कर दिया है। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने उक्त अधिसूचना को क्रियान्वित नहीं किया। इन कामगारों को न्यूनतम मंजूरी से कम मजूरी दी जाती है। ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण हो रहा है। पुराने ठेकेदार उड़ीसा उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा के बल पर अभी तक कार्य कर रहे हैं और सरकारी तथा गैर-सरकारी खानों के मालिक श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के उपबन्ध के अवहेलना करके मूल ठेकों की अवधि की समाप्ति के बाद भी ठेके की अवधि बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खान मालिक नये ठेकेदार नियुक्त कर रहे हैं। ठेका पद्धति के उन्मूलन के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा को रद्द कराने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही भी नहीं की है।

मैं सरकार तथा विशेष रूप से मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि उड़ीसा की खोलाइट खानों से ठेके की पद्धति को तुरन्त समाप्त कर हजारों आदिवासी श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से छुटकारा दिलायें।

(आठ) बिहार में दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल को फिर से खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अशोक पेपर मिल दरभंगा (बिहार) को फिर से खोलने में असाधारण देरी हुई है। मिथिला उत्तर बिहार की यह औद्योगिक परियोजना कई वर्षों से बंद पड़ी है जिसके परिणाम स्वरूप इस पिछड़े क्षेत्र के कई हजार कुशल तथा अकुशल कामगर भूखे मर रहे हैं। उन्हें उत्तर अथवा दक्षिण बिहार में कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल सकता।

1985 के अन्त में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिहार तथा असम सरकारों के साथ मिलकर इस औद्योगिक एकक को फिर से खोलने के लिए मार्गोपाय खोजने का प्रयास किया इससे मिथिला क्षेत्र के लोगों के दिलों में आशा का संचार हुआ। परन्तु इस बारे में अब कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है।

अत: मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि अशोक पेपर मिल दरभंगा को पुन: चालू करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

12.24 म.प.

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

(एक) जल संसाधन मंत्रालय —जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद अर्थात जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान करेंगे। श्री भीष्म देव दुबे अपना भाषण जारी रखें···। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री यीशू तिरकी : पहले से ही आप कह रहे हैं संक्षेप में बोलिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही छः मिनट बोल चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा है, कृपया संक्षेप में बोलिये।

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दूबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुनः जल संसाधन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल मैंने यू.एन.डी.पी. के द्वारा हमारे बुन्देलखंड पर बनाये गये प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में बात कही थी। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। यह प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकार गवर्नमेंट के पास सेंक्शन के लिए पड़ा हुआ है। उसका पत्र संख्या 61/130/38-4-81, दिनांक 1-12-1981 हैं। यह प्रोजेक्ट सेंक्शन के लिए पड़ा हुआ

है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है इस पर ध्यान दिया जाए ताकि वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें। इस योजना के अन्तर्गत वहां विदेशी विशेषज्ञों के द्वारा सर्वेक्षण होगा और नीचे भूमि में जो जल है उसको ऊपर लाकर वहां सिंचाई का साधन मिल सकेगा। इस पर ध्यान दिया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

इसके बाद एक केन बहुद्देश्यीय परियोजना के नाम से जानी जाती है। वह योजना सन् 1982 से जल आयोग के सामने विवाद निपटाने के लिए पड़ी हुई है। लेकिन वह भी 1982 से आज तक पड़ी हुई है और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और इस परियोजना के सारे विवादों का निष्पादन कराएं ताकि इस जनपद को पानी मिल सके और वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, जहां मेरा जनपद बांदा स्थित है, वहां पर सारी नदियां, यमुना को छोड़ कर मध्यप्रदेश से बहकर आती हैं और इन सभी नदियों में बांध बने हुए हैं जो मध्यप्रदेश में हैं और फिर इनका झगड़ा पैदा हो जाता है पानी का और स्थिति यह होती है कि बांदा जनपद को पानी नहीं मिल पाता। इस तरह के बहुत से विवाद केन्द्रीय सरकार के पास निष्पादन के लिए पड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि अविलंब उनका निष्पादन करें, ताकि वहां मुनासिब पानी मिल सके।

मान्यवर, इस स्थिति को देखते हुए मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर प्रदेश के 5 जिले बुंदेलखण्ड के और मध्यप्रदेश के 14 जिले जो बुंदेलखण्ड कहलाते हैं, इन सब को मिलाकर एक यूनिट के रूप में देखा जाए। यहां की भौगोलिक स्थिति अलग है, यहां की परिस्थितियां अलग हैं और इस तरीके से इसको एक यूनिट रुप में देखकर यहां के संसाधनों को बढ़ाया जाएगा, यहां की स्थिति को देखते हुए सुविधाएं दी जाएंगी तो इस क्षेत्र का अधिक कल्याण हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए अलग आयोग बनाया जाए और उसके अन्तर्गत यहां के संसाधनों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका प्रयास किया जाए। श्रीमन्, राष्ट्रीय जल नीति तैयार हो रही है और राष्ट्रीय जल नीति तैयार करते समय मेरा निवेदन है कि मैंने जो बात कही है बुंदेलखण्ड को यूनिट बनाने के बारे में, जब नीति तैयार की जाए, राष्ट्रीय जल नीति तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए, मेरा निवेदन है। हालांकि सिंचाई का अधिकतर कार्य प्रदेश की सरकार का होता है, परन्तु केन्द्रीय जल संसाधन विभाग का काम पालिसी गाइडेंस का होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके तहत केन्द्रीय सरकार, प्रांत की सरकार को गाइड करे और यह कहे कि बांदा में चार नदियां हैं, बांदा जनपद में 4 नदियां बहती हैं—पैसुनी, बागै, केन और यमुना, पैसुनी और बागै पर बांध बनाए जाएं और इनकी नहरों से सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे सूखा क्षेत्र कर्वी और नरैनी दोनों क्षेत्रों में सिंचाई हो जाएगी। यहां की जमीन बहुत अच्छी है, सिचा0 होने से उपज भी अच्छी होगी। केन और यमुना नदी में लिफ्ट इरीगेशन योजना अपनाई जाए। प्रदेश सरकार ने यह नियम बनाया है कि 25 क्यूसेक से नीचे लिफ्ट इरीगेशन योजना नहीं बनाई जाएगी। इस क्षेत्र में नदियों के किनारे रिवाइन्स होने के कारण किसी दूसरे साधन से सिंचाई नहीं हो सकती। वहां पर न तो नलकूप लग सकते हैं और न

ही नहर का पानी उस क्षेत्र में पहुँचाया जा सकता है। इसलिए 5,10,15 क्यूसेक पानी होने पर भी लिफ्ट लिफ्ट इरीगेशन योजना बनाई जाय और सिंचाई की जाए।

इसी तरह से बांदा जनपद में 150 नलकूपों का प्रोजेक्ट रिमोट सैक्शन को भेजा गया था, उस पर भी तुरन्त कार्यवाही की जाए। राजघाट बांध परियोजना 1973 से पड़ी हुई है, उसमें गति लाई जाए और शीघ्र ही उसका काम आगे बढ़ाया जाए। अन्त में मैं अपने यहां के पेयजल के संकट के बारे में बता देना चाहता हूं। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम हर आदमी को हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध करायेंगे। मेरे क्षेत्र का बहुत सा भाग ऐसा है जो सूखा है और जहां पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में एक पाठा क्षेत्र पड़ता है जो पहाड़ी है, जंगली है और पठारी है। यहां पर न ट्यूबवैल लग सकते हैं और न कुएं खुद सकते हैं। इसके लिए पाठा पेयजल योजना बांदा, सरकार ने बनायी थी, जिस पर तीन करोड़ रुपया व्यय हुआ था। वह सारी की सारी योजना बेकार पड़ी हुई है। किसी को पानी नहीं मिलता है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर सिर्फ टंकी बनी हुई है। उसको नलों से कनैक्ट नहीं किया गया है, मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। एक बात कहकर समाप्त कर देना चाहता हूँ। पीने का पानी इतनी दिक्कत से आता है कि यहां पर गांवों में एक गीत गाया जाता है। जब स्त्रियां पानी लेने के लिए जाती हैं तो गीत गाती हैं। उसको बड़े ध्यान से और बड़े दर्द के साथ आप सुनेंगे तो आपको अहसास होगा कि कितनी दिक्कत है।

"पैसे सूप टकै गगरी, आग लगै रूकम ददरी"

रूकम ददरी वहां गांव है। वे कहती हैं कि एक पैसे का सुपा मिलता है और दो पैसे की गगरी, ऐसे गांव में आग लग जाए। उसके बाद वे कहती हैं "भौंरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए। औरतें कहती हैं कि हमारा लाया हुआ पानी न खराब हो चाहे खसम मर जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

12.32 म.प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

*श्री बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, श्रीमान, प्राकृतिक संसाधनों में जल सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि हमारे जल-संसाधनों का सही उपयोग होता है तो देश के किसी भाग में सूखा नहीं रहेगा। इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जल संसाधनों के उपयोग का अर्थ है सूखे का सदा के लिए अन्त।

"राष्ट्रीय जल नीति-विचाराधीन मामले" में बताया गया है देश की धरती 329 मि. है. है तथा जल क्षमता 178 मि. है. मि सतही जल से तथा 42 मि. है. मि. भूमिगत जल से है परन्तु इसके लगभग आधे भाग का ही लाभदायक उपयोग हो पाता है। हम 50% जल क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते। आज हम केवल 24% क्षमता का ही उपयोग कर पाते हैं। अतः

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पूरी जल क्षमता का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि इसी जल को अभाव वाले क्षेत्रों में भेजा जा सके तो न केवल सूखा देश से उठ जायेगा अपितु पूरा देश समृद्ध होगा। देश में बहुत से क्षेत्र पुराने सूखा ग्रस्त है। इन क्षेत्रों को अग्रता दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों को पहले पानी उपलब्ध किया जाना चाहिए। एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह है कृषि को अग्रता देना। राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण करते समय हमें पेय जल उपलब्ध किये जाने की महत्वपूर्ण बात पर भी ध्यान देना चाहिए। तेलुगु की एक कहावत है। पीने का पानी तथा सिंचाई के जल की व्यवस्था करें। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इतना भी नहीं कर पाई। खेती के लिये तथा पीने के पानी काउपलब्ध करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि सरकार खेतों के लिये तथा पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती तो देश में आकाल की स्थिति आ जायेगी। इन दोनों मोर्चों पर सरकार की विफलता से प्रकट होता है कि राष्ट्र की कोई स्पष्ट जल नीति नहीं है। राष्ट्रीय जल नीति सम्बन्धी मत्री महोदय के वक्तव्य में यह नहीं कहा गया कि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को पानी दिया जायेगा। कृषि भूमि के लिए जल उपलब्ध किया जाना भी इससे स्पष्ट नहीं होता। सरकार को इन मामलों में स्पष्ट दृष्टिकोण अपनावे हैं।

महोदय, देश के कई भाग बुरी तरह सूखा-ग्रस्त हैं। गुजरात में सूखे की अधिकता है। पिछले दो दिनों से हम समाचार सुनते आयें हैं कि महाराष्ट्र के कई भाग सूखा-ग्रस्त हैं। पश्चिम बंगाल में सूखा नहीं है। मुझे राजस्थान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह देश में सबसे अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश भी अतीव सूखा-ग्रस्त क्षेत्र है। अतः यह स्पष्ट है कि देश के बहुत से भागों में पिछले कई वर्षों से सूखा है। हमारे पास पर्याप्त जल है फिर भी बार बार होने वाले सूखे को रोक नहीं सकते। यह सही है कि प्रकृति के प्रकोप को रोका जाना संभव नहीं है फिर भी मानवीय प्रयासों से हम कुछ कर सकते हैं। भूमिगत तथा सतई जल का उपयोग कर पाना मानव शक्ति से बाहर नहीं है। यदि सरकार ने इन संसाधनों का उपयोग किया होता तो बार बार होने वाले आकाल को रोका जा सकता है। सरकार की इस विफलता के कारण बार बार सूखा पड़ता है।

यह दुर्भाग्य की ही बात है कि स्वाधीनता के 40 वर्ष बाद भी जल संसाधनों के उपयोग किये जाने के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सका। यदि सरकार ने जल संसाधन बढ़ाने के प्रयास किये होते तो हम अपने देश को सूखे तथा अकाल से बचा पाते। जब तक सरकार की नीति नहीं बदलती देश में सूखा बना रहेगा। महोदय, बहुत सी परियोजनाएं विचाराधीन हैं। उन्हें समय पर समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। यदि परियोजनाएं समय पर पूरी की जाती हैं तो हम कृषकों को पानी दे पायेंगे तथा पीने के पानी की कमी भी दूर हो जायेगी। आज देश में बनी हुई आकाल की स्थिति को भी हम रोक पायेंगे। जब तक सरकार की वर्तमान नीति नहीं बदलती हम गरीबी दूर नहीं कर सकते। सूखा तथा गरीबी साथ साथ चलते हैं। अतः जब तक हम अपनी बड़ी परियोजनाओं को पूरा नहीं करते जोकि इस समय निर्माणाधीन हैं तब तक सूखे पर नियंत्रण करना अथवा गरीबी दूर करना संभव नहीं है। इन परियोजनाओं का शीघ्र पूरा करने से सूखे की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खेद है। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि कई बड़ी परियोजनाएं, जिनको सदियों पहले लिया गया था, अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। सरकार

आश्वासित जल सप्लाई नीति को पूरी तरह लागू करने में असफल रही है। हमारी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में हुई देरी के कारण आश्वासन दिए गए जल की पूर्ति करने में देरी हुई है। आवश्यक हो तो मैं इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाएं सबसे अच्छे उदाहरण हैं। आन्ध्र प्रदेश की स्थिति को बताने से पहले मैं सदन को पश्चिम बंगाल की विभिन्न परियोजनाओं की दुर्दशा बताना चाहता हूं। वहां पर कई सिंचाई परियोजनाएं हैं जो केन्द्रीय सरकार के सम्मुख लम्बित पड़ी है। उनमें से कुछ अपर कंगसाबती, अजय जलाशय, सुवर्ण-रेखा बांध, कंगसाबती का आधुनिकीकरण, कसना सोला सिंचाई योजनायें और कंगसाबती जलाशय हैं। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु के 1986-87 के बजट भाषण को उद्धृत करना चाहता हूं। राज्य में उस समय चल रही परियोजनाओं में तीस्ता परियोजना सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। इन परियोजनाओं को जल्दी से पूरा करने में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को विश्वास में लेना चाहता हूं। 1984-85 के अन्त तक 160 करोड़ रुपये परियोजना पर खर्च किये गये हैं। इसमें से केन्द्रीय सरकार से केवल 5 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त हुई है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि वह परियोजना के महत्व को देखते हुए सातवीं योजना के दौरान विशेष सहायता प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये कर दें। भारत सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। राज्य सरकार बड़ी और मध्यम सिंचाई के लिए कुल आवंटित राशि का 60 से 70 प्रतिशत इस योजना पर खर्च कर रही है। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान तीस्ता परियोजना के आबंटन को हमने 21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28 करोड़ रुपये कर दिये हैं जिससे 1986-87 वर्ष के दौरान किसानों को इस परियोजना से सिंचाई लाभ मिलना सुनिश्चित हो।" श्री ज्योति बसु के कथन को उद्धृत करने का कारण यह है कि राज्य सरकारें स्वयं इस मुख्य परियोजना को पूरा नहीं कर सकती। यह उनकी क्षमता से परे है। उनकी योजना का 60 से 70 प्रतिशत से अधिक धन इस बड़ी परियोजना पर खर्च किया जा रहा है। भारी निवेश के बावजूद वह बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। यह केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के व्ययभार में योगदान करे। पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के बिना राज्य सरकार बड़ी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकती। केन्द्र को आगे आकर राज्यों के भार में हिस्सा लेना चाहिए।

अब, आन्ध्र प्रदेश की स्थिति को देखते हुए मैं यहकहूंगा कि केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश की उपेक्षा कर रही है अभी हाल ही में हमारे मुख्य मंत्री श्री एन. टी. रामाराव ने बताया है कि केन्द्र सरकार राज्य के साथ सहयोग नहीं कर रही है और किसी भी तरीके से उनकी सहायता नहीं कर रही है। उसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार कुछ विवादों का, जिसका राज्य को मुकाबला करना पड़ रहा है, हल ढूंढने में बाधा उत्पन्न कर रही है। आन्ध्र प्रदेश में 25 सिंचाई परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास पिछले 25 वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। उनको अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूँ। पिछले 20 वर्षों से नागार्जुन का सागर निर्माण हो रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। श्री रामसागर चरण-II का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है जब कि इसे 25 वर्ष पहले शुरू किया था। रामसदहरा परियोजना चरण-II को अभी तक केन्द्र ने स्वीकृति नहीं दी है। सरकार ने इसे

जल्दी पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया है। इसी तरह केन्द्रीय सरकार ने सोमशिला परियोजना चरण-II को भी अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। श्रीमन्, हैदराबाद शहर पीने के पानी की कमी का सामना कर रहा है। सिंगूर परियोजना पर कार्य शुरू करके दोनों शहरों की पीने के पानी की समस्या सुलझाई जा सकती है। हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश की राजधानी है। ये लोग पीने के पानी की कमी के कारण कष्ट उठा रहे हैं। सिंगूर परियोजना हैदराबाद के प्यासे नागरिकों को पानी मुहैय्या कर सकती है। स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन यह दुःख की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक सिंगूर परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है। वास्तव में केन्द्रीय सरकार को परियोजना पूरी करने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। इसी तरह से तुंगभद्रा परियोजना है। तेलगु गंगा परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिससे आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को लाभ पहुँच सकता है। यह रायलसीमा जो तेजी से रेगिस्तान में बदल रहा है के चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी देगी। अगर तेलगु परियोजना पूरी हो जाती है तो इस क्षेत्र की लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। यह मद्रास के लोगों को भी पानी उपलब्ध करवायेगी तेलगु गंगा का महत्व इस तरह से है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था और राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है लेकिन यह हैरानी की बात है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को स्वीकृति देने में ढील कर रही है। इसको स्वीकृति देने में देरी करने से नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जानबूझ कर इसकी बहुत सी समस्यायें पैदा की जा रही हैं. तेलगु गंगा को जल्दी पूरा करने में राज्य सरकार की सहायता करने की बजाय बाधायें खड़ी की जा रही हैं। इसे अन्तर्राज्यीय विवाद बनाया गया है। अब इसके साथ एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। केन्द्र राज्य सम्बन्ध की बात अब उसके साथ जोड़ी जा रही है। केन्द्रीय सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना से संबंधित हैं। दूसरे राज्यों को इसके अन्तर्गत लाना ठीक नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा दूसरे राज्यों को संबद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है मैं सरकार से इस अवसर पर इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने और राज्य सरकार की सहायता करने का अनुरोध करता हूं। तुन्गभद्रा उच्चस्तरीय नहर रायल सीमा को सूखे से बचाने में सहायता करेगी हमारे नेता स्वर्गीय कामरेड सुन्दरय्या ने जल उपयोग सम्बन्धी नीति का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरे क्षेत्रों में सिंचाई जल की पूर्ति एक फसल तक सीमित की जानी चाहिए सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश अब अभूतपूर्व सूखा से पीड़ित है। केन्द्र को इस बात को दृष्टि में रखते हुए महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे पोचमपाडू चरणन्दा तुंगभद्रा, तेलगु गंगा और दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति देनी चाहिए। केन्द्र सरकार को इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त सहायता भी देनी चाहिए

श्रीमन्, देश को सूखे से बचाना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। केन्द्रीय सरकार को इस उत्तरदायित्व को महसूस करना चाहिए। कई परियोजनाएँ, कई शताब्दियों से निर्माणाधीन हैं जिन्हें शीघ्र ही पूरा करना चाहिए। सूखे का मुकाबला करने के लिए यह सबसे उत्तम तरीका है। पहले अपनाई गई जल से साधन नीति असफल रही है। देश में विभिन्न परियोजनाओं के

पूरे न होने से सरकार की असफल नीति का पता चलता है। कम से कम अब सरकार को सजग होकर महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करना चाहिए और देश को सूखे से हमेशा के लिए बचाना चाहिए आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया हैं उसके लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (नाजपुर) : सभापति महोदय, जल विभाग की महत्वपूर्ण मांगों का समर्थन करते हुए मैं चन्द बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

हमारा देश विशाल देश है उसका पापूलेशन बहुत बड़ा है। जल से संबंधित एक दो समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। हमारी सरकारों ने पिछले सालों में इन समस्याओं को बहुत कुछ हल किया है, जैसे पहली योजना के अन्तर्गत हमारे देश में 1951 से 1982 तक करीबन 16047 करोड़ का लागत आया था। इससे मेजर, मीडियम और माइनर इरिगेशन का काम हुआ। इससे कम से कम 22.67 मिलियन हैक्टर जमीन में इरिगेशन हुआ। यह कुछ कम बात नहीं है। इसमें मेजर इरिगेशन में जो खर्चा हुआ वह 10.096 करोड़ का, मीडियम में 5,951 करोड़ और माइनर में 2840 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ। इस माफिक जो खर्चा हुआ है, उससे आगे बढ़ते हुए करीबन 59,7 मिलियन हैक्टर जमीन में पानीदिया गया है। यह कुछ कम काम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं।

हमारी आबादी बढ़ती जाती है और हमारी समस्यायें भी बढ़ती जाती हैं। बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए हमको भी आगे बढ़ना है, यह हमारी पार्टी का फर्ज है। हमारी पार्टी ने इसके लिए कुछ प्रोग्राम लिया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जितनी नदियां हैं, जितनी जल राशि है, जल सम्पदा है, उसको इकट्ठा करने की पालिसी हम करने जा रहे हैं। हमारी नेशनल वाटर डैवलपमेंट एजेन्सी एक बड़े काम में फंसी हुई है कि सारे हिन्दुस्तान में जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं उनमें कितना जल है उसका सही उपयोग कैसे किया जाये। जहां पानी ज्यादा है, उसको वहां से लेकर जहां पानी की कमी है, वहां पर ले जाया जाये। इसके लिए बड़ी प्लानिंग हो रही है। आगे के वर्षों में उसका काम मिलेगा और आगे आने वाले लोग उसका उपयोग कर सकेंगे। इस माफिक हम देश के पानी का उपयोग बढ़ा रहे हैं। यह जो कुछ हो रहा है, हम उसका बड़े गर्व से समर्थन करते हैं।

इसके साथ ही मेरे कुछ सजेशन्स हैं। आप कहते हैं कि इरिगेशन स्टेट सबजेक्ट हैं। इस बहाने से आपको पीछे हटना चाहिए। मान लीजिए स्टेट आपसे पैसा लेकर खर्चा नहीं करती और इससे जो एस्टीमेशन था वह बढ़ जाता हैं तो काम नहीं होता। अगर सैंटर खामोश रहेगा तो खर्चा बढ़ता चला जाएगा और काम नहीं हो पायेगा। हमारी स्टेट में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो किसी हिसाब से शुरू हुए थे, लेकिन अब उनका खर्चा बढ़ता जाता है। आप कहते हैं कि सैंटर का उसमें हाथ नहीं है। मेरा कहना यह है कि इस माफिक जहां होता है, उसके लिए सैंटर में एक मानिटरिंग सैल होना चाहिए जो यह देखे कि अगर स्टेट ठीक से काम नहीं कर पाती तो उस काम को आपको अपने हाथ में लेकर जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए।

हमारे हिन्दुस्तान में कितनी बड़ी-बड़ी पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज हैं। उनके द्वारा हम बाहर

के मुल्कों में जाकर काम करते हैं, लेकिन हम हिन्दुस्तान में ठीक टाइम पर काम नहीं कर पाते। इसके लिए हमारी सरकार को सोचना चाहिए। अगर हमारी सरकार नहीं सोचेगी तो कौनसी ऐसी सरकार आयेगी जो यह कहेगी कि जितना जल्दी काम होना चाहिए, वह कर देगी।

इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसे अगर लोकल कान्ट्रैक्टर नहीं कर पाता, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाती तो ठीक टाइम पर आप उसको हाथ में लीजिए और टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर उसको पूरा कीजिए। अगर टाइम पर काम नहीं होता है तो उससे बड़ा नुकसान हो जाता हैं। उससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है और सब लोगों को उससे दिक्कत होती है।

फ्लड कन्ट्रोल की बाबत मैं उड़ीसा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा थोड़ा सा हिस्सा पहाड़ी है, वहां फ्लड नहीं है, ड्राउट है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे का एरिया हैं, वहां पर पर साल नहीं तो कम से कम एक साल के बाद दूसरे साल जरूर फ्लड आता है। उससे धनराशि का नुकसान तो होता ही है उसके साथ हजारों करोड़ की फसल नष्ट होती है, आदमी, गाय, बैल का नुक्सान होता है। उसकी बाद में सरकार को पूर्ति करनी होती है, इसको ठीक ढंग से करना चाहिए।

हमारे एरिया में एक भीमकुंड प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को किसी बहाने से मंजूर नहीं किया क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इससे खर्चा ज्यादा होगा। आप अगर गम्भीरता से विचार करें तो आपको पता चलेगा कि प्राकृतिक आपदा के आने के बाद लोगों की जो सहायता की जाती है, उसमें खर्चा इससे कहीं अधिक आता हैं। इस कारण मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह भीमकुंड प्रोजेक्ट को शीघ्र लें।

आज हम देखते हैं कि नदियों में बालू बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपने अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है। जैसे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनायी है ऐसा ही एक प्रोग्राम इस बालू को रोकने और समाप्त करने के लिए बनाया जाये। यही कारण है कि आज फ्लड आ रहे हैं जिससे जन-धन का काफी अधिक नुकसान होता है। इस बालू को निकालने के लिए कोई नेशनल पालिसी सरकार की तरफ से अवश्य बनायी जाये। मैं जब चीन गया था, वहां देखा कि नदियों से बालू निकाला जा रहा था। इस संबंध में नीति बनाने से पानी का उपयोग भी अच्छी तरह से होगा, इरिगेशन भी ज्यादा होगा और फसल भी अच्छी होगी। नदियों में से बालू निकालने से बाढ़ आदि नहीं आयेगी, पानी नदी के गर्भ में ही रह जायेगा।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा था कि हर एक ट्राइबल एरिया में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान होना चाहिए। इसके लिये हरेक स्टेट का क्वाटिफिकेशन होना चाहिये। आज हम यह देखते हैं कि कोई स्टेट तो क्वाटिफाई करता है और कोई नहीं करता है और जो कोई करता भी है, उसका कुछ ठिकाना नहीं होता है। यह सब देखने के लिए आपके मंत्रालय में कोई एक ऐसा सेल होना चाहिए जो कि यह देखें कि उसके लिये कितनी धनराशि रखी है और ट्राइबल एरिया में कितना क्वाटिफिकेशन हुआ है। हमने देखा है कि जो इण्डीविजुअल स्कीमें हैं जैसा इरिगेशन की, माइनर इरिगेशन की, लिफ्ट इरिगेशन की, इसमें आप मदद

देते हैं लेकिन हर किसी को यह मदद नहीं मिल पाती है। इस कारण से भी इस सेल का बनाया जाना आवश्यक है।

सभापति महोदय, अभी मैंने बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आपने बोलने का समय नहीं दिया। जो भी बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय सभापति जी, अभी जो जल संसाधन बिल आया है, उसका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है जहां से चार बड़ी नदियां महानदी, नर्मदा, सोन और इन्द्रावती निकलती हैं। चूंकि यह ऊपरी मैदानी और पहाड़ी इलाका है, उद्गम के लिये ऐसे स्थान प्राकृतिक दृष्टि से अनुकूल रहते हैं, लेकिन जब बारिश आती है और बारिश का पानी जहां एकत्रित होता है, उसका लाभ नीचे वाले प्रान्त को होता है। ऐसी स्थिति में भी उन क्षेत्रों के लिये विशेष ध्यान देना होगा। आप जानते हैं कि नर्मदा का उद्गम जहां बारिश का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में हुआ है। उस सारे पानी का लाभ अगर होगा तो गुजरात को ही होगा। हम यह नहीं चाहते कि गुजरात को न हो। वैसे ही महानदी का है, उसका जल स्रोत रायपुर जिले और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी अंचल है उसमें है। मगर इसके पानी का लाभ हीराकुन्ड बांध के जरिये से उड़ीसा को हो रहा है और होना भी चाहिये। वैसे ही सोन नदी का भी है, वह उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये है। इन्द्रावती का भी पानी दक्षिण में आंध्र और मद्रास के लिये है। यह स्वाभाविक परिणति है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिये काफी कठिनाई होती है।

कुछ योजनायें, जैसे महानदी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बन रही है उसमें तो देर होगी ही। मगर उसमें गति आये और जल्दी वह पूरी हो यह भी हम निवेदन तो कर ही रहे हैं, इसके साथसाथ यह योजना सफल होने के बाद भी उस पूरे क्षेत्र की सिंचाई हो सके, यह बहुत ही कठिन है। बारिश के पानी के भरोसे से ही ये बड़े बांध भर पायेंगे। बारिश की अगर कमी हुई तो जैसे अन्य छोटे छोटे तालाब और बांधों की स्थिति होती है वही इस बांध की भी होगी। ऐसी स्थिति में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, राजनन्द गांव और उससे लगे हुए सीधी और शहडोल के ये सात जिले जो हैं इन सब जिलों से जो नदी निकलती है उसका पूरा लाभ उस क्षेत्र को नहीं हो पाता है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि मंत्री जी ध्यान देंगे। जितनी छोटी और लघु योजनायें हैं उनको पूरा करने के लिये मध्य प्रदेश शासन को आप विशेष सहयोग देंगे और आप उन्हें आदेश देंगे, उन्हें अपने सुझाव देंगे कि कितनी छोटी योजनाएं हैं, नदी नालों को बांध करके लिफ्ट करने की जो योजनायें हैं जिससे सिंचाई हो सकती है इसको एक बड़े रूप में और एक प्रोजेक्ट के रूप में परिवर्तित करके इसका काम पूरा करें और इन सभी को मिला कर उस क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयत्न करें। इसके बिना उस क्षेत्र की स्थिति कुछ बड़ी योजनाओं के बनने के बाद भी और उनके पूरा होने के बाद भी जो आज की स्थिति है कि अकाल से उस क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं वही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। तो मेरा विश्वास है कि आप उन छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करेंगे और अपना जो उत्तर देंगे उसमें उन अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना आप की रहेगी। इसके बारे में भी आप उत्तर देंगे तो हम लोगों को बहुत बड़ा संतोष होगा।

ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में पीने के पानी के लिए भी बहुत कठिनाई होती है और बच्चों से वे पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा। बस्तर और दूसरे इलाकों में वहां बारिश तो होती है लेकिन इसके बाद भी पीने के पानी के लिए काफी कठिनाई होती है, दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। तो वहां आप विशेष रूप से मशीनों का और रिग मशीन का ज्यादा उपयोग करें और उन गांवों तक पानी पहुँचाने का विशेष प्रयत्न करें जहां तक पानी नहीं पहुँच सकता है। तब जाकर उस क्षेत्र की बचत हो पाएगी।

इन संसाधनों के साथ ही आप वहां लघु सिंचाई का उपयोग तो करेंगे ही, वहां की नदियों में बारहो महीने पानी होता है, शिवनाथ नदी, महानदी और इन्द्रावती नदी में उद्वोहन सिंचाई का पूरे तरीके से लाभ उस क्षेत्र को आप दे सकते हैं ताकि वह क्षेत्र अकाल की पीड़ा से बच सके, आज उस क्षेत्र की जो स्थिति है और खास कर उन किसानों की क्या स्थिति है वह आप देखें, अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो सारे हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ने की खेती उस क्षेत्र में

1.00 म. प.

हो सकती है। वहां का वातावरण इस ढंग का है कि उस क्षेत्र में तिलहन की खेती हो सकती है. मगर पानी न होने के कारण अकाल से पीड़ित होकर पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर आप जहां भी मजदूरों को मजदूरी करते हुए देखेंगे, सड़क पर काम करते हुए देखेंगे, उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि वे सब भूखे प्यासे छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं। उनको वहां भरपेट मजदूरी नहीं मिल पाती है। इसलिए इस तरफ आपको तवज्जह देने की जरूरत है।

अन्तिम निवेदन मेरा आप से यह है कि आप उस ऐतिहासिक नाम से जुड़े हुए हैं, शंकर जी के नाम से जिनका कर्तव्य ही जिन की तपस्या के बाद हमें सबको गंगा का जल मिला। आज भी हम सब आपसे उसी रूप में निवेदन कर रहे हैं, आपके छोड़े हुए जल से हमारे क्षेत्र को प्लावित करें।

इतना कहते हुए, जल संसाधन विभाग की अनुदान की मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है।

इस मन्त्रालय का पुनर्गठन करने के लिए मैं सर्वप्रथय प्रधानमन्त्री को बधाई देता हूं। मूल-रूप में यह सिंचाई और ऊर्जा मन्त्रालय था और अब इसे पुनर्गठित किया गया है और इसका नाम जल संसाधन मन्त्रालय रखा गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस मन्त्रालय का कार्यभार माननीय मन्त्री श्री शंकरानन्द, जो हमारे प्रधानमन्त्री और श्री पी. चिम्बरम की तरह सक्रिय हैं, के पास है। जल संसाधनों से सम्बन्धित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर रोज हम देखते हैं कि जल के सम्बन्ध में राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम में हमारी सर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सिंचाई को पहला सूत्र बनाया था फिर भी योजना क्षेत्र में भी इसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए तथा कई राज्यों में कुछ सिंचाई परियोजनाओं और बांधों के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित दी जानी चाहिए। केन्द्र को अपने उत्तर-

दायित्व से यह कहकर नहीं मुकरना चाहिए कि यह राज्य का विषय है और केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं माननीय मन्त्री से इस देश की सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध करूंगा। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाना है। राज्यों के बीच कई समस्यायें उठ रही हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। कल केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्रीमन् चित्तले के साथ दूरदर्शन पर ही कार्यक्रम था। वह कह रहे थे कि 'जल मूल्यवान संसाधन है।' मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग ने, जो 1945 में बना था, पिछले 40 वर्षों में क्या किया है। मैं यह प्रश्न यहां पूछना चाहता हूँ। पिछले 40 वर्षों में देश में सिंचाई के सम्बन्ध में क्या किया गया है। 1950-51 में कुल सिंचित क्षेत्र 22.6 लाख हेक्टेयर था। 1979-80 में 56.6 लाख हेक्टेयर था। 1985 के अन्त तक यह 68 लाख हेक्टेयर था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़े ठीक हैं? प्रतिवर्ष 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम इस लक्ष्य पर पहुँच गये हैं। वार्षिक प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया जा चुका है कि विश्व में सिंचाई विकास का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मैं भी सहमत हूं। परन्तु मेरा प्रश्न है कि क्या आपने लक्ष्य प्राप्त किया है।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में भी 400 लाख हैक्टर में से आप केवल 124.4 लाख हैक्टर में बचाव व्यवस्था कर सके हैं। ये आंकड़े अन्दाजन हैं। यह भी कहा गया है कि यह उचित बचाव व्यवस्था है, बस। आप केवल 124.4 लाख हैक्टर की रक्षा कर सके हैं। बाढ़ नियंत्रण से केवल उचित सीमा तक ही रक्षा की जा रही है।

मैं माननीय मन्त्री से कई वर्षों से लम्बित पड़े विवादों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। मैं कावेरी विवाद के बारे में एक उदाहरण भी दे सकता हूं। कावेरी विवाद के बारे में हमारे माननीय मन्त्री पूरी तरह से जानते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी जैसे नदी वाले राज्य इसमें फंसे हुए हैं। वास्तव में इसका समाधान 1974 तक या इससे पहले हो जाना चाहिए था। परन्तु दुर्भाग्य से उस समय तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि थे। उन्हें इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए था क्योंकि वह 1976 तक तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री थे। उन्हें इसका समाधान करना चाहिए था या उन्हें इसे केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाना चाहिए था तथा 1974 के अन्त तक इसका समाधान कर दिया जाना चाहिए था।

कावेरी जल को बंटवारे के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक करार हुआ था। 1924 में 50 वर्षों के लिए एक करार हुआ था। इसका मतलब यह नहीं है कि 50 वर्षों के बाद करार समाप्त हो गया। कभी नहीं। वास्तव में यह चिरस्थायी करार है। यह चिरस्थायी समझौता है जो यह कहता है कि जल को कर्नाटक से तमिलनाडु को इतने वर्षों तक दिया जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि 1974 के बाद तमिलनाडु का इस पर कोई अधिकार नहीं है। कावेरी जल पर कर्नाटक की तरह हमारा पूरा अधिकार है।

केन्द्रीय जल आयोग भी इस विवाद को सुलझा नहीं सका है कावेरी जल विवाद के बारे में यह बताया गया है कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी जैसे

नदी वाले राज्यों द्वारा कावेरी नदी के जल का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। नवम्बर 1985 में कावेरी विवाद के बारे में एक बैठक हुई थी। यह सुझाव दिया गया था कि जल के बंटवारे पर समझौता होने तक राज्यों को ऐसी सिंचाई और पनबिजली परियोजनाओं को स्वीकृत दे देनी चाहिये जिनमें जल की खपत नाममात्र होती हो नवम्बर 1985 में सचिव तथा मंत्री द्वारा यह सुझाव दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे लागू कर दिया गया है। वे कौन सी पन बिजली परियोजनाएं हैं जिन्हें अब तक इस मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है ? अतः आपने हागेंकाल पनबिजली परियोजना और अन्य परियोजनाओं की मंजूरी नहीं दी हैं जो कावेरी विवाद से जुड़ी हुई हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री पी. कुलन्दईवेलू : महोदय, अपने दल से केवल मैं ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आपके दल को दिया गया समय भी समाप्त हो गया है।

श्री पी. कुलन्दईवेलू : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

कावेरी विवाद में माननीय मन्त्री और माननीय प्रधानमन्त्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। उसका समाधान शीघ्र करना चाहिए अन्यथा तमिलनाडु को न्यायालय में जाना पड़ेगा।

एक न्यायाधिकरण है लेकिन न्यायाधिकरणों को रखने का क्या फायदा है ? न्यायाधिकरण द्वारा जो फैसला दिया जाता है आप उसे कैसे कार्यान्वित करेंगे ? कार्यपालक प्राधिकारी कहां है और न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये फैसले को कार्यान्वित करने के लिये कार्यान्वयन प्राधिकारी कहां है ?

मैं कृष्णा जल के मामले में बछावत पंचाट का उदाहरण दे सकता हूं। आप बछावत पंचाट को कैसे लागू करेंगे ? तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच कृष्णा जल के बारे में विवाद चल रहा है।

जहां तक तेलुगु गंगा परियोजना का सम्बन्ध है, हमें पेयजल के लिए मद्रास शहर के वास्ते केवल 15 टी एम सी पानी चाहिये। इसकी मंजूरी तुरन्त दी जानी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से इन समस्याओं का यथा संभव शीघ्र समाधान निकालने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मन्त्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि जब तक नदी जलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगा नगर) : सभापति महोदय, आज सदन में जल संसाधन मन्त्रालय की मांगों पर बहस चल रही है। मैं इन मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मेरे क्षेत्र में इन्दिरा कैनाल एरिया के अन्दर एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या बनी हुई है। मैं उस समस्या के बारे में और बाकी बातों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इन्दिरा कैनाल क्षेत्र में बने खालों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इन्दिरा नहर क्षेत्र में सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा पक्के खालों के निर्माण का कार्य किया गया था। इस निर्माण कार्य के बारे में काश्तकारों को लेवल एवं घटिया सामान लगाने की बहुत अधिकांश शिकायतें हैं। व इस क्षेत्र में

कार्यरत अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाकर व अपने निजी फायदे के वास्ते जो एस्टीमेट तैयार किए गए हैं, उनमें बहुत अधिक पैसे का व्यय दर्शाया गया है जो कि वास्तविकता से बहुत दूर है ।

इसके विपरीत इन्दिरा नहर क्षेत्र में जो खालों का निर्माण किया जा चुका है और जो पैसा काश्तकारों से वसूल किया जायेगा उसके सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार है :—

1- मिट्टी का कार्य (अर्थ वर्क) 354-00 प्रति हेक्टेअर काश्तकार से वसूल किया जायेगा । चाहे चक में जो राशि कुल बनती है। उतना काम मिट्टी का हो या न हो ।

2- निर्माण कार्य 842-00 प्रति हेक्टेअर ईट, सीमेंट व खाल बनाने के काश्तकार से वसूल किये जायेंगे जो अधिक है ।

3- नके पुलिस के नाम से 250 रुपये काश्तकार से वसूल किये जाने हैं जबकि एक मुरब्बा में एक नका व एक पुलिया का ही निर्माण होना है । यह बहुत अधिक है ।

4- मैंटीनेंस अप टू वन आोयर—29 रुपये प्रति हेक्टेअर काश्तकार से वसूल किये जाने हैं, जबकि खाले का निर्माण कार्य छः-छः साल तक पूरा नहीं हुआ था ।

5- टूल्स एण्ड प्लांट—29 रुपये प्रति हैक्टेअर जो सामान फावड़े, गैंसी आदि सामान खरीदा गया था प्रति काश्तकार प्रति हैक्टेअर चार्ज किया जाता है । यह सामान एक हैक्टेअर के निर्माण में खराब नहीं होता बल्कि यह सामान तो दो साल तक निर्माण कार्य में काम आने वाला है । इसमें बड़ा भारी गवन किया गया है ।

6- भवन-निर्माण 68 रुपये प्रति हैक्टेअर । भवनों के निर्माण में ज्यादा धन खर्च किया गया । भवनों की उम्र 100 वर्ष की है । यह भवन तो सरकार के दूसरे किस्म के अधिकारियों के भी काम आयेगा । सरकार को इन भवनों से किराया प्राप्त होगा । तो फिर काश्तकार से भवन निर्माण का खर्चा क्यों वसूल किया जाये । यह अति गैर वाजिव है । इन्जीनियरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेटिव का 217 रुपए प्रति हैक्टर । सरकारी अधिकारियों को भत्ते एवं वाहन का खर्चा राज्य सरकार देती है, वह काश्तकार से वसूल किया जाता है । इस कार्य में जो स्टाफ लगा हुआ है, वह राज्य सरकार का स्टाफ है । जब ये कर्मचारी राज्य सरकार के मातहत नौकरी पर हैं तो फिर कास्तकार से उपरोक्त रकम किस बात की वसूल की जाती है । इसी तरह से फिजीकल कंटीजेंस, लोहे की चादर व त्रिपाल वगैरह का 145 रुपए प्रति हैक्टर, यह रकम काश्तकार से वसूल किया जाना बहुत ही गैर वाजिब है, क्योंकि सारा सामान राज्य सरकार का है । राज्य सरकार इसको अपने कार्य में प्रयोग करती है तो फिर यह नुक्सान भी राज्य सरकार साधारण खर्च के साथ उठाए तो उचित होगा । सर्वे एवं योजना 56 रुपए प्रति हैक्टर यह रकम काश्तकार से वसूल करना बहुत ही गैर वाजिब है, क्योंकि यह सारी मशीन राज्य सरकार की है, तो फिर खर्च एवं योजना का पैसा किस बात का काश्तकारों से वसूल किया जाता है । खालों के निर्माण में जो टाइलें लगाई गई हैं वे कच्ची, पीली, बिना कमाई मिट्टी की, भद्दी शक्ल की और बिना साइज की लगाई गई हैं । सीमेंट का उपयोग खालों के निर्माण में आधी मात्रा में भी नहीं किया गया है । खालों के कार्य में बजरी नाममात्र की लगाई गई है । कहीं-कहीं तो बिल्कुल भी बजरी नहीं लगाई गई है, जबकि कागजों में इसका लाखों रुपयों का लेनदेन दर्शाया गया है । खालों के

निर्माण का कार्य बिल्कुल घटिया स्तर का है, जो कि देखने से ही महसूस हो जाता है। कोई भी खाल सही लेवल के हिसाब से नहीं बनाई गई है। खालों के निर्माण काय में बहुत ही लापरवाही बरती गई है। निर्माण कार्य के समय मजदूरों ने ही मिस्त्री का काम किया, जिससे खालों का निर्माण कार्य सही नहीं हो पाया। खालों के निर्माण में क्योरिंग तो बिल्कुल भी नहीं की गई। खालों के निर्माण के बाद फील्ड टेस्टिंग का स्टाफ तो कभी भी मौके पर जाकर खालों को टैस्ट नहीं करता, जबकि खानापूर्ति कर दी जाती है।

सभापति महोदय, इसके बारे में मेरे क्षेत्र में गंग नहर, भाखड़ा और इन्दिरा कैनाल आदि की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं इस एक समस्या के बारे में मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पक्की खालों के लिए जमीन काश्तकारों की ली गई है और पक्की खालें बनने के बाद सिंचित क्षेत्र बढ़ा है और सरकार की आमदनी बढ़ी है। जब सरकार को इससे अधिक पैसा मिलना है तो फिर किसान से पैसा किस बात का लिया जाता है, यह वाजिब नहीं है। यह सारा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। सरकार इस बात की ओर ध्यान दे, यह विषय अतिआवश्यक है क्योंकि बैंकों के कुड़की के आर्डर किसानों के पास आ रहे हैं और बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें। मेरे क्षेत्र में सीधेमुख व नोहर केनाल से नई नहरें निकाली जानी है; इस सम्बन्ध में मैं 6 साल से बराबर चर्चा करता आ रहा हूं और सरकार का ध्यान दिलाता रहा हूं। दोनों नहरों के कागजात मुकम्मल होकर सेंट्रल वाटर कमीशन के दफ्तर में पड़े हुए हैं। इसकी ओर आप गौर फरमाएं ताकि ये नहरें निकलें और काश्तकार की भुखमरी दूर हो और राष्ट्र की पैदावार बढ़े। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

]अनुवाद]

डा. फूलरेणु गुहा (कन्टई) : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं।

जल जीवन के लिए एक अनिवार्य साधन है परन्तु बदकिस्मती से देश के पास आधारभूत जल नीति नही है। हमारे देश में कई नीतियां हैं जैसे औद्योगिक नीति, स्वास्थ्य नीति आदि परन्तु अभी तक हमारे पा सजल से सम्दन्धित कोई नीति नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि संसद के इस सत्र में या कम से कम संसद के अगले सत्र में उचित जल नीति सकल्प पास किया जाये।

कई स्थानों पर सिंचाई परियोजनाएं आवश्यक हैं लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिलती है। इसके अलावा कई मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। कई सिंचाई परियोजनाओं में काफी जल की बर्बादी होती है।

हमारे पास उपलब्ध जल से जितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है उसमें भी हम काफी पीछे हैं। सिंचाई योजनाओं के निष्पादन में विलंब के कारणों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

हमारे कृषि प्रधान देश में सिंचाई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में हमारी प्रगति संतोषजनक नहीं है।

बाढ़ नियंत्रण और सूखा नियंत्रण के लिए अभी तक प्रभावी उपाय नहीं किए गये हैं। सूखा और बाढ़ नियंत्रण के लिये प्रभावी उपाय किए जाने चाहिएं। कुछ उपाय किये गये हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। 1962 में सिंचाई आयोग ने सुझाव दिया था कि जल संसाधनों के विकास के लिए एक योजना होनी चाहिए।

मैं महसूस करती हूं कि एकीकृत दृष्टिकोण की कमी है। फसल पैटर्न और भूमि विकास सिंचाई क्षमता की एक ओर चाहिए और दूसरी ओर किसानों को ऋण की आवश्यकता के साथ तालमेल बैठाई जानी चाहिए। जब तक एकीकृत दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे और अपनी योजना तदनुसार तैयार नहीं करेंगे तब तक हम जल का पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे। परन्तु इस योजना में न केवलबड़ी सिंचाई नहरें ही शामिल की जानी चाहिए बल्कि भूमिगत जल और छोटी और बड़ी नदियों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है। इस समय मैं कह सकता हूं कि डी. वी. सी. केवल बुरदवान और हुगली जिलों को मुख्य रूप से जल सिंचाई प्रदान करती है। परन्तु यह सप्लाई अनिश्चित है। बोरा फसल के लिए पहले से किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जाती है। गांववाले पैसा खर्च करते हैं परन्तु वे प्रायः पाते हैं कि उनके खेतों में पानी नहीं पहुंचता है। वहां छोटी नहरें होनी चाहिएं जो बड़ी नहरों से प्रत्येक खेत में पानी पहुंचाये एकीकृत योजना में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि कहां गहरे नलकूप कम गहरे नलकूप और उठाऊ सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए पूरे भारत में सर्वेक्षण की तुरंत आवश्यकता है।

जब तक हम एकीकृत दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे और एक योजना तैयार नहीं करेंगे तब तक हम पानी का पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे। योजना में न केवल बड़ी सिंचाई नहरें होनी चाहिएं बल्कि वितरण प्रणाली भी शामिल होनी चाहिए। तभी लोग दूसरों को नुकसान पहुचाए बिना जल प्राप्त कर सकेंगे। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं इसे स्पष्ट करती। मेरा अनुभव है कि एक जिले को दूसरे जिलों की कीमत पर घनी प्राप्त होता है।

पूरा करने का सामर्थ हुए बिना परियोजनाओं को शुरू कर देने के खर्चे को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें शुरू करने से पहले विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और सभी निवेश इकट्ठे किए जाने चाहिए। तभी हम लागत में कमी ला सकते हैं।

विभिन्न सप्लायरों द्वारा उपकरणों की सप्लाई में देरी करने मुख्य सामग्री की कमी धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था न होने और समय पर धनराशि को जारी करने में होने वाली देरी से स्थिति बहुत दुःखदायी हो जाती है। कुएं के पानी से सिंचाई करने के लिए लोगों को बिजली की सप्लाई पर निर्भर करना पड़ता है। देश में पम्पसेटों की संख्या बढ़ने के बावजूद इन पम्पसेटों को बहुत कम बिजली सप्लाई की जाती है।

गांव में बिजली लगाने के कार्यक्रम को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सिंचाई भी बहुत अधिक बिजली पर निर्भर करती है। सिंचाई मंत्रालय के अन्तर्गत भूतल जल अन्वेषण विभाग होता था। अब सिंचाई जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत आ गई है इसलिए मैं नहीं जानता कि वह विभाग अभी भी जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत है या नहीं। आशा है मंत्री जी मुझे

बताएंगे कि यह विभाग अभी भी जल संसाधन के अन्तर्गत है या नहीं। इस विभाग को भयंकर सूखा पीड़ित क्षेत्रों में पानी का पता लगाने का काम अपने जिम्मे लेना चाहिए।

केन्द्र को यह कहकर अपनी जिम्मेवारी से नहीं बचना चाहिए कि सिंचाई राज्य का विषय है। सरकार को, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, उस भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिस पर दो-तीन फसलें पैदा की जा सकती हैं। लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से भी सिंचाई की काफी संभावनाएं हैं।

ट्यूब से सिंचाई करने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है।

पं. बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भूमि कटाव क्षरण हो रहा है जिसके कारण हम धान की भूमि को खोते जा रहे हैं। इस कटाव को रोकने के लिए परियोजनाएं बनाने के प्रबंध किए जाने चाहिए। मिदनापुर के कुछ हिस्से में भूमि बहुत उपजाऊ है। अगर वहां सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो वह जिला राज्य ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए पर्याप्त धान उगा सकता है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि सिंचाई नीति को इस तरह से तैयार किया जाए कि देश का सर्वतोमुखी विकास हो सके।

जहां तक सूखा क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने का संबंध है, पानी के संसाधन सीमित होने के कारण हमें बहुत विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेना है कि किन क्षेत्रों को सिंचाई के लाभ उपलब्ध कराए जाएं। समाप्त करने से पूर्व मैं जोर देकर कहूंगा कि असंख्य गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और अगर उपलब्ध है तो भी अपर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा बहुत से ट्यूबवैल खराब पड़े हैं और उनकी मरम्मत के लिए कोई प्रबंध नहीं है। गर्मियों में तालाबों में पानी नहीं होता। पशु और इन्सानों को इन तालाबों के पानी का उपयोग करने के लिए परस्पर झगड़ पड़ते हैं। बहुत से स्थानों पर खासकर गांवों में यह एक आम समस्या है और वह दृश्य बहुत कारूणिक होता है। लोगों को पानी और रोजमर्रा की दैनिक इस्तेमाल की जरूरतों की कमी के कारण तकलीफ उठानी पड़ती है।

जहां तक पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र का संबंध है, घटिया किस्म का पानी पीने के कारण वहां अधिकांश लोग पेट की बीमारियों से ग्रसित हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में 80% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें पेट की बीमारियों की शिकायत होती है। इनके जीवन की रक्षा के लिए पाइप से पेयजल की सप्लाई के प्रबंध किए जाने चाहिए।

श्री **प्रशुतोष लाहा** (दमदम) : महोदय, सभी जानते हैं कि सदियों से कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए पानी एक महत्वपूर्ण निवेश है। जल संसाधन मंत्रालय राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने का काम करता है। देश में जल संसाधन के अधिकतम उपयोग या सुधार के लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। जल राज्य का विषय है पर वस्तुतः यह जिम्मेवारी वास्तव में उसकी होती है कि जल संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाए। लेकिन केन्द्र सरकार के मंत्रालय की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि उसे विशेष रूप से देश भर

के लिए सिंचाई योजना तैयार तथा समन्वित करनी पड़ती है ताकि संतुलित रूप से देश में जल संसाधनों का पूरी तरह उपयोग किया जा सके। हमें मालूम है और हमें बताया गया है कि सरकार एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार कर रही है। मेरा सुझाव है कि इस राष्ट्रीय जल नीति को क्षेत्रीय नीति के आधार पर तैयार न करके राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया जाए। रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। इसलिए संबंधित मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस नीति का ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में हमें जल से संबंधित अन्तर्राज्यीय विवादों का सामना न करना पड़े और राष्ट्रीय जल नीति राष्ट्रीय आधार पर तैयार की जा सके।

जल को एक अति महत्वपूर्ण और दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन माना जाना चाहिए और सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए तथा अन्य जल संशोधनों के अधिकतम उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय नीती होनी चाहिए। विशेष रूप से भारत में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जल पर निर्भर है। कृषी का जल संसाधनों से बहुत गहरा संबंध है इसलिए देश के भविष्य को अभी से मद्दे नजर रखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाए तथा देश भर में जल का वितरण ऐसे संतुलित ढंग से किया जाए कि भविष्य में हमारे देश का राष्ट्रीय संसाधनों अर्थात् जल के आधार पर विकास किया जा सके।

लोक सभा में पीछे दिए गए वक्तव्य से मुझे मालूम हुआ है कि 181 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की अनुमानित लागत 3480 करोड़ रुपये से बढ़कर 16.372 करोड़ रुपए हो गई है। मेरा सुझाव है कि इस बात की जांच की जाए कि क्यों और किन हालात में लागत 3481 करोड़ रूपये से एकदम बढ़कर 16.372 करोड़ रूपए हो गई। अगर ऐसा अपर्याप्त धनराशि परियोजनाओं को शुरू करने में भूमि अधिग्रहण में देरी या निर्माण सामग्री की कमी के कारण हुआ है तो सरकार को भविष्य में ठीक से ध्यान रखना होगा ताकि उन परियोजनाओं की लागत में इस तरह बढ़ोतरी न हो जिन्हें अभी पूरा किया जाना बाकी है।

भूमि अधिग्रहण, कच्चे माल की खरीद या परियोजनाओं का निर्माण और अपर्याप्त धनराशि इन तीन महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा। इनका ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, जल संसाधन का पूरा उपयोग करने के लिए हमें किसानों को शामिल करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि सिंचाई प्रणाली की योजना और प्रबंध में किसानों को शामिल किया जाए ताकि देश में जल संशाधनों का प्रत्यक्ष लाभ उठा रहे किसान भी इसमें हिस्सा ले सकें और इस सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ध्यान भी रख सकें।

पश्चिम बंगाल राज्य में सिंचाई प्रणाली का विकास और जल संसाधनों का पूरा उपयोग एकदम अनियमित है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच की जाए।

महोदय, हर कोई जानता है कि कलकत्ता बन्दरगाह का भविष्य फरक्का बांध के कार्यान्वयन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके शीघ्र कार्यान्वयन और बंगला देश के साथ भी सहयोग से हमें कलकत्ता बन्दरगाह और इस कलकत्ता शहर के भविष्य को बचाने में सहायता मिलेगी जिसका भविष्य कलकत्ता बन्दरगाह के भविष्य पर निर्भर करता है।

पश्चिम बंगाल के तीन जिलों को पानी की कमी और कई बार सूखा और अपर्याप्त वर्षा का सामना करना पड़ता है। ये तीन राज्य हैं—बांकुरा पुरुलिया और उत्तरी बंगाल। पं.

बंगाल में बांकुरा जिले में खेमवती परियोजना बहुत तबाही ढाह रही है। मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार इस मामले पर विचार नहीं कर रही है। अगर राज्य सरकार सूखाग्रस्त बांकुरा के उपेक्षित जिलों और पुरूलिया के अन्य जिलों—जहां खेमवती परियोजना को लागू किया जाना है—की देखभाल करने में रुचि नहीं दिखाता तो केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण परियोजना तिस्ता परियोजना में भी देरी की गई है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह मामले पर विचार करें ताकि भविष्य में इस परियोजना में देरी न हो।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री आशुतोष लाहा : कृपया थोड़ा सा समय और दीजिए।

एक मिनट। ऐसा लगता है—अनुमान लगाया गया हे कि 1130 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें से 580 लाख एकड़ भूमि पर बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और 550 लाख एकड़ भूमि पर छोटी सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई की जा सकती है।

मेरा अनुरोध और सुझाव है कि एकीकृत जल, नीति को पूरी तरह तैयार कर लेने के बाद जांच की जानी चाहिए कि क्या शेष क्षेत्र को भी सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत लाया जा सकता है क्योंकि ये आंकड़े मुझे तीन साल पहले मिले थे।

प्रयास किया जाना चाहिये कि देश भर में एकीकृत जलनीति लागू करके इस क्षेत्र में सुधार लाया जा सके।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया।

श्री आशुतोष लाहा : एक मिनट और। कमान क्षेत्र विकास अधिकारी सिंचाई में सुधार करने के लिये विभिन्न राज्यों मे अनेक परियोजनाएं लागू कर रहे हैं। लेकिन प्राप्त सुचना के अनुसार इसका प्रभाव सीमित है क्योंकि पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है। वे अभियंता जिनको कमान विकास क्षेत्र में परियोजनाओं की देख-भाल का काम सौंपा जाता है उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। अत: मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि उन अभियन्ताओं को प्रशिक्षण देने की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए जो कमान विकास क्षेत्र में काम देख रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहले आपके इस विभाग का नाम सिंचाई विभाग था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर जल संसाधन रख दिया गया है। यह तो ठीक वही बात हुई "पुरानी शराब नई बोतल"।

आप अभी तक राष्ट्रीय जल नीति तय नहीं कर पाये हैं। आज हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और जल संसाधन कृषि से सम्बन्धित होते हैं। अगर हम कृषि में जल नहीं पहुंचा सकते हैं तो कृषि को भी उन्नत नहीं कर सकते हैं। आज देश में 69 प्रतिशत आदमी कृषि पर ही आधारित हैं, उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है। इसमें भी मध्यम किसान, गरीब किसान

और सीमान्त किसान हैं जो कि 43 परसेंट हैं बाकी के 26 परसेंट खेत मजदूर हैं। आज यह सरकार कृषि में काफी रुचि व्यक्त करती है, लेकिन फिर भी हमारी कृषि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी पिछड़ी हुई है।

कहा जाता है कि हम खाद्यान्न के मामले में बहुत आत्मनिर्भर हो गये हैं। अब हमें दूसरे देशों से मंगाने की जरूरत नहीं है। आज इतना ही कह कर संतोष कर लिया जाता है। हमारी जमीन काफी उपजाऊ है। अगर हमने जल संसाधन कृषि तक पहुंचाये होते तो हम विश्व को खिला सकते थे।

सरकार जितनी भी सिंचाई के लिए योजनायें बनाती है, वह योजनायें समय निर्धारण में कभी भी पूरी नहीं हो पातीं। इसका क्या कारण है ? समय पर योजनायें पूरी नहीं होने खर्चा भी चौगुना बढ़ जाता है और योजनायें भी कई साल तक अधूरी पड़ी रह जाती हैं। अगर हमने अपनी कृषि को उन्नत किया होता तो आज जो बेकारी की हालत है और नौकरी न मिलने के कारण तरह-तरह के अपराध हो रहे हैं, इन पर भी रोक लगायी जा सकती थी।

चीन को हम से दो बरस बाद 1949 में स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। उससे पहले वह कृषि के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था। वहां की जनसंख्या इतनी अधिक थी कि लोग दाने-दाने के लिये मोहताज थे। उन्होंने कृषि को पिछड़ा छोड़ दिया तो वहां के लोगों ने, किसानों और मजदूरों ने च्यांग काई शेक का क्या हाल किया, यह भी आप को याद रखना होगा। वहां कोई दूसरा आन्दोलन नहीं हुआ था। कृषकों का आन्दोलन हुआ था और उस आन्दोलन ने उसको जहाज पर चढ़ा कर फारमोसा भेज दिया, इसको भी आपको याद रखना होगा। आज यहां पर किसान किस स्थिति से गुजर रहा है ? हम आप को बतलाएं कि जो अंग्रेजों ने हमारे यहां एक योजना बनायी थी, 1884 में सोन नदी पर एक बांध बनाया था जिससे कई जिलों के प्रखण्डों को पानी मिलता था और सिंचाई की गारन्टी थी। जैसे औरंगाबाद एक जिला बन गया है कुछ हिस्से का, पटना जिले के कुछ हिस्से का और गया जिले के कुछ हिस्से का, मोजफ्फरपुर के हिस्से का उस से पटवन होता था। लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई चीज को भी यह सरकार कायम नहीं रख सकती, उसकी मरम्मत भी नहीं कर सकती और नतीजा यह हुआ है कि हमारे यहां पर सोन सिंचाई योजना के दो जलवाहे कोचहसा जलवाहा और माली जलवाहा जिससे पूरा जल उस मिलता था, जितना उस समय मिलता था उससे 30 प्रतिशत जल कम हो गया है और 30 प्रतिशत उसके कमांड एरिया में कमी आ गई है। जब हम उस क्षेत्र में घूमते हैं तो किसान कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में हम कहीं अच्छे थे क्यों कि यह पानी पूरा हम लोगों को पहुंचता था। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि उसकी अभी तक मरम्मत नहीं हो सकी। मैं जानता हूं कि यह राज्य सरकार का काम है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि राज्य सरकार के ऊपर भी उनको देखना आपका काम है। जहां राज्य की स्थिति बिगड़ती है वहां तुरन्त राज्य सरकार पर आप रोक लगाते हैं। तो मैं आप से कहूंगा कि राज्य सरकार का मामला कह कर इसको आपको टालना नहीं चाहिए। राज्य सरकार को आपको स्पेशल पत्र लिखना चाहिए कि वह कोचहसा और माली जलवाहा की शीघ्र से शीघ्र सफाई करें जिससे उसके कमांड एरिया को पूरा पानी मिल सके।

दूसरी बात-दक्षिणी बिहार के लिए दो योजनाएं बनीं। एक योजना 1975 में सुहाने

डैम के नाम से यहां आई हुई है और दूसरी योजना 1980 में पुनपुन दर्मा योजना के नाम से आई हुई है। ये दोनों योजनाएं केन्द्रीय जल विकास आयोग के पास पड़ी हुई हैं। उसकी अभी तक जांच हो रही है और स्वीकृति नहीं मिली है। मैं बार बार उसके लिए आप लोगों से आग्रह करता रहा और विभाग से भी आग्रह करता रहा कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके स्वीकृति भेजें जिस से दक्षिणी बिहार के लोग कंगाली और भुखमरी की स्थिति में हैंउनकी वह कंगाली और भुखमरी सदा सदा के लिए मिट जाय अगर ये योजनाएं पूरी हो जायं। इसलिए मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी इन योजनाओं को स्वीकृति दें।

साथ ही साथ बिहार सरकार के पास पैसे की कमी है। उसके पास पैसे नहीं हैं और सप्तम पंच वर्षीय योजना में भी इन दोनों योजनाओं को नहीं लिया गया। आप सोच सकते हैं कि पांच वर्षों के बाद यदि आप स्वीकृति देते हैं तो क्या स्थिति होगी ? उसका नतीजा क्या होगा ? उस इलाके की स्थिति और भी बिगड़ेगी। इस इलाके के बारे में अखबारों में आप रोज पढ़ रहे होंगे कि प्रतिदिन दस बारह हत्याएं वहां पर हो रही हैं। इसका कारण यही है कि जब काम नहीं है, कृषि उन्नत नहीं बन पायी है, लोग बेकार हैं किसानों के बेटे बेकार हैं तो वह गुमराह हो जाते हैं और गुमराह होकर गलत रास्ते को पकड़ते हैं। इसलिए यह एकदम जरूरी है। हम जोर देकर यह कहेंगे कि सप्तम पंचवर्षीय योजना में इनको लिया जाय और बिहार सरकार को खास तौर से इन दोनों के लिए अनुदान के रूप में आप धन का आवंटन करें।

तीसरी बात-हमारे यहां जल विकास निगम डा. जगन्नाथ मिश्रा के टाइप में कायम किया गया। विभाग को तोड़कर जल निगम बनाया गया। वह एक चारगाह बन गया और उसमें बड़े बड़े जानवर चर कर मोड़ हो गए। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर साल साल भर तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। आन्दोलन हुआ, हजारों लोग जेल गए और पहली अप्रैल से वह निगम विभाग में बदला गया। वहां चार पांच ऐसे प्रखण्ड हैं—काको, मकदूमपुर, जहानाबाद, कर्पी और वेला प्रखण्ड, इन सब प्रखण्डों में ट्यूबवेल थे, कहीं 20, कहीं 15, कहीं 24 लेकिन सभी के सभी ट्यूबवेल एकदम समाप्त हो गए और उनका सारा सामान चोरी चला गया। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि सरकार का कृषि के प्रति कैसा रुख है ?

इससे यह ज्ञात होता है कि सरकार कृषक विरोधी है या कृषक समर्थक है। करोड़ों रुपया जो वहां पर लगाया गया है, वह चाहे जहां भी गया हो, वह परिश्रम का पैसा है लेकिन वह पैसा बर्बाद हो गया और अब करोड़ों रुपए उन ट्यूबवेल्स को ठीक करने में, सुधारने में लगेंगे। इसलिए मैं रहूंगा कि आप इस बात की भी जांच करवायें कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1975 में घोसी प्रखण्ड में तीन ट्यूबवेल्स के लिए छिद्र किए गए थे लेकिन उसके बाद अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, उनको उसी प्रकार बांध करके छोड़ दिया गया है। तो सरकार का कृषि के प्रति ऐसा रुख है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि देश में कृषि की उन्तति नहीं होगी तो देश की अखण्डता को नहीं बचाया जा सकेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे अपने चुनाव क्षेत्र की कुछ विशेष समस्याओं की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने का यह अवसर मिला है। मैं मंत्री का आभारी रहूँगा यदि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र को, जो चिरकाल से सूखा पीड़ित क्षेत्र है, आने वाले वर्ष में सिंचाई के लिए थोड़ा पानी मिल जाए !

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, जो जटनी से दासपाला तक है, जिसके अन्तर्गत लगभग सोलह पंचायत समितियां अथवा ब्लाक हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो चिरकाल से सूखा-पीड़ित हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उड़ीसा सरकार ने "मणिभद्र परियोजना" के नाम से एक सिंचाई परियोजना प्रस्तुत की, जिससे मेरे चुनाव क्षेत्र के कुछ भागों में 3 लाख एकड़ से अधिक भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होगी। किन्तु इस परियोजना पर लगभग 1,000 करोड़ की लागत आएगी और अभी तक कोई आरम्भिक काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह सातवीं योजना में भी आरम्भ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि यह ठीक होगा यदि यह सातवीं योजना में आरम्भ हो जाए। किन्तु जो इस समय स्थिति है उससे ऐसा लगता है कि यह सातवीं याजना में आरम्भ नहीं होगा। और इसी प्रकार एक और परियोजना है, जो मध्यम सिंचाई परियोजना हे, जिसका नाम ब्रुटांग परियोजना है, जिसे आरम्भ किया जा सकता है। एक अलग प्रभाग बनाया गया। केन्द्रीय मंत्री ने मुझे जो उत्तर दिए हैं उनमें से एक में उन्होने कहा था कि इस परियोजना को अन्य सिंचाई परियोजनाओं के साथ जुड़ी एक एकीकृत परियोजना के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। तीन अथवा चार परियोजाएं एक साथ साथ जुड़ी होंगी। किन्तु इसमें समय लग जाएगा। अतः मेरा विचार है कि ब्रुटांग सिंचाई परियोजना को सातवीं योजना में अलग से लिया जाए, जिससे मेरे क्षेत्र में सातवीं योजना में कम से कम 50 से 60 हजार एकड़ में स्थाई सुविधाएं प्राप्त होंगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस ब्रुटांग सिंचाई परियोजना की ओर कुछ विशेष ध्यान देंगे। पिछले दशक में इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 56 इन्च हुई। किन्तु अब यह केवल 48 इन्च ही हुई है। इस क्षेत्र में बहुत सी नदियां बहती हैं जो वर्षा ऋतु में तबाही मचाती हैं। यदि हम वर्षा के इस पानी को बचा सकें तो सूखे की 50 प्रतिशत समस्या का समाधान हो जाएगा।

महोदय मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं को सीधे सहायता देने पर विचार कर रही है। मेरे क्षेत्र में, यदि हमें यह सहायता मिल जाए तो स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता से हम इन नदियों की छोटी नहरों पर बांध बना सकते हैं इससे इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्या सुलझाने में सहायता मिलेगी।

इस संबंध में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। उड़ीसा में लघु सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले पूरे "अयाकट" क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण किया जाए। राज्य सरकारों ने लघु सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट दी है, परन्तु वास्तव में अधिकांश क्षेत्र लघु सिंचाई के अन्तर्गत नहीं आता है। उड़ीसा में लगभग सात लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसे लघु सिंचाई योजनाओं से कोई लाभ नहीं होता है और इनको "अयाकट" क्षेत्र में शामिल किया गया है और किसानों को इसके लिए सिंचाई कर देने पर मजबूर किया जाता है, यद्यपि उन्हें सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। अतः किसान यह शोर मचाते हैं कि इसका फिर से सर्वेक्षण क्यों

न किया जाए क्योंकि आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए हैं कि इतने एकड भूमि में सिंचाई हो रही है। अतः मैं जोरदार शब्दों में उन क्षेत्रों के पुनः सर्वेक्षण का समर्थन करता हूं जहां सिंचाई सुविधा नहीं है और मैं चाहता हूं कि इन क्षेत्रों को सिंचाई कर से मुक्त रखा जाए। मैं समझता हूं कि पूरे देश में लाखों किसानों को इस उपाय से लाभ होगा। मैं यह आज्ञा भी करता हूं कि इस से न केवल उड़ीसा की बल्कि देश के सभी राज्यों की स्थिति ठीक हो जाएगी .

एक और महत्वपूर्ण समस्या जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह है कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां हर वर्ष बाढ़ या सूखा, या तूफान आता है। उड़ीसा में यह निरन्तर चलता रहता है। अतः हम केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि उड़ीसा के लिए पृथक बाढ़ पूर्वसूचना जलविज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाए। हर समय मैं इस संबंध में प्रश्न पूछता हूं, और मुझ से कहा जाता है कि "यह विचाराधीन है"। मुझे आशा है कि सातवीं योजना में उड़ीसा में अलग से 'जलविज्ञान केन्द्र' स्थापित हो जाएगा।

इस अनुरोध के साथ मैं आपको और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता और मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए कम से कम कुछ सिंचाई योजनाएं लाएगे।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : अधिष्ठाता महोदय, मैं जल संशाधन मंत्रालय को अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, भारत एक विशाल देश है और कृषि प्रधान देश है, जिसमें 70 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और खेती इस देश में पूरे रूप से पानी पर मुनहस्सर करती है । यह ऐसा देश है जो कि दुनिया का हौटेस्ट और वैटेस्ट प्लेस है। यहीं पर चीरापूंजी है और आर के मरूस्थल हैं। इस स्थिति में जल संसाधन विभाग को विचार करना होता है। जैसे इस देश के अन्दर एजूकेशन पालिसी है, इन्डस्ट्री पालिसी है और सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नेशनल वाटर पालिसी पर विचार करें, जिससे जल संसाधनों का ठीक से उपयोग किया जा सके उसका लाभ खेती के लिए और दूसरे कामों के लिए ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके।

किसान की पूरी कहानी इस देश के जल ससाधनों पर निर्भर करती है । अन्नदाता किसान ने अथक परिश्रम करके इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया है, लेकिन उसे अपने अनाज का सही दाम, सही मूल्य नहीं मिला। उसको समय पर सिंचाई के साधन नहीं मिलते हैं, तब भी उसने अपना कर्म करके दुनिया को यह दिखा दिया है कि हिन्दुस्तान का किसान वह शक्ति रखता है कि अपने लोगों को अपने बलबूते पर खिला-पिला सके। आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हैं। हमारे देश की आबादी 700 मिलियन की है और इसकी भी ग्रोथ लगभग दो प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। यदि यही स्थिति रही तो इस शताब्दी में आबादी 800 मिलियन तक पहुँच जाएगीं : उसके खाद्यान्न के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा,

वरना हम अपने देश के लोगों को पूरा खाद्यान्न नहीं दे सकेंगे। हमने अभी 151.11 मिलियन टन अनाज का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया है, लेकिन जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो हमें 200 से 250 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी। इसलिए यह ऐसा मौका है, ऐसी महत्वपूर्ण घड़ी है कि हम अपने सिंचाई के संसाधनों और जल संसाधनों का ठीक से उपयोग करने की ओर ध्यान दें। यदि हम उसका उपयोग नहीं कर सके, तो हमें परेशानी होगी।

आप जानते हैं कि देश में वर्षा के अवसर 40 इन्च के करीब है और पानी के लिए ग्राउन्ड वाटर, फ्लड वाटर सर्फेस वाटर आदि साधन हमारे पास हैं।

2.00 म.प.

इसलिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे सरकार ने ली हैं लेकिन इस माननीय सदन में दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है हालांकि माननीय शंकरानंद जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, उनकी योग्यता पर देश को पूरा भरोसा है। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ की आबादी है। वहां के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर करते हैं। इसलिए वहां सिंचाई के संसाधनों की महती आवश्यकता है परन्तु जितना महत्व सिंचाई को दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। भालू बांध और करनाली की योजना नेपाल सरकार के सहयोग से शुरु होने वाली थी। उसका यथोचित कार्यक्रम नहीं चल रहा है और इतना लम्बा वह खिंच रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में हर साल बाढ़, कटाव और जमाव हो रहा है और किसानों के लिए जो सिंचाई के साधन मुहय्या कर सकते थे या बिजली पैदा कर सकते थे, वह नहीं कर पाए रहे हैं। जो लाभ उससे मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है। उसी के कारण हर साल घाघरा में, राप्ती में और टोंस में भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। बेमोसम बाढ़ आ जाती है और हजारों लोगों का जन-जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है और मानवता कराहने लगती है। मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती सिंचाई की दशा को देखते हुए वहां पर वर्ल्ड बैंक ने ट्यूबवेल्स लगाने का सहारा लिया था लेकिन उसमें भी यथेष्ट सफलता नहीं मिल पा रही है। कहीं कहते हैं कि जमीन नहीं मिली, कहीं कहते हैं कि स्ट्रेटा की कमी है और कहीं बिजली की कमी बताते हैं। जो नलकूप बने भी हैं, वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिले ऐसे हैं जैसे आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर, जहा हर साल बाढ़ आती है। सितम्बर के महीने में, अक्तूबर के महीने में जल जमाव होता है, जल कटाव होता हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार उससे जूझती रहती है लेकिन फिर भी जनता को सही राहत नहीं मिल पाती है। केन्द्रीय सरकार से अपेक्षा की जाती है और मैं माननीय जल संशाधन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पश्चिम प्रदेश के लोग यह कहने लगे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से अलग हो आओ और इतना रुपया क्यों बाढ़ के लिए खर्च किया जाए। इस तरफ माननीय जल संसाधन मंत्री को विशेष ध्यान देने की जरूरत हैं। वे एक बार ही कोई ऐसी योजना बनाएं कि बाढ़, कटाव जल जमाव की समस्या से पार पा लें। अभी आजमगढ़ में घाघरा नदी का भीषण कटाव महुला प्यूटोडांड गांव में हो रहा है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी प्रार्थना पर लगभग 17-18 करोड़ खर्च किए हैं लेकिन जो सिंचाई विभाग के लोग हैं, वे उस रुपये को लूटने, खसोटने और

उसका दुरुपयोग करने की फिक्र में लगे हैं और सिंचाई की जो सामान्य प्रक्रिया जिले में थी, वह लगभग ठप्प सी हो गई है। पूरा विभाग ही इस कटाव पर गिद्ध दृष्टि डाले है। नलकूप बेकार पड़े हैं, माइनर्स बन नहीं पा रहे हैं। वी. आर. बी. सी. आर.बी. नहीं बन पा रहे हैं, सिल्टिंग खत्म नहीं की जा रही है और नहर की सफाई वगैरह भी एकदम नहीं के बराबर है और फर्जी भुगतान दिखाता जार हा है। आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई विभाग से सतर्क हो कर एक एक पानी की बूंद का उपयोग किया जाए और वह पानी किसानों के पास पहुंचकर अधिक से अधिक खाद्यान्न पैदा करे। मेरा कहना यह भी है कि जहां कटाव है, वहां सामान्य कार्यक्रमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

एक दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि गांवों में पेय-जल की बड़ी समस्या है। हम इतने दिनों से आजाद हैं लेकिन अभी तक इस भीषण और महत्वपूर्ण समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। गांवों में लोगों को पीने के लिए एक ग्लास शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता है। इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जहां पशु और आदमी एक साथ एक ही गन्दे नाले में पानी पीते हैं, एक ही पोखरे में पानी पीते हैं और उस पानी को अगर आपको दिखा दिया जाए, तो आपको उबकाई आ जाएगी। यह गन्दा पानी नाना प्रकार की भयावह जान लेवा बीमारियां फैलाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पेय जल की टंकियों का प्रावधान किया था लेकिन छटी और सातवीं योजना में उसे एक दम रोक दिया गया है। यह कैसी विडम्बना है कि पानी की जब इतनी आवश्यकता है, तो सरकार ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर पाबन्दी लगा रही है। छटी और सातवीं योजनाओं में न मालूम इन पेय जल योजनाओं को क्यों समाप्त कर दिया गया है।

मान्यवर यह बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं माननीय जल संशाधन मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांवों को पेय जल की टंकी बांटने की योजना थी, उसको बहाल करें और प्रत्येक गांव को एक-एक टंकी उपलब्ध करायें।

शारदा परियोजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी और विशेष स्थिति को देखकर शुरु की गई थी। यह योजना कम खर्च पर अधिक जल देने वाली योजना है। जब किसान को गल्ले का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है तो वह मंहगी सिंचाई से कब तक खाद्यान्न पैदा करता रहेगा? मुझे यह कहते हुए बहुत कष्ट है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, फैजवाद और बलिया की रसड़ा तहसील में शारदा योजना जो कि 1976-77 में पूरी हो जानी थी, अधिक से अधिक 1980 तक पूरी हो जानी थी, लेकिन आज 1986 में जब हम बात कर रहे हैं तो शारदा सहायक योजना का काम पूरा नही हुआ है। उसका आधा विकास कार्य भी नहीं हुआ है। इसके बारे में ऐसे-ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं कि किसान जमीन नहीं दे रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक से हमने इतना पैसा इतने सूद पर ले कर काम रोका हुआ है। हमारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। यह सरकार की बहुत बड़ी खामी है। अगर हम 1986 तक या 1987 तक यह काम पूरा कर लेंगे तो वर्ल्ड बैंक को हमें अधिक सूद नहीं देना पड़ेगा। इससे किसानों को पानी जल्दी पहुंचेगा और किसान हमको अधिक गल्ला देगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। वहां छठी पंचवर्षीय योजना में 1202

करोड़ रुपए खर्च करके 15,19 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने का लक्ष्य था। लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1869 करोड़ रुपए खर्च करके हमने 14 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य रखा है जो कि एकदम गलत है। यह अधिक होना चाहिए था। मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई बढ़िया हो सकती है, खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां बाढ़ रोकने, वाटर कन्ट्रोल करने, रिवर कन्ट्रोल करने और वाटर मैनेजमैंट की जरूरत है। वहां वाटर यूटिलाइजेशन, फ्लड कन्ट्रोल, ड्राट कंट्रोल की जरूरत है। हमारे पास बीस सूत्री कार्यक्रम है जिसका पहला सूत्र है सिंचाई के लिए जल-संसाधन का विकास करना। माननीय इन्दिरा जी अब नहीं है। हम उनके एहसानमन्द हैं कि उन्होंने देश में ऐसी योजनाएं शुरू की। लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने वाली हमारी यह सरकार उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में सिंचाई का लक्ष्य उत्तरोत्तर कम करती जा रही है, उसके लिए पैसा कम देती जा रही है। यह उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। कृषि मे उपेक्षा, पशुपालन में उपेक्षा, जल संसाधन के जुटाव में उपेक्षा, परिवार नियोजन के लक्ष्यों के प्रति उपेक्षा की जा रही है। मथुरा में हाई ब्रीड सेंटर हटाया गया। मैं इन उपेक्षाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या वाटर लागिंग की है। जिससे आदमी के आने जाने के रास्ते रुक जाते हैं, खेतों में पानी भर जाता है, मकानों में पानी चला जाता है, उनमें सील भर जाती है जिनसे बीमारियां फैलती हैं और मनुष्य अकाल ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। इस पानी को वहां से निकालने के लिए तेजी से कदम उठाए जायें।

इतना कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जूझार सिंह (झालावाड़) सभापति महोदय, पानी हमारे देश की इकोनोमिक डवलपमेंट में एक बहुत इम्पारटेंट फैक्टर है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने पानी के यूटिलाइजेशन के लिए हर पंचवर्षीय योजना में काफी काम किया है। हमारे वाटर पोटेंशयल्स हैं जिनको कि हमें इस सेन्चरी के आखिर तक यूटिलाइज करना है, 113 मिलियन हेक्टेअर के हैं जिनमें से 68 मिलियन हेक्टेअर पानी उपलब्ध करा पाए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 12.8 मिलियन हेक्टेअर का प्रावधान किया गया है। इसी सन्दर्भ में हमारे राजस्थान में 5 लाख 70 हजार हेक्टेअर में पानी देने का प्रावधान है।

सभापति महोदय, राजस्थान एक डेजर्ट प्रदेश है। वहां पर बहुत बड़े हिस्से में डेजर्ट एरिया है। पानी की बहुत कमी है। भारत सरकार ने प्रयास करके राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर और बहुत से साधन उपलब्ध कराने की कोशिश की है, लेकिन मैं ऐसे इलाके से आता हूँ जहां सिंचाई बहुत कम होती है। राजस्थान के इस हिस्से में पानी बहुतायत से है और मैं ऐसी उम्मीद करता था कि उस हिस्से में जहां पर कि पानी काफी अच्छी तादाद में उपलब्ध है, उसको ठीक तरह से डेवलप किया जायेगा, लेकिन सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का वह हिस्सा, जिसको झालावाड़ कहते हैं और जिसमें करीब 3-4 बड़ी और कई छोटी नदियां बहती हैं सिंचाई की कई योजनायें भी हैं लेकिन राजस्थान के उस हिस्से में जितना पानी उपलब्ध करा पाए हैं वह मात्र 6.78 परसेंट क्षेत्र में है, यह परसेंटेज राजस्थान के जो दूसरे 27 जिले हैं, उनमें से करीब-करीब सब से कम है। सभापति महोदय मैं इस हाउस के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि

राजस्थान के दूसरे हिस्सों में सिंचाई का परसेंटेज अधिक है, कोटा जिले में 30 प्रतिशत के करीब है। बूंदी में 55 परसेंट, टोंक में 20 परसेंट और दूसरे जिलों में भी सिंचाई का प्रतिशत अधिक है, लेकिन झालावाड़ जिले में सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। मेरा एक निवेदन यह है कि जहां पानी उपलब्ध है, जहां पर सिंचाई की योजनायें बनी हुई हैं, जहां पर बिना किसी ज्यादा प्रयास के पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकती है, उस जिले में सबसे कम भाग में सिंचाई हम कर पाये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो इनकम्पलीट सिंचाई योजनायें हैं, जिनकी मंजूरी हो चुकी है, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

2.12 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरी कांस्टीट्वेंसी में हमीरपुर, हिंगलोट, लेथड़ी, अम्बेरी, लासी, छबड़ा (छीपा बड़ौद), हथाई पेह, बरनी, ये सब ऐसी मीडियम इरीगेशन स्कीम्स हैं जिनको एप्रूव किया जा चुका है लेकिन अभी तक इन पर कोई काम शुरू नहीं किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन योजनाओं को प्रायरिटी से लिया जाय और जो इरीगेशन का गैप हो गया है, पानी उपलब्ध होते हुए जो इरीगेशन का गैप हो गया है, उसको किसी तरह से बेलेंस किया जाए, ताकि वहां के लोगों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे हिस्से में जहां हमेशा से पानी बहुतायत से रहा है और पुराने स्टेट्स टाइम पर भी यहां के पानी का उपयोग किया गया था और बहुत से बांध तथा तालाब बनाए गए थे. लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जितने पुराने बंधे और तालाब अथवा इरीगेशन सिस्टम हैं, उनमें काफी इरोजन है, लीकेज है और पानी काफी मात्रा में वेस्ट हो रहा है। नए साधन उपलब्ध नहीं कराये गए हैं और जो पुराने साधन हैं, उनका मेंटीनेंस नहीं हो रहा है। इसलिए कम से कम जो उपलब्ध साधन हैं, उनके ऊपर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पानी के साथ साथ जो पानी से संबन्धित दूसरी इम्पोरटेंट चीजें हैं, जैसे इरोजन है, वाटर लागिंग है, इनकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वाटर लागिंग की समस्या उन इलाकों में मैनेजमेंट ठीक न होने की वजह से है जो काफी गम्भीर होती जा रही है। एक तरफ तो सिंचाई के साधन नहीं बढ़ रहे हैं और जो उपलब्ध सिंचाई के साधन हैं, उनका उपयोग ठीक तरह से न होने की वजह से वाटर लागिंग शुरू हो रहा है। चम्बल कमांड एरिया में हजारों बीघा जमीन वाटर लागिंग की वजह से खराब हो रही है, उसके डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं है। इसी तरह से इरोजन की भी बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान का छोटा डिवीजन का हिस्सा, एरिया प्वाइन्ट आफ व्यू से बहुत छोटा हिस्सा सिंचित है, लेकिन जहां तक इरोजन का सवाल है, राजस्थान का करीब 50 परसेंट इरोजन इस छोटे से इलाके में ही हो रहा है और वह इस वजह से कि यहां पर जमीन की जो लैण्ड यूज पालिसी है, उनको पूरी तरह से फालो नहीं किया गया। पानी ज्यादा बरसता है, उसको रोकने के लिए कोई साधन नहीं हैं और जो फ्लड्स आते हैं, उससे जमीन का कटाव होता है, जमीन की फर्टेलिटी कम होती जा रही है, यह भी इम्पोरटेंट फैक्टर है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से चम्बल की बहुत बड़ी स्कीम है और उससे बहुत बड़े हिस्से

में सिंचाई की जा रही है, लेकिन वहां पर सेंडीमेंटेशन होने लग गया है, जिससे पूल की कैपेसिटी कम होती जा रही है और पानी का प्रापर उपयोग कम हो रहा है। साइल इरोजन को न रोकने की वजह से चंबल नदी में भी धीरे-धीरे मिट्टी बढ़ती जा रही है। उसकी क्षमता कम होती जा रही है इसलिए उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जमीन उपलब्ध कराने के लिए लैन्ड सीलिंग एक्ट आया जिसमें छोटे काश्तकारों को मदद करने की कोशिश की गई। काफी प्रयासों के बावजूद 43 लाख एकड़ जमीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिये आपको उपलब्ध हो पाई है। उसके कन्ट्रास्ट में चार गुना जमीन वाटर लागिंग की वजह से खराब हो गई है। वह जमीन बहुत अच्छी है जिसमें प्रोडक्शन काफी हो सकता है। ऐसी जमीन मिस-मैनेजमेंट की वजह से बेकार होती जा रही है। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सी ऐसी जमीन जो गरीब आदमियों के काम में आ सकती थी, वह भी वाटर लागिंग की वजह से खराब होती जा रही है। (व्यवधान) हम लोग तो बहुत कम और कभी-कभी बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत कम टाईम मिलता है। अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन एरियाज में पानी उपलब्ध है, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री सुदर्शन दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आसाम के करीमगंज और कछार जिले जो बारक घाटी के नाम से जाने जाते हैं और जो भौगोलिक कारणों से बहुत पिछड़े हुए हैं उनकी अनगिनत समस्यायें हैं। परन्तु यह दु:ख का विषय है कि न ही तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार किसी भी समस्या को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उपाय कर रही हैं। इस कारण इस क्षेत्र के लोगों के विचार कटु और दूषित होते जा रहे हैं।

इस क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और कृषि उनका एक मात्र पेशा है तथा जीवन यापन का साधन है। दुर्भाग्यवश प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में बाढ़ आती है और कभी कभी तो बाढ़ दो तीन बार तक आती है। बाढ़ के परिणाम स्वरूप किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। करीमगंज के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को कम होने में बहुत समय लग जाता है।

महोदय, इस क्षेत्र की मुख्य नदी बारक नदी है। इस नदी का उद्गम श्रोत मणिपुर में है, फिर यह सिलचर अनुमण्डल में से बहती हुई करीमगंज जिले में भगा के निकट यह सुरमा तथा कुशियारा का नाम धारण करती है और वहां से यह बंगला देश में चली जाती है। भंगा से 26 कि. की. दूरी तय करके यह कुशियारा नदी भारत बंगलादेश सीमा में प्रवेश करती है।

जतिगां नदी उत्तरी कछार की पहाड़ियों से निकलकर बारक नदी में गिरती है। धालेश्वरी नदी मिजोरम से निकलती है और हेयलाकुण्डो अनुमन्डल के समस्त पानी को समेटती हुई यह नदी भी. कटखल रेलवे स्टेशन के निकट कटखल नाम ग्रहण करती हुई बारक नदी में गिरती है। करीम गंज की दो मुख्य नदियां अर्थात सिंगला और लांगई मिजोरम से निकलकर करीमगंज कस्बे के पास आपस में मिल जाती हैं। वहां से वे बह कर बंगला देश में हाकालुकी हाओर नदी में गिरती हैं। पहले सिंगला और लांगई नदियों का लगभग आधा पानी कुशियारा

*मूलत: बंगाल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

नदी में जाता था। परन्तु बारक नदी की बाढ़ के पानी को करीमगंज जिले में जाने से रोकने के लिए चार-गोला के निकट काचुआ नदी पर जो सिंगला नदी की एक सहायक नदी है, एक बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी पर बांध बनाकर समस्त पानी को लांगई नदी में गिरा दिया गया है। लांगई नदी इस विशाल पानी भार को ले जाने में सक्षम नहीं है क्योंकि बंगला देश में हाकालुकी हाओर नदी गाद से भरती जा रही है। मैंने सुना है कि बगला देश सरकार ने हाकालुकी हाओर नदी की दशा सुधारने के लिए परियोजनायें चालू कर दी हैं। यदि ऐसा है तो करीमगंज जिले के व्यापक क्षेत्र पानी में डूबे रहेंगे। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है कि बारक बांध का निर्माण किया जाये।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय जल संसाधन मन्त्री महोदय ने कहा था कि 1500 मे.वा. में की क्षमता वाली प्रस्तावित 'बारक बांध' परियोजना केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग के अधीन विचारार्थ है। जितनी जल्दी यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा, परियोजना कार्य शुरू हो जायेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारक बांध परियोजना पर कार्य शीघ्र किया जाये।

जब बारक परियोजना आरम्भ हो जायेगी तो समस्त क्षेत्र की अव्यवस्थित कृषि अर्थ-व्यवस्था में पुन: जीवन संचार होगा और इसे नया जीवन मिलेगा।

बारक घाटी को विनाशकारी बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सकेगा और किसान लोग अपनी भूमि परशान्ति पूर्वक निडर होकर खेती कर सकेंगे।

उन खेतों की सिंचाई करना सम्भव होगा जिनकी सिंचाई निरन्तर आने वाली बाढ़ के कारण सम्भव नहीं हो पाई है। बाढ़ के समय समस्त आन्तरिक यातायात व संचार अवरुद्ध हो जाता है। सड़कें अनुपयोगी हो जाती हैं। जिसके परिणामस्वरूप समस्त त्रिपुरा मिजोरम पश्चिमी मणिपुर, उत्तरी कछार की पहाड़ियों और बारक घाटी में सड़क यातायात अवरूद्ध हो जाता है। बाढ़ के बाद सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है।

जब बांध का निर्माण हो जायेगा तो अप्रैल और मई महीनों में उगाई जाने वाली फसलें अर्थात् बोरी धान तथा आरम्भिक आस धान की फसलें बचाई जा सकेंगी जो अब बाढ़ से नष्ट हो जाती हैं, जो हजारों एकड़ धान की फसल को नष्ट कर देती है। इस लिए मैं बारक घाटी की इस आंसुओं वाली नदी पर लोगों की भलाई के लिए बांध बनाकर इस क्षेत्र को खुशहाल, हरा-भरा, समृद्ध फसल उगाने वाला क्षेत्र बनाने के लिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं।

यदि यह परियोजना आरम्भ हो जाती है तो इस क्षेत्र में विद्युत कमी को दूर करने के साथ ही यह नये उद्योगों के विकास में भी सहायक होगी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में भी इससे सहायता मिलेगी। मैं एक बार फिर इस बारक परियोजना को शीघ्र आरंभ किये जाने के लिए निवेदन करता हूं। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।
[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जन-संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में पिछले 30-35

सालों में जल-संसाधनों का काफी विकास हुआ है। इस मंत्रालय का कृषि से सीधा सम्बन्ध है और कृषि कार्य देहातों में होता है। इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्यों कि उसके लिए समय नहीं है और संक्षेप में ही अपने विचार आपके सामने रखूंगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल होने के कारण मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में हम लोग यहां जो भी सुझाव आपके सामने रखेंगे, आप उनका गहराई के साथ अध्ययन करेंगे और जहां सुधार करने की आवश्यकता हो, वहां आवश्यक कदम उठायेंगे। तभी देश में कृषि का और जल साधनों का विकास सम्भव है। आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 11,556 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इससे जो भूमि सिंचित होने वाली है, उसमें खाली कमाण्ड एरिया के लिए 1771 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मैं समझता हूं कि देश में इरीगेशन पोटेन्शियल डेवलप करने के लिए यह राशि बहुत ही कम है और इससे ज्यादा पैसा रखा जाना चाहिए। इससे ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि मुझे जो महाराष्ट्र का अनुभव है, उसके आधार पर मैं कहूंगा कि प्रोजेक्ट शुरू होने और कम्पलीट होने के दस साल बाद भी कमांड एरिया डिवेलपमेंट प्रोग्राम चलता है और डेम में पानी वैसे ही रह जाता है और पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा धन राशि देने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट हमेशा डिले हो जाते हैं। 156 प्रोजेक्ट्स की कीमत 565 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई है। पहले इन प्रोजेक्ट्स का खर्च 2156 करोड़ रुपया था अब 14 हजार से ज्यादा हो गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में एक हेक्टयर भूमि को सिंचित करने के लिए बारह सौ रुपए खर्च आते थे अब वह खर्च बढ़ कर रु. 19721 छठवीं पंचवर्षीय योजना में तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह खर्च 26872 रुपए हो गया है। इसमें भूमि सुधार का पैसा भी नहीं है, भूमि वाटर सोर्स और वाटर मैनेजमेंट का खर्चा भी नहीं लगा हुआ है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो राज्य निर्धारित समय में प्रोजेक्ट को कम्पलीट करते हैं उनके लिए वे क्या बोनस देते हैं या उनके लिए पैसे का ज्यादा प्रावधान करते हैं और जो डिले करते है क्योंकि उनमें काफी एजेंसियां इन्वाल्व होती हैं, इसलिए प्रोजेक्ट्स हमेशा डिले हो जाते हैं, उसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है क्योंकि स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट ने ठीक से योजना नहीं प्रस्तुत की है और स्टेट गवर्नमेंट सेण्ट्रल के लिए कह देती है कि सेण्ट्रल से समय पर स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई, कभी कहती हैं कि टैक्नीकल क्लियरेंस जल्दी न मिलने के कारण देरी हुई है। इस बारे में कई प्रश्नों के उत्तर देते समय मंत्री जी ने बताया है कि डिले के कारण इन प्रोजेक्ट्स की कितनी ज्यादा कीमत बढ़ गई है। इसलिए इस बारे में मेरा निवेदन है कि ज्यादा डिले नहीं होनी चाहिए और देरी में जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में इरिगेशन का पोटेंशियल 12.9 मिलियन हेक्टेयर करने जा रहे हैं, तो सही मायने में जो वाटर लागिंग की प्राब्लम हमारे देश में है और सभी जगह पर है, उसे हम कैसे हल करेंगे इस बारे में सोचना चाहिए तथा वाटर मैनेजमेंट और माडर्नाइजेशन के हिसाब से हमें इस वाटर लागिंग की प्रोब्लम को हल करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक वाटर लागिंग की प्राब्लम हल नहीं होती है तब तक हम वाटर पोटेंशियल

कितना ही डिवेलप कर लें, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि अभी तो हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में चार लाख हेक्टेयर जमीन को ही सिंचित करने जा रहे हैं। उसी हिसाब से तीन लाख हेक्टेयर ज्यादा हमारी जमीन में वाटर लागिंग हो रही है। इस प्रकार से हम एक जगह पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भूमि सिंचित करने जा रहे हैं और जगह पर वाटर लागिंग हो रहा है। इसलिए हमें इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसे अभी वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट के लिए सेंटर ने ग्राउण्ड वाटर के सम्बन्ध में ग्राउन्ड वाटर की स्कीम नेशनल लैवल पर चालू की है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग की स्कीमें भेजी हैं उन्हें मान्यता दीजिये। इसलिए इसके कडा के साथ ही साथअगर ग्राउण्ड वाटरस्कीम नावाडके जोड़ के ऐसी स्कीम लगा दें जिसमें इन्टेंसिव एग्रीकल्चर और इन्टेंसिव इरिगेशन हो सकेगा और वाटर लागिंग की समस्या न आये, इन्टेन्सिव इरीगेशन के कारण हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं कि डैम में कितना पानी है, कितना खर्च हुआ है। नहीं हुआ तो इन्टेन्सिव इरीगेशन कर दो। अभी हमारे यहां एक गायकवाड़ी है और वहां एक डैम है। महाराष्ट्र के अच्छे शासक यहां बैठे हुए हैं मिस्टर क्षित्रे, उनको पता है कि गायकवाड़ी और मूलामें की कितनी जमीन में हमने पाटेंश्यल डिवेलपमेंट किया, आधे हिस्से से ज्यादा जमीन नायकामयाब हो गई है। इसी प्रकार से मेरा ख्याल है कि दूसरे हिस्सों में भी हुआ होगा। इसके लिए भी अण्डर वाटर स्कीम से एक समस्या हल हो सकती है लेकिन कोई दूसरा तरीका होगा, मुझे पता नहीं है। क्योंकि हमारी कैनाल के अन्दर भी सीवरेज की बड़ी समस्या है। वहां भी 50-55 प्रतिशत तक सीवरेज और इवेपोरेशन होता है। अभी लाइनिंग का काम तो चल रहा है, लेकिन जहां सूखा इलाका है, वहां पर मेरे ख्याल से लाइनिंग के लिए कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लाइनिंग के अलावा वही पैसा सूखे इलाके की परिस्थिति दूर करने के लिए या वहां पानी लाने के लिए वह पैसा दिया जाए, तो उससे सूखे की समस्या का कुछ हल हो सकता है। लेकिन जो 50 प्रतिशत हमारा पानी खत्म हो रहा है, जिसको हम काम में नहीं ले रहे हैं, उससे बचत भी हो सकती है क्योंकि इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 30 प्रतिशत को अगर हम अपने काम में ले लें, तो उससे काफी जमीन सिंचित हो सकती है और जब ज्यादा भूमि सिंचित हो सकती है, तो हम पोटेंश्यल क्रिएट करने के लिए ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर बना दें क्योंकि दिन प्रति दिन हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर की कीमत बढ़ रही है जिसके कारण ज्यादा पैसा खर्च होता है ज्यादा पैसा खर्च होने के कारण हम उसके लिए पैसा कम देते हैं और काम ज्यादा सोचते हैं। लेकिन काम होता नहीं। अभी वहां पर एक प्रोजेक्ट है जिसकी डिले का कारण यही हो सकता है कि री-हैबिलिटेशन आफ दि एरिया पीपल। री-हैबिलिटेशन के प्राजेक्ट के बारे में राज्य सरकार ने कई कानून बनाये हैं। अब ये कहते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है स्टेट का सब्जेक्ट है। री-हैबिलिटेशन में किसानों की जमीनों की कीमतें पूरी नहीं देते हैं। जब वे अपना केस कोर्ट में ले जाते हैं, तो कोर्ट के फैसले के मुताबिक दस-दस गुना ज्यादा पैसा उनको अपनी जमीनों का मिलता है। इसलिए मेरा इस बारे में निवेदन है कि ऐसा प्रावधान करना जरूरी है। कि किसान को अच्छा दाम मिले। उनकी भूमि 10 साल के बाद सिंचित होने वाली है और आज हम कह रहे हैं कि आप गांव में जाकर बैठो। अकेला किसान बैठ नहीं सकता है। मेरा सुझाव है कि ग्रुप—ग्रुप के किसान गांव में बैठ कर यह देखें कि भूमि को हम जल्दी से जल्दी कैसे सींच सकते हैं।

अभी हम एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम चला रहे हैं। उसी के हिसाब से हम रूरल एम्पलायमेंट स्कीम बनायें और एक लैंड आर्मी, भूमि सेना बनाकर नहर बनायें और डेम बनायें। प्रधान मंत्री जी ने सूखा क्षेत्र के लोगों के बारे में विश्वास दिलाया था कि हम ऐसी योजना बनायेंगे जिससे सूखा फिर से हमारे सामने न आये। ड्राउट इफेक्टेड होने के कारण कहीं ड्राउट रेजिस्टेंस एरिया न बन जाये। मेरा सुझाव है कि भूमि सेना बनाकर हरेक स्टेट से किसानों से काम लिया जाये। हमारे पास अनाज का भंडार काफी पड़ा है, अनाज गोदामों में सड़ रहा है। हम फूड फार वर्क की स्कीम बनाकर क्यों न एक भूमि बनायें जिसके कारण भूमि की सिंचाई ज्यादा से ज्यादा करके विकास कर सकें ?

वाटर मैनेजमेंट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक काम ठीक नहीं होगा, अभी सर्फेस डाउन ग्राउन्ड वाटर की बात चल रही है। अभी कड़ा में एक सर्कुलर निकाल दिया गया है कि ड्रिप्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन स्टेट सबजैक्ट है। इसका आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया है। मैं चाहूँगा कि जो भूमि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से सिंचित होने वाली है उसके लिये कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। और उसके लिये ड्रिप्ट और स्प्रिंकल इरिगेशन का प्रावधान क्यों न रखा जाए। किसान 10 हजार का ऋण लेता है और बाद में कुछ सब्सीडी गवर्नमैंट से लेता है। मेरा कहना है कि प्रोजेक्ट में आप ऐसा प्रावधान कर दें जिसके कारण वाटर लागिंग की समस्या हल हो जाये.

महाराष्ट्र में ड्रिप्ट और स्प्रिंकल इरिगेशन के लिये किसान को ऋण देने के अलावा आप कुछ प्रोजेक्ट बनायें। मेरे ख्याल से इससे वहां कुछ न कुछ काम और बढ़ जायेगा।

आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि हम किसान को फ्री बोर-वैल दे रहे हैं। मेरा अनुभव है कि महाराष्ट्र में चाहे स्माल फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हो या आदिवासी फार्मर हो किसी को मुफत बोर वैल नहीं मिला। मेरा सुझाव है कि आप एक नेशनल लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन बना दीजिये। लिफ्ट इरिगेशन की कई योजनाएं एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के पास हैं। अब तक 50 प्रतिशत 75 प्रतिशत तक सबसीडी मिलती थी। जब तक हम डैजर्ट एरिया, सूखे क्षेत्र के लिये कुछ नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। आप नेशनल लिफ्ट इरिगेशन कार्पोशन बना दें। अब सभी का एक मंत्रालय बन गला है सब कामों का एक ही मंत्रालय जिम्मेदार है, उसका दायित्व है कि उसने ही पानी के बारे में सब कुछ करना है।

महाराष्ट्र में 25 मेजर प्रोजेक्ट और 47 मध्यम प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ? कृष्णा, गोदावरी और तेलुगु गंगा की भी बात चल रही थी। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि तेलुगु गंगा का कोई भी निर्णय संबंधित राज्य से बात करे बगैर लेना खतरनाक होगा। उससे असंतोष बढ़ेगा और कोई लाभ नहीं होगा।

महाराष्ट्र से जितने प्रोजेक्ट आये हैं, वह आप जल्द से जल्द भेज दें। अभी जो सूखा महाराष्ट्र में पड़ता है, हमारे नये चीफ मिनिष्टर ने एलान किया है कि जितने डैम और नहरें हैं, वह सब काम एम्लायमैंट गारन्टी स्कीम में ले लेंगे।

भारत सरकार की यह नीति रही है कि सूखे इलाके के लिये एक ऐसा काम कर दें

जिसके कारण वहाँ सूखा न आये। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अब शुरूआत है, वह महाराष्ट्र के लिये ज्यादा से ज्यादा धनराशि दे दें और सूखे को मिटाने के लिये काम करें क्योंकि पानी के बगैर जानवरों के पीने के पानी की समस्या है, रिहैबिलीटेशन की समस्या है। किसान को पानी के बगैर बड़ी तकलीफ है, अगर उसे पानी मिल जायेगा तो यह काम ठीक हो जायेगा।

113 मिलियन हैक्टर का जो यहां जिक्र किया गया है, महाराष्ट्र के बारे में यह अनुभव रहा है कि बर्वे इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट है कि वहां 30,35 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई नहीं होगी, लेकिन अब अनुभव से यह पता चल रहा है कि 40 प्रतिशत से ज्यादा वहां भूमि सिंचित होने वाली है। क्योंकि नया इरिगेशन सिस्टम लाना जरूरी है। जैसे ही नया सिस्टम लायेंगे, मार्डनाइजेशन करेंगे, वाटर मेनेजमेंट में सुधार करेंगे तो मेरे ख्याल से 113 मिलियन से ज्यादा भूमि सींचित हो सकती है।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि जहां पर सूखा पड़ा है, वहां के लिये अधिक धनराशि आवंटित करें और भूमि सेना बनायें। इसके साथ ही साथ सूखे इलाकों में ज्यादा नहरें बनायेंगे तो उससे किसानों को भी राहत मिलेगी। यह चन्द बातें कह कर मैं इन डिमांड्स का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

प्रो. एन.जी. रंगा (गुन्टूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस मन्त्रालय को नया रूप दिया गया है। पहले इसका नाम सिंचाई मन्त्रालय था; जो इतना सन्तोषजनक नहीं था। मेरे माननीय मित्र श्री पाटिल ने इस विषय पर अच्छी तरह विचार किया है।

दो तीन बातें हैं जिन पर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए था। तेलगू देशम दल के एक हमारे साथी केन्द्र सरकार और मन्त्री महोदय को, आन्ध्र प्रदेश सरकार के तेलगू गंगा के दावे की जानबूझ कर अवहेलना करने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। इस दोषारोपण में मैं उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हूं परन्तु मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें और इस मामले को दूरदर्शितापूर्वक विचार करने की कोशिश करें। आखिरकार यह किसी दल विशेष की मांग नहीं है परन्तु इस प्रश्न में हम सब शामिल हैं। विवाद की जड़ क्या है ? केवल अतिरिक्त पानी के बारे में है। उनके अपने-अपने हिस्से का बंटवारा न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त भी कुछ अतिरिक्त पानी बचेगा। परन्तु कठिनाई यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि अतिरिक्त पानी सदा के लिए ही रहेगा। अतः कुछ सालों में यह सम्भव है कि अतिरिक्त पानी उतना नहीं रहेगा और इसलिए उस समूचे जल मार्ग के आखिरी क्षेत्र को पर्याप्त पानी न मिलने का खतरा पैदा हो जायेगा। यदि आंध्र-प्रदेश निवासी यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं और सूखा प्रवण रायलसीमा क्षेत्र के किसानों की मदद के लिए अपनी दो या तीन सिंचाई योजनाओं पर आगे कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे लिए अपने लोगों को सन्तुष्ट करना कैसे सम्भव है। इस सम्बन्ध में मेरे कन्नड़ मित्र द्वारा लिया गया पक्ष पूर्ण रूप से न्यायोचित है। यही बात है जहां हमारे सामने कठिनाई आती है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह बात भी ध्यान

में रखनी पड़ती है कि उस समय क्या होगा जब यह अतिरिक्त पानी नहीं प्राप्त होगा और पानी की कमी होगी। और तब उस हालत में रायलसीमा में केवल नई सिंचाई परियोजनाओं की ही नहीं, जिनका कि अब निर्माण हो रहा है, परन्तु पहले से चालू परियोजनाओं को भी धक्का पहुंचेगा। तब अब नये लाभान्वित और पहले से लाभान्वित लोगों में तनाव पैदा हो जायेगा। फिलहाल, आन्ध्रप्रदेश सरकार यह जोखिम उठाने के लिए तैयार है तथा हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम समग्र रूप से आन्ध्रप्रदेश के लोगों को विश्वास दिला सकें कि उनका यह जोखिम उठाना न्यायोचित नहीं है। यदि हम यह कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने राजनैतिक मतभेदों को बहुत महत्व दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र, मन्त्री महोदय अनावश्यक विवाद के फलस्वरूप पैदा हुई इस परेशानी के कारण पर, जो अतिरिक्त पानी के उपयोग को लेकर उठाया गया है विचार करें। यह विवाद पानी के वितरण की मात्रा को लेकर जो कि पहले ही तय हो चुकी है, यह केवल इसलिए है कि अतिरिक्त पानी कितना है। इस अतिरिक्त पानी पर सन्देह केवल कुछ सालों तक ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय और मन्त्रालय इस पहलू पर विशेष ध्यान दें अन्यथा लोगों में विश्वास पैदा करने में यह अड़चने पैदा करेगा

मुझे मालूम है यह कर्नाटक के लोगों के लिए भी यह उतनी ही परेशान करने वाली बात है। वास्तव में, एक समय उनके मुख्य मन्त्री ने यह कह कर एक राजनेता होने का परिचय दिया था कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी और इसकी संभावना पर भी आश्चर्य व्यक्त किया था। वे आंध्र-प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ राजनीतिक मामलों में सहयोग के लिए तैयार थे और उन्होंने आपत्ति नहीं उठाई थी। किंतु उन लोगों ने स्वयं ही पागलपन किया और उन्हें परेशान किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे आज बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब विवाद केन्द्र में है। यह मामला उनके हाथों में सौंप दिया गया है। संबन्धित पार्टियों को इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि केन्द्र के लिए यह किस प्रकार सम्भव होगा। उन्हें केवल इसकी चिन्ता है कि केन्द्र को अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार का क्या कर्तव्य है ? केन्द्र सरकार इस मामले को किस प्रकार हल कर सकती है ?

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। केन्द्र सरकार दो या तीन इन्जीनियरों को इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त करे कि उसमें से कितना जल अतिरिक्त माना जा सकता है और कितने जल के यहां प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है या आन्ध्र प्रदेश को दिया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट छह मास में या अधिक से अधिक एक वर्ष में प्राप्त हो जाये। आंध्र प्रदेश के लोग 1 वर्ष तक भी इन्तजार करने के लिए तैयार नहीं है। यह सही है। किन्तु साथ ही साथ सरकार को भी इस समस्या विशेष का समाधान करना चाहिए। उनसे इस चीज का अध्ययन करवाया जाये कि कितने अतिरिक्त जल के, किस प्रकार प्रयोग के लिए आन्ध्र-प्रदेश के लोगों को अनुमति दी जा सकती है। यह बाधा डालने के लिये नहीं अपितु आन्ध्र प्रदेश के लोगों द्वारा इस अतिरिक्त जल जो कि अभी समुद्र मे जा रहा है, के यथासम्भव सर्वोत्तम प्रयोग के लिए किया जाये। अन्यथा हमारे लिए लोगों को समझा कर संतुष्ट करना बहुत कठिन हो जाएगा।

मेरे माननीय मित्र श्री पाटिल द्वारा एक और बात कही गई है। यह जल भगवान द्वारा दिया हुआ वरदान है जिसे आणविक प्रयोगों से नष्ट किया जा रहा है। सभी स्पूतनिक अन्तरिक्ष

में छोड़े जाते हैं जि- के परिणामस्वरूप वर्षा पर कुप्रभाव पड़ता है। अब हम मानसून पर भरोसा नहीं कर सकते। सभी कुछ अव्यवस्थित हो जावेगा और इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिये कि हम इस प्रकार की अव्यवस्था से अपने आपको किस सीमा तक आश्वस्त कर सकते हैं।

महोदय, तीसरी बात बिहार और उत्तर-प्रदेश के बारे में है। वे राजनीतिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली हैं और बड़े राज्य हैं। किन्तु साथ ही साथ वे अत्याधिक पिछड़े हुए राज्यों में से हैं। यदि किसानों की स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत कम विकसित हैं। हिमालय के नीचे इतना पानी है किन्तु उन्हें यह नहीं मालूम कि इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाये। यह सारा पानी महत्वपूर्ण मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसान लाचार हो जाते हैं। उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। उनके लिए वर्ष में एक अच्छी फसल प्राप्त करने पर भरोसा करना भी कठिन हो जाता है। उन्हें इस प्रकार पानी के बहाव से बचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। इन राज्यों के दक्षिणी भाग विशेषकर बिहार में अक्सर सूखा पड़ता है। उन्हें इससे भी बचाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में इन्जीनियरों को आपस में सलाह-मशविरा करना होगा कि किस प्रकार इन दो बड़े राज्यों उत्तरी और दक्षिणी भागों के किसानों को बचाया जाये। उनका हमारे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि 7000 लाख लोगों में से लगभग 1500 से 1700 लाख लोग वहां रहते हैं। जब आप इस समस्या पर किसानों की स्थिति की दृष्टि से विचार करें तो पायेंगे कि वे सबसे निर्धन व्यक्ति हैं और उनकी सहायता की जानी चाहिये। इस समस्या की ओर 'कोसी एमबैंकमेंट' तथा 'कोसी खिर मैनेजमेंट' के अलावा, जिनको सरकार द्वारा कुछ समय पहले आरम्भ किया गया था, बहुत कम ध्यान दिया गया है। किन्तु अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। और यहां नेपाल की हमारी अर्थव्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें नेपाल के साथ मित्रभाव से व्यवहार करना चाहिए ताकि उन्हें भी लाभ हो और हम भी हिमालय से इन नदियों के बहाव से बच सकें।

महोदय, मैं दक्षिण की बात पर आता हूं। केरल के मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया कि केरल के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाये। महोदय, बकिंघम नहर का भी ऐसा ही मामला है जो काकीनाडा से शुरू होकर मद्रास से नागापटीनम तक जाती है। यह लगभग 750 से 800 कि. मी. लम्बा जलमार्ग है। इसका विकास रेलवे के शुरू होने से पहले किया गया था। अंग्रेजों के आने के बाद इसकी उपेक्षा की गई क्योंकि जलमार्गों की अपेक्षा उनकी दिलचस्पी रेलवे में थी। इसे पुनः देश का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाना चाहिए।

कलकत्ता से इलाहाबाद तक ऐसे ही गंगा जलमार्ग भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गंगा प्राधिकरण बनाया गया है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, तथा कावेरी के लिए भी इसी प्रकार जल प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि इस बारे में सोचा नहीं गया। महोदय, विख्यात इन्जीनियर डा. के. एल. राव द्वारा यह सोचा गया था और उन्होंने हमें यह बताया कि यदि हमारे इन्जीनियर तथा वित्त-पोषक एक दूसरे से सहयोग करें गंगा के पानी को कावेरी से कन्याकुमारी तक पहुँचाने के लिए आवश्यक निधि जुटायें तो सर आर्थर कॉटन के सपने को साकार किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है। इसे चरणबार व्यवहारिक रूप

से किया जाना चाहिए, संभवत: 50 या 60 वर्ष का समय लगेगा। अब हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं और हमें जलमार्गों और जल के प्रयोग की दिशा में शुरूआत करनी चाहिए।

इसके बाद बाढ़ का प्रश्न आता है। आप देख रहे हैं कि मेरे सहित अनेक व्यक्तियों ने सिंचाई पर अत्यधिक बल दिया है।

सिंचाई महत्वपूर्ण है, किंतु साथ साथ जल की निकासी की भी आवश्यकता होती है। हम इसके बारे में चिन्ता नहीं करते। हम अधिक से अधिक सिंचाई नहरों तथा परियोजनाओं की मांग करते चले जाते हैं। इसलिए जल की निकासी तथा सिंचाई की ओर साथ साथ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हम जब भी कोई सिंचाई परियोजना शुरू करें तो इससे अतिरिक्त जल के रचनात्मक उपयोग के बारे में भी सोचें ताकि कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्षति न पहुँचे।

तीसरे जब भी सिंचाई होती है, उदाहरणार्थ पंजाब में, तो अतिरिक्त पानी बचता है. मिट्टी नष्ट होती है और कुछ समय के बाद सिंचाई को क्षति पहुँचती है और भूमि जलमग्न होने के कारण उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है. अब गाद भरने की समस्या भी हल करनी होगी। इस पहलू को प्रर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। दुर्भाग्यवश पंजाब के हमारे मित्रों ने इस स्थिति को महसूस नहीं किया इसलिए वे पानी के राजस्थान को बहाव पर एतराज उठाते हैं और फलस्वरूप यह विवाद उत्पन्न हो गया है।

महोदय, मेरे विचार से अब उपयुक्त समय है कि केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, प्रधानमंत्री तथा पूरे देश के सिंचाई मत्री मिलजुल कर इस समस्या का कोई राजनीतिक हल ढूंढने का प्रयास करें।

पहले सिंचाई राज्य का एक प्रमुख विषय मुद्दा होती थी। केन्द्र की जिम्मेदारी केवल नियन्त्रण की होती थी। किन्तु अब हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में उभरते हुए प्रांतीयवाद और राज्य के प्रति वफादारी की भावना को ध्यान में रखते हुए यह और भी आवश्यक हो गया है। यह इतना आवश्यक हो गया है कि सिंचाई की संभावनाओं, सुविधाओं, विकास जिम्मेदारी केन्द्र और राज्यों के बीच बंटवारा कर दिया जाए और मुख्य जिम्मेदारी केन्द्र को सौंप दी जाए ? केन्द्र को मुख्य जिम्मेदारी सौंपी जाए और राज्यों को सहायक की जिम्मेदारी दी जाए। अन्यथा यह मामले सुलझाना असम्भव हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सरकारिया आयोग इस पहलू पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगा और केन्द्र सरकार के नेता राज्यों के सहयोग से यह प्रयत्न करेंगे कि विवाद इतनी शीघ्र न उत्पन्न हों; और जब हों तो उन्हें वर्षों तक लम्बित रख कर देशवासियों की भावनाओं को और राज्यों के एक दूसरे के साथ संबंधों को खराब न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री की डिमांड पर हम लोग आज सदन में विचार कर रहे हैं। पानी के बारे में सब लोग कहते हैं कि खुदा का दिया हुआ पानी हैं, इसलिए आपस में क्या लड़ते हो। देश की खेती के लिए, आदमी के लिए और हर चीज के लिए बिना पानी के काम नहीं चलता है। इसलिए अगर किसी देश को सोने की चिड़िया मानना है तो हर हाथ के लिए पानी और हर खेत के लिए पानी की जरूरत है। हर हाथ के लिए काम और हर खेत के लिए पानी, यह सारी चीज सरकार की नीति पर आधारित है।

लेकिन आजादी के 38 सालों के बाद भी हम हर हाथ को काम उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हर हाथ को काम देने में हमारी मजबूरी है। इस कारण से दक्षिण में या उत्तर में और दूसरे स्थानों पर उग्रवादियों जैसी ला एन्ड आर्डर की प्राब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ला एंड आर्डर को प्राब्लम उत्पन्न हो रही है। इसलिए कम से कम हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए।

आजादी के 38 सालों के बाद हम अपने देश को फूडग्रैन्स के मामले में आत्म निर्भर कर सके हैं, लेकिन फिर भी हम हर खेत को पानी नहीं दे सके। यह स्थिति आप राजस्थान में देखें, रायल सीमा पर देखें, तेलगांना में देखें या कहीं पर भी देखें, कहीं पानी ज्यादा है तो कहीं पर पानी कम। ज्यादा पानी तो हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पर पानी नहीं है, जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, उस पानी को हम वहां पहुंचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। हर खेत को पानी दे सकते हैं। पानी को खेत तक पहुँचाने के लिए हमारे पास साधन होने पर भी हम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के झगड़ों में फंसकर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के झगड़ों में पड़कर प्रोजेक्ट क्लीयर होने तक एक रुपया का प्रोजेक्ट तीन रुपए तक पहुंच जाता है। कई गुना बढ़ जाता है। उसके लिए साधनों की कमी होने के कारण हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने तक भी हम हर खेत को पानी देने में मजबूर हैं। हर खेती को पानी देने में असमर्थ हैं। गांव-गांव में पीने का पानी नहीं है। खेती के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है। बरसात होती है उत्तर प्रदेश में और बाढ़ आती है बिहार में। बाढ़ के पानी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह श्री के. एल. राव ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। गंगा का पानी हम कावेरी तक ले जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा प्लान है। एक बहुत बड़ी योजना है, लेकिन हम लोग उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में गांव के लोग बाढ़ से परेशान हो जाते हैं और हर साल बाढ़ आने के कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। कावेरी या गंगा और कृष्णा बेसिन के लोगों को खेती के लिए पानी न होने के कारण सूखे से परेशानी हैं। इस पानी को वहां पर ले जाने के लिए इन्जीनियरों ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक हम पूरा प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत हो। पार्लियामेंट के हर सेशन में हम सूखा और बाढ़ के निवारण के बारे में बात करते हैं। बाढ़ के निवारण के लिए पैसा चाहिए और सूखा निवारण के लिए पैसा चाहिए। हम बाढ एरिया से सूखे एरिया तक पानी पहुंचा सकते हैं और इस तरह से सूखे का निवारण कर सकते हैं और बाढ़ का निवारण कर सकते हैं और खेतों को पानी पहुंचा सकते हैं और दोनों तरह से लाभ उठा सकते हैं मगर 38 साल की स्वाधीनता के बाद भी यह काम नहीं हुआ है। हम गंगा कावेरी योजना को पूरा नहीं कर सके है। इसलिये हमें बाढ और सुखा, दोनों चीजों का मुकाबला करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, मैं यह चाहता हूँ कि गंगा-कावेरी को जो नाले से मिलाने की योजना है, उसको जल्दी से शल्दी पूरा किया जाए।

अब मैं आपके सामने कुछ आन्ध्र प्रदेश की बात रखना चाहता हूं। कृष्णा और गोदावरी हमारे यहां दो बड़ी नदियां हैं लेकिन हमारा जो तेलंगना और रायलसीमा का इलाका है, वह बिलकुल सूखा है। पीने का पानी वहां पर 100, 100 और 200, 200 फीट नीचे भी प्राप्त नहीं

हो रहा है। उसको निकालने के लिए कोई तरीका आपको सोचना चाहिए। बचावत कमीशन के फैसले के अनुकूल तेलगू गंगा का काम चल रहा है मगर इसको एक मसला बनाकर, इसको एक समस्या बनाकर कर्नाटक और महाराष्ट्र का झगड़ा शुरू किया जाता है। इसके बारे में सिंचाई मंत्री जी को अपनी कोन्ट्स देनी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश जो कर रहा है, वह ठीक है। मैं आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बैंच के पास आकर फैसला करें और बेचावत कमीशन के माफिक केन्द्रीय सरकार को जल्दी प्रोजेक्ट का क्लियेरेंस देना चाहिए। बचावत कमीशन के खिलाफ अगर तेलगु गंगा का निर्माण होता, तो इन्दिरा जी क्यों नींव डालती और जो उद्घाटन भाषण उन्होंने उस समय किया था उस समय श्री राम कृष्ण हेगड़े भी उस सभा में शामिल थे और उन्होंने उस समय इसके खिलाफ कोई बात नहीं की। साल, दो साल काम शुरू होने के बाद यह झगड़ा क्यों है। कर्नाटक सरकार और महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो झगड़ा किया गया है, वह ठीक नहीं है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में झगड़ा लगाना केन्द्रीय सरकार के लिए अच्छा नही है और न ही वह देश के लिए अच्छा है। अगर दो राज्य आपस में लड़ते रहे और बिल्ली की तरह केन्द्रीय सरकार देखती रहे, तो यह ठीक नहीं है। इस स्थिति को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए।

तुंगभद्रा बोर्ड के एबोलौशन की मांग कर्नाटक सरकार की ओर से हो रही है। यह ठीक नहीं है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आन्ध्र और कर्नाटक के राज्यों को सिंचाई के लिए पानी देती है। पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए बोर्ड बना है। अगर राज्यों में झगड़ा पैदा हो जाता है, तो यह ठीक बात नहीं होगी। इसलिए तुंगभद्रा बोर्ड को रद्द करने की जो बात चल रही है, उसको केन्द्रीय सरकार को नहीं मानना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि बड़ी बड़ी नदियों का जो पानी है, उस पानी के इस्तेमाल का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए और उनके पानी को नेशनल वाटर के रूप में देखना चाहिए। गोदावरी, गंगा और कावेरी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनको नेशनल रोवर्स डेक्लेयर करना चाहिये और उनका पानी नेशनल लेविल पर बांटा जाना चाहिए। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अपनी ओर से बांध बांधने चाहिएं और यह नहीं कहना चाहिए कि यह केन्द्र का सबजेक्ट नहीं है। केन्द्र की ओर से बांध बांध कर सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिए। जब दो राज्य आपस में लड़ते हैं, तो उसके कारण पानी का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है और सिंचाई का प्रबन्ध न होने से किसान भूखा रहेगा। नेशनल रीवर्स का पानी कहां कहां इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में एक नीति बननी चाहिए।

3.00 म.प.

एक बात मैं श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। वहां 200 टी. एम. सी. फीट वाटर अवेलेबल है। इसीलिए वे उसका काम करना चाहते हैं। उसका 75 टी. एम. सी.फीट वाटर लिया और 75 टी. एम. सी. और लिया तो यह 150 टी. एम. सी. हो सकता है। उसके माफिक हम बना रहे हैं। उसके बारे में अलग ढंग से निकाल कर गवर्नमेंट पूछती है। उसके बाद फिर दुबारा हो गया। दुबारा होने पर 215 पर पहुँच गये और फिर दुबारा 171 पर पहुंच गए। 171 टी. एम. सी. वाटर पर पहुँचने पर हमारा सेकिंड फेज में भी वारांगल, तेलंगाना, नालगोंडा और सूर्यापेट में बड़ा सूखा है। वहां दस-बीस साल से पीने के लिये पानी आपने काकेटीया नहर

[अनुवाद]

की 250 कि. मी. तक वे पहले ही अनुमति दे दी है। उसके बाद भी काफी जल उपलब्ध है। आप जांच कर सकते हैं। गोदावरी में 2000 टी. एम. सी. फीट जल उपलब्ध है।

[हिन्दी]

यह प्रोजेक्ट 1983 से क्लीयरेंस के लिए अननेसैरीली केन्द्र सरकार के पास रखा है। 83 से अब तक 3 साल हो गये। उसके लिये इतनी देर सरकार लगाती है और इस प्रकार से परेशान करती है।

एक दूसरा है। गोदानरी में 2000 टी. एम. सी. फीट पानी अवेलेबल है। सबमरजीबल एरिया मध्य प्रदेश में आता है, महाराष्ट्र में आता है। मध्य प्रदेश वाले आब्जेक्शन नहीं करते, महाराष्ट्र वाले आब्जेक्शन नहीं करते। उनके मुख्य मंत्री हस्ताक्षर करते हैं, वे एग्रीमेंट करते हैं। वह केन्द्रीय सरकार के पास पड़ा हुआ है। उसकी क्लीयरेंस नहीं मिलती है। इस तरह से 2000 टी. एम. टी. फीट वाटर समुद्र में गिर रहा है।

वहां पर इचमपल्ली प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट है। बोलावरम जो प्रोजेक्ट है, उससे विशाखापत्तनम स्टील फैक्ट्री को पानी जाता है। मगर उसके लिए भी क्लीयरेंस देने में आप इतनी देर करते हैं। वह केवल आन्ध्र प्रदेश के लिए ही नहीं है।

आपने 13 सितम्बर, 1985 को पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए कहा। इस क्वेश्चन में बताया गया—

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धर्मपालसिंह मलिक

श्री सी. जंगा रेड्डी : मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये काफी जल उपलब्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री धर्मपाल सिंह मलिक।

श्री सी. जंगा रेड्डी : कृपया एक मिनट और।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोलते चले जा रहे हैं? तीन मिनट की बजाय आपने ग्यारह मिनट ले लिए हैं। मैंने इससे पहले आपको चेतावनी दी है। मैंने आपको सतर्क किया है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। श्री धर्मपाल सिंह मलिक। आपका भाषण कार्यवाह वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जल संसाधन मंत्रालय की मांगों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं।

चूंकि समय बहुत कम आपने दिया है, इसलिये मैं थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि पानी की कमी से हमारे यहां सूखा पड़ता है और दूसरी ओर जो हमारा रेनवाटर है, वर्षा का पानी है, उसका 60 प्रतिशत पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है और वह

पानी समुद्र के खारी पानी में मिलकर बर्बाद हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उस पानी का सदुपयोग करने के लिये हमारी सरकार को रिजरवायर्स बनाने चाहियें। 50 मील पर, 100 मील पर ये बनाने चाहियें। उस पानी को बंगाल की खाड़ी में गिरने से बचाकर उसका किसानों के खेतों के लिए, सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे यहां पानी की कमी से जो सूखा पड़ता है वह दूर हो सकता है और पानी का सदुपयोग होने से कृषि को लाभ हो सकता है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि समुद्र के पानी का भी उपयोग किया जा सकता है। इजराइल इत्यादि देशों में डीसेलीनेशन प्रोसेस से पानी को प्योरीफाई किया जाता है और उसको पीने के पानी के लिए तथा सिंचाई के लिये इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोसिस उसी तरह का है जैसे शरीर में किडनी काम करती है, खून को साफ करती है, उसी ढंग से पानी को प्योरीफाई किया जाता है। उसमें से आप मिनरल्स भी निकाल सकते हैं और पानी का भी सदुपयोग किया जा सकता है। एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो एवलेबल वाटर है, उस वाटर का हम सही ढंग से उपयोग करें तो 20 प्रतिशत अधिक जमीन को सिंचित किया जा सकता है। हमारी बहुत सारी केनाल्स हैं, ट्रिब्यूट्रीज है, ब्रांचेज है, उसके किनारे कच्चे पड़े हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पक्का किया जाए, उनकी लाइनिंग की जाए, ताकि पानी जो जमीन के अन्दर चला जाता है, बरबाद हो जाता है उस पानी को बरबाद होने से रोका जा सकता है। इसी तरह से नालियां और खाल वगैरह भी पक्के बनाए जायें, नहरों को पक्का किया जाए तो 20 प्रतिशत पानी बचाया जा सकता है और उससे किसान को बड़ा भारी लाभ हो सकता है। एक चीज के बारे में और कहना चाहता हूं कि भूमि का जो वाटर लेवल है वह 5 फुट से 15 फुट के बीच में होना चाहिये। यदि आप अच्छी बढ़िया काश्त करना चाहते हैं तो यह जरूरी है। बहुत सारी जगह तो हम देखते हैं कि ओवरमेंटेशन से, ट्यूबवैल्स से पानी जमीन से ऊपर ले लेते हैं और भूमि का वाटर लेबल बहुत नीचे चला जाता है और बहुत सारी जगहों पर जहां लगातार नहरें चलती हैं, फ्लड आता है, वहां वाटर लेबल बहुत ऊंचा आ जाता है, इसलिए वाटर लेबल को 5 से 15 फुट के बीच में रखने के लिये हमें योजना बनानी चाहिए और देखना चाहिये कि हर खेत को, हर जमीन को ठीक ढंग से पानी मिले। हमारे पास वाटर रिसोर्सेस कम नहीं हैं, लेकिन उस पानी का सदुपयोग करने की जरूरत है। उस पानी के उपयोग के लिए ठीक ढंग से योजनायें बनाने की जरूरत है। मैं हरियाणा प्रदेश से हूं, हमारे पास एस. वाई. एल. कैनाल का झगड़ा काफी समय से चल रहा है, सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पंजाब की स्थिति को देखें, वहां पर फ्लड है वहां पर पानी की कोई जरूरत नहीं है, वाटर लेवल दो-तीन फुट पर आ चुका है, इस ढंग से यदि उस पानी का इस्तेमाल सही नहीं किया गया तो वहां की जमीन बंजर हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। अगर वह पानी हरियाणा को दे दिया जाये, जो हमारा हिस्सा है वही हमको दे दिया जाये तो उससे हरियाणा के किसानों में समृद्धि आएगी। किसान समृद्ध होगा तो उसे तमाम देश समृद्ध होगा, तमाम देश आगे बढ़ेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पानी के बारे में बहुत सारे प्रांतों के आपस में झगड़े हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, यह किसी एक प्रांत की संपत्ति नहीं है।

आज इरीगेशन राज्य सरकार का विषय है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर गहराई से सोच कर, यदि आप पानी की प्राब्लम को हल करना चाहते हैं तो इस विषय को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले और उसके लिए जैसे बहुत सारी कैनाल्स हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती हैं, उससे इन्टरस्टेट डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, उसके लिये मेरी गुजारिश है कि तमाम जितनी भी कैनाल्स हैं बड़ी, उन सबका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्राल केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले और इसके लिये कैनाल पुलिस फोर्स बनाएं। कैनाल पुलिस फोर्स के माध्यम से उनकी देखभाल करायें। 1985 में दो बार भाखड़ा डैम काटा गया, जिससे हरियाणा के लोगों को पानी ही नहीं मिला बल्कि उससे उनके खेतों के अन्दर बाढ़ भी आई और बड़ा भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही राजस्थान को भी नुकसान हुआ। अगर वह पानी ठीक ढंग से चलता और न काटा जाता तो हरियाणा और राजस्थान को नुकसान न होता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी बिल्कुल बरबाद हो जाता है। उस पानी का सदुपयोग नहीं किया जाता बल्कि उससे बाढ़ आती है। हरियाणा के अन्दर जो नदियां बहती हैं, आमतौर पर बरसाती नाले के नाम से जानी जाती हैं, जैसे साहिबी घग्घरड्रेन नं. 8, सरस्वती, नजफगढ़ ड्रेन और यमुना नदी। इनके पानी का अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाये और ग्रिड सिस्टम लागू किया जाए और उसके बाद लिफ्ट इरीगेशन से पानी दिया जाये तो मैं समझता हूं कि हरियाणा, राजस्थान और जो उत्तरी भारत है, उसके बहुत सारे हिस्से को यही पांच ड्रेन, जिनका मैंने जिक्र किया है, वह उसको पूरा कर सकती है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र सोनीपत में एक नमेवा गांव है जहां पर पांच सौ एकड़ जमीन पर पिछले 40 साल से कोई काश्त नहीं की गई। यह ज्यों की त्यों है, वहां लोगों ने मछली पालना शुरू कर दिया है। वह इन्डीविजुअल ओनर्स की जमीन है। इस तरह की जमीन को इस्तेमाल करके रिज़रवायर बनाया जा सकता है और जो वहां पर रेनी वाटर है, उसको इकट्ठा करके आगे दिया जा सकता है। हरियाणा का अन्डरग्राउन्ड वाटर पीने के काबिल नहीं है। उससे लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। तमाम नगरपालिकाओं को विशेष रूप से कहा जाए क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है और लोगों को प्रापर ढंग से पानी नहीं मिलता। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए केवल पांच मिनट हैं।

श्री अमर राय प्रधान : नहीं, श्रीमन् पांच मिनट बहुत कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : सबको पांच मिनट मिलेंगे। कोई पक्षपात नहीं होगा। यह समाजवाद है। सब बराबर हैं।

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मुझे खेद है कि मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इस बजट में आपने पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की पूर्णतया उपेक्षा की है।

मैं भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग से शुरू करना चाहूंगा। आपने बंगला देश के साथ कई बैठकें की हैं और अन्तिम बैठक ढाका में जून, 1985 में हुई थी और कई दिल्ली में नवम्बर, 1985 में हुई थी। लेकिन इन बैठकों का क्या परिणाम निकला है : इसका ब्यौरा क्या है :

(क) फरक्का पर गंगा के बहाव में वृद्धि के लिए दीर्घकालीन योजना या योजनायें बनाना, और

(ख) दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए उपलब्ध नदी जल संसाधनों के बंटवारे के विकल्पों का पता लगाना।

3.12 म. प.

[श्री शरद डिघे पीठासीन हुए]

इससे यह पता चलता है कि आप बंगला देश की देरी करने के दांवपेच में आ गये हैं और यह भी सच है कि आपको वहां अच्छा रात्रि भोज अच्छा मध्याह्न भोज और पीने को अच्छा मिल जाता है और आप इनका आनन्द लेकर वापस आ जाते है। लेकिन पच्चिम बगाल के लोगों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। यह बिल्कुल सच है। फरक्का सूखा है, भागीरथी, गंगा, और तीस्ता सूखी हैं, उत्तर बंगाल तथा पश्चिम बंगाल सूखे हैं।

कलकत्ता बन्दरगाह कलकत्ता शहर की जीवन रेखा है और कलकत्ता न केवल पश्चिम बंगाल का है बल्कि पूरे पूर्वी भारत का हृदय है। कम पानी वाले महीनों में तुरन्त 40,000 क्यूसेक जल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितना पानी दे रहे हैं ? गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम से बहती है और तब बंगला देश में जाती है लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह एक राष्ट्रीय नदी नहीं है। श्रीमान्, इस समय गंगा की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक नदी है जब यह बिहार जाती है यह नहर नाला बन जाती है, अर्थात् उप नदी बन जाती है। जब यह पश्चिम बंगाल जाती है तो एक छोटा नाला बन जाती है। यह स्थिति आप बंगला देश के साथ पानी का बंटवारा कर सकते हैं, आप बंगला देश के साथ कितनी ही बातें कितने ही संवाद कर सकते हैं लेकिन यह सच है कि आप गंगा के जल का बंटवारा विभिन्न राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बगाल के साथ नहीं करना चाहते। आपने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए बाढ़ नियन्त्रण आयोग बनाया है लेकिन तीन राज्यों के बीच गंगा जल बंटवारे के लिए एक आयोग क्यों नहीं बनाया। मेरा ठोस सुझाव है कि गंगा जल का तुरन्त उचित बंटवारा करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए एक आयोग बनाया जाये।

श्रीमन्, मैं अब तीस्ता नदी को लेता हूं। यह संयुक्त नदी आयोग की रिपोर्ट में है। मैं सोचता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इसे पढ़ा है।

श्री डी. पी. यादव (मुंगेर) : उन्होंने इसे नहीं पढ़ा है।

श्री अमर राय प्रधान : तब इसके लिए मुझे खेद है। श्रीमन्, उत्तरी बंगाल के जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के कृषि विकास के लिए तीस्ता नदी ही केवल एक स्रोत है। तीस्ता बांध का कार्य 1976 में शुरू हुआ। लेकिन आपको इसके लिए प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यह मलादा में केवल उद्घाटन समारोह था जिसका उद्घाटन उस समय के मुख्य मंत्री द्वारा जो अब पंजाब के राज्यपाल हैं—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, किया गया था। 1977 के बाद जब वामपंथी सत्ता में आए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। (व्यवधान) आप रिकार्ड देखिये और आपको पता चल जाएगा।

यह सच है कि 1947 से सरकार ने उत्तरी बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई सिंचाई परियोजना नहीं बनाई है। 1947 से 1977 के दौरान पश्चिम बंगाल की तत्कालीन राज्य सरकार ने एक भी परियोजना आरम्भ नहीं की। देश के इस भाग की कैसे उपेक्षा की गई।

(व्यवधान)

1968 में सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा के सम्बन्ध में मानसिंह समिति की रिपोर्ट थी। इसमें अफलचन्द वन पर एक बांध और गोखाली के ऊपरी हिस्से पर तीस्ता नदी पर बांध मास्टर प्लान परियोजना के बारे में उल्लेख है। जब आपने इस परियोजना कार्य को हाथ में लिया उसी समय बंगला देश ने भी इसी तीस्ता नदी पर भारत बंगला देश सीमा के बिल्कुल नीचे एक परियोजना को अपने हाथ में लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य में धन की कमी की वजह से इस परियोजना का कार्य बहुत धीमा चल रहा है। इसके विपरीत विश्व बैंक की सहायता के साथ बंगला देश परियोजना का कार्य तेजी से हो रहा है। अगर एक बार बंगला देश बांध परियोजना तीस्ता पर पूरी हो जाती है, तब क्या होगा? तब पूरा उत्तरी बंगाल असम का एक हिस्सा और सिक्किम का हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। (व्यवधान) आप तीस्ता जल के बंटवारे नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने इसके दूसरे भाग को कर दिया है।

तीस्ता जल के बंटवारे के संबंध में बंगला देश के साथ किए गए तदर्थ समझौतों के अनुसार 36% जब बंगला देश को दिया जायेगा, 39 प्रतिशत जल भारत को और 25 प्रतिशत विस्तृत अध्ययन के बाद बांटा जायेगा। विस्तृत अध्ययन का क्या अर्थ है? नहर में अब भी पानी नहीं है, लेकिन आपने केवल बंटवारा किया है। पश्चिम बंगाल के लोगों की भी यही मांगें हैं कि इस नदी में 80% जल आने पर इसे उत्तरी बंगाल के जिलों में बांट दिया जाये। अन्यथा तीस्ता पर 500 करोड़ रुपए की लागत से बांध परियोजना का कोई लाभ नहीं होगा।

अब हम वित्तीय विषय को लेते हैं। योजना आयोग का कार्य दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 221 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी ताकि इसे 1990 में पूरा किया जा सके।

इस परियोजना पर पश्चिम बंगाल सरकार वार्षिक बजट का 70 प्रतिशत पहले ही खर्च कर चुकी है। आप सुनकर हैरान होंगे कि राज्य सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में 150 करोड़ रुपए मुहैय्या करा सकती है। बाकी धन कहां से आयेगा? इसलिए केन्द्र को सहायता के लिए आगे आना चाहिए। आपने वर्ष 1984-85 में 19.5 करोड़ रुपए का आश्वासन दिया था। आपने उस परियोजना के लिये एक पैसा भी नहीं दिया। 1985-86 के दौरान, आपने 18 करोड़ रुपये का आश्वासन दिया था। अब तक आपने कितना धन दिया है? क्या आप मुझे बता सकते नहीं?

अब आपने तीसता बराज बांध लेफ्ट बैंक केनाल को मंजूरी दे दी है। लेकिन आपने इस उद्देश्य के लिए एक रुपया भी नहीं दिया। यह कैसे किया जायेगा? यह देश का सामान्य कानून है कि जिस क्षेत्र से नदी बहती है उन क्षेत्रों को जल पहले मिलना चाहिए। इस मामले में आपने तीस्ता नदी जहां से बहती है वहां से पानी लिया है। आपने दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार इन तीन जिलों को पानी देने से इन्कार किया है। आपने 1976 के प्रस्ताव में आपने कहा है मलादा जिले को पहले पानी लेने दो। अब आप निश्चय ही सहमत हैं। इसके

लिये मैं आपका आभारी हूं। जलपाई गुडी, कूचबिहार, को भी पहले पानी लेने दो। लेकिन आपने इस उद्देश्य के लिए एक रुपया भी नहीं दिया है।

तीस्ता और ब्रह्मपुत्र परियोजनायें बहुत दिनों से लम्बित हैं। 1954 में बहुत पहले सर्वेक्षण किया था। लेकिन आपने इस पर कोई विचार नहीं किया। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सिंचाई परियोजना और बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर नये सिरे से विचार किया जाए। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच में गोलपाड़ा जिले से और उत्तरी बंगाल क्षेत्र से होती हुई एक नहर निकाली जाये। यह गंगा तक बहे और ब्रह्मपुत्र तीस्ता और गंगा परियोजना हो।

संवर्ग रेखा परियोजना के संबंध में आप कब तक इसकी उपेक्षा करेंगे ? यह पिछले चार वर्षों से आपके पास लम्बित है। आपने इसे मंजूरी नहीं दी है। इसलिए इन हालातों में मैं बजट का समर्थन कैसे कर सकता हूं। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली : माननीय सभापति जी, आज मैं सिंचाई मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश जिसमें तीन चौथाई लोगों का कृषि पर गुजारा होता है और जहां सिंचाई के साधन के लिए हर साल सरकार काम करती है। हमारे देश में आमतौर पर कुदरती सिंचाई के लिए काफी जोर दिया जा रहा है, परन्तु मेरे विचार में सभी कुदरती साधनों से पूरी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई है।

जल संसाधन विभाग की ओर से वर्ष 1986-87 की रिपोर्ट में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की मद में किए गए और किये जाने वाले खर्च का ब्योरा किया गया है और कब कितनी जमीन में सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई इसका ब्योरा भी रिपोर्ट में दिया गया है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार की हमेशा कौशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई देश में हो जिससे अन्न की पैदावार बढ़ाई जा सके। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां पर बाढ़ आती है वहां पर बाढ़ न आए और जहां सूखा पड़ता है, वहां सूखा न पड़े। इसके लिये काफी लम्बे बांध बनाये गये हैं और नालियां खोदी गई हैं।

हरियाणा से पानी दिल्ली आता है। हरियाणा के ढांसा बांध से पानी दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। अगर वहां पर उसको बांध दिया जाए तो उसके पानी का उपयोग सिंचाई के लिये किया जा सकता है और बाढ़ आने से भी रोका जा सकता है।

दिल्ली शहर का गंदा पानी नाले के जरिए यमुना नदी में गिराया जाता है जिससे यमुना का पानी दूषित और विषैला हो रहा है। यमुना को गंदे पानी के गिरने से बचाने के लिए हमें सोचना होगा और इस बारे में कोई कारगर कदम उठाने होंगे। इस पानी को बजाय यमुना में डालने के, हमें इस गंदे पानी को खेतों तक पहुंचाना होगा जिससे सिंचाई को बढ़ोत्तरी हो और ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो।

अध्यक्षर, आप जानते हैं कि पहले सिंचाई के लिए काफी पानी की मिकदार दिल्ली में

मिलती थी, लेकिन अब तो हमें पीने के लिए भी पानी कम मिल रहा है। दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। पहले यहां कितना पानी मिलता था और देखिये बहुत थोड़ा पानी मिलता है जिससे हमारे किसान सिंचाई नहीं कर सकते, पीने के काम में ही ला सकते हैं।

वैसे तो हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी, जिनका स्वर्गवास हो गया है, के द्वारा बैंक नेशनलाइज करने पर किसानों ने काफी मिकदार में ट्यूबवैल लगायें जिससे काफी खेती की पैदावार बढ़ी है लेकिन हम चाहते हैं कि बरसात में जहां-जहां ज्यादा पानी आये, उस पानी को रोककर मशीन के द्वारा जिन खेतों में पानी नहीं मिलता है, उनको पानी दिया जाये।

अब मैं बाढ़ की तरफ आता हूं। जब ज्यादा वर्षा होती है तो कई जगह पानी इकट्ठा होकर बाढ़ आ जाती है। मैंने पेपर में पढ़ा था कि बिहार में काफी बाढ़ आई और हर साल बाढ़ आती है। उसके लिये हमें साधन जुटाने हैं क्योंकि उसमें काफी पैसा खर्च होता है। उसके लिये अगर पहले से ही साधन जुटायें तो ठीक हो। जिस तरह से हरियाणा में पहले बाढ़ आई तो सैकड़ों गांव को ऊंचा किया गया और हजारों गांव बाढ़ से बच गये। मैं चाहूंगा कि जहां जहां ज्यादा बाढ़ आती है, उससे खेती को बचाने के लिये वहां अलैहदा नाली वगैरह खोदी जायें या बांध वगैरह लगाया जाये जिससे खेती और पशु बाढ़ से बच सकें। बाढ़ से कई बार खेती की फसल तबाह हो जाती है। किसान पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन इसके कारण वह फसल किसान को नहीं मिल पाती। उस इलाके के गरीब जो उस फसल से गुजारा करते हैं वह भूखे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। ट्यूबवैल बिजली से चलते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सिंचाई के लिये जितने ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल लगायेंगे वह ठीक होगा,ट्यूबवैल भी बिजली से चलते हैं, आप बिजली के लिये ज्यादा से ज्यादा थर्मल पावर लगाकर ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैलों के लिये कनेक्शन दें जिससे ज्यादा सिंचाई हो।

आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधेपुर) : श्रीमन्, मैं जल-संसाधन मन्त्रालय की मांगो का समर्थन करता हूं। मेरा विचार है कि कृषि-उत्पादन, जो कि भारत में आत्म-निर्भरता की सीमा तक पहुँच गया है, भारत सरकार द्वारा विकसित सिंचन-सुविधाओं एवं सिंचन क्षमताओं के कारण है। प्रसंगवश, मैं भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना-कोसी परियोजना—के अच्छे एवं बुरे पहलुओं पर माननीय जल-संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पंडित जवाहर लाल नेहरू वर्ष 1954 में कोसी नदी द्वारा किए गये विनाश एवं क्षति पर अत्यंत दुःखी हुये थे। आप जानते ही हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इस प्रकार पं. जवाहर लाल नेहरू ने निर्णय लिया कि कोसी परियाजना का निर्माण किया जाये तथा इस पर एक बांध तथा दो तट बांध बनाये जाएं। यह बांध भारतीय सीमा से एक कि.मी. आगे नेपाल के भूमि-भाग में स्थित है। यह एक उत्तम परियोजना है। लेकिन इसने कुछ कठिनाइयां उत्पन्न की हैं जो इस क्षेत्र में रह रहे लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। ऐसी एक समस्या गाद का जमाव है। यह समस्या इतनी विकट है कि दो तट बंधो के बीच

नदी तल, तटबंधों के वाह्य भाग से अधिक ऊंचा होता जा रहा है और इस कारण तट बंध पर अधिक दबाव पड़ रहा है। दो वर्ष पूर्व पूर्वी तट बंध में दरार पड़ गयी थी जिससे 5 खण्डों में बड़ा विनाश और बरबादी हुयी थी। अतएव गाद के जमाव की समस्या इस क्षेत्र के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस समस्या का निदान हो।

दूसरी बात, जिसे मुझे माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना है, यह है कि हमारा क्षेत्र जल संसाधनों में बड़ा ही धनी है। आप यह जानकर खुश होंगे कि केवल 20 से 30 फीट तक की गहराई पर जल प्राप्य है। यदि किसानों को नल-कूप या पम्प सेट उपलब्ध करायें जाए तो किसान भूमिगत जल का अच्छी तरह उपभोग कर सकेंगे।

एक और बात मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। पम्प सेट उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके पास भूमि नहीं है। ऐसे पम्प सेट जो सरकार द्वारा भूमिहीनों को प्रदान किए जाते हैं, बाजार में बेच दिये जाते हैं। इस प्रकार सरकार बहुत पैसा बरबाद कर रही है। दूसरी ओर वे लोगों को जिनके पास भूमि है, पम्प सेट प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। यह अपेक्षाकृत बड़ी विसंगति पूर्ण बात है कि उन लोगों को पम्प सेट प्रदान नहीं किए जा रहे हैं जिनके पास भूमि है जबकि उन लोगों को दिये जा रहे हैं जिनके पास भूमि नहीं है।

मैं यह भी कहना, चाहूँगा कि कोसी परियोनजा इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना की देखभाल भली प्रकार नहीं हो रही है। केन्द्र सरकार कृषकों की कठिनाइयों पर उचित ध्यान नहीं दे रही है। मैं प्रो. रंगा का आभारी हूं कि उन्होंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान कोसी परियोजना की ओर आकृष्ट किया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री, राष्ट्र हित और जनहित में कोसी परियोजना पर उचित ध्यान देंगे। प्रो. रंगा पूर्व ही सुझाव दे चुके हैं कि केन्द्रीय परियोजनाओं की देखभाल करने, की प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होनी चाहिए तथा गौण दायित्व राज्य सरकारों का होना चाहिए।

श्री डी. बी. पाटिल (कोलाबा) : सभापति महोदय, शुरू में ही मैं मन्त्री महोदय का ध्यान हमें दिये गये वार्षिक प्रतिवेदन तथा निष्पादन बजट प्रतिवेदन में विद्यमान असंगतियों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये असंगतियां पूरे प्रश्न पर विभाग के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। ये 1955-56 में पैदा की गई क्षमता के बारे में हैं। वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 में बताया गया है कि वर्ष 1985-86 के दौरान 7 लाख हैक्टेयर क्षमता पैदा की जायेगी। परन्तु निष्पादन बजट में बताया गया है कि यह क्षेत्र 6 लाख हैक्टेयर होगा। इसका अर्थ है 1 लाख हैक्टेयर का अन्तर। जहां तक पूरे देश के संदर्भ में यह अन्तर अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। परन्तु मैं दो प्रकाशनों की ओर ध्यान दिला रहा हूं जो कि हमें साथ-साथ उपलब्ध किए गए हैं। यदि इस तरह असंगतियां बनी रहती हैं तब हम यह नहीं जान सकते कि पूरे देश में क्या हो रहा है, क्या हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विश्वास किया जाये, अथवा नहीं।

सिंचाई का प्रश्न जटिल है। बताया गया है कि भारत की नदियां 14400 लाख एकड़ जल ले जाती है जिसका मानसून के दौरान लगभग 80 प्रतिशत समुद्र में जाता है। इसका अर्थ है मानसून के चार महीनों के दौरान वर्षा के पानी तथा नदियों के पानी का उपयोग नहीं किया

जाता। बताया गया है कि लगभग 20 प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। इसका कभी भी अनुमानी नहीं किया कि कितने पानी का, जो कि समुद्र में बेकार जाता है, सिंचाई के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। बताया गया है कि सतही पानी की तथा भूमिगत पानी की क्षमता 11.3 करोड़ हैक्टेयर भूमि के तुल्य होगी। परन्तु कहीं भी यह नहीं बताया गया कि समुद्र में बेकार जाने वाले कितने पानी का उपयोग किया जायेगा। इस समस्या पर कहीं भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। इस पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में भर्वे आयोग की महाराष्ट्र में पैदा की जाने वाली क्षमता का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था तथा आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। कोंकण महाराष्ट्र का एक भाग है जोकि समुद्र के अति निकट है। आयोग के प्रतिवेदन में बताया गया है कि कोंकण क्षेत्र में सिंचाई की कोई सम्भावना नहीं है। परन्तु अब हम देखते हैं कि वहाँ पर न केवल लघु अथवा मध्यम अपितु बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भी वहां पर स्थापित की जा सकी हैं, तथा की जा रही हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि समुद्र को जाने वाले व्यर्थ जल का कैसे उपयोग किया जाये। जो भी पानी देश में उपलब्ध है उसका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। इस पर आग्रह किया गया है कि यह कार्य किया जाना चाहिए परन्तु मैं देखता हूं कि यह कार्य नहीं हो रहा है।

जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, लगभग 246 बड़ी परियोजनाओं में से, केवल 48 परियोजनाएं तथा 178 में से 181 परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना से सातवीं योजना तक अपूर्ण चली आई हैं। हमें इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई कि कितनी प्रमुख परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना से दूसरी में, दूसरी योजना से तीसरी में, तीसरी योजना से चौथी में, चौथी योजना से पांचवीं में पांचवीं योजना से छठी में तथा छठी योजना से सातवीं योजनाओं में आई हैं। यदि उक्त जानकारी दी गई होती तो हमें पता चल जाता कि विभिन्न परियोजना में, के पूरा होने में कितना समय लगा। मेरी जानकारी के अनुसार तीसरी योजना में शुरू की गई परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं इसका अभिप्राय यह है कि 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि निर्माणाधीन अवधि कितनी है जिसे ध्यान में रखना चाहिए तथा किसी प्रमुख परियोजना के पूरा होनी की संभावित अवधि क्या है। यदि बड़ी परियोजनाओं पर 20 से 25 वर्ष लगते हैं तो यह कहने का "कि पानी का अधिकतम उपयोग करने जा रहे हैं।" कोई लाभ नहीं है। यह तो उद्देश्य के प्रति मात्र मौखिक सहानुभूति व्यक्त करना है तथा जनता तथा राष्ट्र को गुमराह करना है। बची हुई परियोजनाओं की लागत 24800 करोड़ रुपए हो गई है क्योंकि उन्हें उचित समय में पूरा करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

अब तक पैदा की गई क्षमता 305 लाख हैक्टेयर है। उसमें से 253 हैक्टेयर का उपयोग किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि 52 लाख हैक्टेयर भूमि जिसे पानी दिया जाना था, नहीं दिया गया है। यह भूमि चौड़ी नहीं है। इससे बढ़कर जो भूमि क्षारीय हो गई है तथा पानी जमा होने के कारण जिसका उपयोग नहीं हो रहा उसकी मात्रा 34 लाख हैक्टेयर है। इसका अर्थ है गलत आयोजना के कारण लगभग 86 लाख हैक्टेयर भूमि उपयोग में नहीं आ रही। राष्ट्र की यह भारी क्षति है।

विभिन्न प्रकार के उत्पादनों के लिए जो पानी उपलब्ध कराया जाना था, उसके उपयोग में न लाये जा सकने के कारण करोड़ों रुपए का पूंजी नियोजन व्यर्थ जा रहा है। इसके अलावा पानी जमा होने के कारण 34 लाख हैक्टेयर भूमि व्यर्थ पड़ी हुई है। इसका अभिप्राय है भूमि का उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा। वहां पर पानी का दुरुपयोग हो रहा है पानी जमा होने से भूमि क्षारीय हो गई है तथा उसके कारण वहां पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। मैं सरकार तथा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है।

अब मैं अपनी अन्तिम बात कहूंगा। मैं बता चुका हूं कि इस परियोजना को पूरा करने पर बहुत समय लग गया है। भूमि के जलमग्न होने का एक कारण यह भी है कि उसे उचित समय के भीतर अधिकार में नहीं लिया जा रहा। यह इसी कारण है कि जलमग्न होने वाली धरती के बदले में किसानों को दूसरी धरती नहीं दी जाती है यदि उनका पुनर्वास नहीं होता तो वे भूमि का कब्जा नहीं दे पाते। अतः मेरा निवेदन है कि इस परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले किसानों के पुनर्वास को परियोजना के लागत व्यय में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उन किसानों को जिनकी आजीविका के साधन समाप्त होने की सम्भावना है। वे अपनी भूमि देने के विरुद्ध नहीं होंगे।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है इसे कोई विशिष्ट महत्व नहीं दिया गया। मैं जानता हूं कि यह कार्य राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। मैं जानता हूं कि वार्षिक प्रतिवेदन में अनु. जातियों तथा अनु. जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का उल्लेख किया गया है, कि विभाग इस बात का ध्यान रखता है कि उन क्षेत्रों में जहां पर कि अनु. जातियों तथा अनु. जनजातियों के लोग रहते हैं वे सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान देते हैं। अभी तक ऐसा लगता है कि विभाग ने सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में भी बताया है। पृष्ठ 74 पर बताया गया है :

> "बैंच ने नोट किया है कि मध्य-प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं को सौंपे गये अध्ययन का कार्य उन्होंने पूरा किया। बिहार, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, जम्मू तथा काश्मीर और पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध विभिन्न संस्थाओं द्वारा वैसा ही अध्ययन प्रगति के विभिन्न चरणों में है।"

यदि विभाग द्वारा सामाजिक आर्थिक हालात का अध्ययन किया जा रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

श्री के. एस. राव (मछलीपत्तनम) : सभापति महोदय, श्रीमान् मैं जल-संसाधन मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। इस संदर्भ में मैं तेलुगु देशम पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा तेलुगु गंगा के बारे में व्यक्त किये गये विचारों का उल्लेख करना चाहूंगा। वास्तव में किसी भी कांग्रेसी नेता ने बछावट पंचाट द्वारा कृष्णा नदी से जल के अपने भाग को प्राप्त करने के तेलुगु देश के अधिकार पर कोई विवाद प्रकट नहीं किया। तेलुगु देशम के राज्य स्तर के नेता इस बारे में भड़काने वाले भाषण देते रहे हैं। वे राजनीतिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को दोष देना

चाहते हैं। यदि यह ऐसा सच है कि भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है तो एक अन्य विपक्षी पार्टी द्वारा शासित कर्नाटक राज्य द्वारा उस पंचाट पर विवाद पैदा किया गया है। अतः यह बात नहीं है कि भारत सरकार अथवा कोई अन्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। लोकतंत्रीय संरचना में प्रत्येक सरकारी नेता के लिए आवश्यक है कि वार्ता द्वारा समस्याएं सुलझाई जायें। समस्याओं के सद्भावना पूर्ण समाधान में किसी व्यक्ति का अहम् बाधक नहीं होना चाहिए बेशक दिये गये पंचाट की व्याख्या के बारे में मतभेद हो अथवा उसे समझने में अन्तर हो।

इस संदर्भ में मैं कहता हूं कि भारत सरकार विशेष रूप से सिंचाई मंत्री इस बारे में पहले करें तथा समस्या का पता लगाकर उसका समाधान किया जा सके तथा किसी के अहम के कारण आंध्र के लोगों को कष्ट न उठाना पड़े।

महोदय, यह विवाद पहले नहीं उठाया गया था। यह विवाद राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार करके उठाया गया जिसके कारण अन्य राज्य के लोगों में सन्देह पैदा हो गया और यह विवाद खड़ा हो गया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वार्ता के लिए सभी मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित करें अथवा मामले के शीघ्र समाधान के लिए एक और न्यायाधिकरण गठित करें ताकि लोगों को परियोजना का लाभ मिल सके।

कृष्णा डेल्टा प्रणाली 100 वर्ष पुरानी है और यदि उस पर मात्र केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के संसाधनों से 200 करोड़ रुपए व्यय कर दिये जाते हैं तो प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की अधिक उपज पैदा की जा सकती है। अतः नई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए व्यय करने के स्थान पर जोकि अधिक खर्चीली तथा अलाभप्रद हैं पुरानी परियोजनाओं का आधुनिकीकरण तथा चालू योजनाओं को पूरा करना अधिक लाभप्रद रहेगा। उससे किसानों के लिए तथा देश के लिए अच्छे परिणाम निकलेंगे।

श्रीमान्, कृष्णा जिले में नौ लाख एकड़ कृष्य भूमि में नाली-पद्धति में सुधार, नहरों, रजबाहों आदि के अभाव में बहुत कठिनाई हो रही है। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो प्रति एकड़ उपज में वृद्धि होगी और इस प्रकार राज्य तथा राष्ट्र की आय में बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार समुद्र-तट पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एटी मन्डी चीना गोपालम ग्राम है जहां पर लगभग 600 एकड़ भूमि का क्षरण हो चुका है। इसकी कीमत 3 करोड़ के आस-पास है। पूरा गांव नारियल के वृक्ष उगाता है और इसकी प्रतिवर्ष आमदनी लगभग एक करोड़ रुपये है। सीमान्त कृषक अपनी संपूर्ण भूमि से हाथ धो बैठे हैं..... यहां समुद्री कटाव को रोकने की पूर्वतयः ही एक योजना है। .....मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वह एक अध्ययन दल वहां भेजें तथा इसका निदान खोजें तथा एक परियोजना तैयार करके कृषक समुदाय को बचाये। श्रीमान्, जैसा कि पहले ही प्रतिवेदन में उल्लेख किया जा चुका है कि चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर अधिक जोर दिया जाए क्योंकि परियोजनाओं में विलम्ब से अकल्पनीय क्षति पहुंच रही है, इससे न केवल परियोजना लागत में वृद्धि होती है बल्कि उसको लाभांश भी नहीं मिल पाता। जो कृषकों को पहले ही प्रदान किया जा सकता था। इससे आरम्भिक आकलित लागत भी कई सौ प्रतिशत बढ़ जाती है जिससे मुद्रा-स्फीति में वृद्धि होती है। अतः श्रीमन् राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर नयी परियोजना को शुरू करने के बजाय चालू परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया

जाये तथा वे शीघ्र पूर्ण की जाएं । समय की महत्ता भी उन लोगों के मस्तिष्क में डाली जाए जो इन परियोजनाओं से संबद्ध है। हमारे पास इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में अभियन्ता सक्षम एवं बुद्धिमान लोग भी हैं । लेकिन वे विदेशी राष्ट्रों की ओर पलायन कर रहे हैं तथा वहां पर समयावधि में परियोजनाओं का निर्माण करके यशार्जन कर रहे हैं। लेकिन भारत में उसी प्रकार यह नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर परियोजनाओं के समय पर पूरा करने पर जोर नहीं दिया जा रहा है । यदि विलंब के लिए कडे दण्ड का निश्चित प्रावधान करते हुए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर डाला जाये तो मैं निश्चय के साथ कहता हूं कि परियोजनाएं समय पर पूर्ण होंगी तथा सुपरिणाम भी कमतर लागत पर अति शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है ।

विलंब के लिए उत्तरदायी कुछ कारण हैं त्रुटिपूर्ण योजना वस्तुओं की अपर्याप्ता तथा विलम्ब से माल की सम्पूर्ति यथा-स्टील, सीमेन्ट, परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्ति में देरी, तथा जंगली भूमि की सफाई में देरी आदि । जब वे परियोजनाएं राष्ट्र तथा जनता की आय-संवृद्धि के लिए उद्दिष्ट है, तो मैं इन परियोजनाओं में दूसरी एजेन्सियों द्वारा क्षुद्र आधार पर किए जा रहे विलंब में कोई न्याय संगतता या विवेक नहीं समझता यथा-कि अमुक जमीन वन विभाग से संबंधित हैं अथवा अन्य किसी तुक्ष आधार पर नहीं प्राप्त की जा सकती । मैं चाहता हूं कि लालफीताशाही के निराकरण तथा परियोजनाओं के शीघ्र परिपूर्णन के लिए समय पर निर्णय लेने पर जोर दिया जाए जिससे स्वत: हीं कार्य-क्षमता में वृद्धि होती है तथा परियोजनाओं की लागत में कमी होती है ।

प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि वड़ी सिचाई परियोजनाओं पर प्रति एकड़ निवेश 2000 रुपये होगा जबकि लघु परियोजनाओं पर 2250 रुपये। उदाहरण के लिए, बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में संपूर्ण अनुदान राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है जबकि तलीय जल-संसाधनों के विकास की बात को आती हैं तो वेचारे कृषक को निवेश राशि को ब्याज सहित लौटाने के लिए बाध्य किया जाता है । चूंकि राजकोष पर भार बहुत कम आयेगा तथा यह लाभान्वितों द्वारा प्रदत्त मात्र एक निवेश है इसलिए सरकार को सीमांत कृषकों को अधिकाधिक धनराशि ऋण अनुदान तथा राज सहायता के रुप में प्रदान करने पर विचार करना चाहिए ।

श्रीमन्, सिचाई, नाली-पद्धति, बाढ़ तथा दुर्भिक्ष नियंत्र आयोजित किये जायें तथा उनका निष्पादन वैयक्तिक रूप से नहीं सार्वकालिक रूप से हो । पाताली जल के माध्यम से भूमि विकास में इसके द्वारा अच्छे परिणाम निकलेंगे । श्रीमन्, समादेश क्षेत्र विकास के लिए भूमि निर्धारण सहित उत्तम जल प्रबंधन के लिए कृषि समुदाय तथा क्षेत्र-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ, यदि सरकार सभी सुविधाएं तथा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करें, तो इस देश का कर्षक समुदाय उत्पादन की नवीन रीतियों को सीखने का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकेगा ।

श्रीमान् भारत सरकार द्वारा जल पर यदि राष्ट्रीय जल ग्रिड न भी संभव हो, तो भी क्षेत्रीय ग्रिड स्थापित करने पर जोर दिया जाए जिससे कम से कम एक दो या तीन राज्य अपने संसाधनों को सुधारने के साथ साथ विद्यमान जलीय संसाधनों के विकास के लिए आगे आ सकें । मैं अभिलाषा करता हूं कि भारत सरकार बेहतर लाभांश शीघ्र प्राप्त करने हेतु नवीन परि-

योजनाओं को शुरू करने की बजाये वर्तमान परियोजनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। इन शब्दों के साथ मैं जल संसाधन मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, श्रीमान् जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस मामले पर बोलते समय मुझे संबद्ध मंत्री को दोष देना चाहिए यह मैं नहीं जानता क्योंकि कुछ हद तक मैं स्वयं उड़ीसा के सिंचाई विभाग से संबद्ध रहा हूं। मैंने उस समय पाया था कि सिंचाई के लिए आयोजना कार्य शुरू से दोषपूर्ण रहा है तथा आयोजना से संबद्ध लोगों ने उसकी उपेक्षा की।

यदि आप सिंचाई के लिए पहली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए आवंटन पर ध्यान दें तो यह 5444 करोड़ रुपए बैठता है। बेशक बाद में सरकार ने अनुभव किया कि सिंचाई का बहुत महत्व है तथा उन्होंने छठी योजना में आवंटन को बढ़ाकर 12,160 रुपए कर दिया। फिर भी मैं समझता हूं यह समुचित आयोजित नहीं है, क्योंकि हमें दिये गये सर्वेक्षण के अनुसार 680 लाख हेक्टर सिंचित भूमि तैयार की गई है 75 लाख हेक्टर सिंचित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका। मैं जानना चाहता हूं कि वह पानी कहां जायेगा तथा क्या इसके पानी का जमाव होगा अथवा नहीं।

आज सभा में हुई चर्चा को मैंने ध्यान से सुना है। मुझे सही रूप से याद है कि सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन के छः खण्डों को अगर पढ़ा जाये तो ज्ञात होगा कि उनमें यहां पर चर्चा की गई बातों के सभी पहलुओं का उल्लेख है यदि राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करके इसे तकनीकी व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जाये तो मैं समझता हूं कि अधिकांश जल विवाद हल हो सकते हैं। जब इन्जनीयर अपने विचार देते हैं। तथा योजना बनाते हैं मैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं तब सभी अधिक से अधिक लाभ का अंश प्राप्त करना चाहते हैं तथा इसी से खराबी पैदा होती है। सातवीं योजना में सरकार ने सिंचाई के लिए 14000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं परन्तु पिछले वर्ष के बजट की बहस के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि पिछली 6ठी पंचवर्षीय योजना की बची हुई परियोजनाओं पर 26000 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे। क्या 26000 करोड़ रुपए की बची हुई परियोजनाओं को अग्रता दी जायेगी।

मेरा संबन्ध उड़ीसा से है जहां पर कि बहुत से जलसंधान हैं। परन्तु दुर्भाग्य से उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। जहां तक सिंचाई कर संबन्ध है, विशेष रूप से जन-जातीय क्षेत्रों के लिए जिन पर कि प्रधान मंत्री अधिक ध्यान देना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ी बाधा है वन विभाग से मंजूरी की। जन-जातीय क्षेत्रों के लिए अधिकांश सिंचाई परियोजनाओं के संबन्ध में आपको वन विभाग की मजूरी की समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए काफी लम्बे समय से कुछ परियोजनाओं में काम रुका पड़ा है। मैं चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार स्पष्ट नीति तैयार करे।

अब मैं बाढ़ नियंत्रण को लेता हूं। पिछले वर्ष जब मंत्री महोदय भाषण दे रहे थे मुझे

अतीव प्रसन्नता हुई कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के मामले को समझ लिया है कि इसे राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इस कार्य को भी केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए। हम बहुत खुश हुए; हमने समझा कि संयक्त: इस वर्ष केन्द्र बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करेगा, परन्तु यह जानकर हमें अत्यन्त निराशा हुई कि धन देने के स्थान पर वे लोगों को बाढ़ की चेतावनी देते रहें ताकि लोग अपने बचाव कर पायें। चेतावनी से लोग ऊंचे स्थानों पर जा सकेंगे परन्तु उनके मकानों पशुओं का क्या होगा। वे उन्हें कैसे बचाएंगे ? बाढ़ नियंत्रण ऐसा विषय है जिसपर पृथक रूप से चर्चा की जानी आवश्यक है। बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण कार्य नहीं किया जा सकता, इसके लिए नदियों के मुहानों पर मिट्टी साफ करने का कार्य करना पड़ेगा। बहुत सी नदियों के मुहानों में कीचड़ जमा है। जिस कारण विशेषकर उड़ीसा में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। जहां तक बाढ़ों के लिए अनुदानों का प्रश्न है, बेशक केन्द्रीय सरकार उसके

4.00 म. प.

लिए पर्याप्त आवंटन नहीं कर रही, फिर भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आवंटित धन का राज्य द्वारा कैसे उपयोग किया जाता है। मैं कुछ आंकड़े पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उड़ीसा को ही लगभग 339.55 करोड़ रुपया मिले हैं। अफ. डी. आर के रूप में उड़ीसा को इस वर्ष भी 35 करोड़ रुपया मिले हैं। परन्तु उस धन का क्या हो रहा है। यही बात मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह इस बारे में कोई दृढ़ कार्यवाही करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 35 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए पृथक रखे गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री 22 करोड़ रुपए अपने निर्वाचित क्षेत्र के लिए ले गये हैं; जहां पर कि कोई नदी नहीं है अत: बाढ़ का वहां कोई प्रश्न ही नहीं है। राज्य के वित्त मंत्री 35 लाख रुपए ले गये हैं जबकि वहां पर बाढ़ का कोई प्रश्न नहीं है। गंजम जिले के लिए, जोकि भारी बाढ़ वाला क्षेत्र है, केवल 15 लाख रुपए आवंटित किये गये हैं जिसमें से केवल 75000 रुपए दिये गये हैं। इतना ही नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल ही में उड़ीसा विधान सभा में एक पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

4.01 म.प.

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मुख्य अभियंता ने लिखा था कि बाढ़ राहत अनुदान के बारे में से, जोकि पूर्णत: केन्द्रीय अनुदान है, सिंचाई विभाग द्वारा टी.वी. सेट खरीदे गये हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उड़ीसा के अध्यक्ष से पता करें कि क्या यह सच है अथवा नहीं।

दूसरे में, मैं कुछ अन्य पहलुओं पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हाल में तीन चार दिन पूर्व उड़ीसा के विभिन्न भागों के छ: सात अधिशासी अभियन्ताओं के आवासों की तलाशी ली गई तथा आपको, यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां करोड़ों रुपया बरामद किये गये। मेरे मित्र श्री पाणिग्रही अपने भाषण के दौरान कह रहे थे कि उन्हें अपने क्षेत्र के लिए कुछ धन चाहिए। उनके निर्वाचन क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता के आवास से 4 लाख रुपये के नोट बरामद हुए तथा लगभग 5 लाख रुपए के नोट नाली में डाल दिए गए। जिन्हें कि सर्तकता विभाग ने प्राप्त कर लिया है। अत: मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान

दें कि जो धन आप बाढ़ नियन्त्रण के लिए देते हैं उसका उपयोग उसी कार्य के लिए हो किसी अन्य कार्य के लिए नहीं ।

अन्त में, उड़ीसा में सिंचाई सुविधाओं के बारे में आई समस्याओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उड़ीसा में सभी सिंचाई सुविधाएं बहुत पुरानी हैं । मुख्य रूप से दोष यह है कि नहरों के लिए जो द्वार बनाये गए हैं वे बहुत ऊंचे हैं तथा अधिकांश पानी नष्ट हो जाता है । तथा नहरों में गाद जमा हो जाने के कारण भी खेतों तक प्रयाप्त पानी नहीं पहुंच पाता ।

बेशक कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, परन्तु यह बताया गया है कि कुछ माननीय सदस्य उसका विरोध करते हैं । परन्तु मैं ऐसे कार्यक्रम का बहुत स्वागत करता हूं। जहां कहीं भी विवाद है वहां पर कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम सफल नहीं हुआ । परन्तु उड़ीसा जैसे राज्य में कोई जल-विवाद नहीं है । मैं नहीं समझ पाया कि वहां पर यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पाया। यह ठीक तरह से चल रहा था, मैं नहीं समझ पाया कि उसका कार्य रुक कैसे गया ।

इसी प्रकार, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में बहुत सी परियोजनाएं हैं । पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले का दौरा किया था, जो कि उड़ीसा का पुराना सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसके सूखा प्रभावित होने का मुख्य कारण जोंक नदी है । जब तक ऊपर जोंक परियोजना शुरू न की जाए वहां के लोगों की कोई सहायता नहीं की जा सकती । उन्हें कुछ राहत देने से ही उनकी समस्या हल नहीं हो सकती । बहरहाल मैं परियोजना को स्वीकृति देने के लिए केन्द्र सरकार का आभारी हूं ।

अब मैं हीराकुंड की बांध की बात करता हूं । कई बांध बहुत पुराने हैं । माननीय मंत्री को अवश्य ही इस बात की जानकारी होगी कि अधिकांश बांधों में गाद को निकालने वाले गेट नहीं हैं और इस कारण से पानी की टंकियों में तेजी से गाद भर रहा है । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा कराई जाये । अब मैं इस बात के सबसे अधिक खतरनाक पहलु पर आ रहा हूं । हीराकुंड बांध में दरारें दिखाई पड़ने लगी हैं । हालांकि पूना इन्स्टीटयूट को इनके बारे में बताया गया था और उन्होंने कहा था कि तत्काल कोई खतरा नहीं है, तो भी हीराकुण्ड जलाशय में जितना गाद भर रहा है उसे देखते हुए इन दरारों के प्रति सावधानी बरतनी होगी । हालांकि हीराकुड बांध की बनाए हुए काफी समय बीत चुका है तो भी अब तक महानदी वृहद योजना को पूरा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप नीचे का पूरा क्षेत्र बाढ़ के कारण नष्ट हो रहा है ।

अन्त में मैं रेंगली बांध के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यद्यपि केन्द्र सरकार ने अब कहा है कि वे बाढ़ नियन्त्रण के लिए कुछ धन दे रहे हैं किन्तु मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि रेंगली बहु-प्रयोजनीय बांध है और हम ऐसे मामलों में केवल सिंचाई और उत्पादन की ओर ही ध्यान देते हैं और बाढ़ की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ।

इसी प्रकार रेंगली बांध पर जो कुछ हुआ उसे आप जानते ही हैं । यद्यपि बांध पूरा बन चुका है तो भी ब्राह्मनी वृहद योजना (मास्टर प्लान) अभी तक पूरी नहीं हुई और जब तक यह पूरी नहीं होती, उड़ीसा और ब्राह्मनी घाटी के लोग भी उन्हीं समस्याओं का सामना करते रहेंगे जिनका सामना महानदी घाटी के लोग कर रहे हैं । महोदय, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी

कम से कम मेरेद्वारा उड़ीसा के बारे में लगाए गए उन आरोपों की जांच करें जो मैंने उड़ीसा को दी गई एफ. डी. आर. निधि प्रयोग न किये जाने के बारे में लगाए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री आर. एस. माने (इचलकरांजी) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में बोलना चाहता हूं। महोदय, जहां तक भारत में जल संसाधनों का संबंध है, यहां अनेक बड़ी, मझौली तथा लघु सिंचाई परियोजनायें हैं। मेरे राज्य महाराष्ट्र में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 30 प्रतिशत जल का भंडारण किया जा सकता है, किन्तु इस समय महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार पहले से चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं द्वारा केवल 13 से 15 प्रतिशत जल का भंडारण किया जा रहा है।

महोदय, जहां तक मेरे जिले विशेषकर मेरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां कलामावाड़ी अर्थात दूध गंगा और वाखा परियोजनायें बड़ी सिंचाई परियोजनायें हैं। ये दो परियोजनायें वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। कलामावाड़ी अर्थात दूधगंगा परियोजना के लिए अनुमानित 250 करोड़ रु. में से अभी तक केवल 6 करोड़ ही खर्च किये गये हैं। अभी तक भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिये स्वीकृति नहीं दी और न ही कोई प्रशासनिक अनुमति दी है। मैं जानता हूं कि केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग में 15 निदेशालय हैं और उनमें कोई समन्वय नहीं है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच भी कोई समन्वय नहीं है और जब तक विश्व बैंक को ऋण के लिए प्रस्ताव न भेजा जाए, ये परियोजनायें शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करके पूरी नहीं की जा सकती। यह पहाड़ी क्षेत्र है। यहां के लोग अत्यन्त निर्धन हैं और वे इन परियोजनाओं को यथा-सम्भव शीघ्र पूरा करने की मांग कर रहे हैं।

जहां तक वाखा परियोजना का सम्बन्ध है, यह पूरी होने वाली है। किंतु केवल धन की कमी के कारण अभी तक नहरों का निर्माण नहीं किया गया है। महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि मेरे जिले में विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सारी सिंचाई परियोजनायें केवल धन की कमी के कारण अधूरी पड़ी है। महाराष्ट्र सरकार की कलावाड़ी परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है किन्तु उन्होंने पिछले 5 से 10 वर्षों में केवल 6 करोड़ रुपये दिये हैं। महोदय यदि सिंचाई परियोजनायें पूरी करने की गति यही रही तो मुझे डर है कि ये परियोजनायें पूरी होने की कोई सम्भावना नहीं। देश में प्राकृतिक जल के भंडारण कार्य को पूरा करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं होगा। मैं जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कलमवाड़ी तथा वारवा परियोजनाओं के लिये प्रर्याप्त धन दें। सिंचाई के बिना कृषि के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। देश में औसत वर्षा कम होती जा रही है और पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। हम सिंचाई के बिना कृषि और कृषि के बिना जीवन के बारे में नहीं सोच सकते। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे समय-बद्ध कार्यक्रम बनायें और सिंचाई नीतियों के बारे में श्वेत पत्र जारी करें। देश में बड़ी तथा मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक व्यापक और समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये। गाद निकालने के कार्य पर भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा करोड़ों रु. खर्च किये जा रहे हैं। देश में पूरी हो चुकी परियोजनाओं में से गाद निकालने के कार्य में भूतपूर्व सैनिकों के स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ली जा सकती है। मेरी राय में यह काफी किफायती योजना होगी।

जहां तक सहकारी लिफ्ट सिंचाई का सम्बन्ध है, भावे आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न नदियों से लिया गया 30% पानी पुनः नदियों में ही डाला जा रहा है, जल संशाधन विभाग को इस बारे में विचार करना चाहिए।

के. जी. आयोग के अनुसार, कोल्हापुर जिले में 59 टी. एम. सी. पानी जमा किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक केवल 3 टी. एम. सी. पानी ही जमा किया गया है। जहां तक बाकी पानी का सम्बन्ध है, कुछ परियोजनाओं में विलम्ब हो गया है और कुछ परियोजनाओं पर कार्य ही आरम्भ नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जल संशाधन विभाग परियोजनाओं का निर्माण धीमी गति से कर रहा है।

मेरे जिले, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में काफी समस्यायें हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने कम्मावडी-दूधगंगा परियोजना और कोल्हापुर मंदकारा परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। कर्नाटक सरकार के पास तीन प्रस्ताव विचाराधीन हैं। सीमा विवाद के कारण कर्नाटक सरकार इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में कटोर रवैया अपनाए हुए है। हमारी यह समस्या है। माननीय मंत्री कृपया इसे नोट कर लें। ये सभी परियोजनायें, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरी की जानी चाहिए। इन सिंचाई परियोजनाओं के बिना इन क्षेत्रों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

जहां तक छोटी सिंचाई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, इस कार्य के लिये प्रयाप्त राशि आवंटित की जानी चाहिए क्योंकि इससे किसानों को शीघ्र ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : राष्ट्रीय स्तर पर जल योजनाओं की आयोजना और इन्हें कार्यान्वित करने और राज्य स्तर पर तकनीकी और इन्जीनियरी सम्बन्धी सुझाव देने के लिए मैं केन्द्रीय जल आयोग की भूमिका की प्रशंसा करता हूं।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग की कुछ खामियां भी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जो कि राजस्थान में है, ऐसी ही एक बड़ी भूल की गई है। राजस्थान में मसानी बांध बनाया जाना था। इस बांध का निर्माण हरियाणा राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की मंजूरी से किया है। इस बारे में राजस्थान सरकार से कभी भी सलाह नहीं की गई। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के निर्माण की कभी भी मंजूरी नहीं दी।

राजस्थान की भूमि पर निर्मित इस परियोजना से राजस्थान को ही एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। मेरे जिले अलवर में इस परियोजना के लिये सारी आवश्यक भूमि राजस्थान सरकार की है, लेकिन मेरे जिले को इस परियोजना से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए किसने मजूरी दी ? राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी नहीं दी। केन्द्रीय जल आयोग ने कैसे इस परियोजना के निर्माण की अनुमति दे दी ? इप परियोजना पर 40 करोड़ रु. से अधिक खर्च आयेंगे। आरम्भ में इसकी लागत 36 करोड़ रु. आंकी गई थी। अब इसकी लागत 40 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हरियाणा सरकार मात्र अपने लाभ के लिए, राजस्थान के पानी का प्रयोग कर रहा है, राजस्थान

की भूमि को बरबाद कर रहा है, और इस परियोजना से राजस्थान के 20 गांव भी जलमग्न हो जायेंगे।

मैंने लोकसभा में एक प्रश्न पूछा था, इसके उत्तर में सिंचाई मंत्री ने सभा में कहा था कि राजस्थान का एक भी गांव बांध के पानी में जलमग्न नहीं होगा। लेकिन अब केन्द्रीयजल आयोग इस निर्णय पर पहुँचा है कि कम से कम 15 गांव बांध के पानी में जलमग्न हो जायेंगे। मैं जल संसाधन मंत्री से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह किसका दोष है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, केन्द्रीय जल आयोग ने क्या एहतियाती उपाय किये हैं, ताकि इन गांवों के लोगों की जमीन, मकान, आदि जलमग्न न हों। सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले की जांच करायेंगे अर्थात् इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन था ?

इस आसानी परियोजना से इस क्षेत्र के लोगों की स्थिति बिगड़ जायेगी। इससे इस क्षेत्र में असन्तोष फैल गया है। इसलिए मैंने माननीय मंत्री से यह विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या वह मुझे लिखित में उत्तर देंगे कि इस बांध के पानी में कितने गांव जलमग्न हो गये हैं यह क्या एहतियाती उपाय करने जा रहे हैं जिससे बांध के जल से ये गांव पीड़ित न हों और इस बांध का कितना पानी राजस्थान राज्य के गांवों को सिंचाई के लिए दिया जायेगा ?

इन गांवों को केन्द्रीय जल आयोग या हरियाणा राज्य सरकार या राजस्थान राज्य सरकार ने पूर्व चेतावनी क्यों नहीं दी कि ये गांव बांध के पानी में जलमग्न हो जायेंगे ? इस बांध का निर्माण इस आधार पर आरम्भ किया गया था कि साहबी नदी के जल से दिल्ली में जो बाढ़ आती है उसे रोका जा सकेगा और उसके पानी को यहां जमा किया जाएगा। लेकिन यह नदी लगातार यहां बह रही है। युगों से यह वहां बह रही है। दिल्ली में जो बाढ़ आई थी, उसका कारण साहबी नदी का पानी नहीं था बल्कि दिल्ली में आवासीय कालोनियों के निर्माण से नजफगढ़ नाले के रूक जाने से दिल्ली में बाढ़ आई थी। आपके इन्जीनियरों ने जो आयोजना की थी वह त्रुटिपूर्ण थी। दिल्ली में जो बाढ आई थी उसका कारण नजफगढ़ नाला था न कि साहबी नदी। इस नाले में दिल्ली की आवासीय कालोनियों की वजह से रुकावट आ रही है, क्या आप इस मामले पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलवर में गलत कार्य हुआ है, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को और न भुगतना पड़े ? कम से कम मैं इन प्रभावित गांवों के नाम बता सकता हूँ ये हैं लालपुर, अकोली, जमालपुर, जोखावास, किरीवास, रावरका, उजोली और अन्य गांव। वे सीधे ही जलमग्न होंगे। अतः आज वे लोग परेशान हैं, वे छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी के पास जा रहे हैं। उन्हें केन्द्र, राजस्थान या हरियाणा सरकारों से कोई उत्तर नहीं मिला है। अतः मैं चाहता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इन ग्रामवासियों को और तकलीफ न सहनी पड़े।

लेखा परीक्षा की रिपोर्ट यहां है। क्या मंत्री सुनिश्चित करेंगे कि इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अमल किया जाए ? आपके विभाग की सूचना के अनुसार, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट का ध्यान नहीं रखा गया है और न ही इसका पालन किया गया है। विभाग की यह गम्भीर भूल है। क्या आप इस पहलू पर भी विचार करेंगे ? धन्यवाद।

*श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव (अमलापुरम) : सभापति महोदय, पानी भगवान की मानवता की अमूल्य देन है। यदि ठीक ढंग से जल संसाधनों का उपयोग किया जाये तो वह देश की समृद्धि में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। यद्यपि चालीस सालों से हम स्वतन्त्र हैं, किन्तु हमारे देश में उपलब्ध पानी की विपुल मात्रा का उपयोग करने में हम असफल रहे हैं। चारों ओर हाहाकी हो रही सूखे की स्थिति से यह स्पष्ट है कि सरकार जब संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग करने में विफल रही है। यदि हम देश में प्राप्त पानी का उपयोग करने में सफल हो जाते तो शायद आज देश को सूखे अथवा अकाल का सामना न करना पड़ता।

हमारा देश प्रमुखतया एक कृषि प्रधान देश है। रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि हम उपलब्ध जल संसाधनों का 50 प्रतिशत उपयोग में ला सकते हैं। हम प्राप्त जल संसाधनों का केवल 24 प्रतिशत भाग ही उपयोग में ला रहे हैं। देश में कई प्रमुख परियोजनाएं हैं जो दशकों से निर्माणाधीन हैं। इन प्रमुख परियोजनाओं में से बहुत सी परियोजनाएं 2 से 3 दशकों पहले शुरू की गई थीं परन्तु अभी भी वे अधूरी पड़ी हैं। महोदय, यदि ये प्रमुख परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारी पानी की समस्या सदा के लिए हल हो जायेगी। और सिंचाई एवं पीने के लिए पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। यह जानकर दुःख होता है कि राज्यों को इन प्रमुख परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए सहायता देने की अपेक्षा केन्द्र सरकार राजनीति को बीच में लाकर केवल बाधायें उत्पन्न कर रही है और इस प्रकार परियोजनाओं के निर्माण में देर कर रही है। अतः महोदय राजनीति को समाप्त करने और प्रमुख परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने में राज्यों की मदद करने के लिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं। तेलगू गंगा की केन्द्र सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। केन्द्र सरकार स्वीकृति देने में देर करने के लिए बहाने खोजने के प्रयास कर रही है। यदि तेलगू गंगा परियोजना पूरी हो जाती है तो यह मद्रास को, जो देश के प्रमुख शहरों में से एक है, पीने का पानी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त रामालासीमा के चिरकालिक सूखा पीड़ित क्षेत्रों में लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करायेगी। परन्तु कुछ अनजाने कारणों की वजह से केन्द्र सरकार इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दे रही है। केन्द्र सरकार को अपना हठीला रवैया छोड़ देना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र इस परियोजना को स्वीकृति दे देनी चाहिए।

महोदय, बहुत समय पूर्व पोलावरम् परियोजना का शिलान्यास किया गया था। इतने वर्षों में एक ईंट भी उस पर और नहीं रखी गई है। यह एक प्रतिष्ठित परियोजना है। पूरी होने पर यह परियोजना 7.25 लाख एकड़ जमीन को पानी उपलब्ध करायेगी। यह परियोजना विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को भी पानी पहुंचायेगी। 750 मे. वा. बिजुत का उत्पादन भी किया जा सकेगा। परन्तु इस विशेष महत्व की परियोजना की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने पर ध्यान दे।

महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमलापुरम में कोई भी सिंचाई परियोजना नहीं है। धवलेश्वरम बांध, जिसका निर्माण सर आर्थर कांटन ने करवाया था, के अतिरिक्त कोई भी परियोजना नहीं है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक डेल्टा क्षेत्र है। गोदावरी नदी पर कई परियोजनाओं का

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

निर्माण हो सकता है। चूंकि यह भूमि उपजाऊ है, गोदावरी नदी के जल के उपयोग से हम खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में बहुत पहले जिन नहरों का निर्माण किया गया था वे गाद से भरी हुई हैं। चूंकि नहरों में से गाद निकालने के काम पर आने वाला खर्च बहुत अधिक है, इसलिए इस काम के लिए राज्य सरकार की मदद करने के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए। गोमती और वशिष्ठ नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं इन सहायक नदियों पर जो जलसेतु बनाये गये थे वे नष्ट होने के कगार पर हैं और इनकी बड़े पैमाने पर मरम्मत कराना आवश्यक है। इस कार्य पर ज्यादा खर्च होने के कारण राज्य सरकार इस कार्य को शुरू नहीं कर सकती। अतः केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की इन जलसेतुओं की मरम्मत करने में सहायता करनी चाहिए।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक तटीय क्षेत्र है। नदी के मुहानों में बहुत अधिक गाद भरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक गन्दा पानी एकत्र हो जाता है जो स्थानीय लोगों के लिए बहुत कठिनाईयां पैदा करता है। इन स्थानों पर इतना अधिक गन्दा पानी, इकट्ठा हो जाता है कि खड़ी हुई फसलें भी उसके बहाव से बह जाती हैं जिससे किसानों को बहुत अधिक नुकसान होता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में नहरों और नदी मुहानों से गाद निकलवाने में सहायता करे।

महोदय, तुंगभद्रा बोर्ड को भंग करना तर्कसंगत नहीं है। उस क्षेत्र के किसानों के हित की अच्छी तरह से रक्षा तभी हो सकती है जब बोर्ड अपना कार्य चालू कर दे। तुंगभद्रा बोर्ड को भंग करने से उस क्षेत्र के किसानों का हित नहीं हो पायेगा।

महोदय, आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. सुधीर राय (बर्दवान) : मैं जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा की गई अनुदान मांगों का विरोध करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जल संसाधनों की व्यवस्था वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए क्योंकि पिछले साल के बजट भाषण में स्वयं मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया था कि सिंचाई के लिए प्राप्त जल संसाधनों के 50 प्रतिशत से भी कम भाग का उपयोग होता है। और दूसरे, मैं कहना चाहता हूँ कि इन सिंचाई परियोजनाओं को समय पर तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि यदि उनको समय पर तैयार नहीं किया जाना है तो लागत में वृद्धि होगी और सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो जायेगी। इस प्रकार सोना नदी पर जब बानसागर परियोजना शुरू की गई तो अनुमानित लागत केवल 91.30 करोड़ रुपए थी। परन्तु 1982 के मूल्य स्तर पर कीमत 282.51 करोड़ आंकी गई है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान, पश्चिमी बंगाल में समस्त गंगा नदी मार्ग में तीव्र गति से हो रहे भूमि कटाव की ओर दिलाना चाहता हूं। क्योंकि तीव्र गति से भूमि कटाव हो रहा है इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया है। आयोग के अनुमान के अनुसार भूकटाव को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों के लिए 280 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु भारत

सरकार ने केवल मालदा जिले में ही कार्यवाही करने की जिम्मेदारी ली है। परन्तु मुर्शिदाबाद, नदियां और हुगली ज़िलों में पहले से ही तीव्र भूमि कटाव हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बहुत गम्भीर समस्या है।

डा. सुधीर राय : बहुत से गांवों पर इसका प्रभाव पड़ा है, कस्बे प्रभावित हुये हैं, व्यापार केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र प्रभावित हुए हैं और रेल की पटरियां पानी में डूबने वाली हैं। केवल यही नहीं राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 34 और धूलिया-फरक्का-जमालपुर रेल लाईनें आप्लावित हो गई हैं। सकारा के निकट भी रेल लाईन जलमग्न हो रही है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। और पश्चिम बंगाल सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद लगभग 30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर रही है। इसलिए केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती और मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस विषय पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय : यह सही है। शुक्रिया। श्री मूलचन्द डागा। कृपया तीन मिनट ही बोलिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं केवल प्रश्न ही रखूंगा। भारत में कुल सिंचाई की क्षमता 1350 लाख हैक्टेयर है और आपने करीब छः सौ मिलियन हैक्टेयर की है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके बांध 108 ऐसे हैं जिनको यदि उसी समय बना दिया गया होता तो 3481 करोड़ का खर्चा आता लेकिन उन्हीं बांधों को अब बनाने में आपने अपने उत्तर में बताया कि 16372 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

[अनुवाद]

181 प्रमुख चालू परियोजनाओं में से 102 परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है और उनकी अनुमानित लागत 16,372 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यह जो एक बांध को कम्पलीट होते हुए 175 वर्ष लगेंगे, शारदा सहायक डैम है, एक श्रीराम सागर को 170 वर्ष लगेंगे, दूसरे को 175 वर्ष, कुछ को 65 वर्ष और कोसी को 64 वर्ष लगेंगे तो इससे आपको कितना नुकसान होगा। मैं चाहता हूं कि सारे इन्जीनियर्स की एक आल इण्डिया सर्विस कर दीजिए। ये बांध किसलिए बन्धते हैं ? ये बांध तो ढहने के लिए बन्धते ; ताकि इन्जीनियर्स की आमदनी हो, कमाई हो। एक मामूली बाढ़ आती है और बांध ढह जाता है।

मेरा कहना यह है कि राजस्थान कैनाल में जो घपला हुआ था, कमांड एरिया में जो घपला हुआ है, केन्द्रीय सरकार जो रुपया देती है, उसके बाद उसकी कभी जांच नहीं होती कि कितने इन्जीनियरों ने क्या किया। इसमें यह बात कही थी कि—

[अनुवाद]

"भारी लागत से तैयार 50 लाख हैक्टेयर वाली सिंचाई क्षमता उपयोग में नहीं लाई जा रही है। इसके सही उपयोग से 40-50 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किए जा सकते हैं।"

[हिन्दी]

अब इतने लासेज एक एक में हैं। आपका 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम जो है, उसमें सबसे पहला प्रोग्राम यह है कि हम इरिगेशन बढ़ायेंगे। मन्त्री जी उत्तर दें कि 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में जो कार्यक्रम दिया है, कौन सी स्टेट ने इस बारे में कितना काम कर लिया है ? आपने जो धनराशि दी है, आपने माडल बाई-लाज बनाए थे, आप बतायें कि इरिगेशन किस के लिए है ? बांध में पानी आता है, बड़े-बड़े लोग अपनी जमीनों को पिला लेते हैं। डी. पी. ए. छोटे काश्तकारों के लिए रहता है। आप वहां पर स्माल इरिगेशन की तरफ ध्यान दीजिए लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। ट्यूबवैल और रिग मशीनें भी हमारे यहां नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इरिगेशन में आपको बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। बांध पहले बनता है, नहर, कैनाल पीछे बनती है। सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, उसके परिणाम संतोषजनक नहीं हैं।

मन्त्री जी इस बात का उत्तर दें कि भाखड़ा-व्यास मैनेजमैंट बोर्ड के बारे में सेंटर ने जो निर्णय लिया था कि उसका इन्तजाम सैंटर करेगी, तो वह अभी तक पंजाब के हाथ में ही क्यों है ? इससे न राजस्थान को पानी मिलता है और न हरयाणा को मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप इसका इन्तजाम करिये।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उत्तरी बंगाल के लोगों के सामने आ रही कठिनाई तक ही मैं अपने भाषण को सीमित रखूंगा। हमारा देश इतना बड़ा है कि शायद किसी भी मन्त्री के लिए सभी नदियों और उनकी दशाओं के बारे में जानना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि तुरसा, रायद, सनकोस जाल्ती जलदाका कीस्स बसरा दुदुआ कल्याणी नदियां भूटान से आ रही हैं और इस क्षेत्र में बाढ़ तथा भूमिकटान के रूप में कठिनाईयां पैदा कर रही हैं अत: सरकार जो कुछ भी विकास कार्य करना चाहती है, इस भूमि कटाव के कारण सब व्यर्थ हो जाता है, बहुत सी छोटी नदियां और नाले भी हैं। यदि इन सब नदियों पर नियन्त्रण नहीं रखा गया तो इस क्षेत्र में कोई भी योजना या परियोजना कामयाब नहीं होगी। इन नदियों पर भूटान सरकार के सहयोग बिना नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। अत: भूटान सरकार को भी विश्वास में लेना चाहिए और इन नदियों पर नियन्त्रण के लिए सम्मिलित कार्यवाही की जानी चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है कि स्नेही भूटान हमारी बहुत सहायता कर रहा है और हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर भूटान से विचार विमर्श करें ताकि हम उस सरकार से इन नदियों के नियन्त्रण के लिए समझौता करा सकें। यदि इन नदियों पर नियन्त्रण कर लिया जाता है तो उत्तरी बंगाल समस्त पश्चिमी बंगाल का पेट भर सकता है। हम उन्हें अच्छी तरह जीवन यापन के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल तथा सभी कुछ दे सकते हैं हमारे वहां के लोग बहुत मेहनती लोग हैं। दूसरे ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सा पानी अभी भी बर्बाद किया जा रहा है। उसके लिए अभी तक कोई योजना/कोई भी परियोजना तैयार नहीं की गई है। अत: मेरा निवेदन यह है कि कोई परियोजना तैयार की जानी चाहिए। बिना उपयोग में लाये ब्रह्मपुत्र नदी का समस्त जल बंगला देश में जा रहा है और वहां से यह समुद्र में जा रहा है। अत: जब ब्रह्मपुत्र तिस्ता परियोजना

तैयार हो जाती है तो इससे कलकत्ता बंदरगाह को भी राहत मिलेगी। इसलिए, इस योजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह योजना समस्त देश के लिए एक बहुत अच्छी योजना होगी। मैं इस योजना का जिक्र बार बार कर रहा हूँ चूंकि यह काफी अरसे से विचाराधीन है, इस बार भारत सरकार को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। समय देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री एन. वी. एन. सोमू (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, कावेरी जल विवाद अधर में लटका है। अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम है। परन्तु इसके बावजूद आप अन्तर्राज्यीय नदी विवाद को सुलझा नहीं पाये हैं। आखिरकार जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है। यदि तमिलनाडु में सूखे से तबाही मच रही है तो कर्नाटक भी नहीं बच सकता (**व्यवधान**)।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें कर्नाटक से बहुत कम मतलब है।

श्री एन. वी. एन. सोमू : यह केवल कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का प्रश्न नहीं है। यह तमिलनाडु के बने रहने का प्रश्न है। तमिलनाडु के किसान हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि क्या वे खेती के लिए कावेरी से पानी प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। हर वर्ष की यह एक ज्वलन्त समस्या है तमिलनाडु के किसानों की यह हृदय-विदारक समस्या हैं। न्यायाधिकरणों के गठन का भी कोई मतलब नहीं है। न्यायाधिकरण के फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हमारे यहां प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल परिषद है : कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने हमारे प्रधान मंत्री को भारत का एक सुन्दर राजकुमार कहा है। प्रधानमन्त्री ने उन्हें कावेरी जल विवाद को सौहार्द के साथ सुलझाने की सलाह दी है··· (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह पिछले साल की बात थी।

श्री एन. वी. एन. सोमू : हां, वह हट पूर्वक विरोध नहीं करेंगे। कृपया तमिलनाडु को युद्ध भूमि बनने से बचायें। मद्रास के लोग भाग्यशाली नहीं है। वीरानाम जल सप्लाई योजना को ए. आई. ए. डी. एम. के. सरकार ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि यह डा. करूणानीधि ने शुरू की थी। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मद्रास के लोगों को आश्वासन दिया था कि मद्रास को कृष्णा जल सप्लाई किया जायेगा। उन्होने तेलगु गगा योजना की नींव रखी थी। तमिलनाडु सरकार ने पहले ही कुछ करोड़ रुपये योजना के लिए दिये हैं। अब बाधायें डाली जा रही हैं। योजना केन्द्र द्वारा मंजूर की जानी चाहिए और युद्धस्तर पर पूरी की जानी चाहिए। मैं कर्नाटक सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस तरह की काल्पनिक कठिनाइयों को न उठायें।

बकिंघम नहर की लम्बाई लगभग 800 किलोमीटर है। यह एक अन्तर्राज्यीय जल मार्ग है ब्रिटिश के लोग इस नहर का द्वितीय विश्वयुद्ध में सैनिक यातायात के लिए उपयोग करते थे। इस नहर की सफाई की जानी चाहिए ताकि यह विनाशकारी बाढ़ को कम करने का भी एक साधन बन सके।

गतवर्ष बाढ़ सम्बन्धी वाद-विवाद पर भी मैंने यह उल्लेख किया था कि मद्रास विशेषकर उत्तरी मद्रास बाढ़ से घिर गया है। मन्त्री महोदय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम इस प्रकार के लम्बे वादविवाद के दौरान कल से अब तक रखे गये धीरज के लिए मैं सर्वप्रथम सभा को धन्यवाद देता हूं सभी सदस्यों को, जिन्होंने वाद विवाद के भाग लिया है, जिन्होंने मूल्यवान सुझाव दिये हैं, जिन्होंने अच्छी बातें कही या उतनी अच्छी नहीं कहीं और उनके अन्य विचार सही हों या किसी हद तक उचित नये, तर्क, तर्कसंगत थे या किसी सीमा तक न थे, धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

श्री सौमनाथ चटर्जी : काफी हद तक यह असंगत —महोदय, वह यह आदर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : मैं इस बारे में भी बात करूंगा। मैं बहुत सम्मान के साथ बात कर रहा हूं। (व्यवधान)। मैं यह क्यों कहता हूँ—यह मांगों के सन्दर्भ में संगत नहीं है। मैंने यह नहीं कहा है कि वे देश की जल संसाधन समस्या के संगत नहीं हैं। उसी दृष्टि से मैंने कहा कि जिसकी वजह से सभा उन मांगों पर विचार कर रही है तथा जिन्हें यह सभा पारित करने जा रही है वे तर्क संगत नहीं हैं। और इसी दृष्टि से मैंने यह कहा था। (व्यवधान)

महोदय, मैंने लगभग सारे वाद विवाद को और सभी सदस्यों के विचारों को सुना है। उन्होंने जल संसाधन समस्याओं के बारे में, मुख्यतः सिंचाई समस्याओं के बारे में जोकि पीने के पानी की समस्या के बाद आती है, कहा है जिनका कि शायद राज्य विधान सभाओं में सही हल ढूंढा जा सकता था, क्योंकि यह सभा जल संसाधन मन्त्रालय की मांगों को पारित करने से सम्बन्धित है। हम विभिन्न राज्य सरकारों की मांगों को सिंचाई मांगों, को जोकि राज्य विधान सभाओं का प्राधिकृत क्षेत्र है पारित करने से सम्बन्धित बात पर विचार नहीं कर रहे हैं और हमें उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे।

एक माननीय सदस्य : हम यहां सहायता करने और सुझाव देने के लिए हैं। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं आपको समझ सकूं।

सभापति महोदय : कृपया जारी रखें।

श्री बी. शंकरानन्द : इसीलिए मैंने सभा की इजाजत से उन मुद्दों का जो माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं, उत्तर देना नहीं चाहता। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब क्या बचा है महोदय ?

सभापति महोदय : पहले हम मन्त्री महोदय को सुनें।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, मैं सभा को और सदस्यों को भी सूचित करना चाहता हूँ कि सिंचाई परियोजनायों की योजना राज्यों द्वारा बनाई जाती है और राज्यों द्वारा ही ये कार्यान्वित और वित्तपोदित होती हैं यह बात नहीं है कि सभी सदस्य इसके बारे में नहीं जानते हैं बल्कि बहुत से सदस्य जानते हैं। यह सच है। परन्तु अधिकांश सदस्य परियोजनाओं के बारे में कहते हैं (व्यवधान).....

सभापति महोदय : हमें मन्त्री महोदय को बोलने देना चाहिए। कृपया बीच में न बोलें। मंत्रीजी कृपया जारी रखिए।

श्री बी. शंकरानन्द : उन्होंने अपने राज्यों की विशेषकर अपने चुनाव क्षेत्रों से सम्बन्धित परियोजनाओं के बारे में टिप्पणियां की हैं। निःसंदेह यह एक मंच है जहां एक संसद सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कह सकता है। अन्यथा मैं भी एक संसद सदस्य के नाते जानता हूँ कि यदि हम जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी समस्याओं के बारे में नहीं बोलेंगे तो मतदाताओं की क्या प्रतिक्रिया होगी। अन्यथा संसद सदस्य विधान सभाओं में न तो जा सकते हैं और न ही वहां बोल सकते हैं। उन्हें यहां बोलना होता है और मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं, आपके द्वारा, माननीय संदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इन समस्याओं के बारे में अपनी-अपनी राज्य सरकारों को भी लिखें और उनके ध्यान में उन सिंचाई समस्याओं को लायें जिन्हें वे इस सदन में उठाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया एक बैंक ड्राफ्ट है

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय को बोलने दें।

श्री बी. शंकरानन्द : शायद माननीय सदस्य यहां नहीं थे। अन्यथा जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने उसे समझा होता कि बहुत से सदस्य उन परियोजनाओं के बारे में बोले हैं जो शायद जल आयोग के समक्ष भी नहीं हैं, उनकी मंजूरी या देरी या किसी और चीज की तो बात ही क्या है (व्यवधान)। उन्होंने कुछ परियोजनाओं के बारे में कहा है। मैं माननीय सदस्यों से विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि उन परियोजनाओं को जिन्हें अपने राज्य की योजनाओं में भी कोई स्थान नहीं मिला, अब उनका जिक्र यहां हो रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक बात में हस्तक्षेप न करें। कृपया प्रत्येक बात पर हस्तक्षेप न करें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं समझता हूँ योजनायें ·····(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप प्रत्येक वाक्य पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं, इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा मंत्री महोदय, कृपया जारी रखें (व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया उत्तर दें।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं उनके शब्दों को बहुत आदर पूर्वक लेता हूं, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं कि वह क्या बोलते हैं····· (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा। कोई टीका टिप्पणी नहीं। हर बात पर टीका टिप्पणी नहीं। माननीय सदस्यों ने कुछ कहा है। अब हम मन्त्री महोदय को सुनें।

श्री नारायण चौबे : सुवर्ण रेखा आपके राज्य से भी बहती है। मैं समझता हूं कि आप भी इससे सम्बन्धित हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : हम सम्बन्धित हो सकते हैं परन्तु यदि वास्तव में कोई स्पष्टीकरण है तो आप इसे बाद में पूछ सकते हैं। लेकिन हस्तक्षेप न करें। उन्हें बोलने दें। यदि आप हस्तक्षेप करेंगे तो कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य को जानता हूं। वह किसी भी समस्या के प्रति बहुत शोर मचाते हैं चाहे वह इससे सम्बन्धित न हों।

श्री नारायण चौबे : क्या यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा ?

श्री बी. शंकरानन्द : मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं चाहे यह कार्यवाही में सम्मिलित न हो। अब महोदय, मैं सभा का ध्यान इस देश के बारे में कतिपय मूलभूत तथ्यों, देश की समस्याओं, आवश्यकताओं और जल संसाधनों की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि मैं कहूं कि इस देश के लिए किसी अन्य देश के लिए पानी का एकमात्र स्रोत वर्षा है। यह अनुमान है कि इस देश में यह 4000 लाख हेक्टेयर मीटर है। इसमें से 70 लाख हेक्टेयर मीटर वाष्पित हो जाता है और लगभग 2150 लाख हेक्टेयर मीटर जमीन में रिस जाता है और शेष नदियों में बह जाता है, जो पानी रिस जाता है उसका थोड़ा हिस्सा नदियों में चला जाता है। इसलिए आप उसे समझ पायेंगे। यदि आप इस तथ्य को जान सकें तो शायद सभा समस्या को समझ सकेगी जिससे हम सबका सम्बन्ध है।

श्री नारायण चौबे : हेक्टेयर मीटर क्या है ?

श्री बी. शंकरानन्द : क्या आप हेक्टेयर जानते हैं ?

श्री नारायण चौबे : मैं जानता हूँ।

श्री बी. शंकरानन्द : क्या आप मीटर जानते हैं ? मीटर क्या है ?

श्री नारायण चौबे : हां, मैं जानता हूं।

श्री बी. शंकरानन्द : यदि एक मीटर गहरा पानी एक हेक्टेयर जमीन में फैला दिया जाये तो वह हेक्टेयर मीटर कहलाता है। आशा है आप समझ गये होंगे।

श्री नारायण चौबे : अब, आपको प्रोफेसर होना चाहिए।

श्री बी. शंकरानन्द : मुझे आपके जैसा विद्यार्थी नहीं चाहिए।

श्री नारायण चौबे : परन्तु, कोई मुझे भी पढ़ायेगा।

सभापति महोदय : कृपया, मन्त्री महोदय को बोलने दें।

श्री बी. शंकरानन्द : लगभग 200 लाख हेक्टेयर मीटर भारत से बाहर अपवाह क्षेत्रों से मिलता है। सतही स्रोतों से औसत वार्षिक बहाव 1780 लाख हेक्टेयर मीटर होने का अनुमान है। इसमें से केवल 700 लाख हेक्टेयर मीटर के लगभग ही स्थलाकृति, आर्थिक आदि कारणों की वजह से उपयोग के काबिल है। सभा को यह मालूम होगा कि लगभग 540 लाख हेक्टेयर मीटर ब्रह्मपुत्र बेसिन का योगदान है जिसमें से केवल 20 लाख हेक्टेयर मीटर ही उपयोग के योग्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह शर्म की बात है।

श्री बी. शंकरानन्द : नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। शायद पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य जानते हैं·····

श्री नारायण चौबे : यह आपके लिए शर्म की बात नहीं है। यह भगवान वरूण के लिए शर्म की बात है।

श्री बी. शंकरा नन्द . पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य विशाल नदी ब्रह्मपुत्र की बड़ी समस्याओं से अवगत हैं। वे यह भी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र आयोग है जिसकी नियुक्ति जल संसाधनों के समग्र विकास के लिए एक वृहद योजना बनाने के लिए की गयी है। बृहद योजना तैयार है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बीच में न बोले। मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि हर बात पर न टोकें। यदि कोई संदेह है तो आप अन्त में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। हस्तक्षेप न करें, नहीं तो उत्तर पूरा नहीं हो पायेगा। कृपया उत्तर पूरा करने दें।

श्री नारायण चौबे : हम सहायता करने की कोशिश करते हैं।

सभापति महोदय : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों को मन्त्री महोदय को सहायता करने की आवश्यकता है।

श्री बी. शंकरा नन्द : 700 लाख हेक्टेयर मीटर में से लगभग 80 प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जायेगा, और शेष का प्रयोग घरेलू और जल सप्लाई, औद्योगिक उपयोगों और तापीय शक्ति, आदि के लिए किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष लगभग 600 लाख हेक्टेयर मीटर भूमिगत जल पुन: प्राप्त किया जा सकेगा। जिसमें से 420 लाख हेक्टेयर मीटर प्रयोग के योग्य समझा जाता है। इसका लगभग 70 प्रतिशत सिंचाई के लिए और शेष अन्ये कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाना है।

हमारी जनसंख्या अब लगभग 70 करोड़ है। हम दुगने से अधिक हो गये हैं, स्वतन्त्रता के पश्चात इस देश की जनसंख्या में हर साल आस्ट्रेलिया को जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। अब हम न केवल खाद्य के उत्पादन के लिए बल्कि रेशों और दूसरी जरूरतों जिनके लिए जल एक आधार भूत सामग्री है, के लिए जल संसाधनों की आश्यकतायें में तेजी बढ़ोत्तरी की कल्पना कर सकते हैं।

इस प्रकार 1990-91 तक जल सप्लाई और स्वच्छता के लिए क्रमश: 12.8 लाख हेक्टेयर मीटर और 8 लाख हेक्टेयर मीटर की घरेलू आवश्यकता का अनुमान है। औद्योगिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता·····

औद्योगिक उपयोग के लिए इस शताब्दी के अन्त तक पानी की आवश्यकता लगभग 30 लाख हैक्टेयर मीटर हो सकती है।

मैं यह आकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल से इस सदन मे सिर्फ. सिंचाई तथा इस बढ़ती हुयी जनसंख्या द्वारा जल की मांग के बारे में चर्चा हो रही है।

शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन घरेलू तथा सफाई के लिए जल आपूर्ति की आवश्यकताऐं वर्तमान 32,000 मिलियन लीटर से इस शताब्दी के अन्त तक 49,000 मिलियन लीटर होने की आशा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के संबंध में स्थिति और भी चौंका देने वाली है। 1980-81 के दशक के आरम्भ में, सिर्फ 31 प्रतिशत देहाती जनसंख्या सुव्यवस्थित जल आपूर्ति के तहत थी। देहाती जनसंख्या के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन योजना लक्ष्य को पूरा

करने के लिए, पीने के जल की वर्तमान आपूर्ति को बढ़ाकर इस शताब्दी के अन्त तक 27,000 मिलियन लीटर करना पड़ेगा फिलहाल, पीने योग्य जल आपूर्ति के दृष्टि कोण से 39,000 गांवों को समस्या वाले गांव अभिषित किया गया है, और देश की कुल देहाती जनसंख्या के केवल 51 प्रतिशत को पीने योग्य जल आपूर्ति साधनों के तहत लिया गया है।

मैं यह आंकड़े सदन को सिर्फ यह बताने के लिए दे रहा हूँ कि हमें जल की आवश्यकता सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं होती हैं। हमें इन सभी उद्देश्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। शायद, सदन जल साधनों के विकास के लिए जल संशाधन मंत्रालय की समस्याओं पर गौर करेगा, जिसके लिए हमें इस सदन से सहायता और समर्थन की आवश्यकता है।

आप जानते ही हैं कि कुछ निश्चित स्थानों में जैसे-मद्रास में पीने के पानी की गंभीर समस्या रही है।

प्रो. एन. जी. रंगा : (गुंटूर) अब यह समस्या हैदराबाद में भी है।

श्री बी. शंकरानन्द : हां, हैदराबाद मद्रास और देश के कई अन्य शहरों में, तेलगु गंगा परियोजना को पीने के पानी की योजना से समर्थन मिला है या आघात मिला है जो भी आप कहना चाहें ..... (व्यवधान) अब तक, राज्यों के द्वारा सिंचाई आवश्यकताओं के सन्दर्भ में भेजी गयी परियोजनाओं को स्वीकृति देने की प्रथा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप सिर्फ भाषण देते हैं, धन नहीं।

श्री बी. शंकरानन्द : अब हमें सोचना पड़ेगा कि सिंचाई परियोजनाओं को मंजूर करते समय पेय जल आपूर्ति के विषय को भी ध्यान में रखा जाये और उस हिसाब से अग्रिम परियोजनाएं स्वीकृत करनी होंगी।

प्रो. एन. जी. रंगा : और जल निकास का भी ध्यान रखना होगा।

श्री बी. शंकरानन्द : वास्तव में, जल निकास इस योजना का हिस्सा है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि देश में जल संसाधन नीति क्यों नहीं है कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है कि यहां जल संसाधन पर कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। मैं कह सकता हूँ और सदन में मैंने कई बार कहा है कि अब हम एक राष्ट्रीय जल नीति बना रहे हैं। ल983 में एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद बनायी जा चुकी है। यह परिषद 1983 में जन्मी थी जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मरी हुई पैदा हुई थी।

श्री बी. शंकरानन्द : हां, इसने जन्म लिया है, यह काम कर रही है, यह चाल भी कर रही है, और यह आपको पकड़ भी सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे किस लिए पकड़ेगी ?

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : क्यों कि यह तीन साल की हो गयी है।

श्री बी. शंकरानन्द : ... और सभी मुख्य मंत्री इस परिषद के सदस्य हैं। गत वर्ष 30 अक्तूबर को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की एक बैठक हुयी थी और यदि मैं यह कह सकता

हूं कि इस राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन क्यों हुआ था तो मैं सदन के ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं—शायद मैं इस तरह सदन के समय के को बरबाद नहीं करूंगा।...

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें माननीय मंत्रियों की असंगतियों को सहन करना पड़ता है।

श्री बी. शंकरानन्द : कोई वकील ही प्रासंगिकता और विसंगति की बात कर सकता है... ..

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, नहीं, मैं आपसे सुनूंगा।

प्रो. मधु दंडवते : उन्होंने तो मजाक में यह कहा था।

श्री बी. शंकरानन्द : मुझे यह पता है। हम दोनों ही वकील हैं—किन्तु इस सदन में नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां हमारे पास कोई मुवक्किल नहीं हैं।

श्री बी. शंकरानन्द : हमारे मुवक्किल यहां हाजिर नहीं हैं।

जल जो जीवन के संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है देश में इसके संसाधन कम होते जा रहे हैं। अब तक जल संसाधन विकास की योजनाएं राज्यों द्वारा बनायी जाती रही हैं और उन्हीं द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता रहा है। मुख्य नदियां हमारे देश में कई राज्यों से होकर गुजरती है। इसलिये राज्यों के लिए इन नदियों के संबंध में वृहद योजनाएं बनाना संभव नहीं हो सका है। यह महसूस किया गया है कि जल संसाधनों के उपयोग के लिए योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जानी चाहिएं जिससे कि उपलब्ध जल संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सकें।

हाल के वर्षों में कई प्राधिकरणों जिनमें सिंचाई आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग सम्मिलित हैं द्वारा राष्ट्र के सर्वोपरिसंहित में जलसंसाधनों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के लिए एक शीर्षस्थ निकाय की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी अपनी 14 मार्च 1982 की बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श किया था और यह विचार व्यक्त किया था कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य एवं प्रांतीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये एक ऐसे माहोल बनाना चाहिए जिसके तहत राष्ट्रीय जल योजनाएं तैयार की जा सकें। उस संदर्भ में, परिषद ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और नदी घाटी आयोगों की स्थापना करने के लिए भारत सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया था।

इस परिषद के कार्य महत्वपूर्ण हैं। यह सदन प्रायः भिन्न-भिन्न समस्याओं पर वाद-विवाद करता रहा है, इसलिये ये इस परिषद के क्या-क्या कार्य होने चाहिये उसे समझ सकता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के कार्य इस प्रकार होंगे :

(क) राष्ट्रीय जल नीति बनाना और समय-समय पर इसका अवलोकन करना।

(ख) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नदी घाटी आयोगों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत की गयी जल विकास योजनाओं (वैकल्पिक योजनाओं को सम्मिलत करते हुये) पर विचार और उनकी समीक्षा करना।

(ग) जल योजनाओं की स्वीकृति की ऐसे सुधारों के साथ जो उपयुक्त व आवश्यक समझे जायें, सिफारिश करना।

(घ) ऐसे अग्रिम अध्ययन करने के लिए निदेश देना जो योजनाओं या इसके घटकों पर पूर्ण विचार विमर्श के लिए आवश्यक हों।

(ङ) जल योजनाओं के विशिष्ट तत्वों और दूसरे ऐसे विषयों जो परियोजनाओं को बनाने और लागू करने के दौरान उठ सकते हैं के संबंध में राज्यों के बीच मतभेदों के समाधान के तरीके सुझाना।

(च) भिन्न-भिन्न लाभ भोगियों द्वारा जल संसाधनों के उचित वितरण तथा उपयोग के लिए सर्वोत्तम विकास तथा लोगों के अधिकतम फायदे इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं प्रशासनिक प्रबन्धों तथा विनियमों के बारे में सलाह देना।

एक नीति पर एक प्रलेख तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल परिषद ने एक सब ग्रुप बनाया। नीति प्रलेख गत वर्ष अक्तूबर से 6 माह के अन्दर तैयार किया जाना है और सदन को यह जानकर रुचिकर लगेगा कि इस सब-ग्रुप के सदस्य कौन-कौन हैं जिन पर राष्ट्रीय नीति प्रलेख बनाने का दायित्व डाला गया है। वे इस प्रकार हैं: सब-ग्रुप के सदस्य—आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान—इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और चार केन्द्रीय मंत्री—ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, परिवहन मंत्री और पर्यावरण और वन मंत्री और जल संघाधन मंत्री सब-ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इस समिति को नीति प्रलेख बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय जल संसाधनों के विकास के दृष्टिकोण से यह सारे देश के लिए लागू है। यह समिति प्रलेख तैयार करने के कार्य में लगी हुई है। हमें आशा है कि कुछ महीनों में नीति प्रलेख तैयार हो जायेगा और यह राष्ट्रीय जल परिषद के सामने प्रस्तुत किया जायेगा और फिर इस सदन में पेश किया जायेगा।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि नीति प्रलेख के प्रधान भाग पर जिसे अब तक बनाने का प्रयत्न किया गया है, सर्व सम्मति रही है। अब केवल कुछ विषयों पर सदस्य मतभेदों को दूर करने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। जहां तक इस ग्रुप के कार्यकरण का संबंध है यह ठीक तरह से कार्य कर रहा है। सदस्यों के भिन्न भिन्न क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दलों से सम्बन्धित होते हुए भी उन्होंने अपना ध्यान समस्त देश की समस्याओं के प्रति लगाया है और वे एक प्रलेख तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हे जिस पर अन्ततः बहस की जायेगी ··

अब समस्या यह है कि जो जल समुद्र में जा रहा है उसका उपयोग कैसे किया जाये। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है। प्रश्न सिर्फ फालतू जल के उपयोग का नहीं है, भूमि जल के उपयोग का भी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि फालतू क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में पानी कैसे ले जाया जाये। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि इस देश की समस्त जनसंख्या को पीने का पानी कैसे उपलब्ध करवाया जाये।

4.56 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब हमने रावी-व्यास न्यायाधिकरण विधेयक पास किया तो विभिन्न मुख्य-मंत्रियों के

बीच सहयोग और समन्वय लाने के लिए सरकार को जिन्ह कानूनी उपबंधों और बाधाओं का सामना करना पड़ा उनको मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इसलिए, वे इकट्ठे होते हैं और इस देश के हित में विचार विमर्श करते हैं। विशेषतया तेलुगु-गंगा सदन के बाहर तथा भीतर चर्चा का विषय रहा है। मैंने यहां और सदन के बाहर बार-बार कहा है कि मुख्यमंत्री इकट्ठे बैठें और जल की उस उपलब्धता के बारे में अपने मतभेदों को दूर करें जिसके लिए तेलुगु-गंगा योजना बनाई जा रही है और धन का आबंटन किया है। मुझे दुबारा कहने और सदन का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ बात यह है कि मैं आपके तथा इस सदन के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से फिर अनुरोध करता हूं कि वे इकट्ठे हों और अपने मतभेदों को दूर करें और यह देखें कि··· (**व्यवधान**)···मैंने पहले ही कह दिया है ·

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : बछावत न्यायाधिकरण पंचार से सभी मुख्यमंत्री सहमत हैं। उन्होंने कहा है कि वे उसका पालन करेंगे। कृपया आप इसे लागू करें।

श्री बी. शंकरानन्द : शायद मैं माननीय सदस्यों को अपनी बात समझा पाया हूं।

प्रो. मधु दंडवते : वे ऐसा महसूस करते हैं कि वे सहमत हैं परन्तु आप मतभेद पैदा कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री बी. शंकरानन्द : यह बड़ी दिलचस्प बात है कि आप यह बता रहे हैं कि उनमें कोई मतभेद नहीं है।

सवाल पानी की उपलब्धता का है। बिना जल के, तेलुगु-गंगा की तो बात ही छोड़िए, कोई भी परियोजना न तो तैयार की जा सकती है, और न ही लागू की जा सकती है। आधारभूत तथ्य यह है जल कहां है ? अगर आन्ध्र प्रदेश के लिये जल उपलब्ध है, तब शायद वहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए—सिवाय इसके कि यह तकनीकी तौर पर स्वीकृत हो और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया जाये। उस उद्देश्य के लिए बछावत समिति द्वारा जो जल आवंटित किया गया है उसका आन्ध्र प्रदेश ने वचन दिया है और जब तक आन्ध्र प्रदेश यह नहीं कहता है कि उनके पास फालतू पानी है और उसे उपलब्ध कराया जा सकता है, मैं नहीं सोचता कि सदन इस तरह की किसी भी परियोजना को मंजूरी देने के लिए सहमत होगा। किन्तु समाधान ढूंढा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान ही न किया जा सकता है। हम समाधान ढूंढ़ सकते हैं। वास्तव में, पोलावरम की मांगें हैं। गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी के जल में डालने की आवश्यकता है। अगर बछावत समिति पंचाट, कृष्णा पंचाट और गोदावरी पंचाट सब को साथ-साथ पढ़ा जाये तो शायद हम जल का पता लगा सकेंगे ?

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री सोमनाथ चटर्जी : बचावत भी बचा नहीं सकता।

श्री बी. शन्करानन्द : बचावत बचा सकता है, अगर हम बचाना चाहते हैं।

[**अनुवाद**]

इस उद्देश्य के लिए हमने कहा है : मुख्य मंत्री आकर मिल कर बैठें और विचार कर

लें। हम इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम समाधान खोज लेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस वर्ष ?

श्री बी. शन्करानन्द : जितनी जल्दी संभव है और जितनी जल्दी यह तीन मुख्य मन्त्री आपस में भेंट करेंगे।

श्री एन. बी. एन. सोमू : मद्रास के प्रतिनिधि के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाली गर्मियों में मद्रास नगर के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। शीघ्र ही आप इसके लिए किस समाधान पर विचार कर रहे हैं।

श्री बी. शन्करानन्द : अपनी फसलों को बचाने के लिए मद्रास में इस वर्ष भी पानी नहीं था। मद्रास के मुख्य मंत्री और तमिलनाडु सरकार अवगत है···(**व्यवधान**)

श्री एन. बी. एन. सोमू : कावेरी डेल्टा को जनता को खेती के लिये पानी नहीं मिलता और मद्रास नगर की जनता पीने के पानी के अभाव से पीड़ित है। इसका समाधान क्या है।

श्री बी. शन्करानन्द : सौभाग्य से तमिलनाडु की फसलों को बचाया जा सका है। कर्नाटक ने 5 टी. एम. सी. जल दे दिया जब इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। केन्द्र के हस्तक्षेप से कर्नाटक द्वारा पानी दिया गया। प्रधान मन्त्री ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों के मुख्य मंत्रियों को इकट्ठे होने और मतभेद को दूर करने के लिए अनेक बार व्यक्तिगत पत्र लिखे हैं। मैं स्वयं आंध्र प्रदेस के मुख्य मंत्री से बात करने के लिए आंध्र प्रदेश गया था। मैंने कर्नाटक के मुख्य मंत्री से बात की है। हम सचिव स्तर पर भी प्रयत्न करते रहे हैं, कई बैठकें हुई हैं—हम चाहते हैं कि ऐसी समस्यायें राष्ट्र की कीमत पर जारी न रहें। हमें जल को समुद्र में व्यर्थ गंवाने में रुचि नहीं है।

बहुत सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि केन्द्र सूखा-प्रवण तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिए सिंचाई परियोजनायें अथवा इसी प्रकार की कोई परियोजनायें तैयार करके कुछ स्थाई सम्पत्ति का निर्माण क्यों नहीं करता है। सिंचाई आयोग ने कुछ बातों की मंजूरी दे दी है। इन्हें योजना आयोग के सामने रखा गया है। योजना आयोग का यह विचार था कि यदि हम इस प्रकार की पूर्ति रखें कि सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण उनके निर्माण के लिए केवल सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में होना चाहिए अथवा वहां के लिये ही प्रोत्साहित किया जाये तो राज्य में किसी विशेष क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने पर प्रतिबन्ध सा लग जायेगा। मैं ऐसा नही करना चाहता हूं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सरकारों को कुछ लचीला होना चाहिए जिससे वह इसे अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग में ला सकें। इस पहलू की ओर योजना आयोग ने ध्यान दिया। किन्तु मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता की कदर करता हूं। हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े देता हूं। राज्यों को चौथी योजना के दौरान 666.32 करोड़ रुपए, पांचवीं योजना के दौरान 88.69 करोड़, वार्षिक योजनाओं के दौरान 1978-80 से 219.97 करोड़ रुपए और छटी योजना के दौरान 1980-85 में 1124.86 करोड़ रुपये सूखा राहत के तौर पर दिए गए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : सूखा पीड़ित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना के संबंध में आपका क्या विचार है ?

श्री बी. शंकरानन्द : 1985-86 में 7 जनवरी, 1986 तक 261 करोड़ रुपये केवल सूखा-राहत के लिए दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र बाढ़-राहत भी देता है। हम राहत कार्य के लिए सक्रिय निर्माण कार्य से भी अधिक पैसा देते रहे हैं।

श्री पूरत देव : किंतु उड़ीसा उस राशि से टी. वी. खरीद रहा है।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, जहां तक सदस्यों की इस बात का सम्बन्ध है कि केन्द्र नदियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करता, मेरे विचार में यह अत्यन्त रोचक बात है कि पहली बार सदस्यों ने बहुमत में यह आवाज उठाई है कि नदियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। पानी का राष्ट्रीयकरण इस प्रकार होना चाहिए कि यह केन्द्रीय विषय बन जाए। मेरे विचार में वह यही चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आखिर आप ने इसे समझ लिया।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या मैं ठीक कहता हूं या आप।

महोदय, देश में बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो अन्तर-राज्यीय नदियां हैं। इस देश की बड़ी नदियां अन्तर-राज्यीय नदियां हैं। हमारे पास परियोजना के रूप में, सिंचाई, विद्युत अथवा जल संसाधन विकास के क्षेत्र में किसी परियोजना को केन्द्रीय योजना के रूप में लेने की कोई स्कीम नहीं है। यह सत्य है कि इन परिस्थितियों में किसी राज्य को सहायता के रूप में देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं हैं केवल हम केन्द्रीय सहायता के तौर पर सूखा अनुदान देते हैं और यह अनुदान और ऋण किसी विशेष परियोजना से सम्बद्ध नहीं होते हैं। जब तक हम वित्त देने की पूरी प्रणाली में परिवर्तन नहीं करते और सिंचाई और जल संसाधन विकास योजनाओं को केन्द्रीय योजनाओं के रूप में नहीं अपनाएंगे तब तक शायद माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव वर्तमान कार्यप्रणाली की कसौटी पर पूरे नहीं उतरेंगे।

दूसरी ओर से बहुत से सदस्यों ने फरक्का के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की। विस्तार में जाये बिना, क्या मैं यह कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इतनी गम्भीरता से इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, जिस गम्भीरता से यहां सदस्य इसको लेना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तो सामान्य कोटा है, कृपया असली बात पर आ जाइए।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं असली बात पर आता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार क्या कर रही है, इस विषय में मैं तथ्य और आंकड़े देता हूं।

श्री अमर राय प्रधान : कृपया हमें स्पष्टत: बता दीजिए कि क्या कलकत्ता के लिए 40000 क्यूसेक जल उपलब्ध है।

श्री बी. शंकरानन्द : यदि चिल्लाने से वर्षा और पानी आ जाते, तो शायद पश्चिम बंगाल के सदस्य..... (**व्यवधान**)

महोदय, कल्पना की गई थी कि पश्चिम बंगाल में तीस्ता-बराज परियोजना का निर्माण

तीन चरणों में किया जाएगा। 1976 में राज्य सरकार ने इस परियोजना का कार्य 69.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया। (व्यवधान)

इस समय फेज-I के प्रथम चरण के प्रथम उप-चरण पर काम चल रहा है और परियोजना की अनुमानित लागत 400 करोड़ तक बढ़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1983-84 तक राज्य सरकार द्वारा 140 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। राज्य सरकार हर वर्ष इस परियोजना के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि से कम राशि देती आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार यही तो कर रही है। वर्ष 1983-84 के दौरान 28 करोड़ रुपये की लागत स्वीकार की गई। इसी वर्ष के दौर राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय को यह कह कर 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की कि वह उस वर्ष के दौरान 35 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने निवेदन किया था। केन्द्र से सहायता प्राप्त करने के बाद यह देखा गया कि 1983-84 के दौरान इस परियोजना पर केवल 25.28 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। इसी प्रकार वर्ष 1984-85 के दौरान इस परियोजना के लिए 27 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया और यह राशि भी उन्होंने पूरी की पूरी खर्च नहीं की। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम ने निश्चय किया है कि मंत्रालय के हर एक गलत वक्तव्य के विरोध में विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना देंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : आपका स्वागत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह एक आदत सी बन गई है कि किसी विशेष राज्य की निन्दा कीजिए।

श्री बी. शंकरानन्द : आप विपक्ष में सबसे अधिक बोलने वाले सदस्य हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, मैं यह कहने के लिए सदन के कुछ मिनट लेना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य जान लें कि वह क्या कर रहे हैं।

किसी न्यायालय में एक वकील एक मामले की पैरवी कर रहा था। और दूसरी ओर भी वकील इस मामले पर तर्क दे रहा था। आप जानते हैं कैसे? वह चिल्ला रहा था, बेंच पर हाथ मार रहा था, जमीन पर पैर पटक रहा था और साथ ही चिल्ला रहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन ?

श्री बी. शंकरानन्द : यही तो आप भी कर रहे हैं। फिर दूसरे पक्ष की बारी आई आप को मालूम है कि दूसरे पक्ष के वकील ने क्या किया? उसने केवल अपना मुंह बन्द कर दिया। वह धरती पर पैर मार रहा था, बेंच पर मुक्का मार रहा था किन्तु एक शब्द भी नहीं बोला। न्यायाधीश ने पूछा, मेरे मित्र वकील आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं विपक्ष के बहस के मुख्य भाग का उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान)

महोदय, क्या मैं दूसरे भाग पर चर्चा करू और कहूं·····

प्रो. मधु. दण्डवते : आप उसी प्रकार से उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : इससे यह देखा जाएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार साल दर साल कम पैसा दे रही है जो इसे परियोजना के पूरा होने में विलम्ब और परियोजना की लागत में वृद्धि माना जा सकता है।

श्री अमर राय प्रधान : आप जानते हैं कि आप इस परियोजना पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। 400 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए आप 5 करोड़ रुपये से अधिक उपलब्ध नहीं कराते हैं। (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, सदस्यों ने जनजातीय उपयोजना और अनुसूचित जातीय संघटक योजना के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की पूरी जनसंख्या का 8 प्रतिशत है जब जनजातीय क्षेत्रों की संख्या भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 15 प्रतिशत है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन क्षेत्रों में सिंचाई और पेय जल सुविधाएं आम तौर पर कम हैं, केन्द्रीय सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जनजातीय उप-योजना प्रणाली तैयार की है। राज्य सरकार अपनी सिंचाई के विकास के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत उप-योजनाओं का निर्माण करते हैं। राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाने के लिए कल्याण मन्त्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाती है, जिसके अन्तर्गत ऐसी छोटी सिंचाई योजनाएं सहायता के योग्य होंगी जो व्यक्तिगत रूप से किसानों के लिए लाभदायक होंगी।

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए, सातवीं योजना में नई योजनाएं आरम्भ करने हेतु जनजाती क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली योजना पर सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त लागू नहीं होते। भूमिगत जल विकास से जनजातीय क्षेत्रों की हालत में सुधार होगा। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका समझते हुए सातवीं योजना के आबंटन में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के लिए जनजातीय क्षेत्रों में विस्तृत जांच तथा अन्वेषण आरम्भ करने के लिए भूमिगत जल विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

महोदय, कमजोर वर्गों के किसानों जिनमें छोटे किसान भी शामिल हैं, को जहां संभव हो कुंए खोदने और नल-कूप के लिए सहायता देने की योजना बनायी गई है। आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना बनाई जा रही है और जब यह मंजूर हो जायेगी तो हम सदन के समक्ष लाएंगे।

श्री पीयूष तिरकी : अपने भाषण में मैंने भूटान से निकलने वाली जिन अनेक नदियों का उल्लेख किया है क्या उन नदियों पर नियंत्रण रखने के लिए भूटान सरकार के साथ कोई कदम उठाये गए हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये हैं जिनका संबंध मुख्यतः उनके राज्य की परियोजनाओं से है। उन सुझावों पर राज्य सरकार विचार करेगी। क्या मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वह इस संबन्ध में राज्य सरकार से सम्पर्क करें ? हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम राज्य सरकार को जो कुछ सहायता दे सकते हैं, वह उसे दें।

श्री पीयूष तिरकी : किन्तु विदेशी सरकार से इस मामले में बात-चीत करने का अधिकार

राज्य सरकार को नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार को ही पहल करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा तो है कि वह राज्य सरकार की सहायता करेंगे।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने "गंगा थाले में बाढ़ नियंत्रण की विस्तृत योजना (भाग-1) समस्याओं का निर्धारण और उद्देश्यों का नियतन" नाम से गंगा के लिए एक विस्तृत योजना को अन्तिम रूप दे दिया है और उसे मार्च 1986 में संबंधित राज्यों को भेज दिया है। तथापि, अलग-अलग निर्माण-कार्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपनी राज्य योजनाओं से आरम्भ किये जायेंगे। महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वृहद योजना चार या पांच वर्ष में ही पूरी कर ली है, और इसका श्रेय बोर्ड को जाता है, बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा कार्य पूरा हो चुका है और आगे की कार्यवाही आयोग की सिफारिशों के अनुसार की जायेगी।

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : ब्रह्मपुत्र नदी पर दो बांध बनाने अर्थात् देहांग और सुबंसिरी पर बांध बनाने के प्रस्ताव का क्या रहा ?

श्री बी. शंकरानन्द: वे दोनों बांध सकल ब्रह्मपुत्र वृहद योजना के अंग हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री विपिन पाल दास: मुझे आशा है कि उन्हें छोड़ा नहीं गया है।

श्री बी. शंकरानन्द : जब बृहद योजना तैयार हो चुकी है; तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं और सरकार उस पर विचार कर रही है। उन्हें छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, इस समय राजस्थान में पानी का अकाल पड़ रहा है। केन्द्र को सहायता देनी चाहिये और नल कूप तथा पम्प सैट लगवाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय कह चुके है कि वह इन मुद्दों पर विचार करेंगे।

श्री बी. शंकरानंद : महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों की गई शिकायतों तथा उठाये गये अन्य मूल्यवान मुद्दों को नोट कर लिया है और उन पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा। (**व्यवधान**)

मेरे पास बहुत थोड़ा समय बचा है अन्यथा मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हर मुद्दे का उत्तर देता। तथापि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है: उसे मैंने नोट कर लिया है और मैं उन मुद्दों के बारे में राज्य सरकारों के साथ बातचीत करूंगा तथा जैसा भी उचित होगा, तदनुसार मैं समस्याओं का समाधान करने मे मदद करूंगा।

श्री शरतदेव : एफ. डी. आर. के रुपये में दुरुपयोग के बारे में मैंने जो आरोप लगाये थे, उनका क्या हुआ ?

श्री बी. शंकरानंद : मुझे नहीं पता कि वे आरोप कितने गंभीर और कितने व्यर्थ के हैं और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यदि माननीय सदस्य को कोई विशिष्ट शिकायत है, तो वह मुझे लिख सकते हैं और मैं देखूंगा कि उस बारे में क्या किया जा सकता है।

श्री शरद देव : वह उड़ीसा विधान सभा के पटल पर रखे जा चुके हैं।

श्री बी. शंकरानंद : जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है, कि वे उन्हें वापिस ले लें और मंत्रालय की मांगे पारित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदान मागों के सम्बन्ध में रखे गये सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रखूंगा, यदि कोई माननीय सदस्य चाहे तो उसका कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जा सकता है।

सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं जल संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगे मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में जल संसाधन मंत्रालल से सम्बन्धित मांग संख्या 9 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की सचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोकसभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृति लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.	राजस्व रु.	पूंजी रु.
	जल संसाधन मंत्रालय				
97.	जल संसाधन मंत्रालय	27,12,29,000	2,57,67,000	1,35,43,92,000	12,8833,000

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मत्रालय

(तीन) परमाणु ऊर्जा विभाग

(चार) इलैक्ट्रानिकी विभाग

(पांच) महासागर विकास विभाग

(छः) अन्तरिक्ष विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 80 से 83, परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 99 से 101, इलैक्ट्रानिक विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 102, समुद्र विकास विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 103 और अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 104 पर चर्चा तथा मतदान करेंगी ? जिसके लिए कुछ घंटे का समय आवंटित किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगें सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्यायें लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या सं. 80 से 83 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में. 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान लेने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 99से 101 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में इलैक्ट्रानिकी विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 102 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई महासागर विकास विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 103 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 104 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परमाणु, ऊर्जा विज्ञान, इलेक्ट्रानिकी विभाग महासागर विकास विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
80.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	13,83,77,000	2,00,000	69,18,83,000	10,00,000
81.	भारतीय सर्वेक्षण	7,71,67,000	4,17,000	38,58,33,000	20,83,000
82.	मौसम विज्ञान	4,55,51,000	1,77,69,000	22,77,52,000	8,88,43,000
83.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	26,75,33,000	55,00,000	1,33,76,67,000	2,75,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
99.	परमाणु ऊर्जा विभाग	24,97,000	...	1,24,83,000	...
100.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनायें	36,35,75,000	69,83,47,000	1,81,78,72,000	3,51,82,34,000

1	2	3		4	
101.	न्यूक्लीय विद्युत योजनायें	70,00,00,000	39,28,02,000	1,60,78,17,000	1,99,15,08,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
102.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	9,773,3,000	7,78,83,000	48,86,67,000	38,94,17,000
	महासागर विकास विभाग				
103.	महासागर विकास विभाग	4,42,25,000	20,00,000	22,41,24,000	1,00,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग				
104.	अन्तरिक्ष विभाग	22,67,72,000	32,96,13,000	1,13,43,61,000	96,45,15,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हन्नान मोल्लाह ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि से संबंधित अनुदान मांगों के बारे में बोलूंगा । मैं विषय के तकनीकी पहलुओं पर नहीं बोलूंगा अपितु मैं इस विषय से संबंधित नीति संबंधी मामलों पर ही बोलूंगा ।

भारत सरकार ने 1958 में विज्ञान सम्बन्धी नीति के संकल्प के संबंध में अनेक निर्णय लिये थे । उसमें बताये गए उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी था कि वैज्ञानिक ज्ञान के अर्जन और उपयोग से जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं वे देश की जनता को सुलभ कराये जाएं । प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति के वक्तव्य में बताये गए उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभप्रद और संतोषप्रद रोजगार उपउब्ध कराया जाए जिसमें विशेष ध्यान महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार सुलभ कराने पर दिया जाय । किन्तु इस दृष्टि से यदि हम सरकार की नीति पर विचार करें कि वह इस क्षेत्र में कितनी सफल हैं तो हमें पता चलेगा कि इस नीति में बताई गई दिशा का उचित ढंग से परिपालन नहीं किया गया है, बल्कि उसे इस सरकार की वास्तविक वर्ग चरित्र की ओर मोड़ा गया है और उससे एकाधिकार व्यक्तियों, बहुराष्ट्रिक कम्पनियों तथा बड़े घरानों की हित-साधना की गई है । वर्तमान सरकार का ध्यान भी केवल इस दिशा में है। इस नीति को अन्य बातों के बारे में कहने तथा इस सम्बन्ध में प्राथमिकताओं के बारे में कोई सुझाव देने से पहले मैं इस सरकार द्वारा अपनायी जा रही नीति के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा ।

सबसे पहले सलाहकार परिषद के गठन का मामला लिया जाये । आपको पता है कि संसदीय प्रणाली में यह एक विशेषता है । यह देखा गया है कि हाल ही में वैज्ञानिक सलाहकार और विज्ञान सलाहकार परिषद के रूप में जो प्रबन्ध किया गया है उसके अनुसार वह अपनी रिपोर्ट तथा सलाह प्रधान मंत्री को देंगे । किन्तु वे रिपोर्ट सम्पूर्ण मंत्रिमंडल को नहीं देंगे । हमारे यहां राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं है । इसलिये यह बात असंगत है । सर्वप्रथम मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

दूसरे, इस संयुक्त प्रबंध में दो समानान्तर संस्थाएं हैं—एक प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जिसके लिए प्रो. मैनन को नियुक्त किया गया है और दूसरी विज्ञान सलाहकार परिषद् के रूप में जिसके अध्यक्ष प्रो.सी.एन.आर. राय हैं । जैसा कि इस समय प्रबंध किया गया है, उसके अनुसार एक से अधिक शक्ति के केन्द्र बन जाएंगे और इस कारण सब प्रकार की अशन्ति और अराजकता होगी और मद्दी लाबी तैयार होंगी तथा अपना वैज्ञानिक आधार सुदृढ़ होने के बजाए विज्ञान संबंधी प्रबन्ध में समस्यायें उठ खड़ी होंगी । मैं महसूस करता हूं कि यह कोई सही दिशा नहीं होगी ।

तीसरे, अब हम विज्ञान सलाहकार परिषद् की संरचना के जिस की घोषणा की जा चुकी है, प्रश्न को ले, हम देखते हैं कि इसमें दो बहुराष्ट्रिक कम्पनी का प्रतिनिधित्व है; जो एक बहुत ही गम्भीर बात है और हम इससे सहमत नहीं हैं ।

परिषद के आठ सदस्यों में से एक हिन्दुस्तान लीवर लि. के अध्यक्ष डा ए. एस. गांगुली हैं तथा दूसरे इण्डियन एक्सप्लासिव्ज लि. के डा. शेखर राना हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है।

सलाहकार परिषद का कार्य प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री को इन विषयों पर सलाह देना है—(i) वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समक्ष प्रमुख मुद्दे (ii) देश में किसान एवं प्रौद्योगिकी की दशा तथा किस दिशा में उन्हें अग्रसर होना चाहिए, (iii) सन् 2000 के लिए भावी योजना (iv) विज्ञान सम्बन्धी विभागों के सम्मुख विशिष्ट समस्याएं शोध एवं प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए नीतियां तथा प्राथमिकताएं आदि। अतएव परिषद इन समस्त कार्यों का अवलोकन कर सकती है, उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री के अधीन वैज्ञानिक विभागों से सम्बन्धित लगभग हर कार्य हो अतः श्रीमन् क्या हम इन सभी विभागों में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधियों को, इन विभागों में निर्बाध रुप से पहुँच करने की अनुमति प्रदान करने जा रहे हैं ? क्या हम इन कंपनियों को अपने विभागों को निदेश देने की अनुमति दे सकते हैं ? तब हम कुमार नारायण द्वारा हमारे गुप्त तथ्यों की चोरी के बारे में क्यों चिंतित है जब देश इन बहुराष्ट्रीय निगमों को वैधानिक रूप से गुप्त तथ्य बताने जा रहा है ? यह एक बहुत गम्भीर मामला है और हम इस मुद्दे पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। आशा है कि हमें असहमति व्यक्ति करने का अधिकार है। वस्तुतः यह एक गम्भीर स्थिति है। श्रीमन् आप जानते हैं कि इन दो कंपनियों के दो प्रतिनिधि हमारे देश में व्यापक रूप से रुचि ले रहे हैं। हिन्दुस्तान लीवर कृषि सम्बन्धी बहुत सी वस्तुएं उत्पादित करता है। आप यह भी जानते हैं कि वे पौध-पोषक तत्वों, बीज व्यापार, पौध कोशिका संचालन (टिशू कल्चर) एवं अन्य कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में अपना व्यापार फैला रहे हैं। और दूसरी आई. सी. आई. कंपनी रासायनिक पदार्थों औषधियों कीट नाशक दवाओं गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों आदि में व्यापक रुचि ले रही है। कहने का तात्पर्य है कि वे दो सदस्य भारत में प्रवेश कर रहे हैं।

दूसरे मैं यहां कहना चाहता हूँ कि सरकार को रक्षा अन्तरिक्ष तथा इनसे संबंधित सभी मामलों को प्रत्यक्ष रुप से लेना पड़ेगा। छठे दशक के मध्य के अनुभव के बाद, कृषि प्रौद्योगिकी पर उन लोगों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जिन पर सरकार आश्रित हो बाद में, वे बदले तथा इस प्रौद्योगिकी के प्रति कुछ दायित्व स्वीकार किया क्योंकि वे विदेशी राष्ट्रों से प्रत्यक्षः तकनीक नहीं प्राप्त कर सकते थे। कृषि वह कार्य नहीं कर सकती जो बहुराष्ट्रिक कम्पनियां तथा बड़े 2 व्यापार संगठन कर सकते हैं। लेकिन यहां कृषि प्रौद्योगिकी विकास के चयन का सवाल है। यह चयन धनी कृषकों को कृषि के लिए प्रौद्योगिकी कार्यान्तरण के अभिकर्ता के रूप में ध्यान में रखकर किया गया था। सरकारी नीति की भी दिशा यही है जिससे हम सहमत नहीं हैं। यहां एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

उद्योग के संबंध में यहां एक व्यापक व्यवस्था है। आप विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के क्रिया-कलापों को जानते हैं। उनके कार्य मुख्य रूप से रहे हैं—परीक्षण तथा सर्वेक्षण सेवाएं उपलब्ध कराना, कार्य-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना समस्या समाधान के लिए सलाह देना उन क्षेत्रों में जहां विदेशी पूंजी का नगण्य प्रभाव हो आपात प्रतिस्थापन आदि अन्यथा पूर्णतयः अहस्तक्षेप की नीति रही हैं। यह बड़े उद्योगों के लिए स्थिति है। यह एक गम्भीर स्थिति है, अतएवं इससे हम असहमति व्यक्त करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आठवें दशक में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

की जो सिफारिश थी उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। नीति के प्रति सरकार का तो यह रुख है।

इसके बाद श्रीमन् सी. एस. आई. आर. जैसे अभिकरण का प्रश्न है जिसका इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य रहा है। कुछ अखबारी खबरों से और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट से भी उद्धरण दे रहा हूँ कि "सी. एस. आई. आर. प्रयोगशाला द्वारा विकसित 295 परियोजनाओं में से केवल 39 अर्थात 15 प्रतिशत से कम परियोजनाएं उत्पादन के लिए चालू की जायेगी। यह कितनी बड़ी बरबादी है। उन्हें कार्य रूप नहीं दिया जा रहा है इसके साथ सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन पर बहुत पैसा व्यय कर रहे हैं तथा शोध परियोजनाओं को बिल्कुल विश्लेषणात्मक रूप में लिया जाता है। हमारे पास कोई भावी योजना नहीं है कि हम क्या विकसित और क्रियान्वित करेंगे। केवल 15 प्रतिशत परियोजना ही क्रियान्वित की जायें; यह स्थिति गम्भीर है। इसे स्वीकार करने के पश्चात 141 परियोजनाएं अस्वीकृत की गई हैं। इस संगठन के क्रियाकलाप के प्रति इस प्रकार का हल्का रुख अपनाया गया है।

श्रीमन् इन कठिनाइयों के बाद सरकार लक्ष्यों तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बात कर रही है। हालांकि छठी योजना के दौरान उसने इसकी चर्चा तो की किन्तु पूरी छठी योजना के दौरान लक्ष्यों अथवा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रश्न पर कोई कार्यवाही नहीं की।

अभी हाल में बजट में सरकार ने इसका उल्लेख भी किया है किन्तु मैं नहीं जानता कि वह क्या करेगी। वास्तव में, मंत्रालय में बैठे उच्च प्रबन्धकों के साथ टैलेक्स के माध्यम से सी. एस. आई. आर. के लक्ष्य तैयार किये जा रहे हैं यह प्रवृति वहां भी थी। मेरे विचार से भविष्य में मन्त्रालय इन कमियों की ओर ध्यान देगा।

अगला प्रश्न नीति से संबंधित है। मैं यहां विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति के प्रजातंत्रीकरण के प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं 1973 में इस पर कुछ कार्य हुआ, लेकिन इसके बाद इसे ताक पर रख दिया गया। भारतीय निजी उद्योग को, जिसने प्रौद्योगिकी अपनाने के उद्देश्य के प्रति गहरी रुचि नहीं दिखाई हैं औद्योगिक अनुसंधान संवर्धन, प्रौद्योगिकी संवर्धन बोर्ड अन्तरण और व्यापारिक प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी विलयन और रूपान्तरण आदि के माध्यम से 7वीं योजना के अन्तर्गत अनेक नई रियायतें दी जायेंगी।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक ओर तो सरकार उदारता दिखा रही है लेकिन दूसरी ओर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" नामक योजनाओं के लिये केवल 15 लाख रुपये की थोड़ी सी राशि नियत की गई है जब कि 1958 और 1973 की नीतियों के मुख्य जोर इस बात पर दिया गया था। किन्तु अब इसके लिए केवल 15 लाख की राशि दी गई है जो बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि नीति में जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उससे यह सर्वथा विपरीत है।

इसके अलावा, गत दस वर्षों के दौरान इस बात का उल्लेख बार-बार किया जाता रहा है कि विदेशी सहयोग के लिए सरकार एक राष्ट्रीय पंजीयन संस्था बनाने वाली हैं किन्तु वह अभी तक नहीं बन पाया है। सरकार इससे विमुख क्यों हो रही है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि इसमें क्या कठिनाई है।

हमारी गलत नीति के कारण समस्यायें उठती हैं। हम प्रतिभा पलायन की बात करते हैं जो हमारे देश की मुख्य समस्या है। हमारे प्रधान मंत्री उत्कृष्टता के केन्द्रों की बात कर रहे हैं। पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमारे उत्कृष्ट केन्द्र हैं। वे वैज्ञानिक और इन्जीनियर तैयार करते हैं। गत दो दशक में लगभग 10,000 उत्कृष्ट छात्र अपना देश छोड़कर अमरीका चले गये हैं। अमरीका में एक इन्जीनियर तैयार करने 50,000 डालर व्यय होते हैं। किन्तु हम उन्हें उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे वहां जा रहे हैं। हर वर्ष लगभग 80 प्रतिशत कमप्यूटर वैज्ञानिक देश छोड़कर चले जाते हैं। एक ओर तो उत्कृष्ट मेन्द्रों की बात की जा रही है दूसरी ओर ऐसे उत्कृष्ट केन्द्रों द्वारा निर्मित व्यक्तियों को साम्राज्यवादी अमरीका के हाथों बेचा जा रहा है जो इन्जीनियरों को तैयार करने के लिए धन व्यय नहीं करना चाहता है। यह एक गंभीर समस्या है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी समस्या यह है कि सरकार बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को ठेका दे रही है। (व्यवधान) हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस भी प्रौद्योगिकी को तैयार किया है, उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने अंकीय स्विचगीयर के संबंध में दूरसंचार प्रौद्योगिक के अन्तरण के लिए फ्रांस, जापान और वेलजियम में तीन बहुराष्ट्रीक कम्पनियों के साथ हुए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा क्यों किया गया है ? जब सरकार ने निविदायें आमन्त्रित की थीं; तब सैंकड़ों कंपनियां आगे आई थी कि वे उन्हें तैयार करना चाहते हैं। उनमें से कुछ को स्वीकृति दी गई थी किन्तु थोड़े महीनों के बाद सरकार ने उनसे कहा कि उन्हें इतनी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। थोड़े समय के बाद हमारे देश ने इन बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों के साथ ठेका किया। इससे अपने देश के वैज्ञानिकों को निराशा हो रही है। अतः सरकार का यह रवैया नहीं होना चाहिये। यह एक गंभीर मामला है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा, मैं प्राथमिकता के क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमें निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान करना चाहिये। हमें कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये किन्तु प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या केवल प्रौद्योगिकियों से देश आधुनिक बन सकता है ? हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये। प्रौद्योगिकी किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन मात्र है। यदि यह सही है तो हम किसी व्यक्ति को आधुनिक कैसे बना सकते हैं ? आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उससे यह पूरा नहीं हो सकता है। हमारे देश में 50 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, 66 प्रतिशत लोग निरक्षर और अशिक्षित हैं तथा उनमें से 10 करोड़ बेरोजगार हैं। हम उन्हें इस दशा में रखकर देश को आधुनिक राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। यह बात नितांत सत्य है। (व्यवधान) इसे निरपेक्ष रुप से नहीं लिया जाना चाहिए। आप थोड़े से लोगों को महत्व दे रहे हैं किन्तु आप अधिकांश अर्थात् कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसा कि पहले नीति संबंधी वक्तव्य में घोषित किया जा चुका है। अतः विद्वान और प्रौद्योगिकी उद्देश्य प्राप्ति के साधन हो सकते हैं, स्वयं साध्य नहीं। मेरा यह सुझाव है की विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधार संरचना विस्तृत क्षमता पर टिकी होनी चाहिए जिससे वह किसी भी आकास्मिक स्थिति से निपटने में समर्थ हो। आधुनिक भारत के पास लगभग सभी प्रकार की नई और विकासशील प्रौद्योगिकी की क्षमता होनी चाहिये

जैसे सूक्ष्म इलैक्ट्रोनिक, सूचना-विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत और नवीन सामग्री तथा अनेक अन्य स्रोत से संबंधित प्रौद्योगिकी। किन्तु हमें कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए, मेरा सुझाव है कि अन्य परियोजनाओं के लिए हमें गंभीरता-पूर्वक कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये थी।

सर्वप्रथम, कृषि पर ध्यान दिया जाये क्योंकि कृषि के बिना हम 21वीं शताब्दी में नहीं पहुँच सकते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि सर्वाधिक नई प्रौद्योगिकी को विकसित की जाये इसमें अनन्तर शुष्क भूमि खेती को लें देश में 1300 लाख हेक्टेयर भूमि में से जिस पर अनाज उगाया जाता है, 73 प्रतिशत भूमि पर शुष्क भूमि खेती होती है। लेकिन उससे कुल अनाज उत्पादन में से केवल 42 प्रतिशत खाद्यान्न की पैदावार मिलती है। इसलिए शुष्क-भूमि खेती के लिए कोई नई प्रौद्योगिकी तैयार करनी होगी। इसके बाद सिंचाई पर आधारित कृषि के जल प्रबंध को लीजिए जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं, किन्तु हमें ऐसी प्रौद्योगिकी का निर्माण करना चाहिये जिससे कि मिटटी की पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार की गई मिली जुली योजना का उपयोग किया जा सके। इसलिये कोई प्रौद्योगिकी तैयार करनी चाहिये और सर्वाधिक ध्यान इस पर दिया जाना चाहिये।

उद्योग के सम्बन्ध में, सर्वप्रथम हमें अपने स्थानीय संसाधनों, परम्परागत कार्य कौशल का उच्च स्तर का बनाने तथा ऊर्जा संरक्षण और दूर संचार विकास के संवर्द्धन और उपयोग को महत्व देना होगा। स्वास्थ्य के संबन्ध में हमें प्रमुख संसारी रोगों के उपचार के लिए किसी प्रकार के टीकों और निदानात्मक उपकरणों का विकास करना होगा तथा औषधि विहीन चिकित्सा, आधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना होगा। इन तीनों बातों को हमें सर्वाधिक महत्व और बल देना होगा, तथा अपनी नई प्रौद्योगिकी विकसित करने की ओर सबसे अधिक ध्यान देना होगा जिससे कि हम इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। ऐसा करके ही हम अधिकांश लोगों को इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए साथ ले सकेंगे किन्तु अधिकांश लोगों को पीछे छोड़कर यदि हम ऐसे 10 प्रतिशत लोगों के साथ, जिनके पास अधिक भूमि है, जो उच्च समाज में विचरण करते हैं, जिन्हें एकाधिकार प्राप्त है और जो धनी हैं; 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना चाहेंगे; तो वह 21वीं शताब्दी भारतीय जनता की 21वीं शताब्दी नहीं होगी अपितु वह 21वीं शताब्दी शोषकों की शताब्दी होगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी दिशा सही रूप में परिवर्तित कर लें तथा सही कार्यवाही करें जिससे हम जनता को अपने साथ ले सकें और अपनी नीति सही बनाये तथा इस नीति को सही दिशा में ले जायें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब लोकसभा के अन्दर, साइन्स और टेक्नालाजी की जो मांगें हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। इससे यह बात साफ होती है कि हमारी लीडरशिप और हमारी सरकार देश में वैज्ञानिक चिन्तन, साइन्स और टेक्नालाजी के विकास को कितना महत्व देती है। यह हमारा सौभाग्य रहा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक जो हमारे देश के कर्णधार रहे—पं. जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय इन्दिर जी—उन सभी का वैज्ञानिक

दृष्टिकोण रहा। सभी ने विज्ञान के मामले में इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में रखने का अथक प्रयत्न किया। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे नौजवान प्रधान मन्त्री, आदरणीय राजीव गांधी जी साइन्स और टेक्नलाजी को और भी अधिक महत्व देते हुए जहां हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में रखना चाहते हैं, वहीं साथ साथ जो विकास का अन्तर हमारे देश में है, शहरी और ग्रामीण इलाकों में, वहां पर विज्ञान के प्रयोगों को, विज्ञान की उपलब्धियों को दूरदराज के अन्चल में पहुँचाकर उस विकास के अन्तर को भी पाटना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो हमारे देश की 1958 में साइन्स एंड टेक्नोलाजी की नीति बनी, इसके बाद 1982 में इन्दिरा गांधी जी द्वारा जो रिजोल्युशन संसद में पेश किया गया। उन दोनों को मार्गदर्शी मानते हुए हमारी सरकार ने विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, आज उसी से यह संभव हो सका है कि हम कृषि में, उद्योग में, देश की सुरक्षा में और देश में एक वैज्ञानिक वातावरण बनाने में सफल हुए हैं। आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी आजादी के समय क्या हालत थी उद्योगों की, क्या हालत थी कृषि की और क्या हालत थी हमारे वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों की। आज उन सभी को एक नीति के अन्तर्गत देश की प्रगति में और देश को आत्म निर्भर बनाने में लगाया गया है। हमारे पूर्ववक्ता ने यह आरोप लगाने की कोशिश की कि जो हमारी साइन्स और टेक्नोलाजी की पालिसी है या जो हमारी साइन्स और टेक्नोलाजी की नीति है, जो हम देश में लाना चाहते हैं, उसमें हमारी सरकार का या हमारे देश का झुकाव मल्टीनेशनल्स की ओर प्रतीत होता है। मैं यह साफ करना चाहूंगा कि यदि ऐसा होता तो क्यों न हम उनके ही उद्योगों को यहां पर स्थापित करने की स्थिति में होते, क्यों हमारी सरकार बी. एच. ई. एल को खोलती, क्यों हमारी सरकार एच. एम. टी. के द्वारा अच्छी घड़ियां, अच्छे ट्रैक्टरों का उत्पादन कर रही है, क्यों हमारी सरकार परमाणु ऊर्जा के मामले में जो संयत्र दूसरे देशों के स्थापित किए जाते थे, हमने वह टैक्नोलाजी और नो-हाउ अपने देश में विकसित करके हमारे देश के इन्जीनियरों और वैज्ञानिकों का प्रयोग करके उसको सफल बनाया। यह आरोप लगाना पूर्णत: दूरदर्शिता से परे है। हमारी सरकार ने जो कार्यवाहियां की हैं, उससे ऐसा झुकाव प्रतीत नहीं होता है।

विज्ञान के क्षेत्र में दिन-प्रति-दिन नए आविष्कार होते हैं, नई योजनायें आती हैं और नई टेक्नोलाजी विकसित की जाती है। यदि उसमें हमारी सरकार ने उसका सदुपयोग न किया होता तो हम दुनिया के विकसित देशों का मुकाबला कैसे कर पाते। यदि हम पिछले 10-15 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों पर गौर करें और उनका अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि आज हम सैटेलाइट के क्षेत्र में आत्म निर्भर होते जा रहे हैं। हमने अपना सैटेलाइट छोड़ने का लांचर विकसित कर लिया है। हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारे डिजाइन के अनुसार हमने अपने सैटेलाइट अन्तरिक्ष में स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा के मामले में आज हम गौरव से यह कह सकते हैं कि हमारा देश उन छः राष्ट्रों के बाद सातवां वह प्रमुख देश है, जो सबसे आधुनिक टेक्नोलाजी इस दुनिया में रखता है। चाहे परमाणु ऊर्जा शान्तिप्रयोजन की बात हो, चाहे परमाणु ऊर्जा के ईंधन और उसके माध्यम से विभिन्न प्रयोगों को करने की बात हो, हमारे कुशल वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों ने वह उपलब्धि हासिल की है। अभी हाल ही में मुझे कलपक्कम जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पर एम. ए. पी. पी., परमाणु बिजली घर को देखने के बाद यह

लगा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और उस पर आधारित परमाणु बिजली घर स्थापित करने में हमारा देश विदेशी टेक्नोलाजी विकसित करके आत्म निर्भर हो गया है। उसके साथ-साथ ही वहां पर जो फास्ट-ब्रिडर-टैस्ट-रियेक्टर-एफ. बी. टी. आर.—विकसित किया है, उससे हम एक कदम और टैक्नोलाजी के क्षेत्र में बढ़े हैं। हम निश्चित रूप से वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने टैस्ट रियेक्टर विकसित करके अपने प्रयोग के आधार पर राष्ट्र को इस स्थिति में पहुँचाया है कि हम उस पर आधारित 500 मेगावाट की क्षमता का फास्ट-ब्रिडर-रियेक्टर बनाने की स्थिति में है।

आज परमाणु ऊर्जा देश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। खास तौर से शांतिपूर्ण प्रयोग में उससे विद्युत ऊर्जा पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। उसमें हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग के लोगों ने सन् 2000 ई. तक दस हजार मेगावाट क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि हम इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम उनको आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएं और जो सातवीं पचवर्षीय योजना में 1400 करोड़ रुपये की राशि रखी है, उससे दुगनी और तीन गुनी राशि की आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में हमको आवश्यकता होगी, तभी हम करीब 14 हजार करोड़ रुपये के खर्च से 10 हजार मेगावाट की क्षमता वाले जो परमाणु ऊर्जा विद्युत स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं, वे कर पाएगे।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि परमाणु ऊर्जा घरों को स्थापित करने में जो समय लगता है, जो इनका जेस्टेशन पीरियड है, वह 10-12 वर्ष का है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब हमने उसकी डिजाइनिंग, उसकी टेकनालोजी और उसकी नो-हाऊ को विकसित कर लिया है, तो उसमें 6-7 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। यदि हमने जेस्टेशन पीरियड को कम कर दिया, तो निश्चित रूप से हम 10,000 मैगावाट क्षमता वाले पावर स्टेशन्श 2,000 ई. तक स्थापित कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो न्यूक्लीयर पावर बोर्ड बना हुआ है, उसने जो दीर्घकालीन परमाणु विद्युत की योजना तैयार की है, वह बहुत ही आवश्यक और बहुत व्यावहारिक है। अतः उनको वहां आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना जरूरी है, वही मेरा सुझाव यह है कि यदि न्यूक्लियर पावर बोर्ड को एक कारपोरेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और एक लिमिटेड कारपोरेशन बनाकर पब्लिक का पार्टीसिपेशन हम उसमें लें, तब वह पब्लिक सैक्टर के एक प्रमुख कारपोरेशन के रूप में कार्य करेगा और भविष्य में धन की कमी आने की जो आशंका रहती है, उसको अपने संसाधनों, पब्लिक इक्युटि और विभिन्न विधि संस्थाओं से मदद ले कर इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की लक्ष्य की प्राप्ति में अपना पूर्ण योगदान दे सकता है।

हमारे पूर्व वक्ता ने यह भी आरोप लगाने का प्रयास किया है कि हमारे देश से ब्रेड ड्रेन हो रहा है, इन्जीनियर्स जा रहे हैं, डाक्टर्स जा रहे हैं और साइन्टिस्ट्स जा रहे हैं। जा रहे थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ पर अब जिस रफ्तार से हमारे देश में इन्जीनियर्स, वैज्ञानिक और डाक्टर आ रहे हैं, वे देश के विकास में नई टेकनोलौजी लेकर खुद स्वयं के उद्योग स्थापित करने के लिए या फिर भारत सरकारकी विभिन्न संस्थाओं में रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क में अपना योगदान देने के लिए आ रहे हैं, यह हमारी सरकार का बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय प्रयास है। साइन्स

और टेक्नोलौजी डिपार्टमेंट में एक नया सैल कायम करके यह प्रयास किया गया है कि जो हमारे इन्जीनियर, वैज्ञानिक और अप्रवासी भारतीय लोग उन्नत किस्म की टेकनोलौजी लेकर हमारे देश में आ सकते हैं, उन्हें हम व्यावहारिक सुविधायें दें। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पाटिल साहब ने 2 अप्रैल को लोक सभा में यह जवाब दिया था कि करीब 25 हजार ऐसे इन्जीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं और डाक्टर हैं, जो हमारे देश के रहने वाले हैं और वहां पर रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 1900 के करीब अभी तक आ चुके हैं, जिन्होंने इन विभिन्न सुविधाओं का लाभ लिया है और हमें आशा है कि अन्त में 25 हजार से बढ़कर 50 हजार आने वालों की संख्या हो जाएगी वे अच्छी किस्म की टेकनोलौजी लेकर हमारे यहां पर आएं और हमारी सरकार उनको सारी सुविधायें दें। उनको स्वयं के रोजगार स्थापित करने में और अच्छी टेकनोलौजी पर आधारित नये उद्योग डालने में सुविधा दें। इससे यह होगा कि आज जो नीड-बैस्ड टेकनोलौजी लेने के लिए, एप्रोप्रियेट टेकनोलौजी लेने के लिए बाहर जाना होता है और उसके लिए लाखों, करोड़ों, रुपए देने होते हैं, वह हमारा पैसा खर्च नहीं होगा। उन लोगों को सुविधायें देकर हमारे देश की आवश्यकतानुसार वे टेकनोलौजी हमारे देश में लेकर आ सकते हैं और स्वयं के धंधे स्थापित कर सकते हैं। इस से विशेष सुविधा नान-रेजीडेंट इन्जीनियर्स और साइन्टिस्ट्स को हो जायेगी। अभी हमारी सरकार क्या सुविधा दे रही हैं और हमारी क्या योजना है, उन देशों में बराबर पर्याप्त जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। ऐसा कुछ मित्रों ने चर्चा के दौरान विचार व्यक्त किए हैं। मेरा यह कर्तव्य बन जाता है कि इस जानकारी को इस सदन के मारफत आप तक पहुँचाओं। हम अपने हाई कमीशन के माध्यम से या विभिन्न साइन्स और टेकनोलौजी के आफीसर वहां नियुक्त करके प्रचार प्रसार या बुलेटीन वहां पर भेजें। जिससे कि उनके मन में विश्वास हो कि उनको सिर्फ नौकरी ही नहीं, यदि वे स्वयं के धंधे करना चाहते हैं, यदि रिसर्च लेबोरेटरी में कोई अच्छी टेकनोलौजी का काम करना चाहते हैं तो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने उनके लिए योजनायें बनायी हैं तो वे निश्चित रूप से दुआयें देंगे और हमारे देश वे साइन्स और टेकनोलौजी के क्षेत्र में दिन प्रति दिन जो उन्नति हो रही है उसमें वे हमको और मदद पहुंचायेंगे।

इस तरह से यह आक्षेप लगाना कि 21वीं सैन्चरी में हमारा देश कैसे पहुंचेगा; 21वीं सैन्चरी में हमारा देश विज्ञान का सहारा लेकर पहुंचेगा, विकसित और विकासशील का अन्तर पाट कर पहुँचेगा और साइन्स और टेकनोलौजी के माध्यम से पहुंचेगा। माननीय मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान का प्रयोग हम दिल्ली, बम्बई और मद्रास में ही नहीं करना चाहते हैं और इसको ही 21वीं सैन्चरी में नहीं पहुँचाना चाहते हैं। हम देश के सात लाख गावों को, उन करोड़ों लोगों को, गरीब लोगों को आवश्यक सुविधायें देकर 21वीं सैन्चरी में पहुँचना चाहते हैं। हम विज्ञान के प्रयोग से उनको वे सब साधन उपलब्ध कराना चाहते हैं जिनसे कि वे वंचित हैं। इसमें है विज्ञान का उपयोग, मानव संसाधन के विकास में है विज्ञान का उपयोग, देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने में है विज्ञान का उपयोग, देश की मदद करने में है विज्ञान का उपयोग।

इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. एल. जगन्नाथन (चेंगल पट्टु) : महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना

द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष विभागों की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सब से पहले मैं परमाणु ऊर्जा की मांगों को लेता हूं सातवीं योजना के अनुसार 2000वीं सदी तक कुल 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। 1986-87 में परमाणु ऊर्जा योजनाओं के लिए 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का मैं स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन परमाणु उर्जा योजनाओं को कहां कार्यान्वित किया जाएगा। तमिलनाडु अपनी उपलब्ध जल विद्युत सम्भावनाओं का पूरा उपयोग कर चुका है और ताप बिजली पर निर्भर रहना पूरी तरह भ्रामक है क्योंकि तमिलनाडु में कोयले की आरम्भिक आधारभूत संरचना इन परियोजनाओं की पहुंच के भीतर उपलब्ध नहीं है। तमिलनाडु में सातवीं योजना के अन्त में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर लगभग 330 करोड़ यूनिट का होगा तथा 1994-95 तक यह अन्तर 1020 करोड़ लाख यूनिट हो जाएगा। अतः माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि परमाणु उर्जा परियोजना तिरुनेलवलि जिला स्थित कुंडकुलम में स्थापित करने के लिए तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने में लगने वाली लम्बी अवधि को देखते हुए कलपक्कम परमाणु उर्जा केन्द्र का विस्तार करने के लिए घन विनियोजन सम्बन्धी निर्णय लिया जाए। मेरा सुझाव है कि परमाणु उर्जा संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति 500 रुपए विशेष मासिक भत्ता दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें रेडियो धर्मिता का जोखिम रहता है। मेरा सुझाव है कि कलपक्कम परमाणु उर्जा संयंत्र के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को परमाणु उर्जा अनुसंधान की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय रिकार्ड कायम करने के लिए प्रोत्साहन बोनस दिया जाना चाहिए।

अब मैं महासागर विकास विभाग की मांगों को लेता हूं। समुद्र तापीय ऊर्जा परिवर्तन के अध्ययन के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। भारत में समुद्र तापीय उर्जा के परिवर्तन की अच्छी सम्भावनायें हैं। अनुमान है कि यहां 50,000 मेगावाट से अधिक समुद्र तापीय उर्जा परिवर्तन (ओ. टी. ई. सी.) की क्षमता है। इसका पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए। एक मेगावाट ओ. टी. ई. सी. संयंत्र के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करने हेतु मेकान (एम. ई. सी. ओ. एन.) को जो शुरू किया गया है वह बेमन से की गई शुरूआत है। इस उद्देश्य से मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक छोटा ओ. टी. ई. सी. संयंत्र तैयार किया है। मेरी मांग है कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाए। महासागर विकास विभाग और उर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों सम्बन्धी विभाग के बीच कारगर समन्वय होना चाहिए।

मैं समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए प्रशसनीय प्रयासों का उल्लेख करना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इस परियोजना के लिये सहायता मिली थी। पर जाने कैसे भारत सरकार ने इस योजना के लिए अनुदान नहीं देकर तमिलनाडु सरकार का उत्साह नहीं बढ़ाया। मेरी मांग है कि इसे अधिक गम्भीरता और उत्साह से शुरू करना चाहिए।

समुद्र प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत 1985-86 में दो प्रदूषण निगरानी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। मैं जानना चाहता हूं कि 1985-86 में इन केन्द्रों

की स्थापना कहां की जाएगी। सबसे लम्बी तटरेखा तमिलनाडु में है इसलिए एक केन्द्र की स्थापना वहां की जानी चाहिये।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कमान, नियन्त्रण संचार, सुरक्षा प्रणाली, इलैक्ट्रानिकी युद्ध प्रणाली आदि के क्षेत्र में अधिक लागत अधिक जोखिम के विकास के लिए राष्ट्रीय रडार परिषद् के माध्यम से सहायता अनुदान दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी युद्ध प्रणाली के संबंध में अनुसंधान नहीं किया जा सकता। यह रक्षा परियोजना है। मैं जानना चाहता हूं कि इसे निजी क्षेत्र में क्यों शुरू किया जाएगा और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता अनुदान दिया जाएगा।

समाप्त करने से पूर्व मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। 1985-86 में इसके लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी और 1986-87 में 20 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। क्या आप आशा आशा करते हैं कि इतनी कम धनराशि से ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकेगा। मेरी मांग है कि इस कार्य के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के सफल उपायों से गांवों के विकास में सहायता मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं :

6.00 म. प.

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिक परियोजनायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाए।"

[विभिन्न परमाणु विद्युत केन्द्रों के निर्माण की लागत में वृद्धि रोकने में असफलता] (1)

कि परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिक परियोजनायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया किया जाये।"

[आन्ध्र प्रदेश में मणुगुरु में भारी जल संयंत्र स्थापित करने में अत्यधिक विलम्ब न होने देने में असफलता।] (2)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता।] (1)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राज्य परिषद स्थापित करने की आवश्यकता ।] (2)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम की प्रोन्नति को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।] (3)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोजन करने की आवश्यकता ।] (4)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बेरोजगार कार्मिकों को उद्यम सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।] (5)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[बढ़ती हुई बेरोजगारी और अर्ध रोजगारी पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता ।] (6)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[विज्ञान की प्रगति के कारण अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई पर विचार करने की आवश्यकता ।] (7)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[युवाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिभा का विकास करने की आवश्यकता ।] (8)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[वैज्ञानिकों के भारत से विदेशों में प्रवास को रोकने की आवश्यकता ।] (9)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[हैदराबाद में उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए एक केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।] (10)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता ।] (11)

"कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर में जिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।] (12)

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय महासागर विकास आदि की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, मेरा विचार है कि इस सम्मानीय सदन को आधुनिक भारत के निर्माता हमारे प्रथम प्रधान मंत्री प्रिय पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने हमारे राष्ट्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक दिशा प्रदान की ।

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं । सदन कल 11 म. पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.02 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 10 अप्रैल, 1986/20 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई ।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 9 अप्रैल, 1986 । 19 चैत्र, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, 'अध्यक्ष महोदय' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष महोदय' पढ़ें ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 3, 'उपाध्यक्ष महोदय' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष महोदय' पढ़िये ।

पृष्ठ 24, पंक्ति 17, 'प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)' के स्थान पर 'प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)' पढ़िये ।

पृष्ठ 26, पंक्ति 24, 'हेली धूमकेतु' के स्थान पर 'हेली धूमकेतु' पढ़िये ।

पृष्ठ 57, पंक्ति 21, पृष्ठ 81, पंक्ति 13, 'प्रो०' के स्थान पर 'प्रो०' पढ़िये ।

पृष्ठ 59, पंक्ति 19, 'श्री भट्टम राममूर्ति' के स्थान पर 'श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति' पढ़िये ।

पृष्ठ 67, प्रथम पंक्ति, 'संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री' के स्थान पर 'संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री' पढ़िये ।

पृष्ठ 101, पंक्ति 6, 'पैंसन' के स्थान पर 'पैंशन' पढ़िये ।

पृष्ठ 102, नीचे से पंक्ति 13, 'धिभागों' के स्थान पर 'विभागों' पढ़िये ।

पृष्ठ 135, पंक्ति 12, 'सेविंग' के स्थान पर 'सेन्सिंग' पढ़िये ।

पृष्ठ 139, अंतिम पंक्ति, '(श्री अरुण नेहरू)' के स्थान पर '(श्री अरुण नेहरू)' पढ़िये ।

ष्ठ 146, पंक्ति 14, अप्रेठसंख्या ' 5041 ' के स्थान पर ' 6041 ' पढ़िये ।

ष्ठ 154, पंक्ति 4, ' चिकित्स राहता ' के स्थान पर ' चिकित्सा राहत ' पढ़िये ।

ष्ठ 155, पंक्ति 9, ' उपाध्य महोदय ' के स्थान पर ' उपाध्यक्ष महोदय ' पढ़िये ।

ष्ठ 157, पंक्ति 3, ' महापंजिकार ' के स्थान पर ' महापंजीकार ' पढ़िये ।

ष्ठ 164, पंक्ति 6, ' (नाजपुर) ' के स्थान पर ' (जाजपुर) ' पढ़िये ।

ष्ठ 184, पंक्ति 15, ' सुदर्शन ' के स्थान पर ' सुदर्शन ' पढ़िये और पाठ-टिप्पण में ' बंगाल ' के स्थान पर ' बंगला ' पढ़िये ।

ष्ठ 225, नीचे से पंक्ति 3, और पृष्ठ 226, पंक्ति 4, 9, 13 के स्थान पर श्री बी० शन्करानन्द ' के स्थान पर ' श्री बी० शंकरानन्द ' पढ़िये ।

ष्ठ 227 ' श्री पूरत देव ' के स्थान पर ' श्री शरत देव ' पढ़िये ।

ष्ठ 231, पंक्ति 7, में मांग संख्या ' 9 ' के स्थान पर ' 97 ' पढ़िये ।

ष्ठ 232, पंक्ति 4 और पृष्ठ 235, पंक्ति 2, ' उपाध्यक्ष महोदय ' स्थान पर ' उपाध्यक्ष महोदय ' पढ़िये ।